

**भारत गैर न्यायिक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
ई-स्टाम्प**

प्रमाण-पत्र संख्या	IN-DL225269554225098
प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि	12-फरवरी-2020 अपराह्न 02:28
खाता संदर्भ	IMPACC (IV) / 942203/ DELHI / DL-DLH
यूनिक दस्तावेज संदर्भ	SUBIN-DL942203539064251146055
क्रयकर्ता	अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड
दस्तावेज का विवरण	अनुच्छेद 5 सामान्य करार
संपत्ति का विवरण	लागू नहीं
प्रतिफल मूल्य (रुपये)	0 (शून्य)
प्रथम पक्ष	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
द्वितीय पक्ष	अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड

स्टाम्प शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया गया: अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड
स्टाम्प शुल्क राशि (रुपये): 500/- (केवल पाँच सौ रुपये)

यह स्टाम्प पेपर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के बीच अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में दिनांक: 14.02.2020 को निष्पादित रियायत करार का एक अभिन्न अंग है।

रियायत करार

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा

द्वारा और के बीच

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड

दिनांक: 14 फरवरी, 2020

विषय-सूची

अनुच्छेद 1	परिभाषाएँ और व्याख्या	6
अनुच्छेद 2	परियोजना का कार्यक्षेत्र	15
अनुच्छेद 3	रियायत प्रदान किया जाना	26
अनुच्छेद 4	पूर्ववर्ती शर्तें	27
अनुच्छेद 5	रियायतग्राही के दायित्व	30
अनुच्छेद 6	प्राधिकरण के दायित्व	37
अनुच्छेद 7	अभ्यावेदन और वारंटियां	43
अनुच्छेद 8	अस्वीकरण	46
अनुच्छेद 9	निष्पादन प्रतिभूति	48
अनुच्छेद 10	मार्ग अधिकार	50
अनुच्छेद 11	उपयोगिताएँ और वृक्ष	55
अनुच्छेद 12	हवाईअड्डे का विकास और विस्तार	56
अनुच्छेद 13	निर्माण की निगरानी	60
अनुच्छेद 14	चरण की पूर्णता	63
अनुच्छेद 15	वाणिज्य सेवा में प्रवेश	66
अनुच्छेद 16	संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं	67
अनुच्छेद 17	कार्यक्षेत्र में परिवर्तन	69
अनुच्छेद 18	प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन	71
अनुच्छेद 19	प्रचालन एवं रखरखाव सेवाएँ	81
अनुच्छेद 20	संरक्षित सेवाएँ	87
अनुच्छेद 21	प्रचालन और रखरखाव की निगरानी	91
अनुच्छेद 22	यातायात विनियमन और गणना	95
अनुच्छेद 23	प्रमुख निष्पादन सूचक	96

अनुच्छेद 24	स्वतंत्र अभियंता	100
अनुच्छेद 25	सिटी साइड का विकास	102
अनुच्छेद 26	वित्तीय व्यवस्था पूर्ण होना	106
अनुच्छेद 27	रियायत शुल्क	107
अनुच्छेद 28	शुल्क	110
अनुच्छेद 29	एस्करो खाता	116
अनुच्छेद 30	बीमा	118
अनुच्छेद 31	लेखा और लेखापरीक्षण	120
अनुच्छेद 32	फोर्स मेजयोर	123
अनुच्छेद 33	करार भंग की क्षतिपूर्ति	129
अनुच्छेद 34	रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन	130
अनुच्छेद 35	समाप्ति	132
अनुच्छेद 36	अधिकारों और हितों का विनिवेश	137
अनुच्छेद 37	समाप्ति के पश्चात त्रुटि दायित्व	139
अनुच्छेद 38	समनुदेशन और प्रभार	141
अनुच्छेद 39	विनियामक सिद्धांत में परिवर्तन	143
अनुच्छेद 40	दायित्व और क्षतिपूर्ति	144
अनुच्छेद 41	विवाद समाधान	147
अनुच्छेद 42	प्रकटीकरण	149
अनुच्छेद 43	लोक शिकायतों का निवारण	150
अनुच्छेद 44	विविध	151

**भाग ।
प्रारंभिक**

रियायत करार/अनुबंध

यह रियायत करार (अनुबंध) नई दिल्ली में आज दिनांक: 14 फरवरी, 2020 को निष्पादित किया जाता है।

द्वारा और के बीच:

क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003, भारत में स्थित है;

तथा

ख. अडानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमबद्ध एक कंपनी है, जिसकी निगमित पहचान संख्या U63030GJ2019PLC110076 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009, गुजरात, भारत में स्थित है।

जैसा कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, प्राधिकरण और रियायतग्राही को व्यक्तिगत रूप से पक्ष और सामूहिक रूप से पक्षकारों के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

जबकि:

- क.** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों और शक्तियों में भारत में हवाईअड्डों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन शामिल है, और इसके अनुसरण में, प्राधिकरण ने गुजरात राज्य के अहमदाबाद में हवाईअड्डे का निर्माण करके, इस अधिनियम के तहत और अनुसार इसका प्रचालन कर रहा है।
- ख.** भारत सरकार ने (जैसा कि नीचे परिभाषित है) सेवा मुहैया में दक्षता, विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और पेशेवर दक्षता लाने के साथ-साथ आवश्यक निवेश जुटाने हेतु लोक निजी भागीदारी के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कतिपय हवाईअड्डों के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य आरंभ करने का निर्णय लिया है।
- ग.** प्राधिकरण ने हवाईअड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी और वाणिज्य नियमों व शर्तों (जैसा कि नीचे परिभाषित है) को निर्धारित करते हुए, अपने प्रस्ताव आमंत्रण संख्या 2018_AAI_19451_1 दिनांक: 14 दिसंबर, 2018 के माध्यम से परियोजना के लिए (जैसा कि नीचे परिभाषित है) प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।
- घ.** बोली लगानेवालों से प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन और गृह मंत्रालय, भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त होने के उपरांत, प्राधिकरण ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बोली स्वीकार की और चयनित बोली लगानेवाले को अपना अधिनिर्णय पत्र संख्या AAI/KID/PPP/06 APTS/LOA/Ahmedabad/2019/96 दिनांक: 15 जुलाई, 2019 जारी किया, जिसमें चयनित बोली लगानेवाले को अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्धारित

समय-सीमा के भीतर एक विशेष उद्देश्य साधन के माध्यम से इस करार/अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता थी।

ड. चयनित बोली लगानेवाले ने प्रस्ताव हेतु अनुरोध की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रियायतग्राही के रूप में ऐसे विशेष उद्देश्य साधन को प्रवर्धित और निगमबद्ध किया है, और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह रियायतग्राही को उस संस्था के रूप में स्वीकार करे जो अधिनिर्णय पत्र के तहत चयनित बोली लगानेवाले के दायित्वों का निर्वहन करेगी तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी, जिसमें हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य करने के लिए इस करार में प्रवेश करने का दायित्व भी शामिल है।

च. चयनित बोली लगानेवाले के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही द्वारा प्रवर्तित किए जाने का प्रतिनिधित्व करते हुए, रियायतग्राही ने अपने दिनांक: 29 जनवरी 2020 के पत्र के माध्यम से, प्राधिकरण से चयनित बोली लगानेवाले के उस अनुरोध में शामिल होने का निवेदन किया, जिसके तहत रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए जो आशय पत्र (LOA) के अनुसरण में समझौता करने के दायित्व सहित चयनित बोली लगानेवाले के दायित्वों के निष्पादन के साथ अधिकारों का प्रयोग करेगी।

छ. प्राधिकरण ने चयनित बोली लगानेवाले एवं रियायतग्राही के उक्त अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, और तदनुसार इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए रियायतग्राही के साथ यह समझौता करने के लिए सहमति व्यक्त की है।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस समझौते में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं और समझौतों के विचारार्थ, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्न के अनुसार सहमत होते हैं:

अनुच्छेद 1: परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ, जब तक कि संदर्भ से कोई प्रतिकूल अर्थ न निकले, क्रमशः निम्नानुसार होंगे:

“भा.वि.प्रा.” या “प्राधिकरण” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है, और इसमें इसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती शामिल होंगे;

“ए.ए.आई.सी.एल.एस.” से ए.ए.आई. कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड अभिप्रेत है और इसमें इसके उत्तरवर्ती तथा अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं;

“स्वीकार करने वाले कर्मचारी” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.8.7 में निर्धारित है;

“लेखा वर्ष” से किसी भी कैलेंडर वर्ष के 1 (प्रथम) अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 (इक्कीसवें) मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है; बशर्ते कि प्रथम लेखा वर्ष के उद्देश्यों के लिए, वह अवधि वाणिज्य संचालन तिथि (COD) से प्रारंभ होकर उसके तुरंत बाद आने वाले 31 मार्च को समाप्त होगी और रियायत अवधि के अंतिम लेखा वर्ष के लिए, ऐसी अवधि 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर रियायत अवधि के अंतिम दिन समाप्त होगी;

“अधिनियम” का वही अर्थ होगा जो खंड 23.7.1 में निर्धारित है;

“प्राधिकरण द्वारा नामित लेखापरीक्षक” से खंड 31.2.3 में पहचाने गए लेखापरीक्षक अभिप्रेत होंगे;

“समायोजित माना गया प्रारंभिक आर.ए.बी.” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में निर्धारित है;

“ऐरा” या “ए.ई.आर.ए.” से ऐरा अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तरवर्ती इकाई शामिल होगी;

“ऐरा अधिनियम” से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 अभिप्रेत है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित या अधिकांत किया गया हो;

“विमानन परिसंपत्तियाँ” से वे परिसंपत्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो हवाई अड्डे पर विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं, और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, विमानन सेवाओं के निष्पादन हेतु या उसके संबंध में प्राप्त कर सकता है, परंतु इसमें गैर-विमानन परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं;

“विमानन शुल्क” से विनियामक द्वारा स्वीकृत वे शुल्क अभिप्रेत हैं जिन्हें विमानन सेवाओं के प्रावधान हेतु रियायतग्राही द्वारा उग्रहीत, संगृहीत और विनियोजित किया जा सकता है;

“विमानन राजस्व” से विनियामक ढाँचे के अनुसार विनियामक द्वारा निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता अभिप्रेत है;

“विमानन सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो ऐरा अधिनियम में निर्धारित है;

“प्रभावित पक्षकार” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.1 में निर्धारित है;

“समझौता” या “रियायत समझौता” से यह समझौता, इसकी प्रस्तावना, अनुसूचियां और इस समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए संशोधन अभिप्रेत हैं;

“एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम” से अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) के प्रासंगिक दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान संचालन के लिए आवश्यक रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था अभिप्रेत है;

“हवाई अड्डे” से स्थल पर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अभिप्रेत है, और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएँ, रनवे और हवाई अड्डे के संचालन एवं विस्तार के लिए आवश्यक तथा उससे जुड़ी सभी परियोजना परिसंपत्तियाँ शामिल हैं;

“ए.ओ.डी.बी.” का वही अर्थ होगा जो खंड 21.1 में निर्धारित है;

“लागू कानून” से भारत सरकार और/या राज्य सरकार, नागर विमानन महानिदेशालय (ना.वि.म.नि.), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (ना.वि.सु.ब्यू.), आई.सी.ए.ओ. के सभी कानून शामिल हैं, जिनमें दिशानिर्देश, परिपत्र, नियम, विनियम और अधिसूचनाएँ, निर्णय, डिक्री, व्यादेश, रिट और किसी भी अभिलेख न्यायालय के आदेश शामिल हैं, जो इस समझौते और इसके तहत पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों के प्रयोग, निष्पादन और निर्वहन पर लागू होते हैं;

“लागू अनुमति” से इस समझौते के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत प्राप्त या बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी मंजूरी, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन और छूट अभिप्रेत हैं;

“अनुमोदित मूल्यनिरूपक” से आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत मूल्यनिरूपक अभिप्रेत हैं, जिन्हें कम से कम 5 (पाँच) ऐसी संपत्तियों के मूल्यांकन का अनुभव हो, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु. 100,00,00,000/- (रु. एक सौ करोड़) से अधिक हो;

“अधिनिर्णय” का वही अर्थ होगा जो खंड 41.3.3 में निर्धारित है;

“वास्तुकला डिजाइन” का वही अर्थ होगा जो खंड 12.4.1 में निर्धारित है;

“ए.एस.एम.यू.” का वही अर्थ होगा जो खंड 18.15.4 में निर्धारित है;

“ए.एस.क्यू.” से खंड 23.7.1 में निर्धारित ए.सी.आई. द्वारा किए गए उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के संदर्भ में निर्धारित हवाई अड्डे सेवा गुणवत्ता अभिप्रेत है;

“सहयोगी” या “संबद्ध इकाई” से किसी भी पक्षकार और/या चयनित बोली लगानेवाले के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसे पक्षकार या चयनित बोली लगानेवाले को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, या समान नियंत्रण के अधीन है;

“एटीसी” से हवाई यातायात नियंत्रण (एयर ट्रेफिक कंट्रोल) अभिप्रेत है;

“एटीसी सुविधा” से हवाई अड्डे पर हवाई यातायात सेवा परिसर अभिप्रेत है, जिसमें एटीसी टॉवर, तकनीकी ब्लॉक और अधिकारियों के लिए वाहन पार्किंग सहित कार्यालय आवास शामिल हैं, जिसमें वातानुकूलन तथा बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति का प्रावधान हो;

“प्राधिकरण व्यतिक्रम” का वही अर्थ होगा जो खंड 35.2.1 में निर्धारित है;

“संतुलन भुगतान” का वही अर्थ होगा जो खंड 31.4.1 में निर्धारित है;

“बैंक” से भारत में निगमित एक अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है जिसकी न्यूनतम कुल संपत्ति रु. 1,000,00,00,000/- (रु. एक हजार करोड़) हो, परंतु इसमें कोई सहकारी बैंक शामिल नहीं है;

“बैंक दर” से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर अभिप्रेत है;

“ना.वि.सु.ब्यू.” से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो अभिप्रेत है;

“बोली” से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेज अभिप्रेत हैं;

“बोली प्रतिभूति” से रियायतग्राही द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध के साथ प्राधिकरण को प्रदान की गई प्रतिभूति अभिप्रेत है;

“कार्गो सुविधाएँ” से विमान से कार्गो और डाक के प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली अवरचनाएँ और सुविधाएँ अभिप्रेत हैं;

“कानून में परिवर्तन” से बोली की तारीख के बाद निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना अभिप्रेत है: (क) किसी नए भारतीय कानून का अधिनियमन, (ख) किसी मौजूदा भारतीय कानून का निरसन या संशोधन, (ग) किसी ऐसे भारतीय कानून का प्रारंभ जो बोली की तारीख को लागू नहीं था, (घ) किसी भी भारतीय कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में परिवर्तन, (ङ) करों की दर में परिवर्तन;

“स्वामित्व में परिवर्तन” से रियायतग्राही की चुकता शेयर पूंजी में प्रत्यक्ष और/या अप्रत्यक्ष शेयरधारिता का हस्तांतरण अभिप्रेत है;

(क) यदि चयनित बोली लगानेवाला एक एकल बोली लगानेवाला है, तो वाणिज्य प्रचालन तिथि से 5 (पाँच) वर्षों की समाप्ति तक, कुल इक्किटी में चयनित बोली लगाने वाले की (हिस्सेदारी) का 51% (इक्यावन प्रतिशत) से नीचे गिरना; अथवा

(ख) यदि चयनित बोली लगानेवाला एक कंसोर्टियम (संघ) है, तो वाणिज्य प्रचालन तिथि से 5 (पाँच) वर्षों की समाप्ति तक, कुल इक्किटी में चयनित बोली लगाने वाले के प्रत्येक उस सदस्य की (हिस्सेदारी) का 26% (छब्बीस प्रतिशत) से नीचे गिरना, जिसके अनुभव का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता और/या वित्तीय क्षमता के लिए किया गया है;

“विनियामक सिद्धांत में परिवर्तन” से बोली की तारीख के बाद विनियामक ढाँचे में परिवर्तन अभिप्रेत है;

“कार्यक्षेत्र में परिवर्तन” का वही अर्थ है जो खंड 17.1.1 में निर्धारित है;

“कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आदेश” का वही अर्थ है जो खंड 17.2.3 में निर्धारित है;

“कार्यक्षेत्र में परिवर्तन नोटिस” का वही अर्थ है जो खंड 17.2.1 में निर्धारित है;

“चेक-इन सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.0.1 में निर्धारित है;

“शिकागो कन्वेंशन” का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित और/या अनुपूरित शिकागो कन्वेंशन, 1944 है, और शिकागो कन्वेंशन के किसी “एनेक्सी” (परिशिष्ट) के संदर्भ का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित और/या अनुपूरित ऐसा एनेक्सी होगा;

"**सिटी साइड**" का अर्थ साइट का हिस्सा बनने वाली और अनुसूची 'अ' में सिटी साइड के रूप में चिह्नित अचल संपत्ति से है;

"**सिटी साइड विकास**" का वही अर्थ है जो खंड 3.2 में निर्धारित है;

"**सी.एन.एस./ए.टी.एम. करार**" का अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच एक करार से है, जो मुख्य रूप से अनुसूची 'क्यू' में निर्धारित रूप में है;

"**सी.एन.एस./ए.टी.एम. उपकरण**" का अर्थ सी.एन.एस./ए.टी.एम. सेवाओं के प्रदर्शन के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा अपेक्षित सभी उपकरणों से है;

"**सी.एन.एस./ए.टी.एम. सेवाएं**" का अर्थ विमानक्षेत्र पर प्रदान की जाने वाली संचार, नेविगेशन और सर्विलांस (निगरानी), और वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं से है;

"**सी.ओ.डी. (COD)**" या "**वाणिज्य प्रचालन तिथि**" का वही अर्थ है जो खंड 15.1.1 में निर्धारित है;

"**शिकायत रजिस्टर**" का वही अर्थ है जो खंड 43.1.1 में निर्धारित है;

"**शिकायतकर्ता**" का वही अर्थ है जो खंड 43.1.1 में निर्धारित है;

"**पूरा होना (कंप्लीशन)**" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में निर्धारित है;

"**पूर्णता प्रमाण पत्र**" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में निर्धारित है;

"**पूर्णता रिपोर्ट**" का वही अर्थ है जो खंड 14.2 में निर्धारित है;

"**रियायत**" का वही अर्थ है जो खंड 3.1.1 में निर्धारित है;

"**रियायतग्राही**" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची (ऐरे ऑफ पार्टिज) में दिया गया है;

"**रियायत अवधि**" का अर्थ वाणिज्य प्रचालन तिथि से शुरू होने वाली और अंतरण तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि से है;

"**रियायत वर्ष**" का अर्थ 1 (एक) वर्ष की प्रत्येक अवधि से है, जो वाणिज्य प्रचालन तिथि से शुरू होती है और सभी वर्षों के लिए 365 दिनों की समाप्ति पर और लीप वर्ष के लिए 366 दिनों पर समाप्त होती है, बशर्ते कि अंतिम रियायत वर्ष के लिए यह अवधि अंतरण तिथि पर समाप्त होगी;

"**रियायतग्राही की चूक**" का वही अर्थ है जो खंड 35.1.1 में निर्धारित है;

"**पूर्ववर्ती शर्तें**" का वही अर्थ है जो खंड 4.1.1 में निर्धारित है;

"**निर्माण कार्य**" का अर्थ इस करार के अनुसार किसी चरण को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यों और वस्तुओं से है, और इसमें विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियां, गैर-विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियां, परियोजना सुविधाएं और रियायत अवधि के हिस्से के रूप में विमानक्षेत्र पर किए गए कोई अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं;

"ठेकेदार" का अर्थ उस व्यक्ति या व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, से है जिसके साथ रियायतग्राही ने विमानक्षेत्र के प्रचालन, प्रबंधन और विकास या उससे जुड़े मामलों के लिए ई.पी.सी. (EPC) अनुबंध, ओ&एम (O&M) अनुबंध या किसी अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध में प्रवेश किया है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी समझौते में प्रवेश किया है।

"अनुबंध" का वही अर्थ होगा जो खंड 5.6.2 में निर्धारित है;

"कार्यों की लागत" से अभिप्रेत है,

क. प्रथम चरण के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रचालन के संबंध में अनुमानित पूंजीगत लागतों का कुल योग, जैसा कि रियायतग्राही द्वारा निर्धारित किया जाए;

ख. अनुमानित कल्पित प्रारंभिक नियामक परिसंपत्ति आधार;

ग. रियायतग्राही द्वारा खंड 6.4.5 के अनुसरण में प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशि; और

घ. अनुमानित प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश;

"प्रसंविदा" का वही अर्थ होगा जो खंड 5.2.5 में निर्धारित है;

"उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)" से भारत सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी सूचकांक शामिल होगा, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का स्थान ले, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के किसी भी संदर्भ का तात्पर्य, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पूर्ववर्ती तिमाही के अंत तक प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होगा;

"परिरक्षण अवधि" से इस समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या व्यतिक्रम को दूर करने के लिए इस समझौते में निर्दिष्ट वह अवधि अभिप्रेत है, जो ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरी की जानी है और जो:

क. उस तिथि से प्रारंभ होगी जिस दिन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में एक नोटिस दिया जाता है जिसमें ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम को दूर करने के लिए कहा जाता है;

ख. इस समझौते के प्रावधानों के तहत या लागू कानूनों के तहत नुकसानी या मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से किसी भी पक्षकार को मुक्त नहीं करेगी; और

ग. इस समझौते के तहत निलंबन की किसी भी अवधि द्वारा किसी भी तरह से बढ़ाई नहीं जाएगी; बशर्ते कि यदि रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन को दूर करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी ऐसे उचित कार्य की आवश्यकता हो जिसे इसके तहत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक हो, तो लागू परिरक्षण अवधि को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने में लिए गए समय से बढ़ा दिया जाएगा;

"क्षति" का वही अर्थ होगा जो खंड 1.2.1 के उप-खंड (य) में निर्धारित है;

"कल्पित प्रतिनियुक्ति अवधि" का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1(iii) में निर्धारित है;

"कल्पित निष्पादन प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो खंड 9.4 में निर्धारित है;

"कल्पित प्रारंभिक नियामक परिसंपत्ति आधार" का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में निर्धारित है;

“रक्षा बल” से भारतीय थल सेना, नौसेना या वायु सेना अभिप्रेत है, और इसमें वे अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए;

“कर्मचारी घाटा” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में निर्धारित है;

“कर्मचारी घाटा लागत” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.10 में निर्धारित है;

“नामित भारत सरकार एजेंसी” से भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन एक विभाग या अन्य इकाई अभिप्रेत है जिसे हवाई अड्डे के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में सीमा शुल्क नियंत्रण, आव्रजन नियंत्रण, संगरोध, हवाई यातायात नियंत्रण, हवाई अड्डे सुरक्षा, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य आदि जैसे संविधि प्रदत्त कार्य सौंपे गए हैं;

“विकास योजना” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची द्वितीय के अनुबंध द्वितीय में निर्धारित है;

“विकास अवधि” से वाणिज्य संचालन तिथि से लेकर प्रथम चरण पूर्ण होने की तिथि तक की अवधि अभिप्रेत है और बाद के चरणों के संबंध में, ऐसी अवधि स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित तिथि से प्रारंभ होगी और संबंधित चरणों के पूर्ण होने की तिथि पर समाप्त होगी;

“नागर विमानन महानिदेशालय” से नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई भी अधीनस्थ कार्यालय अभिप्रेत है;

“विवाद” का वही अर्थ होगा जो खंड 1.1.1 में निर्धारित है;

“विवाद समाधान प्रक्रिया” से खंड 41.2 में निर्धारित विवादों के समाधान की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

“विनिवेश आवश्यकताएँ” से खंड 36.1 में निर्धारित समाप्ति के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के दायित्व अभिप्रेत हैं;

“दस्तावेज” या **“प्रलेखन”** से मुद्रित या लिखित रूप में, या टेप, डिस्क, ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, नक्शे, रिपोर्ट, फोटोग्राफ, फिल्म, कैसेट, या किसी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो या दृश्य रूप में अभिव्यक्त प्रलेखन अभिप्रेत है;

“ड्राइंग” से हवाई अड्डे से संबंधित सभी ड्राइंग, गणनाएँ और दस्तावेज अभिप्रेत हैं, जैसा कि खंड 12.3 में निर्धारित है, और इसमें हवाई अड्डे की निर्माण-पश्चात ड्राइंग शामिल होंगी;

“ई.पी.सी. अनुबंध” से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा एक या एक से अधिक ठेकेदारों के साथ निष्पादित इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन अनुबंध अभिप्रेत है;

“ई.पी.सी. ठेकेदार” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके साथ रियायतग्राही ने ई.पी.सी. अनुबंध किया है;

“आपातकाल” से ऐसी स्थिति या परिस्थिति अभिप्रेत है जिससे हवाई अड्डे पर या उसके आस-पास जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो या जो परियोजना परिसंपत्ति में से किसी को भी सामग्री की क्षति का तत्काल खतरा पैदा करती हो, और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा शामिल है;

“भार” से हवाई अड्डे के संबंध में, बंधक, प्रभार, गिरवी, ग्रहणाधिकार, कर्णन, सुरक्षा हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या सुरक्षा का प्रभाव रखने वाले किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे दायित्व अभिप्रेत हैं, और इसमें हवाई अड्डे से संबंधित

किसी भी बीमा पॉलिसी के तहत हानि प्राप्तकर्ताओं या लाभार्थियों का निर्धारण या कोई समान व्यवस्था शामिल है, जहां लागू हो, परंतु खंड 5 के तहत संदर्भित मौजूदा अनुबंध इसमें शामिल नहीं हैं;

“रोजगार प्रस्ताव” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.6 में निर्धारित है;

“इक्विटी” से भारतीय रुपयों में व्यक्त वह राशि अभिप्रेत है, जो रियायतग्राही की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है, और इस समझौते के उद्देश्यों के लिए इसमें परिवर्तनीय साधन या पूंजी के अन्य समान रूप शामिल होंगे, जिन्हें रियायतग्राही की इक्विटी शेयर पूंजी में अनिवार्य रूप से परिवर्तित होना होगा;

“एस्करो खाता” से एक ऐसा खाता अभिप्रेत है जिसे रियायतग्राही एक बैंक के साथ खोलेगा और बनाए रखेगा जिसमें पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय के कारण नकदी के सभी अंतःप्रवाह और बहिःप्रवाह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार जमा और डेबिट किए जाएंगे, और इसमें ऐसे एस्करो खाते का उप-खाता शामिल है;

“एस्करो समझौता” से खंड 29.1.2 में निर्धारित समझौता अभिप्रेत है;

“एस्करो बैंक” से खंड 29.1.1 में निर्धारित बैंक अभिप्रेत है;

“एस्करो व्यतिक्रम” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची एम में निर्धारित है;

“अनुमानित कल्पित प्रारंभिक नियामक परिसंपत्ति आधार” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11.3(ख) में निर्धारित है;

“छूट प्राप्त व्यक्ति” से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिक हवाई अड्डे पर प्रस्थान-पूर्व सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त के रूप में अधिसूचित व्यक्तियों/व्यक्तियों की श्रेणियां अभिप्रेत हैं;

“मौजूदा अनुबंध” से अनुसूची टी में सूचीबद्ध पट्टों सहित अनुबंध अभिप्रेत हैं;

“शुल्क” से किसी भी या सभी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी उपयोगकर्ता पर लगाया जाने वाला और उसके द्वारा देय शुल्क अभिप्रेत है: (क) नियामक फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार, नियामक द्वारा निर्धारित या संशोधित और अनुमोदित दरों के अनुसार विमानन सेवाएँ; और (ख) गैर-विमानन सेवाएँ;

“वित्तीय क्षमता” का वही अर्थ होगा जो प्रस्ताव के लिए अनुरोध में निर्धारित है;

“वित्तीय समापन” से वित्तपोषण समझौतों के तहत धन वितरित करने के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं की तत्परता अभिप्रेत है;

“वित्तीय व्यतिक्रम” का वही अर्थ होगा जो अनुसूची पी में निर्धारित है;

“वित्तपोषण समझौते” से कार्यों की लागत के वित्तपोषण (पुनर्वित्तपोषण सहित) से संबंधित ऋणों, गारंटियों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों की सदस्यता और अन्य ऋण साधनों के रूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित समझौते अभिप्रेत हैं, जिनमें ऋण समझौते, गारंटियां, नोट, डिबेंचर, बॉन्ड और अन्य ऋण साधन, सुरक्षा समझौते और अन्य दस्तावेज शामिल हैं, और इसमें खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए संशोधन या परिवर्तन शामिल हैं;

“फोर्स मेज्योर” या **“फोर्स मेज्योर घटना”** का वही अर्थ होगा जो खंड 32.1 में इसे दिया गया है;

“फोर्स मेज्योर लागत” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.7.2 में निर्धारित है;

“भारत सरकार” से भारत सरकार और उसके सभी विभाग/मंत्रालय/एजेंसियां अभिप्रेत हैं;

“सद्भावनापूर्ण उद्योग प्रथा” से वे प्रथाएं, तरीके, तकनीक, डिजाइन, मानक, कौशल, कर्तव्यनिष्ठा, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेक अभिप्रेत हैं, जो सामान्यतः और उचित रूप से इस समझौते के तहत परिकल्पित समान प्रकार के उपक्रम में लगे हुए एक उचित रूप से कुशल और अनुभवी प्रचालक से अपेक्षित होते हैं और जिनसे इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार विश्वसनीय, सुरक्षित, किफायती और कुशल तरीके से रियायतग्राही द्वारा अपने दायित्वों का निष्पादन होने की अपेक्षा की जाती है तथा सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और कुशल विमानन सेवाएँ और गैर-विमानन सेवाएँ प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है;

“सरकार” से यथा लागू राज्य सरकार की सरकार या भारत की संघ सरकार अभिप्रेत है;

“सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति” का वही अर्थ होगा जो खंड 40.1.1 में निर्धारित है;

“सरकारी साधन” से भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई भी विभाग, प्रभाग या उप-प्रभाग अभिप्रेत है और इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई भी आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी या नगरपालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय शामिल है, जिसमें पंचायत भी शामिल है, और जिसके पास संपूर्ण हवाई अड्डे या उसके किसी भी भाग पर अथवा इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में रियायतग्राही की सभी या किसी भी सेवा या दायित्व के निष्पादन पर अधिकार क्षेत्र हो;

“ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ” का वही अर्थ होगा जो खंड 19.2 में निर्धारित है;

“वस्तु एवं सेवा कर” से वस्तु एवं सेवा कर या भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर का स्थान लेने वाला कोई अन्य कर अभिप्रेत है;

“अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ” अभिप्रेत है;

“अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ सेवा स्तर इष्टतम” से अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की हवाई अड्डा विकास संदर्भ मैनुअल के 10वें संस्करण में 'इष्टतम' श्रेणी में निर्धारित विभिन्न हवाई अड्डा उप-प्रणालियों पर न्यूनतम सेवा आवश्यकताएँ अभिप्रेत हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित या पूरक किया जा सकता है, और संदेह को दूर करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा हवाई अड्डा विकास संदर्भ मैनुअल का प्रकाशन बंद करने की स्थिति में किसी भी समान सेवा स्तर ढाँचे का अर्थ होगा;

“अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन” से शिकागो कन्वेंशन द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन और इसका कोई भी उत्तरवर्ती अभिप्रेत है;

“अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दस्तावेज और अनुलग्नक” से समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दस्तावेज और अनुलग्नक अभिप्रेत हैं;

“प्रारंभ अवधि” से इस समझौते की तिथि से प्रारंभ होने वाली और वाणिज्य संचालन तिथि के घटित होने पर समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

“क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार” से खंड 40.3 के अनुसार क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार पक्षकार अभिप्रेत है;

“क्षतिपूर्ति देने वाला पक्षकार” से खंड 40.3 के अनुसार दूसरे पक्षकार को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य पक्षकार अभिप्रेत है;

“स्वतंत्र अभियंता” का वही अर्थ होगा जो खंड 24.1.1 में निर्धारित है;

“अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.3 में निर्धारित है;

“प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश” का वही अर्थ होगा जो खंड 28.12.1 में निर्धारित है;

“निरीक्षण रिपोर्ट” से खंड 13.2 के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अभिप्रेत है;

“बीमा कवर” से अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा ली गई बीमा पॉलिसियों के तहत बीमित अधिकतम राशियों का कुल योग अभिप्रेत है, और इसमें खंड 30.2 के तहत रियायतग्राही द्वारा ली जाने के लिए आवश्यक सभी बीमा शामिल हैं, लेकिन जो वास्तव में नहीं लिए गए हैं, और जब किसी कार्य या घटना के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ ऐसे कार्य या घटना के संबंध में बीमित और देय या बीमित तथा देय माने जाने वाले अधिकतम योगों का कुल योग होगा;

“बौद्धिक संपदा” से सभी पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, लोगो, गेट-अप, व्यापार नाम, इंटरनेट डोमेन नाम, पैटर्न, डिजाइनों में अधिकार, ब्लू प्रिंट, कार्यक्रम और मैनुअल, ड्राइंग, कॉपीराइट (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकारों सहित), डेटाबेस अधिकार, अर्ध-चालक, टोपोग्राफी अधिकार, उपयोगिता मॉडल, नो-हाउ में अधिकार और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार अभिप्रेत हैं, प्रत्येक स्थिति में चाहे पंजीकृत हों या अपंजीकृत और पंजीकरण के लिए आवेदनों सहित, और दुनिया में कहीं भी समतुल्य या समान प्रभाव रखने वाले सभी अधिकार या सुरक्षा के रूप;

“संयुक्त प्रबंधन अवधि” का वही अर्थ होगा जो खंड 6.5.1(ii) में निर्धारित है;

“प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 की उप-धारा (1) के तहत निर्धारित व्यक्ति अभिप्रेत हैं;

“मुख्य निष्पादन संकेतक” का वही अर्थ होगा जो खंड 23.1 में निर्धारित है;

“अवार्ड पत्र” से प्रस्तावना घ में संदर्भित अवार्ड पत्र अभिप्रेत है;

“ऋणदाता प्रतिनिधि” से इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनकी ओर से कार्य करने के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसमें इसके उत्तरवर्ती, समनुदेशिती और प्रतिस्थापी शामिल हैं;

“मास्टर प्लान” से रियायत अवधि के लिए विमानन सेवाओं और गैर-विमानन सेवाओं को कवर करते हुए, रियायतग्राही द्वारा तैयार किया गया हवाई अड्डे के निर्माण के लिए प्लान अभिप्रेत है, और परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है;

“सामग्री प्रतिकूल प्रभाव” से इस समझौते के प्रावधानों के तहत और इसके अनुसार अपने किसी भी दायित्व का पालन करने की दोनों में से किसी भी पक्षकार की क्षमता पर किसी भी कार्य या घटना का एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव अभिप्रेत है और जो कार्य या घटना दोनों में से किसी भी पक्षकार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ या हानि का कारण बनती है;

“मासिक रियायत शुल्क” का वही अर्थ होगा जो खंड 27.1.1 में निर्धारित है;

“मासिक विवरण” से खंड 28.9 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक महीने के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण अभिप्रेत है;

“प्रतिस्थापित कंपनी” से प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही का स्थान लेने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित और प्राधिकरण को प्रस्तावित कंपनी अभिप्रेत है;

“गैर-विमानन परिसंपत्तियाँ” से वे परिसंपत्तियाँ अभिप्रेत हैं, जो हवाई अड्डे पर गैर-विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक या अपेक्षित हैं और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियाँ शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार गैर-विमानन सेवाओं के निष्पादन हेतु या उसके संबंध में समय-समय पर प्राप्त कर सकता है, और इसमें विमानन परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं;

“गैर-विमानन सेवाएँ” से विमानन सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएँ अभिप्रेत हैं;

“गैर-राजनीतिक घटना” का वही अर्थ होगा जो खंड 32.2 में निर्धारित है;

“प्रचालन और रखरखाव” से हवाई अड्डे का प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव अभिप्रेत है और इसमें ऐसे प्रचालन और रखरखाव से जुड़े या प्रासंगिक सभी मामले, सेवाओं और सुविधाओं का प्रावधान, तथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क का संग्रह शामिल है;

“प्रचालन और रखरखाव अनुबंध” से सभी या किसी भी प्रचालन और रखरखाव दायित्व के निष्पादन के लिए रियायतग्राही और प्रचालन और रखरखाव ठेकेदारों के बीच किए जाने वाले प्रचालन, प्रबंधन और रखरखाव अनुबंध अभिप्रेत हैं;

“प्रचालन और रखरखाव ठेकेदार” से वे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, यदि कोई हों, जिनके साथ रियायतग्राही ने रियायतग्राही की ओर से और उसकी ओर से प्रचालन और रखरखाव दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रचालन और रखरखाव अनुबंध किए हैं;

“प्रचालन और रखरखाव व्यय” से आशय, यथास्थिति, रियायतग्राही या प्राधिकरण द्वारा अथवा उनकी ओर से सभी प्रचालन एवं अनुरक्षण के संबंध में किए गए व्ययों से है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य पारिश्रमिक की लागत; (ख) सामग्री, आपूर्ति, उपयोगिताओं तथा अन्य सेवाओं की लागत; (ग) बीमा के लिए देय प्रीमियम; (घ) प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए देय तथा भुगतान किए जाने वाले सभी कर और शुल्क; (ङ) सभी मरम्मत, प्रतिस्थापन, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन, सुधार तथा अनुरक्षण संबंधी लागत; (च) प्रचालन एवं अनुरक्षण संविदाओं, शुल्क-संग्रह संविदा अथवा प्रचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी अन्य संविदा के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान; तथा (छ) लागू विधियों, लागू अनुमतियों अथवा इस करार के अंतर्गत विमानपत्तन के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य सभी व्यय।

“प्रचालन और रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट” का वही अर्थ है जो खंड 21.5 में निर्धारित है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट पैनल का वही अर्थ है, जो खंड 31.2.1 में निर्धारित है।

पार्किंग का वही अर्थ है, जो खंड 19.12 में निर्धारित है।

पक्षकार का तात्पर्य सामूहिक रूप से इस समझौते के पक्षकारों से है और **पक्षकार** का तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से इस समझौते के किसी भी पक्षकार से होगा।

यात्री यातायात का तात्पर्य हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले आने वाले और जाने वाले यात्रियों सहित कुल यात्रियों की संख्या से है।

व्यस्ततम घंटा का तात्पर्य पिछले लेखा वर्ष में उस घंटे के आधार पर निर्धारित घंटे से है जिसमें यात्री यातायात ऐसा लेखा वर्ष के दौरान तीसवां सबसे व्यस्त घंटा था।

व्यस्ततम अवधि का तात्पर्य एक दिन के दौरान उन चार घंटों से है जब यात्री यातायात सबसे अधिक होता है; और दिन के शेष घंटों को गैर-व्यस्ततम अवधि माना जाएगा।

व्यस्ततम घंटे का यातायात का तात्पर्य प्रत्येक दिन व्यस्ततम घंटे के दौरान यात्री यातायात से है।

कार्य निष्पादन प्रतिभूति का वही अर्थ है, जो खंड 9.1.1 में निर्धारित है।

कार्य निष्पादन गारंटी का वही अर्थ होगा जो खंड 37.2.3 में निर्धारित है।

चरण का तात्पर्य इस समझौते की शर्तों और विशेष रूप से प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मास्टर प्लान के अनुसार हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों से है।

चरण I का तात्पर्य मास्टर प्लान के अनुसार, खंड 4.1.3 (छ) के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों से है, और इसमें संदेह से बचने के लिए, खंड 6.4.5 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपे गए प्रगतिरत कार्य शामिल होंगे।

चरण I पूर्ण होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाता है।

चरण पूर्णता अनुसूची का तात्पर्य ऐसे चरण की निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पहले संबंधित चरण को पूरा करने के लिए प्रगतिशील चरण मील के पथर से है।

चरण माइलस्टोन का तात्पर्य खंड 12.5.2 और अनुसूची एफ में परिभाषित प्रगतिशील माइलस्टोन से है।

पुलिस का तात्पर्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से है और इसमें राज्य पुलिस, या सुरक्षा, अपराध रोकथाम या कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए लागू कानूनों के तहत अधिकृत कोई अन्य संगठन शामिल है।

पुलिस सहायता चौकी का वही अर्थ है, जो खंड 20.4 में निर्धारित है।

राजनीतिक घटना का वही अर्थ है, जो खंड 32.4 में निर्धारित है।

प्रवर्तक विशेष उद्देश्य साधन का वही अर्थ है, जो खंड 5.3.3 में निर्धारित है।

चयनित बोली लगानेवाले का वही अर्थ है, जो प्रस्तावना घ में निर्धारित है, और कंसोर्टियम के चयनित बोली लगानेवाले होने की स्थिति में, इसमें ऐसे कंसोर्टियम के सभी सदस्य शामिल होंगे।

संरक्षण लागत का वही अर्थ है, जो खंड 13.5.3 में निर्धारित है।

परियोजना का तात्पर्य इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास से है, और इसमें परियोजना के दायरे से संबंधित या उसके संबंध में सभी कार्य, सेवाएँ और उपकरण शामिल हैं।

परियोजना समझौते का तात्पर्य इस समझौते, वित्तपोषण समझौतों, ई.पी.सी. अनुबंध, संचालन और रख-रखाव अनुबंध, सं.दि.नि.-वि.या.प्र. समझौता, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, हवाई अड्डे संचालक का समझौता, और

उप-पट्टे या उप-अनुज्ञप्ति और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध से है, जो रियायतग्राही द्वारा परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या प्रासंगिक मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है और जिसका अनुबंध मूल्य वार्षिक या संचयी रूप से पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन इसमें एस्करो समझौता और प्रतिस्थापन समझौता शामिल नहीं है।

परियोजना परिसंपत्तियाँ

परियोजना परिसंपत्तियों का तात्पर्य स्थल से संबंधित या उसके भाग बनने वाली सभी भौतिक और अन्य परिसंपत्तियों से है जिसमें शामिल हैं:

(क) पट्टे, आवागमन के अधिकार या अन्यथा के रूप में स्थल पर अधिकार;

(ख) वैमानिक परिसंपत्तियाँ और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ;

(ग) मूर्त परिसंपत्तियाँ जैसे सिविल कार्य और नींव, ड्रेनेज कार्य, विद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली और प्रशासनिक कार्यालयों सहित उपकरण;

(घ) स्थल पर स्थित परियोजना सुविधाएँ;

(ङ) नगर साइड विकास का हिस्सा बनने वाली इमारतें और अचल फिक्स्चर या अवरचनाएँ;

(च) परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकार;

(छ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जैसे प्राप्य, सुरक्षा जमा, सभी परक्राम्य उपकरण आदि;

(ज) बीमा आय; और

(झ) हवाई अड्डे से संबंधित या उसके संबंध में लागू अनुज्ञा-पत्र और प्राधिकरण।

"परियोजना सुविधाएं" से तात्पर्य अनुसूची बी में वर्णित स्थल पर स्थित सभी सुविधाओं और सुविधाओं से है;

"संरक्षित दस्तावेज" से तात्पर्य उन दस्तावेजों, उपकरणों और सूचनाओं से है, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत, या समय-समय पर किसी अन्य प्रतिस्थापित, संशोधित और रूपांतरित प्रावधान के तहत छूट दी गई है;

"अनंतिम पूर्णता" का वही अर्थ है, जो खंड 14.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"पंच सूची" का वही अर्थ है, जो खंड 14.3.1 में इसे दिया गया है;

"रे.", "रु.", "रुपये", "INR" या "भारतीय रुपये" से तात्पर्य भारतीय गणराज्य की वैध मुद्रा से है;

"विनियामक" से तात्पर्य ऐरा (AERA) से है या लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे के लिए विमानन शुल्कों के निर्धारण के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किसी अन्य इकाई से है, जैसा भी मामला हो;

"विनियामक ढाँचा" से तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार विनियामक द्वारा अपनाए गए ढाँचे से है, जिसमें ऐरा अधिनियम और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (हवाई अड्डा प्रचालकों के लिए टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें) दिशा-निर्देश, 2011 शामिल हैं;

"प्रस्ताव के लिए अनुरोध" या "आर.एफ.पी." का वही अर्थ है, जो आमुख ग में निर्धारित किया गया है;

"आरक्षित क्षेत्र" से तात्पर्य खंड 19.8 और खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों के लिए आरक्षित स्थान और क्षेत्र से है;

"आरक्षित पार्किंग" का वही अर्थ है, जो खंड 19.12.4 में निर्धारित किया गया है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ है, जो खंड 20.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"मार्ग का अधिकार (राइट ऑफ वे)" से तात्पर्य हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक सभी तरीकों की छुट्टियों, ईज़मेंट, प्रतिबंधित पहुंच और मार्ग के अन्य अधिकारों के साथ, स्थल के रचनात्मक कब्जे से है, जिसे भी वर्णित किया गया है;

"नियम" से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान, नई दिल्ली के मध्यस्थता नियमों से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित या रूपांतरित किया गया है;

"रनवे" से तात्पर्य हवाई अड्डे पर भूमि की पट्टी से है, जिस पर विमान उड़ान भरेंगे और उतरेंगे और यह मानव निर्मित सतह हो सकती है, जिसमें डामर, कंक्रीट या दोनों के मिश्रण का उपयोग शामिल है;

"सुरक्षा आवश्यकताएँ" का वही अर्थ है, जो खंड 18.15 में निर्धारित किया गया है;

"निर्धारित पूर्णता तिथि" का वही अर्थ है, जो चरण I के लिए खंड 12.5.1 में निर्धारित किया गया है, और अन्य चरणों के संबंध में, निर्माण कार्यों के शुरू होने से ऐसे चरण के लिए स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की जाएगी;

"परियोजना का दायरा" का वही अर्थ है, जो खंड 2.1 में निर्धारित किया गया है;

"चयनित कर्मचारी" का वही अर्थ है, जो खंड 6.5.1(i) में निर्धारित किया गया है;

"चयनित कर्मचारी लागत" का वही अर्थ है, जो खंड 6.5.5 में निर्धारित किया गया है;

"वरिष्ठ ऋणदाता" से तात्पर्य उन वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसियों, ट्रस्टों, फंडों और डिबेंचर धारकों के एजेंटों या ट्रस्टियों से है, जिनमें उनके उत्तरधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं, जिन्होंने वित्तपोषण समझौतों में से किसी के तहत रियायतग्राही को गारंटी देने या वित्त प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है और जो इसके नियमों के अनुसार रियायतग्राही की आस्तियों, अधिकारों, शीर्षक और हितों पर समतुल्य प्रभार रखते हैं;

"सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ" का वही अर्थ है, जो अनुसूची एच के अनुबंध I में निर्धारित किया गया है;

"स्थल" का वही अर्थ होगा जो खंड 10.1 में निर्धारित किया गया है;

"विनिर्देश और मानक" से तात्पर्य हवाई अड्डे के लिए गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और अन्य आवश्यकताओं/पैरामीटरों से संबंधित विनिर्देशों और मानकों से है, जैसा कि अनुसूची सी में निर्धारित किया गया है, और इसके कोई भी संशोधन, या इसमें जोड़;

"राज्य" से तात्पर्य उस राज्य से है जिसमें प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

"राज्य सरकार" से तात्पर्य गुजरात सरकार से है;

"वैधानिक लेखा परीक्षक" से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत रियायतग्राही के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्य करने वाली चार्टर्ड एकाउंटेंट की एक प्रतिष्ठित फर्म से है, जिसमें समय-समय पर लागू होने वाले इसके किसी भी पुनरूपण या संशोधन शामिल हैं, और जिसे खंड 31.2.1 के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार नियुक्त किया गया है;

"अधीनस्थ ऋण" से तात्पर्य भारतीय रुपयों में या ऋण की मुद्रा में व्यक्त निम्नलिखित राशियों के कुल योग से है, जैसा भी मामला हो, जो अंतरण तिथि को बकाया है:

(क) परियोजना लागत को पूरा करने के लिए ऋणदाताओं या रियायतग्राही के शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण की मूल राशि और वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अधीन; और

(ख) उपर्युक्त उप-खंड (क) में संदर्भित ऋण पर सभी उपचित ब्याज लेकिन भारतीय रुपयों में व्यक्त ऋण के मामले में वास्तविक ब्याज दर और बैंक दर से 5% (पांच प्रतिशत) अधिक की दर से कम तक सीमित और विदेशी मुद्रा में व्यक्त ऋण के मामले में वास्तविक ब्याज दर और 6 (छह) महीने के लंदन अंतर-बैंक ऑफर रेट (LIBOR) प्लस 2% (दो प्रतिशत) से कम, लेकिन इसमें कोई भी ब्याज शामिल नहीं है, जो अंतरण तिथि से 1 (एक) वर्ष पहले देय हो गया था;

बशर्ते कि यदि सभी या कोई भी अधीनस्थ ऋण ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर इकिटी में परिवर्तन योग्य है, तो इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए इसे ऐसे रूपांतरण के बाद भी अधीनस्थ ऋण माना जाएगा और इसके मूलधन का उपचारात्मक व्यवहार ऐसे किया जाएगा मानो ऐसा रूपांतरण किया ही न गया हो;

"प्रतिस्थापन अनुबंध" का वही अर्थ है, जो खंड 38.3.1 में निर्धारित किया गया है;

"निलंबन" का वही अर्थ है, जो अनुच्छेद 34 में निर्धारित किया गया है;

"कर" से तात्पर्य किसी भी भारतीय कर से है जिसमें उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, बिक्री कर, स्थानीय कर, उपकर और किसी भी सरकार तंत्र द्वारा आरोपित, लगाए गए या अधिरोपित हवाई अड्डे में शामिल और भाग लेने वाले सामानों, सामग्रियों, उपकरणों और सेवाओं पर समान प्रकृति का कोई भी प्रभार या उपकर (चाहे केंद्रीय, राज्य या स्थानीय) शामिल है, लेकिन इसमें किसी भी खाते के संबंध में लगाए गए कोई ब्याज, दंड और अन्य राशियाँ शामिल नहीं हैं। करों में निगमित आय पर कर शामिल नहीं होंगे;

"तकनीकी क्षमता" का वही अर्थ है, जो आर.एफ.पी. में निर्धारित किया गया है;

"टर्मिनल भवन" से तात्पर्य घरेलू यात्रियों और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अलग से पहचाने जाने वाले क्षेत्र के साथ स्टैंड-अलोन और/या एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन से है और इसके संलग्न भूमि, जिसमें कर्बसाइड और एप्रोच सड़कें शामिल हैं और जिसमें मौजूदा टर्मिनल भवन शामिल है, जैसा कि अनुसूची ए के अनुबंध II में निर्धारित परिप्रेक्ष्य योजना और/या मास्टर प्लान में वर्णित और सीमांकित किया गया है, जैसा भी मामला हो;

"समाप्ति" से तात्पर्य इस अनुबंध की समाप्ति या इसके तहत रियायत की समाप्ति से है;

"समाप्ति नोटिस" से तात्पर्य इस अनुबंध के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए जारी किए गए संचार से है;

"समाप्ति भुगतान" से तात्पर्य नीचे दिए गए उप-खंड (क) के अनुसार निर्धारित राशियों के योग के बराबर राशि से है, और नीचे दिए गए उप-खंड (ख) और उप-खंड (ग) के अनुसार निर्धारित राशियों में से कम से कम राशि से है;

(क) अंतरण तिथि के अनुसार निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) समनुदेशित प्रारंभिक नियामक आस्ति आधार (Deemed Initial RAB) की राशि, यदि कोई हो, जैसा कि विमानन शुल्कों के अपने नवीनतम निर्धारण में और उसके लिए विनियामक द्वारा शामिल किया गया है, विनियामक द्वारा विचारित/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहासित; और;

(ii) व्यावसायिक प्रचालन तिथि (COD) से और उसके बाद किसी भी विमानन आस्ति में रियायतग्राही द्वारा निवेश का मूल्य (और समनुदेशित प्रारंभिक नियामक आस्ति आधार का हिस्सा नहीं होना), जैसा कि विमानन शुल्कों के अपने नवीनतम निर्धारण में और उसके लिए विनियामक द्वारा शामिल किया गया है, और विनियामक द्वारा विचारित/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहासित;

(ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित अंतरण तिथि के अनुसार निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) रियायतग्राही द्वारा निर्मित, अधिग्रहित या स्थापित किसी भी अतिरिक्त विमानन आस्तियों का मूल्य और विनियामक द्वारा विमानन शुल्कों के अपने नवीनतम निर्धारण में और उसके लिए शामिल नहीं किया गया है (लेकिन किसी भी विमानन आस्ति को छोड़कर जिसे विनियामक द्वारा ऐसे निर्धारण में शामिल किया गया है), विनियामक द्वारा विचारित/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहासित;;

(ii) प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश का मूल्य, रियायतग्राही की बही-खातों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित;;

(iii) व्यावसायिक प्रचालन तिथि (COD) से और उसके बाद गैर-विमानन आस्तियों में रियायतग्राही द्वारा निवेश का मूल्य (नगर साइड विकास का हिस्सा बनने वाली आस्तियों को छोड़कर और प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश), रियायतग्राही की बही-खातों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित;;

(iv) व्यावसायिक प्रचालन तिथि (COD) से और उसके बाद नगर साइड विकास का हिस्सा बनने वाली सभी परियोजना आस्तियों में रियायतग्राही द्वारा निवेश का मूल्य, रियायतग्राही की बही-खातों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहासित; और;

(v) अंतरण तिथि के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को सौंपे गए प्रगति पर चल रहे कार्यों में रियायतग्राही द्वारा किए गए वास्तविक खर्च (उस सीमा तक जिन्हें विनियामक द्वारा विमानन शुल्कों के अपने नवीनतम निर्धारण में और उसके लिए विमानन आस्तियों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया है);

(ग) उपर्युक्त उप-खंड (ख) में निर्धारित आस्तियों के मूल्यों और/или किए गए खर्चों का योग, जैसा भी मामला हो, एक अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे अंतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चयनित और नियुक्त किया जाएगा, और जो उसके बाद नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा;

"परीक्षण" से तात्पर्य इस अनुबंध के प्रावधानों, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों और डीजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णता निर्धारित करने के लिए अनुसूची जी में निर्धारित परीक्षणों से है और, म्यूटेडिस म्यूटेडिस (यथोचित परिवर्तनों के साथ), इस अनुबंध और मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार के पूर्णता को निर्धारित करने के लिए समान परीक्षण शामिल होंगे;

"अंतरण तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन यह अनुबंध और इसके तहत रियायत इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समाप्त होती है या समाप्ति नोटिस द्वारा समाप्त की जाती है;

"अप्रत्याशित घटना" का वही अर्थ है, जो खंड 32.12.1 में निर्धारित किया गया है;

"उपयोगकर्ता" से तात्पर्य किसी भी विमान कंपनी, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति से है, जो शुल्क के भुगतान पर या इस अनुबंध के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का उपयोग करता है या उपयोग करने का इरादा रखता है, जिसमें कोई भी या सभी विमानन सेवाएं या गैर-विमानन सेवाएं शामिल हैं;

"उपयोगकर्ता चार्टर" का वही अर्थ है, जो खंड 23.10 में निर्धारित किया गया है;

"उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण" का वही अर्थ है, जो खंड 23.7.3 में निर्धारित किया गया है;

"समर्पण प्रमाण पत्र" का वही अर्थ है, जो खंड 36.4 में निर्धारित किया गया है; और

"थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी.आई.)" से तात्पर्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक से है और इसमें कोई भी ऐसा सूचकांक शामिल होगा जो थोक मूल्य सूचकांक का स्थान ले, और थोक मूल्य सूचकांक के किसी भी संदर्भ का अर्थ, जब तक कि संदर्भ की मांग न हो, पूर्ववर्ती महीने के अंत तक की अवधि के लिए प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा।

1.2 व्याख्या

1.2.1 इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ की मांग न हो,

(क) किसी विधान या उसके किसी प्रावधान के संदर्भ में उस विधान या उसके किसी प्रावधान का संशोधन या पुनरूपण या समेकन शामिल होगा जहाँ तक ऐसा संशोधन या पुनरूपण या समेकन इसके तहत किए गए किसी भी संव्यवहार पर लागू होता है या लागू होने में सक्षम है;

(ख) लागू कानूनों के संदर्भ में वे कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उप-नियम या अधिसूचनाएं शामिल होंगी जिन्हें भारत के राज्यक्षेत्र में कानून का बल प्राप्त है और जिन्हें समय-समय पर संशोधित, रूपांतरित, पूरक, विस्तारित या पुनरूपित किया जा सकता है;

(ग) किसी "व्यक्ति" के संदर्भ और प्राकृतिक व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों का अर्थ किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सोसायटी, न्यास, सरकार, राज्य या राज्य की एजेंसी या उपर्युक्त में से दो या दो से अधिक के किसी भी संघ या सांझेदारी (चाहे अलग से विधिक व्यक्तित्व हो या नहीं) के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और इसमें उत्तरधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे;

(घ) इस अनुबंध की विषय-सूची, शीर्षक या उप-शीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और इनका उपयोग इस अनुबंध के निर्माण या अर्थनिरूपण में नहीं किया जाएगा और न ही यह इसे प्रभावित करेंगे;

(ङ) "शामिल करना" और "जिसमें शामिल हैं" शब्दों का अर्थ किसी सीमा के बिना लगाया जाएगा और यह माना जाएगा कि इनके बाद "बिना किसी सीमा के" अथवा "तक सीमित नहीं" शब्द आए हैं, चाहे वास्तव में इनके बाद ऐसे शब्द या वाक्यांश दिए गए हों या नहीं।;

(च) "निर्माण" या "भवन निर्माण" के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ की मांग न हो, अन्वेषण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, उपार्जन, वितरण, परिवहन, स्थापना, प्रसंस्करण, विनिर्माण, परीक्षण, प्रचालन-आरंभ, विस्तार और निर्माण से जुड़े अन्य कार्य शामिल हैं, और "निर्माण करना" या "भवन बनाना" का अर्थनिरूपण तदनुसार किया जाएगा;

(छ) "विकास" के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ की मांग न हो, निर्माण, विस्तार, नवीनीकरण, जीर्णोद्धार, संवर्धन, उन्नयन और उससे जुड़े अन्य कार्य शामिल हैं, और "विकास करना" का अर्थनिरूपण तदनुसार किया जाएगा;

(ज) समय की किसी भी अवधि के संदर्भ का अर्थ भारतीय मानक समय के अनुसार उस अवधि से होगा;

(झ) "घंटे" के किसी भी संदर्भ का अर्थ घड़ी के या तो घंटे पर या आधे घंटे पर शुरू होने वाली **60** (साठ) मिनट की अवधि से होगा, जिसके उदाहरण के रूप में **5.00** (पाँच), **6.00** (छह), **7.00** (सात) इत्यादि घड़ी के पूरे घंटे हैं और **5.30** (पाँच बजकर तीस मिनट), **6.30** (छह बजकर तीस मिनट), **7.30** (सात बजकर तीस मिनट) इत्यादि घड़ी के आधे घंटे हैं;

(ञ) दिन के किसी भी संदर्भ का अर्थ कैलेंडर दिन से होगा;

(ट) "व्यावसायिक दिन" के संदर्भ का अर्थ ऐसे दिन (रविवार को छोड़कर) से लगाया जाएगा जिस दिन राज्य में बैंक प्रचालनों के लिए सामान्यतः खुले रहते हैं;

(ठ) महीने या तिमाही के किसी भी संदर्भ का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर महीने या कैलेंडर तिमाही से होगा;

(ड) किसी भी तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर के संदर्भ का अर्थ ऐसी तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर से होगा और इसमें वे शामिल होंगे जिन्हें इस अनुबंध के अनुसार बढ़ाया जा सकता है;

(ढ) किसी विनिर्दिष्ट दिन या तिथि "से" और किसी विनिर्दिष्ट दिन या तिथि "तक" शुरू होने वाली किसी भी अवधि के संदर्भ में ऐसे दोनों दिन या तिथियाँ शामिल होंगी, बशर्ते कि, इस अनुबंध के तहत गणना की गई किसी भी अवधि का अंतिम दिन यदि व्यावसायिक दिन नहीं है, तो वह अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक जारी रहेगी;

(ण) एक वचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होगा;

(त) किसी भी लिंग के संदर्भ में दूसरा और तटस्थ लिंग शामिल होगा;

(थ) "लाख" का अर्थ एक लाख (**1,00,000**) है और "करोड़" का अर्थ दस मिलियन (**1,00,00,000**) है;

(द) "ऋणग्रस्तता" का अर्थनिरूपण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए कोई भी दायित्व (चाहे मूल ऋणदाता या गारंटर के रूप में किया गया हो) शामिल हो, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का, वास्तविक हो या संभावित;

(ध) किसी कंपनी या निगम के "परिसमापन", "विघटन", "दिवालियापन" या "पुनर्गठन" के संदर्भों का अर्थनिरूपण उस अधिकार क्षेत्र के कानून के तहत किसी भी समकक्ष या सदृश कार्यवाही को शामिल करने के लिए किया जाएगा जिसमें ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या कोई भी अधिकार क्षेत्र जिसमें ऐसी कंपनी या निगम प्रचालन करती है जिसमें परिसमापन, परिसमापन की मांग, पुनर्गठन, विघटन, व्यवस्था, सुरक्षा या देनदारों की राहत शामिल है;

(न) इस अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, किसी भी समय किसी भी समझौते, विलेख, लिखत, पट्टे, अनुज्ञप्ति या किसी भी विवरण के दस्तावेज के किसी भी संदर्भ का ऐसे समझौते, विलेख, लिखत, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में अर्थनिरूपण किया जाएगा जैसा कि ऐसे संदर्भ के समय संशोधित, रूपांतरित, पूरक, परिमार्जित या निलंबित किया गया हो, बशर्ते कि यह उप-खंड इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसरण में प्राधिकरण की देनदारियों या दायित्वों को किसी भी रूप में बढ़ाने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा;

(प) इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी पक्ष से अपेक्षित कोई भी समझौता, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण, नोटिस, संचार, सूचना या रिपोर्ट केवल तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस संबंध में ऐसे पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत लिखित रूप में हो अन्यथा नहीं;

(फ) इस अनुबंध की अनुसूचियाँ और आमुख इस अनुबंध का एक अभिन्न अंग बनाते हैं और पूरी तरह से बल में और प्रभावी होंगे मानो वे इस अनुबंध के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हों;

(ब) इस अनुबंध में आमुखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक या अनुसूचियों के संदर्भों का अर्थ, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ की मांग हो, इस अनुबंध के आमुखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, परंतुक और अनुसूचियों के संदर्भों से होगा;

(भ) किसी परिशिष्ट के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट इसके विपरीत किसी भी बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची के परिशिष्ट के संदर्भ के रूप में अर्थनिरूपण किया जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है, और किसी पैरा के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट इसके विपरीत किसी भी बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची या परिशिष्ट के पैरा के संदर्भ के रूप में अर्थनिरूपण किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें ऐसा संदर्भ प्रकट होता है;

(म) इस अनुबंध में निर्धारित दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय हर्जाना, चाहे प्रति दिन के आधार पर हो या अन्यथा, प्राप्त करने के हकदार पक्ष द्वारा उठाए जाने और भुगतान की संभावना वाले पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक पूर्व-अनुमानित नुकसान और क्षति हैं और यह जुर्माने के रूप में नहीं है ("हर्जाना");

(य) "इसके", "इसमें", "इससे" और "इसके तहत" शब्द और समान महत्व के शब्द, जब इस अनुबंध या किसी अन्य परियोजना अनुबंध में उपयोग किए जाते हैं, तो किसी विशेष प्रावधान के बजाय संपूर्ण रूप से इस अनुबंध या ऐसे अन्य परियोजना अनुबंध को संदर्भित करेंगे;

(र) जब तक यहां अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, यहां उपयोग किए जाने वाले सभी लेखांकन शब्दों का अर्थनिरूपण किया जाएगा, और इसके तहत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय मामलों के संबंध में आवश्यक सभी वित्तीय विवरण और प्रमाण पत्र और रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाएंगे, और सभी तकनीकी शब्दों और विवरणों का अर्थनिरूपण और अनुप्रयोग अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार किया जाएगा;

(ल) कोई भी विशिष्ट प्रावधान, प्रस्तुति या वारंटी अधिक सामान्य प्रावधान, प्रस्तुति या वारंटी की प्रयोज्यता को सीमित नहीं करेगी, और पक्षों का यह आशय है कि इस अनुबंध में निहित प्रत्येक प्रस्तुति, वारंटी, कवनेंट, शर्त और समझौता पूर्ण, अलग और स्वतंत्र प्रभाव दिया जाएगा और ऐसे प्रावधान संचयी हैं; और;

(व) पक्षों के अपने-अपने दायित्वों के निष्पादन में समय सारभूत होगा। यदि यहां विनिर्दिष्ट कोई भी समय अवधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसी बढ़ाई गई समय अवधि भी सारभूत होगी;

1.2.2 जब तक इस अनुबंध में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया जाए, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान या प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई भी प्रलेखन निःशुल्क और **3** (तीन) भौतिक प्रतियों और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति में प्रदान किया जाएगा, और यदि प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियों और/या अनुमोदन के साथ ऐसी कोई भी प्रलेखन वापस करने की आवश्यकता होती है, तो वे उसकी दो प्रतियां अपने पास रखने के हकदार होंगे;

1.2.3 निर्माण का कोई नियम, यदि कोई हो, कि किसी अनुबंध का अर्थनिरूपण उसके मसौदे और तैयारी के लिए जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध किया जाना चाहिए, लागू नहीं होगा;

1.2.4 खंड **1.2** में निहित अर्थनिरूपण के नियमों के अधीन, इस अनुबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति, जब तक कि इस अनुबंध में अन्यथा परिभाषित या निर्वचित न हो, अपना सामान्य अंग्रेजी अर्थ रखेगा और इन उद्देश्यों के लिए, जनरल क्लासेज एक्ट, **1897** लागू नहीं होगा;

1.3 माप और अंकगणितीय कन्वेंशन

सभी माप और गणनाएँ मीट्रिक प्रणाली में होंगी और गणनाएँ **2** (दो) दशमलव स्थानों तक की जाएंगी, जिसमें **5** (पाँच) या उससे अधिक के तीसरे अंक को ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जाएगा और **5** (पाँच) से कम को नीचे की ओर पूर्णांकित किया जाएगा;

1.4 समझौतों, खंडों और अनुसूचियों की प्राथमिकता

1.4.1 यह अनुबंध, और इस अनुबंध का हिस्सा बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी समझौते और दस्तावेज पारस्परिक रूप से स्पष्ट करने वाले माने जाएंगे और, जब तक कि इस अनुबंध में अन्यत्र स्पष्ट रूप से प्रदान न किया जाए, इस अनुबंध और इसके भाग बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य दस्तावेजों और समझौतों की प्राथमिकता, उनके बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, निम्नलिखित क्रम में होगी:

(क) यह अनुबंध; और;

(ख) इसके भाग बनने वाले या इसमें संदर्भित अन्य सभी समझौते और दस्तावेज, अर्थात उपर्युक्त (क) पर दिया गया अनुबंध (ख) पर दिए गए समझौतों और दस्तावेजों पर प्रभावी होगा;

1.4.2 खंड 1.4.1 के प्रावधानों के अधीन, इस अनुबंध के भीतर अस्पष्टताओं या विसंगतियों के मामले में, निम्नलिखित लागू होगा:

(क) इस अनुबंध के दो या दो से अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन मुद्दे से संबंधित किसी विशिष्ट खंड के प्रावधान अन्य खंडों के प्रावधानों पर प्रभावी होंगे;

(ख) इस अनुबंध के खंडों और अनुसूचियों के बीच, खंड प्रभावी होंगे और अनुसूचियों तथा परिशिष्टों के बीच, अनुसूचियां प्रभावी होंगी;

(ग) किन्हीं दो अनुसूचियों के बीच, मुद्दे से संबंधित अनुसूची प्रभावी होगी;

(घ) चित्रों (ड्राइंग) पर लिखित विवरण और विनिर्देशों तथा मानकों के बीच, बाद वाले प्रभावी होंगे;

(ङ) चित्र से मापे गए आयाम और उसके विशिष्ट लिखित आयाम के बीच, बाद वाले प्रभावी होंगे; और;

(च) अंकों में लिखे गए किसी भी मूल्य और शब्दों में लिखे गए मूल्य के बीच, बाद वाले प्रभावी होंगे;

भाग ॥ - रियायत

अनुच्छेद 2: परियोजना का कार्यक्षेत्र

2.1 परियोजना का कार्यक्षेत्र

रियायत अवधि के दौरान, परियोजना के कार्यक्षेत्र का अर्थ और इसमें निम्नलिखित को कवर करते हुए हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और विकास शामिल होगा:

क. अनुसूची क और अनुसूची ख में मोटे तौर पर निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तथा अनुसूची ख में निर्दिष्ट संबंधित परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ तथा अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप और लागू विधियों तथा लागू अनुमोदनों के अनुसार, स्थल पर चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे का अभिकल्पन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, उन्नयन और विस्तार;

ख. इस समझौते, लागू विधियों और लागू अनुमोदनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन;

ग. इस समझौते के प्रावधानों, और विशेष रूप से अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार, सिटी साइड का विकास, संचालन और रखरखाव; तथा

घ. रियायतग्राही के सभी अन्य दायित्वों का निष्पादन और अनुपालन तथा इस समझौते के प्रावधानों, लागू विधियों और लागू अनुमोदनों के अनुसार इस समझौते के तहत रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के निष्पादन के लिए प्रासंगिक या आवश्यक मामले।

अनुच्छेद 3: रियायत का अनुदान

3.1 रियायत

3.1.1 इस समझौते के प्रावधानों, लागू विधियों और लागू अनुमोदनों के अध्यक्ष और उनके अनुसार, प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही को, वाणिज्य प्रचालन प्रारंभ तिथि से शुरू होने वाली पचास वर्ष की अवधि के लिए हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के अनन्य अधिकार, पट्टे और प्राधिकार सहित यहां निर्धारित रियायत प्रदान करता है, और रियायतग्राही इसके द्वारा रियायत को स्वीकार करता है तथा यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अध्यक्ष और उनके अनुसार परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सहमत होता है।

3.1.2 इस समझौते के प्रावधानों, प्राधिकरण, लागू विधियों और लागू अनुमोदनों के अध्यक्ष और उनके अनुसार, इसके द्वारा दी गई रियायत रियायतग्राही को निम्नलिखित के लिए बाध्य करेगी या हकदार बनाएगी (जैसी भी स्थिति हो):

क. इस समझौते के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त उद्देश्य के लिए और उस सीमा तक स्थल का मार्ग अधिकार, पहुंच और पट्टा;

ख. हवाई अड्डे के विकास और विस्तार के लिए वित्तपोषण करना;

ग. हवाई अड्डे का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करना तथा तृतीय पक्षों द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करना;

घ. हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का उपयोग करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करना, उसे एकत्र करना और विनियोजित करना तथा देय शुल्क का भुगतान न किए जाने पर ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता के प्रवेश को अस्वीकार करना;

ङ. इस समझौते के अंतर्गत और इसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों का निष्पादन और अनुपालन करना;

च. इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंध किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन के संबंध में या उससे जुड़े सभी लागतों, खर्चों, करों और शुल्कों को वहन करना और भुगतान करना; तथा

छ. इस समझौते द्वारा प्रदत्त रियायत या हवाई अड्डे के संपूर्ण या किसी भाग पर इस समझौते, या रियायत का कोई समनुदेशन, अंतरण या किसी ग्रहणाधिकार या भार का सृजन नहीं करना, न ही इस समझौते या प्रतिस्थापन समझौते द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति प्राप्त को छोड़कर, इसका आंशिक कब्जा अंतरण करना।

3.2 सिटी साइड विकास

इस समझौते और लागू विधियों के प्रावधानों के अध्यक्ष और उनके अनुसार, इसके द्वारा दी गई रियायत, खंड 3.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही को अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार अनुसूची क में विनिर्दिष्ट स्थल पर रियल एस्टेट के विकास, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव का कार्य करने तथा परियोजना समझौतों के माध्यम से इसके किसी भी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने और/या उप-अनुज्ञप्ति देने के अधिकार के साथ अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्य उद्देश्यों के लिए ऐसे विकास का उपयोग करने का हकदार बनाएगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि सिटी साइड का अंतिम उपयोग इस समझौते के निष्पादन की तिथि पर लागू विधियों के अनुसार होगा, और रियायतग्राही भारत सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन पर ही इसके किसी पश्चातवर्ती पुनर्कथन, संशोधन या पुनरधिनियमन के परिणामस्वरूप अनुमत किसी अतिरिक्त अंतिम उपयोग का हकदार होगा।

अनुच्छेद 4: पूर्व-शर्तें

4.1 पूर्व-शर्तें

4.1.1 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उपबंधित को छोड़कर, या जब तक कि संदर्भ की मांग अन्य प्रकार से न हो, इस समझौते के तहत पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व इस खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट पूर्व-शर्तों के पूर्ण संतोष के अधधीन होंगे।

बशर्ते, तथापि, कि कोई पक्ष खंड 4.1.2 या खंड 4.1.3 के प्रावधानों के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, दूसरे पक्ष द्वारा किसी पूर्व-शर्त की संतुष्टि से छूट प्रदान कर सकता है, और ऐसी छूट की सीमा तक, वह पूर्व-शर्त इस खंड 4.1.1 के प्रयोजनों के लिए पूर्ण मानी जाएगी।

4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने पर, नोटिस द्वारा प्राधिकरण से अपेक्षा कर सकता है कि वह इस खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी भी या सभी पूर्व-शर्तों को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संतुष्ट करे और ऐसी अवधि उस अवधि से कम नहीं होगी जो रियायतग्राही को वाणिज्य प्रचालन प्रारंभ तिथि प्राप्त करने के लिए उपलब्ध है, और प्राधिकरण द्वारा संतुष्ट की जाने वाली पूर्व-शर्तें तब पूरी हुई मानी जाएंगी जब प्राधिकरण ने:

क. खंड 10.3 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के लिए स्थल का मार्ग अधिकार प्राप्त कर लिया हो;

ख. संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन न करने की सीमा तक, रियायतग्राही के पक्ष में मौजूदा अनुबंधों का नवेशन कर दिया हो;

ग. पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से रियायतग्राही को ऐसे मौजूदा अनुबंधों के संबंध में प्राधिकरण के एजेंट के रूप में प्राधिकरण की ओर से कार्य करने का प्राधिकार प्रदान किया हो, जिनका किसी कारणवश रियायतग्राही के पक्ष में नवेशन नहीं किया जा सकता है।

घ. निम्नलिखित प्रासंगिक समझौतों का निष्पादन कराया हो (बशर्ते रियायतग्राही अपने संगत दायित्वों का अनुपालन कर रहा हो):

(i) अनुसूची म में प्रदान किए गए रूप में एस्करो समझौता;

(ii) अनुसूची र में प्रदान किए गए रूप में समझौता ज्ञापन; तथा

(iii) अनुसूची प में प्रदान किए गए रूप में सं.दि.नि.-वि.या.प्र. समझौता।

स्वयं द्वारा, या प्रासंगिक इकाई द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, रियायतग्राही से इसका विधिवत निष्पादित प्रति प्राप्त करने पर और उसके तहत सभी शर्तों के अनुपालन पर, जो इसके निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

4.1.3 इस समझौते में विशिष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित किए गए को छोड़कर, इस समझौते की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा संतुष्ट की जाने वाली पूर्व-शर्तें तब पूरी हुई मानी जाएंगी, जब रियायतग्राही ने प्राधिकरण की संतुष्टि के अधधीन:

क. खंड 9.1 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी हो;

ख. परियोजना के प्रारंभ के लिए आवश्यक सभी लागू अनुमोदन बिना शर्त प्राप्त कर लिए हों, या यदि शर्तों के अधधीन हों, तो वहां विनिर्दिष्ट तिथि तक पूरी की जाने वाली ऐसी सभी शर्तें पूरी कर ली गई हों, और ऐसे लागू अनुमोदन पूर्ण बल और प्रभाव में हों;

ग. अनुसूची म में प्रदान किए गए रूप में एस्क्रो समझौते का निष्पादन किया हो और उसके निष्पादन को प्राप्त किया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;

घ. अनुसूची प में प्रदान किए गए रूप में सं.दि.नि.-वि.या.प्र. समझौते का निष्पादन किया हो और उसके निष्पादन को प्राप्त किया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो;

ङ. आर.एफ.पी. और इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार रियायतग्राही की शेयरधारिता बनाए रखी हो;

च. चयनित बोली लगानेवाले से, इस समझौते के खंड 7.1 के उप-खंड (क), (च), (छ), (ज), (ट), (ठ), (ण) और (:) में निर्धारित अभ्याथनाओं और वारंटियों की शुद्धता की पुष्टि प्राधिकरण को दे दी हो;

छ. इस समझौते में प्रवेश करने के रियायतग्राही के प्राधिकार और इसके प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में रियायतग्राही के कानूनी परामर्शदाता से कानूनी राय प्राधिकरण को सौंप दी हो;

ज. प्राधिकरण को निम्नलिखित सौंप दिया हो:

(क) पहले 7 रियायती वर्षों में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची, निम्नलिखित कार्यों को उचित ध्यान में रखते हुए:

i. वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्य, और

ii. समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि को प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य (और जैसा कि अनुसूची ट में निर्धारित है),

(ख) ऐसे निर्माण कार्य को पूरा करने की अनुसूची तिथि;

झ. अनुसूची र में प्रदान किए गए रूप में समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया हो और उसके निष्पादन को प्राप्त किया हो तथा वह उसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी हो गया हो।

बशर्ते कि रियायतग्राही द्वारा लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, वाणिज्य प्रचालन प्रारंभ तिथि की प्राप्ति के प्रयोजनों के लिए इस खंड 4.1.3 में निर्धारित किसी भी पूर्व-शर्त से छूट दे सकता है। प्राधिकरण, अपने एकमात्र विवेक से, ऐसी शर्तों के साथ कोई भी छूट प्रदान कर सकता है जैसा वह ठीक समझे।

4.1.4 प्रत्येक पक्ष निर्धारित समय के भीतर पूर्व-शर्तों को पूरा करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और दूसरे पक्ष को ऐसी उचित सहयोग प्रदान करेगा जो उस पक्ष को उन पूर्व-शर्तों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आवश्यक हो जिसके लिए वह पक्ष जिम्मेदार है।

4.1.5 पक्ष पूर्व-शर्तों को पूरा करने में हुई प्रगति के संबंध में महीने में कम से कम एक बार एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित करेंगे। जब भी कोई पूर्व-शर्त जिसके लिए वह जिम्मेदार है, पूरी हो जाती है, तो प्रत्येक पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

4.2 रियायतग्राही द्वारा विलंब के लिए हानि

यदि (क) रियायतग्राही, धारा 4.1.3 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन को निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित करने अथवा उन्हें माफ करवाने में विफल रहता है, और (ख) ऐसा विलंब धारा 4.1.2 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों का अनुपालन करने में विफलता के कारण अथवा इस करार के प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी अन्य उल्लंघन के कारण या फोर्स मेजयोर के कारण नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन प्रतिभूति की 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि की क्षतिपूर्ति प्राधिकरण को अदा करेगा, बशर्ते कि ऐसी क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि निष्पादन प्रतिभूति की 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर होगी। उक्त अधिकतम सीमा तक पहुंचने पर, प्राधिकरण अपने एकमात्र विवेकाधिकार से तथा धारा 9.2 के प्रावधानों के अधीन, इस करार को समाप्त कर सकता है। परंतु यह कि, धारा 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की ओर से हुआ ऐसा विलंब, जिसका रियायतग्राही द्वारा धारा 4.1.3 के अंतर्गत पूरी की जाने वाली किसी पूर्ववर्ती शर्त के अनुपालन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, होने की स्थिति में, रियायतग्राही द्वारा इस धारा 4.2 के अंतर्गत कोई क्षतिपूर्ति देय अथवा भुगतान योग्य नहीं होगी, जब तक कि प्राधिकरण धारा 4.1.2 में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित न कर दे। इस धारा 4.2 के अनुसरण में क्षतिपूर्ति का भुगतान, इस करार के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों से स्वतंत्र होगा। इस धारा के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति, रियायतग्राही द्वारा किए गए विलंब के संबंध में प्राधिकरण को उपलब्ध एकमात्र परिरक्षण होगी।

4.3 विलंब पर सम्यक् समाप्ति

4.3.1 धारा 4.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा धारा 9.1 और धारा 9.2 के प्रावधानों के अधीन, पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि यदि इस करार के निष्पादन की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले, अथवा इस करार की शर्तों के अनुसार बढ़ाई गई किसी अवधि के भीतर या पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमत किसी विस्तारित अवधि के भीतर, किसी भी कारण से पूर्ववर्ती शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इस करार के अंतर्गत या इससे उत्पन्न रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी को रियायतग्राही की सहमति से त्याग दिया गया तथा समाप्त हो गया माना जाएगा और यह करार पक्षकारों के पारस्परिक समझौते द्वारा समाप्त किया गया माना जाएगा। परंतु यह कि, यदि पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन में विलंब रियायतग्राही के लिए उत्तरदायी कारणों से हुआ है, तो उपर्युक्त धारा 4.2 के प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही की निष्पादन प्रतिभूति को प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में भुना लिया जाएगा और अपने पास रख लिया जाएगा।

4.3.2 ऐसी समाप्ति पर: चयनित बोली लगानेवाले और रियायतग्राही प्रत्येक, ऐसी समाप्ति के 7 दिनों के भीतर, किसी भी रूप में सृजित सभी देनदारियों, यदि कोई हों, का निर्वहन करेंगे।

4.4 प्राधिकरण द्वारा विलंब के लिए हानि

यदि (i) प्राधिकरण, धारा 4.1.2 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन को उनके संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सुनिश्चित करने में विफल रहता है, और (ii) ऐसा विलंब रियायतग्राही द्वारा इस करार के उल्लंघन के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों के अनुपालन होने तक प्रत्येक दिन के विलंब के लिए निष्पादन प्रतिभूति की 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से परिकलित राशि की क्षतिपूर्ति रियायतग्राही को अदा करेगा, बशर्ते कि ऐसी क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि निष्पादन प्रतिभूति की 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी।

अनुच्छेद 5: रियायतग्राही के दायित्व

5.1 रियायतग्राही के दायित्व

5.1.1 इस करार के नियमों और शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च पर वित्त की व्यवस्था करेगा और लागू अनुमतियों, लागू कानूनों तथा इस करार के उपबंधों के अनुसार विमानक्षेत्र के प्रचालन, प्रबंधन और विकास का कार्य करेगा तथा इस करार में निर्धारित या इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों का पालन, पूर्ति, अनुपालन और निष्पादन करेगा।

5.1.2 रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में सभी लागू कानूनों और लागू अनुमतियों (आवश्यकतानुसार नवीनीकरण सहित) का अनुपालन करेगा।

5.1.3 रियायतग्राही इस करार के अस्तित्व की अवधि के दौरान हर समय, प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए आवश्यक लागू अनुमतियों में निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.1.4 यथास्थिति, इस करार या लागू कानूनों में अन्यथा उपबंधित के अलावा और सिवाय, रियायतग्राही इस करार के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों के निर्वहन में हर समय उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुरूप कार्य करेगा और उसका पालन करेगा।

5.1.5 रियायतग्राही समय-समय पर इस करार के उपबंधों और उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुसार विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियों और गैर-विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियों के विस्तार या संवर्धन का कार्य करेगा।

5.1.6 इस करार में स्पष्ट रूप से उपबंधित के अलावा और सिवाय, रियायतग्राही इस करार के अस्तित्व की अवधि के दौरान हर समय, विमानक्षेत्र, किसी विमानक्षेत्रीय सेवाओं, गैर-विमानक्षेत्रीय सेवाओं और अन्य सेवाओं के संबंध में, अथवा उसमें संग्रहित सामग्रियों के संबंध में सभी करों और अन्य सांविधिक शुल्कों, देयनों, आकलनों या भुगतानों का भुगतान करेगा, जो किसी सरकारी तंत्र द्वारा लगाए जा सकते हैं।

5.1.7 रियायतग्राही, इस करार में अन्यत्र निर्धारित अपने दायित्वों के अतिरिक्त और उनके अल्पीकरण के बिना, अपने स्वयं के खर्च पर निम्नलिखित कार्य करेगा:

क. लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्टियों और विवरणों के साथ संबंधित सरकारी तंत्रों को आवश्यक आवेदन करेगा या कराने की व्यवस्था करेगा, तथा लागू कानूनों के अनुरूप ऐसी लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा और उन्हें प्रभावी तथा चालू रखेगा ;

ख. विमानक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली या शामिल की जाने वाली सामग्रियों, विधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकी ज्ञान और प्रणालियों के लिए उपयुक्त स्वामित्व अधिकार, अनुज्ञप्ति, करार और अनुमतियां, आवश्यकतानुसार, प्राप्त करेगा ;

ग. वित्तपोषण करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों का निष्पादन और पूर्ति करेगा ;

घ. इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में उसके द्वारा या उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मियों के बीच सद्भाव और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करेगा ;

ङ. यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि उसके ठेकेदार इस करार के अंतर्गत रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के निष्पादन में सभी लागू अनुमतियों और लागू कानूनों का अनुपालन करें ;

च. हमेशा इस करार के उपबंधों के अनुरूप तरीके से कार्य करेगा और कोई ऐसा कार्य, विलेख या बात जानबूझकर या अन्यथा नहीं करेगा या करने में असफल नहीं होगा, जो किसी भी प्रकार से इस करार के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाला हो ;

छ. यह सुनिश्चित करेगा कि विमानक्षेत्र के भीतर सभी सुविधाएं और सुख-सुविधाएं इस करार और उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुसार प्रचालित और अनुरक्षित हों तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं को इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के उपबंधों के अनुसार इनके उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्राप्त हो ;

ज. यह सुनिश्चित करेगा कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित शिष्टाचार और विचारशीलता से पेश आया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचनाओं तक त्वरित पहुंच प्रदान की जाए ;

झ. इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के उपबंधों के अनुसार विमानक्षेत्र में विमानक्षेत्रीय सेवाएं और गैर-विमानक्षेत्रीय सेवाएं प्रदान करेगा या प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ;

ञ. विमानक्षेत्र में आरक्षित सेवाओं के प्रावधान और प्रचालन के लिए प्राधिकरण या यथास्थिति, नामित भारत सरकार एजेंसी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा ;

ट. खंड 18.12.1 के अधीन रहते हुए, विमानक्षेत्र को बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और ऐसी अन्य उपयोगिताओं की आपूर्ति ऐसे स्तरों पर प्राप्त करेगा जो इस करार की तिथि से कम न हों, जिसमें आपूर्ति में व्यवधान या विफलता की स्थिति में विमानक्षेत्रीय सेवाओं और गैर-विमानक्षेत्रीय सेवाओं के रखरखाव के लिए आवश्यक ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्राप्त करना शामिल है, और लागू कानूनों के अनुसार विमानक्षेत्र के उपयोगकर्ताओं तथा विभिन्न विमानक्षेत्रीय सेवाओं और गैर-विमानक्षेत्रीय सेवाओं के लिए ऐसी उपयोगिताओं की उपलब्धता की व्यवस्था करना भी शामिल है:

बशर्ते कि यह दायित्व उस तिथि से शुरू होगा जो वाणिज्य प्रचालन तिथि से 6 (छः) महीने की अवधि समाप्त होने पर आती है, जिस तिथि तक ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति प्राधिकरण द्वारा किए गए मौजूदा करारों के तहत जारी रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही उपर्युक्त 6 (छः) महीने की अवधि के दौरान ऐसी उपयोगिताओं की आपूर्ति के संबंध में सभी भुगतानों को करने के लिए उत्तरदायी होगा, इस शर्त के अधीन कि संबंधित चालान प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा ऐसे चालान प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएं ;

ठ. इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के उपबंधों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और प्रचालन में प्राधिकरण का समर्थन, सहयोग और उसे सुविधा प्रदान करेगा ;

ड. इस करार के उपबंधों के अनुसार, इस करार की समाप्ति पर परियोजना परिसंपत्तियों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगा ; तथा

ढ. अनुसूची 'क' के अनुबंध 1 में यथा उपबंधित टर्मिनल भवन, रनवे, कार्गो टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य विमानक्षेत्र परिसंपत्तियों सहित मौजूदा विमानक्षेत्र परिसंपत्तियों का प्रचालन, रखरखाव और (यदि आवश्यक हो तो) नवीनीकरण करेगा।

5.2 परियोजना करारों से संबंधित दायित्व

5.2.1 रियायतग्राही, परियोजना करारों या किसी अन्य करारों में किसी बात के होते हुए भी, इस करार की अवधि के दौरान हर समय, इस करार के तहत अपने सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा, और किसी

परियोजना करार या किसी अन्य करार के तहत कोई व्यतिक्रम रियायतग्राही को इसके तहत उसके दायित्वों या देयता से मुक्त नहीं करेगा या प्राधिकरण की ओर से कोई अतिरिक्त दायित्व या देयता आरोपित नहीं करेगा।

5.2.2 परियोजना करारों को छोड़कर जो इस करार की अनुसूची के रूप में संलग्न हैं, प्राधिकरण को समय-समय पर सभी परियोजना करारों के प्रारूपों, या उनमें किसी संशोधन या प्रतिस्थापन तक पहुंचने का अधिकार होगा, किंतु दायित्व नहीं। प्राधिकरण के पास ऐसे सभी करारों, अनुबंधों, उप-पट्टे, उप-अनुज्ञप्ति और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण करारों या अनुबंधों की सत्य प्रतियां मांगने और प्राप्त करने का अधिकार भी सुरक्षित है, जो रियायतग्राही द्वारा परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किए जा सकते हैं, भले ही अनुबंध का प्रतिफल वार्षिक रूप से **25,00,00,000/-** रुपए (पच्चीस करोड़ रुपए) से कम हो।

5.2.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना दिए बिना वित्तपोषण करारों में कोई वृद्धि, प्रतिस्थापन या संशोधन नहीं करेगा।

5.2.4 विमानक्षेत्र के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के उद्देश्यों के लिए इस करार में अन्यथा अंतर्विष्ट को छोड़कर, विमानक्षेत्रीय सेवाओं और गैर-विमानक्षेत्रीय सेवाओं सहित, रियायतग्राही किसी भी परियोजना परिसंपत्ति का समनुदेशन नहीं करेगा या किसी भी तरह से उस पर कोई भार (एनकम्ब्रेन्स) सृजित नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खंड नगर पार्श्व विकास पर लागू नहीं होगा, जो खंड **25.6** द्वारा शासित होगा।

5.2.5 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि, उन परियोजना करारों को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण या कोई सरकारी तंत्र एक पक्षकार है, प्रत्येक परियोजना करार में ऐसे उपबंध शामिल हों जो समाप्ति या निलंबन ("प्रतिज्ञा") की स्थिति में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन में, प्राधिकरण को अपने विवेक से ऐसे करार में प्रवेश करने का अधिकार दें। इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि प्राधिकरण हस्तांतरण तिथि से **90** (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर ऐसे प्रतिस्थापन अधिकारों का प्रयोग नहीं करता है, तो परियोजना करारों को हस्तांतरण तिथि से बिना किसी बल और प्रभाव के माना जाएगा तथा प्राधिकरण पर कोई देयता नहीं होगी और प्रतिज्ञा में इस प्रकार की स्थिति के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाएगा। रियायतग्राही ऐसे सभी परियोजना करारों में प्रतिज्ञा को शामिल करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है और यह वचन देता है कि वह ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के संबंध में, ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के प्रति-पक्षकार (पक्षकारों) से, प्राधिकरण के लिए स्वीकार्य रूप में, एक पावती और वचन प्राप्त करेगा और प्राधिकरण को सौंपेगा, जिसके तहत ऐसा प्रति-पक्षकार (पक्षकार) प्रतिज्ञा को स्वीकार करेगा और उससे बंधे रहने का वचन देगा तथा समाप्ति या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से कोई राहत या उपाय नहीं मांगेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिज्ञा नगर पार्श्व विकास से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले सभी करारों, अनुबंधों, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसों और किसी अन्य महत्वपूर्ण करारों या अनुबंधों का हिस्सा नहीं होगी, जो अनुबंध खंड **25.7** के अधीन होंगे।

5.2.6 परियोजना करारों के तहत प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा जमा राशि, किसी भी **3** (तीन) लेखा वर्षों की अवधि में, संबंधित परियोजना करारों के तहत रियायतग्राही को देय भुगतानों और अन्य राजस्व धाराओं के कुल योग से अधिक नहीं होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रतिबंध सभी करारों, अनुबंधों, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसों और किसी अन्य महत्वपूर्ण करारों या अनुबंधों पर लागू होगा जो रियायतग्राही द्वारा परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किए जा सकते हैं, भले ही अनुबंध का प्रतिफल वार्षिक रूप से **25,00,00,000/-** रुपए (पच्चीस करोड़ रुपए) से कम हो।

5.2.7 इस करार में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत है और स्वीकार करता है कि किसी भी या सभी ई.पी.सी. ठेकेदारों या ओएंडएम ठेकेदारों का चयन या प्रतिस्थापन और सभी ई.पी.सी. अनुबंधों या

ओएंडएम अनुबंधों का निष्पादन जनहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। इस संबंध में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे किसी भी चयन या अनुबंध को प्रभावी नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इसके तहत नामित भारत सरकार एजेंसी या प्राधिकरण का अनुमोदन क्रमशः केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण तक सीमित होगा। इस पर भी सहमति है कि प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के अनुदान या अन्यथा के कारण किसी भी

प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसा अनुमोदन या उसका अस्वीकरण किसी भी तरह से रियायतग्राही या उसके ई.पी.सी. ठेकेदारों या ओएंडएम ठेकेदारों को इस करार के तहत किसी भी देयता या दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व

5.3.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के अलावा, स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसकी अनुमति नहीं देगा।

5.3.2 इस करार में निहित किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत है और स्वीकार करता है कि:

क. रियायतग्राही की कुल इक्विटी के **15%** (पंद्रह प्रतिशत) या उससे अधिक के योग में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी इक्विटी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कानूनी या लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण के हस्तांतरण सहित, या तो स्वयं द्वारा या संगीत रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के साथ, किसी अधिग्रहणकर्ता द्वारा इक्विटी के सभी अधिग्रहण; या

ख. किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या अपने साथ संगीत रूप से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर रियायतग्राही के निदेशक मंडल के किसी भी नियंत्रण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण,

जनहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से केवल नामित भारत सरकार एजेंसी के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वाले स्वामित्व में परिवर्तन का गठन करेगा। इस संबंध में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह प्राधिकरण के ऐसे पूर्व अनुमोदन के बिना रियायतग्राही के निदेशक मंडल के ऐसे किसी भी इक्विटी या नियंत्रण के अधिग्रहण को प्रभावी नहीं करेगा। इसके तहत नामित भारत सरकार एजेंसी और प्राधिकरण का अनुमोदन क्रमशः राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण तक ही सीमित होगा, और प्राधिकरण इस पर अपना निर्णय शीघ्रता से देने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के अनुदान, देरी या अन्यथा के कारण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसा अनुमोदन, देरी, अस्वीकरण या अन्यथा किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस करार के तहत किसी भी देयता या दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

इस खंड **5.3.2** के प्रयोजनों के लिए:

(i) "अधिग्रहणकर्ता", "नियंत्रण" और "संगीत रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति" का वही अर्थ है, जो इक्विटी के अधिग्रहण की तिथि के अनुसार लागू भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (महत्वपूर्ण शेयर अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, **2011** या उसके किसी सांविधिक पुनरूपण में दिया गया है ;

(ii) इक्विटी के कानूनी या लाभकारी स्वामित्व का अप्रत्यक्ष हस्तांतरण या नियंत्रण का अर्थ भारत में या विदेश में किसी भी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण होगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहणकर्ता रियायतग्राही के शेयरों या शेयरों के मतदान अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है; तथा

(iii) अनुबंध के माध्यम से अथवा ऐसी किसी कंपनी के शेयरों के नियंत्रण या अधिग्रहण के आधार पर, जो प्रत्यक्ष रूप से या एक या अधिक कंपनियों के माध्यम से (चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में) रियायतग्राही की इक्विटी रखती हो, रियायतग्राही के निदेशक मंडल में या ऐसी किसी कंपनी के निदेशक मंडल में, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में, रियायतग्राही की 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे अधिक इक्विटी पर अंतिम नियंत्रण रखती हो, निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त करना, रियायतग्राही के निदेशक मंडल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अधिग्रहण माना जाएगा।

5.3.3 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत है कि यदि चयनित बोली लगानेवाले रियायतग्राही में इक्विटी रखने के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए स्थापित एक विशेष उद्देश्य साधन है (ऐसा चयनित बोली लगानेवाला "प्रमोटर एस.पी.वी." है), तो ऐसे प्रमोटर एस.पी.वी. में किसी भी शेयरधारिता का हस्तांतरण इस करार के प्रयोजनों के लिए प्रमोटर एस.पी.वी. द्वारा इक्विटी के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण का गठन करेगा और इस करार में निर्धारित शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।

5.3.4 पक्षकारों का यह इरादा है कि यदि इसका विकास वित्तपोषण आवश्यक बनाता है, तो रियायतग्राही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और/या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर रियायतग्राही के शेयरों की सूचीकरण प्राप्त कर सकता है। ऐसा कोई भी सूचीकरण खंड **5.3.1**, **5.3.2** और/या **5.3.3** में निर्धारित दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

5.4 शेयरधारिता से संबंधित दायित्व

प्राधिकरण रियायतग्राही की किसी भी पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी प्रकार का समर्थन या गारंटी प्रदान नहीं करेगा।

5.5 नागर विमानन महानिदेशालय अनुज्ञप्ति से संबंधित दायित्व

5.5.1 रियायतग्राही नागर विमानन महानिदेशालय से लागू अनुमतियां प्राप्त करेगा और उन्हें बल में रखेगा, और यदि ऐसी लागू अनुमतियां शर्तों के अधीन जारी की जाती हैं, तो रियायतग्राही हर समय ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5.5.2 रियायतग्राही के अनुरोध पर, नागर विमानन महानिदेशालय के पास रियायतग्राही द्वारा उचित और पूर्ण आवेदन दाखिल करने की तिथि से **90 (नब्बे)** दिनों से बाद में नहीं, नागर विमानन महानिदेशालय से लागू अनुमतियां प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्राधिकरण प्रयास करेगा।

5.5.3 खंड **5.5.1** और खंड **5.5.2** के उपबंध इस करार की समाप्ति तक लागू अनुमतियों के नवीनीकरण पर, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित (मुतातिस मुतादिस), लागू होंगे।

5.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व

5.6.1 रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि वह विमानक्षेत्र के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से तथा इस संबंध में बिना किसी अनुचित पक्षपात या भेदभाव के अनुबंध, वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। इसके अनुसरण में, वह वाणिज्य प्रचालन तिथि से **6 (छः)** महीनों के भीतर, उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक खरीद नीति तैयार करेगा जिनका वह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्रदान करने में पालन करेगा, और सामान्य जनता तथा सभी इच्छुक पक्षों की जानकारी के लिए इस नीति को अपनी वेबसाइट पर रखेगा। नीति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. विमानक्षेत्र में निजी संस्थाओं को किसी भी स्थान, भवन, अधिकारों या विशेषाधिकारों के उप-पट्टे, उप-अनुज्ञप्ति या अनुदान या आंटन के लिए पालन किए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं ;

ख. रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित।

5.6.2 वस्तुओं, कार्यों, सेवाओं, उप-पट्टों, उप-लाइसेंसें, या किसी अन्य अधिकारों या विशेषाधिकार की खरीद के लिए जहाँ प्रतिफल (किसी भी लेखा वर्ष में इसके संबंध में किसी भी रूप में जमा सहित) **25,00,00,000/-** रुपए (पच्चीस करोड़ रुपए) से अधिक है (सामूहिक रूप से, "अनुबंध"), रियायतग्राही ई-टेंडरिंग के माध्यम से खुली प्रतिस्पर्धी बोली

के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा और खंड 5.6.1 के तहत निर्दिष्ट नीति के अनुसार पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करेगा।

5.6.3 पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल अनुभवी और योग्य आवेदकों को वाणिज्य रूप से विवेकपूर्ण और उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले तरीके से निष्पक्ष आधार पर अंतिम रूप से चुना जाए, एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आवेदकों को पूर्व-योग्य और लघु-सूचीबद्ध करना चाहिए।

5.6.4 रियायतग्राही इसके द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम या व्यवस्था का कोई अन्य समान रूप नहीं रखने के लिए सहमत है।

5.7 विदेशी नागरिकों के रोजगार से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही स्वीकार करता है, सहमत है और वचन देता है कि रियायतग्राही और/या उसके ठेकेदारों और उनके उप-ठेकेदारों द्वारा विदेशी कर्मियों का रोजगार आवश्यक विनियामक अनुमतियों और अनुमोदन के अनुदान के अधीन होगा जिसमें रोजगार/आवासीय वीजा और कार्य अनुज्ञा-पत्र और सुरक्षा मंजूरी, यदि कोई आवश्यक हो, शामिल हैं। ऐसे अनुमोदनों और परमिटों के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने का दायित्व हमेशा रियायतग्राही का होगा और इस करार में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी भी अनुमोदन और अनुज्ञा-पत्र को प्राप्त करने से इनकार या अक्षमता बल माजेर घटना का गठन नहीं करेगी, और किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस करार के तहत अपने दायित्वों और देयताओं के प्रदर्शन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी।

5.8 प्रशिक्षित कर्मियों के रोजगार से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में उसके द्वारा नियोजित कर्मी हर समय अपने-अपने कार्यों के लिए ठीक से प्रशिक्षित हैं। रियायतग्राही स्थानीय कर्मियों को काम पर रखने के संबंध में लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का अनुपालन करेगा, और परियोजना के कार्यान्वयन, विकास और प्रचालन के दौरान स्थानीय कर्मियों को रोजगार देने का प्रयास करेगा।

5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व

इस करार में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही और उसके ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के कर्मचारियों, स्टाफ और कर्मियों की नियुक्ति हमेशा लागू कानूनों के तहत आवश्यक नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगी, और केवल वैध सुरक्षा मंजूरी वाले व्यक्तियों को ही साइट पर अनुमति दी जाएगी। यह सहमति है कि रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी भी अनुज्ञा-पत्र और अनुमोदन को प्राप्त करने से इनकार या अक्षमता बल माजेर घटना का गठन नहीं करेगी, और किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस करार के तहत अपने दायित्वों और देयताओं के प्रदर्शन और निर्वहन से मुक्त नहीं करेगी। हालांकि यह प्रावधान है कि यहाँ दी गई प्रतिबंध साइट का हिस्सा बनने वाले नगर पार्श्व विकास पर लागू नहीं होगी।

5.10 गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच से संबंधित दायित्व

लागू अनुमतियों के अधीन, रियायतग्राही सामान्य उपयोगकर्ता के आधार पर विमानक्षेत्र का प्रचालन और प्रबंधन करेगा और इस करार के उपबंधों के अनुसार सभी विमान कंपनियों, विमानों और अन्य व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा तथा इसके किसी भी उपयोगकर्ता या संभावित उपयोगकर्ता के खिलाफ कोई अनुचित या भेदभावपूर्ण प्रथा अपनाने से बचेगा।

5.11 चिकित्सीय सहायता से संबंधित दायित्व

उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए, रियायतग्राही आपातकालीन चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विमानक्षेत्र में एक चिकित्सीय सहायता चौकी स्थापित करेगा और उसका प्रचालन करेगा, जो प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और आसपास के अस्पतालों से आपातकालीन चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए सुसज्जित होगी।

5.12 विमानक्षेत्र की सौंदर्य गुणवत्ता से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही विमानक्षेत्र की दिखावट और सौंदर्य गुणवत्ता में उच्च मानक बनाए रखेगा और उपयुक्त डिजाइन तथा सभी दृश्यमान तत्वों के संवेदनशील प्रबंधन दोनों के माध्यम से आसपास के परिदृश्य के चरित्र के साथ विमानक्षेत्र का एकीकरण प्राप्त करेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमानक्षेत्र का डिजाइन उपर्युक्त सौंदर्य मानकों को पूरा करता है, प्रतिष्ठित पेशेवर वास्तुकारों और नगर योजनाकारों को नियुक्त करेगा।

5.13 शोर नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही विमानक्षेत्र से उत्पन्न होने वाले शोर और उपयोगकर्ताओं तथा आस-पड़ोस पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करने और कम करने के लिए लागू कानूनों और उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुसार आवश्यक सभी ऐसे उपाय करेगा।

5.14 रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य

5.14.1 रियायतग्राही इस करार के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करने और अपने दायित्वों तथा देयताओं का पालन करने और निष्पादित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है, यानी विमानक्षेत्र का प्रचालन, प्रबंधन और विकास। रियायतग्राही इसके द्वारा किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि को करने की अनुमति देने वाली किसी भी इकाई में शेयरधारिता हित या अन्यथा, या किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवस्था का कोई अन्य रूप नहीं रखने के लिए सहमत है।

5.14.2 रियायतग्राही इसके द्वारा किसी अन्य पक्ष के साथ कोई सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम या व्यवस्था का कोई अन्य समान रूप नहीं रखने के लिए सहमत है।

5.15 विमानक्षेत्र की ब्रांडिंग

5.15.1 विमानक्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से को रियायतग्राही या उसके शेयरधारकों के नाम या पहचान का विज्ञापन, प्रदर्शन या प्रतिबिंब दिखाने के लिए किसी भी तरह से ब्रांडेड नहीं किया जाएगा। व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में आवश्यक होने के अलावा और प्राधिकरण के नाम के साथ हमेशा, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह अपनी खुद की पहचान, ब्रांड इकिटी या व्यावसायिक हितों (उसके शेयरधारकों के हितों सहित) का विज्ञापन या प्रदर्शन करने के लिए किसी भी तरह से विमानक्षेत्र के नाम या पहचान का उपयोग नहीं करेगा।

5.15.2 विमानक्षेत्र को हर समय केवल "सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र" के नाम से जाना जाएगा, प्रचारित किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, विज्ञापित किया जाएगा और ब्रांडेड किया जाएगा, और रियायतग्राही हर समय, किसी भी विज्ञापन, प्रदर्शन, प्रतिबिंब, ब्रांडिंग या अन्यथा के प्रयोजन के लिए, विमानक्षेत्र को इसी रूप में प्रदर्शित करेगा। यदि यह उन स्थानों पर अपना नाम या अपने शेयरधारकों को प्रदर्शित करना चाहता है जहाँ उपयोगकर्ताओं के लिए अन्य सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उससे पहले प्राधिकरण का नाम होगा।

5.15.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि विमानक्षेत्र पर या उसके संबंध में कोई भी विज्ञापन, प्रदर्शन या अन्यथा, प्राधिकरण के लोगो को उस रूप और तरीके से शामिल करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रदान किया जा सकता है।

5.16 दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

रियायतग्राही, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और दिशानिर्देशों, या उसके विकल्प के अनुरूप, विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 6: प्राधिकरण के दायित्व

6.1 प्राधिकरण के दायित्व

6.1.1 प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च और लागत पर इस समझौते में निर्धारित या इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपने सभी दायित्वों को पूरा करेगा, उनका अनुपालन करेगा और उन्हें निष्पादित करेगा।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है और इस समझौते तथा लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार निम्नलिखित का पालन करने, उनका अनुपालन करने और उन्हें निष्पादित करने का वचन देता है::

क	रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, और रियायतग्राही द्वारा लागू विधियों का अनुपालन किए जाने के अधीन, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए किसी भी सरकारी तंत्र से आवश्यक लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए उचित समर्थन और सहायता प्रदान करना;
ख	रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही को पानी और बिजली सहित सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, ऐसी दरों और शर्तों पर जो समान उपयोगिता ग्राहकों को सामान्य रूप से उपलब्ध दरों से कम अनुकूल न हों और जो काफी हद तक समतुल्य सेवाएँ प्राप्त कर रहे हों;
ग	सुरक्षा आवश्यकताओं, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, किसी भी सरकारी तंत्र या उसके माध्यम से या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास कोई बाधा खड़ी या स्थापित न किए जाने को सुनिश्चित करना;
घ	लागू विधियों और लागू परमिटों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही को साइट और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करना;
ङ	उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अतिक्रमणकारियों को हटाने और हवाई अड्डे पर या उसके सुरक्षा के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करना;
च	कोई ऐसा कार्य, विलेख या बात न करना या करने से न चूकना जो इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने वाला हो;
छ	इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार लागू विधियों और लागू परमिटों के अनुपालन में हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास में रियायतग्राही का समर्थन करना, सहयोग करना और सुविधा प्रदान करना;
ज	रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और खंड 5.7 के प्रावधानों के अधीन, इस अनुबंध और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू वीजा और कार्य

	अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु रियायतग्राही और रियायतग्राही के किसी भी विदेशी कार्मिक या उसके ठेकेदारों को उचित सहायता प्रदान करना;
झ	सी.ओ.डी. (वाणिज्य प्रचालन तिथि) से 12 (बारह) सप्ताह के भीतर, उपकरणों की वारंटी और रखरखाव अनुबंधों के तहत लाभार्थी के रूप में रियायतग्राही को नामित करना, और यदि किसी कारण से ऐसा नामांकन संभव नहीं है, तो यह सुनिश्चित करना कि उपकरणों के संबंध में ऐसी वारंटी और रखरखाव अनुबंधों को कुशलतापूर्वक बनाए रखा और प्रशासित किया जाए ताकि उपकरणों को वारंटी या अनुबंधों के अनुसार बनाए रखा जा सके; तथा
ञ	हवाई अड्डे के सभी 'एज़-बिल्ट' चित्र (यथारूप आरेखण) प्रदान करने का प्रयास करना, जिसमें मौजूदा सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं की विशिष्टताएँ शामिल हों।

6.2 वाणिज्य प्रचालन तिथि से पूर्व रखरखाव के दायित्व

वाणिज्य प्रचालन तिथि से पूर्व, प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर विमानक्षेत्र का रखरखाव करेगा, ताकि इसकी स्थिति बोली देय तिथि से 7 (सात) दिन पहले की स्थिति की तुलना में किसी भी समय काफी हद तक कमतर न हो, और सामान्य टूट-फूट के अलावा किसी भी महत्वपूर्ण गिरावट या क्षति की स्थिति में, इसकी मरम्मत का उपक्रम करेगा, या वाणिज्य प्रचालन तिथि के बाद ऐसी मरम्मत करने के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्धारित लागत और व्यय रियायतग्राही को भुगतान करेगा। प्राधिकरण वाणिज्य प्रचालन तिथि से पूर्व केवल रूटीन रखरखाव का उपक्रम करेगा, और यह केवल विमानक्षेत्र के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए, या बाढ़ या मूसलाधार बारिश जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण होने वाली अत्यधिक गिरावट या क्षति की स्थिति में विशेष मरम्मत का उपक्रम करेगा।

6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व

6.3.1 इस करार के उपबंधों, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अनुसार सी.एन.एस./ए.टी.एम. सेवाओं को प्राप्त करने में समर्थन का विस्तार करेगा, और हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि वायु यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अधिकृत नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम बनाए।

6.3.2 अनुच्छेद 20 के उपबंधों के अधीन, प्राधिकरण इस करार और लागू कानूनों तथा लागू अनुमतियों के उपबंधों के अनुसार सभी आरक्षित सेवाओं के निष्पादन के लिए समर्थन का विस्तार करेगा।

6.3.3 प्राधिकरण सहमत है और वचन देता है कि रियायतग्राही को इस करार, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण अपने स्वयं के कार्यों को कुशलतापूर्वक और उत्कृष्ट उद्योग आचरण के अनुसार निभाएगा।

6.4 मौजूदा अनुबंधों के संबंध में दायित्व

6.4.1 प्राधिकरण, प्रवर्तन अवधि के दौरान, मौजूदा अनुबंधों के तहत अपने सभी दायित्वों का निष्पादन और अनुपालन करेगा, और अपने स्वयं के खर्च पर, वाणिज्य प्रचालन तिथि से प्रभावी होने और उसके तहत शेष अवधि के लिए बल में रहने के लिए रियायतग्राही के पक्ष में ऐसे अनुबंधों और करारों का नवीकरण (नोवेशन) प्राप्त करेगा। पक्षकार इस खंड 6.4.1 के तहत परिकल्पित मौजूदा अनुबंधों ("नवीनीकृत अनुबंध") के नवीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं। रियायतग्राही इसके संबंध में देय सभी स्टाम्प शुल्कों का वहन करेगा और भुगतान करेगा।

6.4.2 इस घटना में कि प्राधिकरण पूर्वगामी के अनुसार किसी भी मौजूदा अनुबंध का नवीकरण प्राप्त करने में असमर्थ है ("गैर-नवीनीकृत अनुबंध"), यह एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करेगा, जो वाणिज्य प्रचालन तिथि से प्रभावी होगी, जिसमें रियायतग्राही (अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए) को गैर-नवीनीकृत अनुबंधों के दायरे की सीमा तक सभी उद्देश्यों के लिए अपनी ओर से कार्य करने की शक्तियों के साथ अपने अटॉर्नी और एजेंट के रूप में नामित किया जाएगा, जिसमें ऐसे किसी भी गैर-नवीनीकृत अनुबंध के तहत समय-समय पर प्राधिकरण को मिलने वाले सभी लाभों को विनियोजित करने की शक्ति और उनके नियमों के अनुसार ऐसे गैर-नवीनीकृत अनुबंधों को समाप्त करना शामिल है। रियायतग्राही ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में देय सभी स्टाम्प शुल्कों का वहन करेगा और भुगतान करेगा।

6.4.3 वाणिज्य प्रचालन तिथि से और उस पर, रियायतग्राही, अपने स्वयं के जोखिम और लागत पर, (i) नवीनीकृत अनुबंधों के तहत अपने सभी दायित्वों; और (ii) गैर-नवीनीकृत अनुबंधों के तहत प्राधिकरण के सभी दायित्वों का निष्पादन और अनुपालन करेगा, जैसे कि रियायतग्राही ऐसे अनुबंधों का मूल पक्षकार था। रियायतग्राही किसी भी नवीनीकृत अनुबंध या गैर-नवीनीकृत अनुबंध के तहत या उसके संबंध में वाणिज्य प्रचालन तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और किसी भी प्रकार और प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के दावों के खिलाफ सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने, बचाव करने, सुरक्षित रखने और हानिरहित रखने के लिए सहमत है और वचन देता है, सिवाय वाणिज्य प्रचालन तिथि के बाद उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के जो वाणिज्य प्रचालन तिथि से पहले प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक से संबंधित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि, जब तक कि ऐसे करारों के नियमों के अनुसार उन्हें पहले समाप्त नहीं किया जाता है, नवीनीकृत अनुबंध और गैर-नवीनीकृत अनुबंध अपनी समाप्ति तक बने रहेंगे। ऐसे समापन या समाप्ति के बाद, रियायतग्राही अपने स्वयं के विवेक पर, प्रासंगिक नवीनीकृत अनुबंध और/या गैर-नवीनीकृत अनुबंध के विषय वस्तु के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के साथ, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, किसी भी अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।

6.4.4 प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि वह: (i) किसी भी मौजूदा अनुबंध का नवीनीकरण न करे जो वाणिज्य प्रचालन तिथि से 6 (छः) महीने के भीतर समाप्त होने वाले हैं या प्रवर्तन अवधि के दौरान समाप्त हो चुके हैं; और/या (ii) रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना तीसरे पक्ष के साथ नए अनुबंधों में प्रवेश न करे, जिसे अनुचित रूप से रोका या में देरी नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि जहां विमानक्षेत्र के सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किसी मौजूदा अनुबंध को नवीनीकृत करने और/या एक नए अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता है। हालांकि, बशर्ते कि जहां एक नया अनुबंध दर्ज किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए पूर्वगामी के अनुसार रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नया अनुबंध केवल किसी मौजूदा अनुबंध के एवज में होगा जो प्रवर्तन अवधि के दौरान समाप्त हो गया है या समाप्त कर दिया गया है, और ऐसा नया अनुबंध, निष्पादन पर, मौजूदा अनुबंध माना जाएगा। इसके अलावा बशर्ते कि जहां किसी मौजूदा अनुबंध को

नवीनीकृत करने की मांग की जाती है और/या एक नए अनुबंध में प्रवेश करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस उप-खंड के उपबंधों के अनुसार रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि: (i) ऐसे नवीनीकृत मौजूदा अनुबंध और/या नए अनुबंध की अवधि 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की अवधि से अधिक न हो; और (ii) मौजूदा अनुबंध के नवीनीकरण और/या नए अनुबंध के निष्पादन से पहले, प्राधिकरण रियायतग्राही से परामर्श करेगा और उसकी टिप्पणियों पर विचार करेगा जिसके लिए प्राधिकरण निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए रियायतग्राही को 15 (पंद्रह) व्यावसायिक दिन प्रदान करेगा:

क. नए या मौजूदा अनुबंध के प्रस्तावित प्रारूप की समीक्षा ;

ख. प्राधिकरण से स्पष्टीकरण मांगना ; तथा

ग. प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही की अंतिम टिप्पणियों को प्रस्तुत करना।

6.4.5 प्रगति पर कार्य

इस खंड 6.4 में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही अनुसूची 'ट' में निर्धारित प्रगति पर कार्यों से संबंधित अनुबंधों के संबंध में वाणिज्य प्रचालन तिथि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए गए ऐसे भुगतानों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी राशि वाणिज्य प्रचालन तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर समर्थक दस्तावेजों और विवरणों के साथ प्राधिकरण द्वारा सूचित की जाएगी और रियायतग्राही द्वारा उसके 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगी।

पक्षकार रियायतग्राही, प्राधिकरण और ऐसे अनुबंधों के तहत प्रत्येक प्रति-पक्षकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करेंगे, जो समिति निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी: (क) एएआई, रियायतग्राही और ऐसे अनुबंधों के तहत प्रति-पक्षकारों के बीच किसी भी चर्चा और/या बातचीत को सुविधाजनक बनाना, जिसमें कार्यों में किसी भी संशोधन के संबंध में शामिल है, और (ख) ऐसे प्रगति पर कार्यों की प्रगति का समन्वय, सुविधा और निगरानी करना। रियायतग्राही वाणिज्य प्रचालन तिथि के बाद ऐसे प्रगति पर कार्य परिसंपत्तियों को पूरा करने की दिशा में किसी भी अतिरिक्त लागत को सहन करने के लिए जिम्मेदार होगा।

उपर्युक्त अनुसार ऐसे प्रगति पर कार्य परिसंपत्तियों के लिए वाणिज्य प्रचालन तिथि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए गए भुगतानों की राशि के रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति करने पर, और रियायतग्राही द्वारा ऐसे प्रगति पर कार्यों को पूरा करने पर, ऐसी प्रगति पर कार्य परिसंपत्तियां विमानक्षेत्र का हिस्सा बन जाएंगी।

ऐसे प्रगति पर कार्य परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ और रियायतग्राही द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को विनियामक द्वारा विमानक्षेत्रीय शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन में रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश के रूप में माना जाएगा। इस घटना में कि इस खंड 6.4.5 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशियों का कोई भी हिस्सा प्राधिकरण की ओर से किसी कार्य या चूक के कारण विनियामक द्वारा पास-थ्रू के लिए नहीं माना जाता है, तो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशियों और विनियामक द्वारा पास-थ्रू के लिए मानी गई राशियों के बीच किसी भी अंतर का समायोजन संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो विनियामक द्वारा विमानक्षेत्रीय शुल्कों के निर्धारण के तुरंत बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाता है।

6.5 प्राधिकरण के कर्मचारी

6.5.1 इस खंड 6.5 के प्रयोजनार्थ:

(i) अनुसूची 'एस' में निर्धारित प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी (सहायक महाप्रबंधक और उससे नीचे के रैंक के) जो प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर तैनात किए जाते हैं और संयुक्त प्रबंधन अवधि तथा समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि की पूरी अवधि के लिए हवाई अड्डे पर तैनात रहेंगे।

चयनित कर्मचारियों की संख्या उन कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी जो संयुक्त प्रबंधन अवधि या समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो अन्यथा प्राधिकरण की सेवाओं से अलग हो जाते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय विमानपतन प्राधिकरण द्वारा स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की सीमा तक चयनित कर्मचारियों की संख्या कम नहीं होगी।

(ii) "संयुक्त प्रबंधन अवधि" से तात्पर्य सी.ओ.डी. (वाणिज्य प्रचालन तिथि) से शुरू होने वाली और सी.ओ.डी. के बाद 1 (एक) कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि से है।

(iii) "समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि" से तात्पर्य संयुक्त प्रबंधन अवधि की समाप्ति से शुरू होने वाली और उससे 2 (दो) कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तिथि पर समाप्त होने वाली अवधि से है।

6.5.2 चयनित कर्मचारियों को छोड़कर, रियायतग्राही की हवाई अड्डे के संबंध में सेवा कर रहे मौजूदा कर्मचारियों के प्रति कोई बाध्यता नहीं होगी।

6.5.3 उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधन स्टाफ ("वरिष्ठ कार्मिक") सी.ओ.डी. से 3 (तीन) महीने से अधिक न होने वाली अवधि के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनियुक्त रहेंगे।

(i) ऐसे 3 (तीन) महीने की अवधि की समाप्ति पर, वरिष्ठ कार्मिकों को हवाई अड्डे से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उनका पुनः उपयोजन किया जाएगा।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही वरिष्ठ कार्मिकों के संबंध में किसी भी प्रकार का खर्च उठाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका वहन पूरी तरह से प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

6.5.4 रियायतग्राही संयुक्त प्रबंधन अवधि और समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए चयनित कर्मचारी लागत का वहन करेगा।

6.5.5 खंड 6.5.4 के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही, प्राधिकरण द्वारा चयनित कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के संबंध में रियायतग्राही को भेजे जाने वाले बीजक में दर्शाई गई राशि का भुगतान मासिक आधार पर प्राधिकरण को करेगा ("चयनित कर्मचारी लागत")।

(i) रियायतग्राही चयनित कर्मचारी लागत का भुगतान बीजक जारी होने की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर या उससे पहले करेगा।

(ii) रियायतग्राही द्वारा ऐसा भुगतान किए जाने पर, चयनित कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा परिलब्धियों का भुगतान न किए जाने के लिए रियायतग्राही को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) रियायतग्राही की ओर से चयनित कर्मचारी लागत के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, रियायतग्राही बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से गणना की गई विलंब अवधि के लिए प्राधिकरण को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) चयनित कर्मचारी लागत का निर्धारण समय-समय पर प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार कंपनी-लागत (कॉस्ट-टू-कंपनी) के आधार पर किया जाएगा और, यथालागू इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित लागत शामिल होगी।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड 6.5.5 के अंतर्गत रियायतग्राही की देयता स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी।

6.5.6 संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी समय, लेकिन सी.ओ.डी. से 90 (नब्बे) दिनों के बाद नहीं, रियायतग्राही न्यूनतम 60% (साठ प्रतिशत) चयनित कर्मचारियों को रोजगार प्रस्ताव ("रोजगार प्रस्ताव") देगा।

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड 6.5.1 में निर्धारित तरीके से चयनित कर्मचारियों की संख्या में कमी होने की स्थिति में, चयनित कर्मचारियों की वह न्यूनतम संख्या जिसके लिए रोजगार प्रस्ताव देना आवश्यक है, तदनुसार कम हो जाएगी, और इसके किसी भी अंश को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) किया जाएगा।

(ii) रोजगार प्रस्तावों के नियम और शर्तें, वेतन, पद आदि के मामले में, वार्षिक कंपनी-लागत (कॉस्ट-टू-कंपनी) के आधार पर चयनित कर्मचारियों की वर्तमान रोजगार शर्तों के समान होंगी।

6.5.7 रोजगार प्रस्ताव प्राप्त करने वाले व्यक्ति, रोजगार प्रस्ताव दिए जाने के 1 (एक) महीने के भीतर रोजगार प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

(i) ऐसे चयनित कर्मचारी, रोजगार प्रस्तावों को स्वीकार करने पर ("स्वीकार करने वाले कर्मचारी"), प्राधिकरण की नौकरी से त्याग पत्र दे देंगे, और प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं रहेंगे।

(ii) रियायतग्राही और स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति से तय नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों का नया नियोक्ता होगा।

6.5.8 पहला रोजगार प्रस्ताव दिए जाने की तिथि से 15 (पन्द्रह) महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय, लेकिन सी.ओ.डी. से 2 (दो) वर्ष की समाप्ति से पहले, रियायतग्राही आगे रोजगार प्रस्ताव देने का हकदार होगा। खंड 6.5.7 के प्रावधान ऐसे रोजगार प्रस्तावों पर यथासंभव तदनुसार (मुटाटिस मुतांडिस) लागू होंगे।

6.5.9 समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर, प्राधिकरण के साथ रोजगार जारी रखने का विकल्प चुनने वाले सभी चयनित जिन्हें रोजगार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राधिकरण के साथ अपना रोजगार जारी रखेंगे और उन्हें हवाई अड्डे से स्थानांतरित कर दिया जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा उनका पुनः उपयोजन किया जाएगा।

6.5.10 यदि समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या चयनित कर्मचारियों के 60% (साठ प्रतिशत) से कम है ("कमी कर्मचारी"), तो रियायतग्राही, समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से शुरू होकर, मासिक आधार पर प्राधिकरण को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही पर ऐसे कमी कर्मचारियों के संबंध में जारी किए जाने वाले बीजक में दर्शाई जाए ("कमी कर्मचारी लागत")।

(i) वे चयनित कर्मचारी जिनके संबंध में कमी कर्मचारी लागत देय है, समनुदेशित प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 3 (तीन) महीने पहले पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) विमानपतन शुल्क के निर्धारण में कमी कर्मचारी लागत को पास-थ्रू के रूप में माना जाएगा।

(iii) खंड 6.5.5 (ख), (ग), (घ) और (ङ) के प्रावधान कमी कर्मचारी लागत के भुगतान पर यथासंभव तदनुसार लागू होंगे।

(iv) कमी कर्मचारी लागत का भुगतान कमी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या प्राधिकरण की सेवाओं से अन्य अलगाव तक, जो भी पहले हो, देय होगा।

अनुच्छेद 7. अभ्यावेदन और वारंटी

7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटी

रियायतग्राही, प्राधिकरण को यह अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

(क) यह भारत के कानूनों के तहत विधुत् रूप से संगठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने और पूरा करने तथा इसके तहत विचारित लेन-देन को पूरा करने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार रखता है;

(ख) इस अनुबंध के निष्पादन और वितरण को अधिकृत करने तथा इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों का वैध रूप से प्रयोग करने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इसने लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक निगमित और अन्य कार्रवाइयां कर ली हैं;

(ग) चयनित बोली लगानेवाला (यदि कोई हो, तो उसके सदस्यों सहित) के पास सी.ओ.डी. के रूप में इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय क्षमता और तकनीकी क्षमता सहित वित्तीय स्थिति और क्षमता है, और सी.ओ.डी. से 5 (पाँच) वर्ष की समाप्ति तक ऐसी वित्तीय स्थिति और क्षमता बनी रहेगी;

(घ) यह अनुबंध इसके कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व को constitute करता है, जो इसके निबंधनों के अनुसार इस पर लागू करने योग्य है, और इस अनुबंध के तहत इसके दायित्व इसके निबंधनों के अनुसार इस पर कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व होंगे;

(ङ) यह भारत के कानूनों के अधीन है, और एतद्वारा इस अनुबंध के संबंध में या इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों (किसी भी दायित्व, देयता या जिम्मेदारी या क्षेत्राधिकार के मुद्दे सहित) के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी छूट को स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से त्यागता है;

(च) चयनित बोली लगानेवाले द्वारा बोली में दी गई और इस अनुबंध की तिथि पर या उससे पहले अद्यतन की गई जानकारी इस अनुबंध की तिथि के अनुसार सभी दृष्टियों से सत्य और सटीक है;

(छ) इस अनुबंध का निष्पादन, वितरण और निष्पादन इसके ज्ञाप और एसोसिएशन के आर्टिकल या चयनित बोली लगानेवाले के किसी भी सदस्य के किसी भी नियम, या किसी भी लागू कानून या किसी भी संविदा, अनुबंध, समझौते, व्यवस्था, समझ, डिक्री या आदेश के किसी भी अनुबंध के साथ संघर्ष नहीं करेगा, उल्लंघन का परिणाम नहीं होगा, जिसके तहत यह एक पक्ष है या जिसके द्वारा इसकी कोई भी संपत्ति या आस्तियां बाध्य या प्रभावित हैं;

(ज) किसी भी अदालत के समक्ष या किसी अन्य न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इसके विरुद्ध कानून या साम्या (इक्विटी) में कोई कार्रवाई, वाद, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है, या इसकी जानकारी के अनुसार, आशंका नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अनुबंध का उल्लंघन हो सकता है या जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को निष्पादित करने की इसकी क्षमता में किसी भी महत्वपूर्ण हानि का परिणाम हो सकती है;

(झ) इसे किसी भी अदालत या सरकारी उपकरण के किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने की इसकी क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और ऐसी कोई भी तथ्य या परिस्थिति मौजूद नहीं है,

जो ऐसी कार्यवाही को जन्म दे सकती है जिसके परिणामस्वरूप इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ज) न तो यह और न ही चयनित बोली लगानेवाले (यदि कोई हो, तो इसके सदस्यों सहित) और संबंधित सहबद्ध (एसोसिएट्स), किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसे आदेश पारित किए गए हैं, जो परियोजना को प्रारंभ करने की इसकी क्षमता पर संदेह पैदा कर सकते हैं या जो समुदाय की नैतिक भावना को ठेस पहुँचाने वाले गंभीर अपराध से संबंधित हैं;

(ट) न तो यह और न ही चयनित बोली लगानेवाले (यदि कोई हो, तो इसके सदस्यों सहित) और संबंधित सहबद्ध, भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, किसी सरकारी उपकरण द्वारा चार्जशीट किए गए हैं या किसी विधि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं;

(ठ) इसके या चयनित बोली लगानेवाले (यदि कोई हो, तो इसके सदस्यों सहित) और संबंधित सहबद्धों के विरुद्ध, या उनके संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी या किसी भी निदेशक, प्रबंधक या कर्मचारियों के विरुद्ध किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई जांच लंबित नहीं है;

(ड) इसने सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से लागू कानूनों का अनुपालन किया है और किसी भी जुर्मनि, शास्ति, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य सिविल या आपराधिक देयता के अधीन नहीं रहा है, जिसका कुल मिलाकर इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या पड़ सकता है;

(ढ) यह खंड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा किसी भी समय स्वामित्व में परिवर्तन (चेंज इन ओनरशिप) का प्रारंभ नहीं करेगा या अनुमति नहीं देगा;

(ण) चयनित बोली लगानेवाले और इसके सहबद्धों (यदि कोई हो, तो इसके सदस्यों सहित) के पास आवश्यक इक्विटी को वित्तपोषित करने और इस अनुबंध के अनुसार परियोजना को प्रारंभ करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने के लिए वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं;

(त) चयनित बोली लगानेवाले (यदि कोई हो, तो इसके सदस्यों सहित) अपने निगमन या पंजीकरण के क्षेत्राधिकार के कानूनों के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से अस्तित्व में है, और अधिनिर्णय पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) के अनुसरण में रियायतग्राही के साथ इस अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया है, और इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया है;

(थ) हवाई अड्डे में इसके सभी अधिकार और हित लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार, बिना किसी अन्य कार्य या विलेख के, सभी ग्रहणाधिकार (लींस), दावों और प्रभारों (एनकम्ब्रेंसेस) से मुक्त और स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को हस्तांतरित और निहित हो जाएंगे, और इसके या प्राधिकरण द्वारा कोई भी परियोजना आस्तियां किसी भी ऐसे समझौते के अधीन इसके द्वारा अधिग्रहित नहीं की जाएंगी जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा सुरक्षा हित या अन्य ग्रहणाधिकार या प्रभार रखा गया हो, सिवाय इसके कि इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है;

(द) लागू परमिटों के संबंध में इसके द्वारा या प्राधिकरण या किसी सरकारी उपकरण को प्रस्तुत किसी भी अन्य दस्तावेज में या इसमें निहित कोई भी अभ्यावेदन या वारंटी में सामग्री तथ्य का कोई भी असत्य या भ्रामक बयान शामिल नहीं है और न ही शामिल होगा या ऐसे अभ्यावेदन या वारंटी को भ्रामक न बनाने के लिए आवश्यक सामग्री तथ्य को बताने से नहीं चूकेगा;

(ध) इस अनुबंध में प्रवेश करने या रियायत सुरक्षित करने के लिए या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी सरकारी उपकरण को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने के संबंध में या बोली प्रक्रिया के दौरान, इसके द्वारा या इसकी ओर से किसी भी व्यक्ति को शुल्क, कमीशन या अन्यथा के रूप में नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि भुगतान नहीं की गई है और न ही भुगतान की जाएगी;

(न) प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) के जवाब में या अन्यथा चयनित बोली लगानेवाले द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी, इसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों में सत्य और सटीक है; और

(प) प्रस्ताव के लिए अनुरोध या अन्यथा से उत्पन्न रियायतग्राही के सभी उपक्रम और दायित्व रियायतग्राही पर ऐसे बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे इस अनुबंध का हिस्सा हैं।

7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटी

प्राधिकरण, रियायतग्राही को यह अभ्यावेदन देता है और वारंटी देता है कि:

(क) जी.ओ.आई. और अन्य लागू परमिटों के अनुसरण में इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने, वितरित करने और पूरा करने के लिए इसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार है, और इसने इस अनुबंध को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां कर ली हैं;

(ख) इसने इस अनुबंध के निष्पादन, वितरण और निष्पादन को अधिकृत करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कार्रवाइयां कर ली हैं;

(ग) इसके पास इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

(घ) यह अनुबंध इसके निबंधनों के अनुसार इस पर लागू करने योग्य एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व तैयार करता है;

(ङ) इसे किसी भी अदालत के किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या किसी डिक्री या किसी सरकारी उपकरण के किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक की कोई जानकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण की इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(च) इसने सभी महत्वपूर्ण दृष्टियों से लागू कानूनों का अनुपालन किया है; और

(छ) इसके पास रियायतग्राही को स्थल के संबंध में पट्टा देने की शक्ति और अधिकार है।

7.3 प्रकटीकरण (Disclosure)

यदि किसी पक्ष के संज्ञान में कोई ऐसी घटना या परिस्थिति आती है, जो उसके पूर्वोक्त अभ्यावेदन या वारंटी में से किसी को भी असत्य या अशुद्ध बनाती है, तो ऐसा पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को इसकी सूचना देगा। इस तरह की सूचना से किसी भी ऐसे अभ्यावेदन या वारंटी के उल्लंघन को सुधारने का प्रभाव नहीं होगा जो असत्य या अशुद्ध पाया गया है और न ही इससे इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष के किसी भी अधिकार, उपाय या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या छूट मिलेगी।

अनुच्छेद 8. अस्वीकरण (Disclaimer)

8.1 अस्वीकरण

8.1.1 रियायतग्राही अपनी ओर से और चयनित बोली लगानेवाले की ओर से यह स्वीकार करता है कि इस अनुबंध के निष्पादन से पहले, चयनित बोली लगानेवाले और रियायतग्राही ने एक संपूर्ण और सावधानीपूर्वक परीक्षण के बाद, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.), परियोजना के दायरे, विशिष्टताओं और मानकों, स्थल, इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए लागू परमिटों की आवश्यकताओं, मौजूदा संरचनाओं, स्थानीय स्थितियों, जमीन, उपमृदा और भूविज्ञान की भौतिक गुणों, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई या अन्यथा प्राप्त, प्रोक्योर या एकत्रित सभी सूचनाओं का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है, और अपनी संतुष्टि के अनुसार इसकी सटीकता या अन्यथा तथा कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित किया है, जो इसके दायित्वों के निष्पादन के दौरान उत्पन्न होने की संभावना है या इसका सामना किया जा सकता है। प्राधिकरण यहां या लागू कानूनों के तहत इसके द्वारा प्रदान किए गए किसी भी आकलन, धारणा, विवरण या सूचना की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और/या पूर्णता के संबंध में व्यक्त, निहित या अन्यथा कोई अभ्यावेदन नहीं करता है और रियायतग्राही अपनी ओर से और चयनित बोली लगानेवाले की ओर से पुष्टि करता है कि इस संबंध में प्राधिकरण के खिलाफ इसका कोई दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतग्राही उपर्युक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि के जोखिम को अपनी ओर से और चयनित बोली लगानेवाले की ओर से स्वीकार करता है और एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि रियायतग्राही, चयनित बोली लगानेवाले और इसके सहबद्धों या उनमें से किसी के माध्यम से या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी तरीके से प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

8.1.3 पक्ष इस बात से सहमत हैं कि उपर्युक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित कोई भी गलती या त्रुटि इस अनुबंध को vitiate नहीं करेगी या इसे शून्यकरणीय (voidable) नहीं बनाएगी।

8.1.4 ऐसी स्थिति में जब कोई भी पक्ष उपर्युक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले से संबंधित किसी भी गलती या त्रुटि के बारे में जानता है, तो वह पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को गलती या त्रुटि को निर्दिष्ट करते हुए सूचित करेगा, बशर्ते कि इस खंड 8.1.4 के अनुसरण में कोई सूचना देने में प्राधिकरण की ओर से कोई विफलता, खंड 8.1.1 में निहित प्राधिकरण के अस्वीकरण को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं करेगी और किसी भी तरह से रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के अनुसरण में उठाए गए किसी भी जोखिम को प्राधिकरण पर स्थानांतरित नहीं करेगी।

8.1.5 इस अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, परियोजना से संबंधित सभी जोखिमों का वहन रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों या उनके परिणामों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग III

विकास और संचालन (Development and Operations)

अनुच्छेद 9. निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security)

9.1 निष्पादन प्रतिभूति

9.1.1 रियायतग्राही, इस अनुबंध के चरण I के दौरान अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, इस अनुबंध की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों से बाद में नहीं, अनुसूची 'ई' में निर्धारित रूप में रु. 130,00,00,000 (एक सौ तीस करोड़ रुपये) के समतुल्य राशि के लिए एक बैंक से अप्रतिसंहारी (अप्रतिसंहरणीय) और बेजोड़ (बेरेटोक) गारंटी ("निष्पादन प्रतिभूति") प्राधिकरण को प्रदान करेगा। जब तक रियायतग्राही द्वारा इसके अनुसरण में निष्पादन प्रतिभूति प्रदान नहीं की जाती है और वह प्रभावी नहीं हो जाती है, तब तक बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी) बल में और प्रभाव में बनी रहेगी, और इसके अनुसरण में निष्पादन प्रतिभूति के ऐसे प्रावधान पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को बोली प्रतिभूति जारी कर देगा।

9.1.2 इस अनुबंध में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुबंध की तिथि से 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा निष्पादन प्रतिभूति प्रदान न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण बोली प्रतिभूति को भुना सकता है और नुकसान (डैमेजेस) के रूप में इसके आयोजनों को विनियोजित कर सकता है, और उसके बाद इस अनुबंध के तहत या इसके उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी रियायतग्राही की सहमति से माफ किए गए और समाप्त माने जाएंगे, और यह अनुबंध पक्षों के आपसी समझौते द्वारा समाप्त माना जाएगा।

9.1.3 चरण-I के पूरा होने के बाद, निष्पादन प्रतिभूति का मूल्य उस रियायत वर्ष से ठीक पहले वाले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि में संशोधित किया जाएगा जिसमें चरण I पूरा होने की तिथि आती है। उसके बाद, निष्पादन प्रतिभूति के मूल्य में रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक 5 (पाँच) रियायत वर्षों में तुरंत पिछले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि तक वृद्धि की जाएगी।

9.2 निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन (Appropriation of Performance Security)

रियायतग्राही की चूक (डिफॉल्ट) होने या किसी पूर्ववर्ती शर्त (कंडीशन प्रेसिडेंट) को पूरा करने में विफलता पर, प्राधिकरण, इस अनुबंध के तहत या लागू कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर पूर्वाग्रह डाले बिना, ऐसे रियायतग्राही की चूक के लिए या किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में विफलता के लिए, इसके कारण और संबंध में, निष्पादन प्रतिभूति से देय राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति से ऐसे नकदीकरण और विनियोजन पर, यथालागू रियायतग्राही, आंशिक विनियोजन के मामले में, उसके मूल स्तर पर, और संपूर्ण बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति के विनियोजन के मामले में, 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर एक नया निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करेगा, ऐसा न करने पर प्राधिकरण अनुच्छेद 35 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। ऐसे पुनःपूर्ति या नए निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, रियायतग्राही रियायतग्राही की चूक को सुधारने या किसी पूर्ववर्ती शर्त को संतुष्ट करने के लिए 60 (साठ) दिनों की अतिरिक्त उपाय अवधि (क्योर पीरियड) का हकदार होगा, और ऐसी उपाय अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा अपनी चूक को न सुधारने या ऐसे पूर्ववर्ती शर्त को पूरा न करने की स्थिति में, प्राधिकरण ऐसे निष्पादन प्रतिभूति को नुकसान के रूप में भुनाने और विनियोजित करने तथा अनुच्छेद 35 के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा।

9.3 निष्पादन प्रतिभूति की रिलीज (Release of Performance Security)

निष्पादन प्रतिभूति रियायत अवधि के अंत तक बल और प्रभाव में रहेगी और ऐसी समाप्ति के 3 (तीन) महीने बाद जारी की जाएगी, बशर्ते कि, हालांकि, यदि रियायतग्राही इस अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो निष्पादन प्रतिभूति जारी नहीं की जाएगी। इस खंड 9.3 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि को स्थापित करने वाले विवरणों के साथ निष्पादन प्रतिभूति की रिलीज के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण तुरंत निष्पादन प्रतिभूति जारी कर देगा।

9.4 डीमड निष्पादन प्रतिभूति (Deemed Performance Security)

पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि, प्रत्येक चरण के संबंध में, प्रासंगिक चरण के निर्माण कार्यों की लागत के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए एक अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति (रियायतग्राही द्वारा निर्धारित), इस खंड 9.4 के तहत बनाई गई मानी जाएगी ("डीमड निष्पादन प्रतिभूति")। समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति अप्रतिसंहारी और बेजोड़ होगी, और खंड 29.3 में निहित किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, एस्क्रो खाते में समतुल्य शेष राशि पर और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी राशियों पर पहला और अनन्य प्रभार constitute करेगी, और प्राधिकरण खंड 9.5 के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो खाते से निकासी के माध्यम से या रियायतग्राही द्वारा इसे देय और भुगतान योग्य राशियों से कटौती करके समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति को लागू करने का हकदार होगा। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि किसी भी संभावित नुकसान के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए एस्क्रो खाते में कोई भी राशि चिन्हित, जमी या रोकी नहीं जाएगी जो बाद की तारीख में देय हो सकती है, और केवल वे राशियां जो रियायतग्राही की चूक होने पर रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य हो गई हैं, यहाँ विनियोजन के लिए उत्तरदायी होंगी। समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति प्रासंगिक चरण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने पर जारी की जाएगी।

9.5 डीमड निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन

रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण, इस अनुबंध के तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर पूर्वाग्रह डाले बिना, प्रासंगिक चरण में निर्माण कार्यों के संबंध में किसी भी रियायतग्राही की चूक के लिए नुकसान के रूप में समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति से प्रासंगिक राशियों को विनियोजित करने का हकदार होगा। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति के पूर्ण या आंशिक रूप से विनियोजित होने पर, इसे ऐसे विनियोजन की सीमा तक पुनःपूर्ति किया गया माना जाएगा और अतिरिक्त उपाय अवधि के संबंध में खंड 9.2 के प्रावधान ऐसे पुनःपूर्ति पर लागू होंगे।

9.6 निष्पादन प्रतिभूति के संदर्भ (References to Performance Security)

रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निष्पादन प्रतिभूति के वितरण से पहले किसी भी अवधि के लिए, या इसके व्यतीत होने या रिलीज होने के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में, यथास्थिति, इस अनुबंध में होने वाले निष्पादन प्रतिभूति के संदर्भों को केवल रियायतग्राही द्वारा देय नुकसान की राशि की गणना करने के उद्देश्यों के लिए अर्थ निकाला जाएगा, और इस प्रकार निर्धारित राशि को बोली प्रतिभूति या समनुदेशित निष्पादन प्रतिभूति से, यथास्थिति, या ऐसी तिथि पर उपलब्ध के रूप में विनियोजित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 10: मार्ग का अधिकार

10.1 स्थल

हवाई अड्डे का स्थल उस अचल संपत्ति से मिलकर बनेगा जिसका विवरण अनुसूची 'क' में दिया गया है और जिसके संबंध में इस अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को मार्ग का अधिकार प्रदान किया जाएगा (स्थल)। इसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि स्थल के सभी संदर्भों का अर्थ अनुसूची 'क' में निर्धारित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक अचल संपत्ति के संदर्भ से होगा, और इसमें नगर साइट शामिल होगी।

10.2 पट्टा, अभिगम और मार्ग का अधिकार

10.2.1 प्राधिकरण इसके द्वारा रियायतग्राही को, इस अनुबंध के सुरक्षा प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन, वाणिज्य प्रचालन तिथि से पहले रियायतग्राही द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी सर्वेक्षण, जांच और स्थल के अध्ययन को करने के लिए स्थल तक अभिगम प्रदान करता है, बशर्ते यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई हो कि प्राधिकरण का स्थल पर या उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी सर्वेक्षण, जांच और परीक्षणों या किए गए कार्य के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा, सिवाय इसके कि समाप्ति के मामलों में ऐसा प्रावधान हो।

10.2.2 10.2.2 मासिक रियायत शुल्क, इस करार तथा इसमें अंतर्हित रियायतग्राही की ओर से किए गए प्रसंविदाओं और वारंटियों के प्रतिफल में, प्राधिकरण, यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, रियायतग्राही को वाणिज्य प्रचालन तिथि से शुरू करते हुए, अनुसूची 'अ' में वर्णित, आरेखित और दर्शाई गई साइट से जुड़ी सभी भूमि (उस पर स्थित किसी भी भवन, निर्माण या अचल परिसंपत्तियों सहित, यदि कोई हो) के संबंध में पट्टे के अधिकार प्रदान करेगा, जो किसी भी भार (एनकम्ब्रेन्स) से मुक्त होंगे, ताकि इस करार के तहत अनुमत उद्देश्यों के लिए, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, रियायत अवधि के लिए साइट का विकास, प्रचालन और रखरखाव किया जा सके, जिसके साथ उक्त साइट, हेटेरेडिटामेंट या परिसरों या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित या किसी भी तरह से उससे जुड़ी या उसके साथ उपभोग की जाने वाली सभी और एकल अधिकार, स्वतंत्रताएं, विशेषाधिकार, सुखभोग (ईज़मेंट्स) और सहायक वस्तुएं (एप्पर्टेनेंसेस) शामिल होंगी।

10.2.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि उसने एक पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, एक संपूर्ण रूप में स्थल का मूल्यांकन किया है और इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के दौरान उसके द्वारा सामना की जाने वाली सुविधाओं, उन्नयनों, इनपुटों, उपकरणों, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा का निर्धारण किया है, तथा आवश्यक प्रयासों की सीमा और तरीके को समझ लिया है। रियायतग्राही आगे स्वीकार करता है कि यदि किसी भी बाद की तारीख में कोई कमी पाई जाती है, तो उसका प्राधिकरण के खिलाफ कोई उपाय नहीं होगा। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह अपनी ही लागत और खर्च पर, प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उसी को दूर करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।

10.2.4 इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए, रियायतग्राही ने:

(क) स्थल और उसके परिवेश का निरीक्षण किया है;

(ख) स्थल की जलवायु, जल विज्ञान और सामान्य भौतिक प्रकृति, जमीन और उप-भूमि की प्रकृति, डिजाइन के रूप और तरीके, कार्य और इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्रियों के बारे में खुद को संतुष्ट कर लिया है;

(ग) हवाई अड्डे के लिए संचार के साधनों, अभिगम और आवास आवश्यकताओं के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लिया है, जो इसके द्वारा आवश्यक हो सकते हैं या इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;

(घ) जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी आवश्यक मामलों के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है, जो रियायतग्राही और उसके अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित कर सकते हैं।

10.2.5 रियायतग्राही को इस अनुबंध द्वारा प्रदान किया गया पट्टा, अभिगम और मार्ग का अधिकार हर समय मौजूदा मार्ग के अधिकारों के अधीन होगा और रियायतग्राही अपने दायित्वों का इस तरह से पालन करेगा कि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे उपयोगकर्ताओं के लिए हर समय खुला रहे, सिवाय उस अवधि को छोड़कर जिसके बंद होने की अनुमति प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी उपकरण द्वारा दी गई हो।

10.2.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि अनुच्छेद 10 के किसी भी पूर्ववर्ती प्रावधान के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई किसी भी गलती या गलतफहमी की स्थिति में प्राधिकरण के खिलाफ इसका कोई उपाय नहीं होगा और प्राधिकरण इसके संबंध में किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

10.2.7 इसके तहत प्रदान किया गया पट्टा किसी भी कारण से इस अनुबंध की समाप्ति पर, प्राधिकरण द्वारा पट्टा समाप्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बिना, स्वचालित रूप से और तुरंत समाप्त हो जाएगा। रियायतग्राही या उसके उप-अनुज्ञप्तिधारियों और/या उप-पट्टेदारों द्वारा स्थल पर किए गए किसी भी अस्थायी या स्थायी निर्माण के बावजूद, हवाई अड्डे के संबंध में सहित स्थल के संबंध में पट्टा, इस अनुबंध की समाप्ति पर, पक्षों के किसी भी अन्य कार्य के बिना, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।

10.2.8 रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण (प्रत्यक्ष रूप से या किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से कार्य करते हुए) को अपना सच्चा और विधिमान्य अधिवक्ता नियुक्त करता है, जो रियायतग्राही की ओर से इस अनुबंध की समाप्ति या इसके बाद किसी भी समय इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार समाप्त होने के बाद, किसी भी समय इसके तहत दिए गए पट्टे के हस्तांतरण या समर्पण को निष्पादित और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा, यदि उस समय किसी भी लागू कानून के अनुसार ऐसा आवश्यक हो, जिसका पर्याप्त प्रमाण प्राधिकरण के किसी भी रूप से अधिकृत अधिकारी की घोषणा होगी, और रियायतग्राही इस उद्देश्य के लिए इसके पंजीकृत होने की सहमति देता है।

10.2.9 यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि स्थल पर पेड़ प्राधिकरण की संपत्ति हैं सिवाय इसके कि रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान और लागू परमिटों के अनुसार उन पर उपभोग अधिकार (Usufructuary rights) का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

10.3 स्थल की प्राप्ति

10.3.1 खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट सूचना के अनुसरण में, प्राधिकरण और रियायतग्राही, एक पारस्परिक रूप से सहमत तिथि और समय पर, स्थल का निरीक्षण करेंगे और स्थल की एक सूची (इन्वेंट्री) युक्त एक ज्ञापन तैयार करेंगे, जिसमें भारमुक्त भूमि, भवन, अवरचनाएँ, सड़क के कार्य, पेड़ और स्थल पर संलग्न कोई अन्य अचल संपत्ति शामिल होगी। पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन पर 2 (दो) प्रतियों में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक में मूल प्रति होगी, खंड 10.2.3 के प्रावधानों के अधीन, रियायत अवधि के दौरान भारमुक्त स्थल के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग और विकास के लिए रियायतग्राही को एक वैध पट्टा और मार्ग का अधिकार माना जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

10.3.2 खंड 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वाणिज्य प्रचालन तिथि से पूर्व, प्राधिकरण हवाई अड्डे के लिए आवश्यक और अपेक्षित स्थल के कुल क्षेत्रफल के 100% (एक सौ प्रतिशत) के संबंध में खाली अभिगम, मार्ग का अधिकार और पट्टा प्रदान करेगा।

10.3.3 खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर और उसके बाद, और अंतरण तिथि तक, रियायतग्राही स्थल पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण या कब्जा न हो, और किसी भी हिस्से पर किसी भी अतिक्रमण या कब्जे की स्थिति में, रियायतग्राही तुरंत प्राधिकरण को ऐसे अतिक्रमण या कब्जे की सूचना देगा और अपनी लागत और खर्च पर इसे हटाने का कार्य करेगा।

10.3.4 [उपयोग में नहीं]।

10.3.5 [उपयोग में नहीं]।

10.3.6 ऐसी स्थिति में जहाँ रियायतग्राही को शीर्षक में दोष और/या स्थल में शामिल भूमि में प्राधिकरण के अधिकारों से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार और प्रकृति के तीसरे पक्ष के किसी मुकदमे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांग और/या दावे के अनुसरण में स्थल के किसी भी हिस्से के पट्टे और/या मार्ग के अधिकार से वंचित किया जाता है, प्राधिकरण, ऐसी वंचितता की 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, पक्षों की आपसी संतुष्टि के लिए रियायतग्राही को अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि का पट्टा और/या मार्ग का अधिकार प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर पक्षों की आपसी संतुष्टि के लिए ऐसी भूमि और/या मार्ग का अधिकार प्रदान करने में असमर्थ है, तो खंड 40.1.2 के प्रावधान लागू होंगे:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस खंड 10.3.6 के तहत उत्तरदायी नहीं होगा जहाँ ऐसा कोई भी दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई, और/या मांग रियायतग्राही, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों के पक्ष से इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान या किसी भी संबंधित अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के negligent act या चूक, या संविधि कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है।

10.4 भार से मुक्त स्थल

खंड 10.3 के प्रावधानों के अधीन, स्थल प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसके अनुसरण में सभी भारों से मुक्त उपलब्ध कराया जाएगा और रियायतग्राही को रियायत अवधि की अवधि के लिए ऐसे स्थल के अधिग्रहण और उपयोग के लिए किसी भी लागत, मुआवजे, खर्च और शुल्कों के खाते में प्राधिकरण को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस अनुबंध में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो। यह सहमति है कि स्थल के मौजूदा मार्ग के अधिकार, सुगमता, विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएं और उपांग भार नहीं माने जाएंगे। यह आगे सहमति है कि रियायतग्राही स्थल की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी जोखिमों को वहन करने के लिए स्वीकार करता है और वचनबद्ध होता है।

10.5 भार से स्थल की सुरक्षा

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही किसी भी और सभी कब्जों, अतिक्रमणों या भारों से स्थल की रक्षा करेगा, और स्थल या परियोजना परिसंपत्तियों के सभी या किसी भी भाग पर, या इसके तहत या इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के किसी भी अधिकार पर, किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को, जो रियायतग्राही के माध्यम से या उसके अधीन

दावा करता है या अन्यथा, कोई भी भार या सुरक्षा हित रखने या बनाने की अनुमति नहीं देगा, सिवाय इसके जैसा कि इस अनुबंध में अन्यथा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

10.6 विशेष/अस्थायी मार्ग का अधिकार

रियायतग्राही स्थल तक पहुँच के संबंध में उसके द्वारा आवश्यक किसी भी विशेष या अस्थायी मार्ग के अधिकार के लिए सभी लागत और शुल्क का वाहन करेगा। रियायतग्राही हवाई अड्डे के प्रयोजनों और इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए उसके द्वारा आवश्यक स्थल पर या उसके बाहर ऐसी सुविधाएँ अपनी लागत पर प्राप्त करेगा:

बशर्ते कि, ऐसी स्थिति में जब रियायतग्राही को विमानन परिसंपत्तियों के उद्देश्य से, अनुसूची 'क' में प्राधिकरण के लिए निकाले गए क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी भूमि की आवश्यकता होती है, तो प्राधिकरण, अपने विवेक पर, भारत सरकार की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी अतिरिक्त लागत के रियायतग्राही को वही प्रदान कर सकता है।

10.7 प्राधिकरण को अभिगम

10.7.1 रियायतग्राही निर्माण कार्यों, हवाई अड्डे का निरीक्षण करने और उनके अधिकार के भीतर किसी भी मामले की जांच करने के लिए प्राधिकरण, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधियों को, और किसी भी सरकारी उपकरण या नामित एजेंसी द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्तियों, और उनके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों के लिए हर समय स्थल पर स्वतंत्र अभिगम की अनुमति देगा, और रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को उनके संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट किसी भी उपयोगिता या सड़क के संचालन और रखरखाव के उद्देश्य से, ऐसे उपयोगिता या सड़क के नियंत्रण निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के लिए हर समय स्थल पर स्वतंत्र अभिगम की अनुमति देगा।

10.8 भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक खोजें

यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही को दिए गए पट्टे का हिस्सा नहीं हैं और रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उसके पास अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्मों, प्राचीन वस्तुओं, संरचनाओं या अन्य अवशेषों या विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक रुचि की चीजों में कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा और स्थल पर या उसके तहत ऐसे अधिकार, हित और संपत्ति प्राधिकरण या संबंधित सरकारी उपकरण में निहित होंगे और उसके होंगे। रियायतग्राही अपने कामगारों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हित या संपत्ति को हटाने या नुकसान पहुँचाने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा और इसकी खोज के तुरंत बाद प्राधिकरण को सूचित करेगा और ऐसी औपचारिकता का पालन करेगा जो प्राधिकरण या संबंधित सरकारी उपकरण ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए उचित रूप से दे सकते हैं। यह सहमति है कि इसके तहत रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी उचित खर्च की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यह भी सहमति है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत निर्देश संबंधित सरकारी उपकरण द्वारा उचित अवधि के भीतर जारी किए जाएं ताकि रियायतग्राही आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे संशोधनों के साथ अपने निर्माण कार्यों को जारी रख सके।

10.9 पट्टा अधिकार

इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए, रियायतग्राही को इस अनुबंध के अधीन और उसके अनुसार एकमात्र पट्टाधार के रूप में स्थल के उपयोग का अधिकार होगा, और इस उद्देश्य के लिए, यह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन तीसरे पक्ष द्वारा हवाई अड्डे में प्रवेश और उपयोग को विनियमित कर सकता है।

10.10 संपत्ति कर / सेवा शुल्क और अन्य शुल्क

10.10.1 वाणिज्य प्रचालन तिथि पर और उसके बाद, संपत्ति कर का भुगतान रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण/संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित सरकारी उपकरण को लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर लागू दरों पर देय होगा।

10.10.2 स्थल के संबंध में कोई भी शुल्क और कर और यदि लागू कानूनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाता है, तो प्राधिकरण से आवश्यक विवरणों के साथ एक नोटिस प्राप्त करने की 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.10.3 रियायतग्राही स्थल पर उपलब्ध निर्मित क्षेत्र के लिए, लागू कानूनों के तहत देय सभी शुल्कों के भुगतान के लिए प्राधिकरण और प्रासंगिक सरकारी उपकरण के प्रति जिम्मेदार होगा।

10.11 उप-पट्टे पर देने पर प्रतिबंध

रियायतग्राही स्थल के पूरे या किसी भी हिस्से का अनुज्ञप्ति या उप-पट्टा नहीं देगा, सिवाय इसके जैसा कि इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है; बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात को हवाई अड्डे के सभी या किसी भी हिस्से के संचालन और रखरखाव सहित इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने के रियायतग्राही के अधिकार को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं समझा या व्याख्या किया जाएगा।

अनुच्छेद 11: उपयोगिताएं और पेड़

11.1 मौजूदा उपयोगिताएं

इसमें निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर, उसके नीचे या उसके ऊपर उपयोगिताओं के स्वामित्व वाली संबंधित संस्थाओं को उस उपयोगिता के नियंत्रण निकाय के अधिकार के साथ उपयुक्त अस्थायी या स्थायी मोड़ प्रदान करके, यदि आवश्यक हो, ऐसी उपयोगिताओं को निरंतर संतोषजनक उपयोग में रखने के लिए सक्षम किया जाए, और प्राधिकरण, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर, ऐसे मोड़ के लिए आवश्यक किसी भी मार्ग के अधिकार के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करेगा और दायित्व लेगा।

11.2 बाधा डालने वाली उपयोगिताओं को हटाना

रियायतग्राही, लागू कानूनों के अधीन और प्राधिकरण की सहायता से, स्थल के अंदर या बाहर किसी उपयुक्त स्थान या संरक्षण के लिए बिजली लाइनों, पानी के पाइप और टेलीफोन के तारों सहित किसी भी उपयोगिता को स्थानांतरित करने का उपक्रम करेगा, यदि और केवल यदि ऐसी उपयोगिता हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालती है या डालेगी। इसके स्थानांतरण में किसी भी देरी की स्थिति में, रियायतग्राही यहां अपने किसी भी दायित्व का पालन करने में विफलता के लिए माफ किया जाएगा यदि ऐसी विफलता बिजली लाइनों, पानी के पाइप या टेलीफोन के तारों, जैसी भी स्थिति हो, के स्वामित्व वाली संस्था की ओर से देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि केवल हवाई अड्डे के उपयोग के लिए किसी भी उपयोगिता को स्थानांतरित करने पर होने वाले सभी खर्च और लागत रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

11.3 नई उपयोगिताएं

11.3.1 रियायतग्राही टेलीफोन लाइनों, पानी के पाइप, बिजली के तारों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को बिछाने के लिए स्थल तक अभिगम और उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी टेलीफोन लाइनों, पानी के पाइप, बिजली के तारों या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को बिछाने से किसी भी तरह से हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहाँ ऐसा अभिगम या उपयोग रियायतग्राही को कोई वित्तीय नुकसान पहुँचाता है, यह लागू कानूनों के अनुसार मुआवजा या हर्जाना देने के लिए स्थल के उपयोगकर्ता की मांग कर सकता है। यह सहमति है कि इस खंड 11.3 के तहत स्थल का उपयोग किसी भी तरह से इस अनुबंध और लागू अनुज्ञा-पत्र के अनुसार हवाई अड्डे को विकसित करने और बनाए रखने के रियायतग्राही के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और ऐसे उपयोग के कारण होने वाले किसी भी नुकसान को तुरंत बहाल किया जाएगा।

11.3.2 [उपयोग में नहीं]।

11.4 पेड़ों की कटाई

प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचाने जाने वाले पेड़ों की कटाई के लिए लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, यदि और केवल यदि, ऐसे पेड़ हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से इसकी कटाई में किसी भी देरी की स्थिति में, यदि ऐसी विफलता पेड़ों की कटाई में देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है, तो उसे यहाँ अपने किसी भी दायित्व का पालन करने में विफलता के लिए माफ किया जाएगा। पेड़ों की कटाई के संबंध में लागत और खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और इसका कोई भी राजस्व प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा। इसके पक्ष इस बात से सहमत

हैं कि काटे गए पेड़ों का निपटान ऐसे तरीके से किया जाएगा और ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसा कि प्राधिकरण लागू कानूनों के अनुसार अपने विवेक पर उचित समझे।

अनुच्छेद 12: हवाई अड्डे का विकास और विस्तार

12.1 निर्माण शुरू होने से पहले के दायित्व

12.1.1 निर्माण कार्य शुरू होने से पहले, रियायतग्राही को यह करना होगा:

(क) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को अपनी विकास योजना, विस्तृत डिजाइन, आरेख, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं, और संबंधित चरण को पूरा करने के लिए प्रोक्युरमेंट, इंजीनियरिंग और निर्माण समय अनुसूची प्रस्तुत करना होगा;

(ख) इस अनुबंध के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता के साथ सौदा करने के लिए विधिवत अधिकृत अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना होगा;

(ग) इस अनुबंध, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उसके अनुसार निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक या अपेक्षित ऐसे सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों को करना और निष्पादित करना होगा;

(घ) लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उसके अनुसार हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद और उत्खनन के लिए अपनी खुद की व्यवस्था करनी होगी।

12.2 मास्टरप्लान

12.2.1 रियायतग्राही हर समय यह प्राप्त करेगा और सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास मास्टरप्लान के अनुसार किया गया है। मास्टरप्लान तैयार करने के दिशा-निर्देश अनुसूची 'क' के अनुबंध दो में दिए गए हैं।

12.2.2 हवाई अड्डे के लिए मास्टरप्लान सभी विनियामक आवश्यकताओं और इस अनुबंध, विशेष रूप से अनुसूची 'ग' के अनुरूप होना चाहिए। मास्टरप्लान लागू कानूनों और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के बाद बनाया जाएगा।

12.2.3 इस अनुबंध में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मास्टरप्लान लागू कानूनों और इस अनुबंध की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में है यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से रियायतग्राही की जिम्मेदारी और दायित्व होगा, और इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना अनुबंधों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार है और इस अनुबंध में कुछ भी रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगा कि अंतिम मास्टरप्लान प्रावधानों के अनुसार है और किसी भी परियोजना अनुबंध के तहत अन्य सभी दायित्वों के अनुसार है।

12.2.4 रियायतग्राही समय-समय पर, हर 5 (पाँच) वर्ष में या जैसी भी स्थिति हो उससे पहले मास्टरप्लान को अपडेट करने के लिए आगे सहमत है।

12.2.5 चरण एक और बाद के चरणों के लिए विकास योजना इस अनुबंध, लागू कानूनों और लागू अनुज्ञा-पत्र के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा तैयार की जाएगी।

12.2.6 रियायतग्राही हवाई अड्डे के भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित किसी भी क्षेत्र का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जो हवाई अड्डे से जुड़े या संबंधित हैं, जब तक कि मास्टरप्लान में निर्दिष्ट विस्तार के लिए इसकी

आवश्यकता न हो, इस शर्त के अधीन कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है और इसका उपयोग हर समय लागू कानूनों, लागू अनुज्ञा-पत्र और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होगा।

12.2.7 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, विमानन सेवाओं में सुधार या वृद्धि करने के लिए या भीड़भाड़ को कम करने या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का विस्तार करने के लिए मास्टरप्लान को संशोधित कर सकता है।

12.3 आरेख

12.3.1 रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता, प्राधिकरण और/या किसी भी सरकारी उपकरण को लागू कानूनों और लागू अनुज्ञा-पत्र के अनुसार समीक्षा के लिए चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप उचित तत्परता के साथ और ऐसे अनुक्रम में, सभी आरेखों की 1 (एक) सॉफ्ट कॉपी और 3 (तीन) हार्ड कॉपी तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा के लिए आरेख प्रस्तुत करके, रियायतग्राही यह प्रतिनिधित्व करता हुआ माना जाएगा कि उसने यह निर्धारित और सत्यापित कर लिया है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग, संबंधित क्षेत्र निर्माण मानदंडों सहित, परियोजना के दायरे, विशिष्टताओं और मानकों, लागू कानूनों, लागू अनुज्ञा-पत्र और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप हैं।

12.3.2 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, आरेख प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, उसी की समीक्षा करेंगे और परियोजना के दायरे, विशिष्टताओं और मानकों या अन्यथा के साथ उनकी conformity या अन्यथा के विशेष संदर्भ के साथ रियायतग्राही को अपने संबंधित अवलोकन देंगे। रियायतग्राही उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि से परे इसके तहत प्रस्तुत आरेखों पर स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण के अवलोकनों का इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू या जारी रख सकता है।

12.3.3 यदि स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण के उपर्युक्त अवलोकन इंगित करते हैं कि आरेख परियोजना के दायरे या विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसे आरेखों को रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और समीक्षा के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण संशोधित आरेखों की प्राप्ति के 18 (अठारह) दिनों के भीतर अपने अवलोकन, यदि कोई हों, देंगे।

12.3.4 स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण की कोई भी समीक्षा और/या अवलोकन और किसी भी आरेख पर समीक्षा करने और/या अपने अवलोकन देने में इसकी विफलता किसी भी तरह से इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी और न ही स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

12.3.5 पूर्ववर्ती प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए विमानन परिसंपत्तियों और गैर-विमानन परिसंपत्तियों से संबंधित अपने आरेख स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को ऐसी समीक्षा करने का अधिकार है लेकिन दायित्व नहीं है और ऐसे आरेखों की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रदान करने का अधिकार है। इस खंड 12.3 के प्रावधान यहाँ समीक्षा और टिप्पणियों के लिए ज़रूरी बदलाव किए जाने के बाद लागू होंगे।

12.3.6 पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही अपने विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियों और गैर-विमानक्षेत्रीय परिसंपत्तियों से संबंधित अपने ड्राइंग्स (नक्शे) समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, और स्वतंत्र अभियंता तथा प्राधिकरण को ऐसी ड्राइंग्स की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के

भीतर ऐसी समीक्षा करने और यदि कोई टिप्पणी हो तो प्रदान करने का अधिकार होगा, किंतु यह उनका दायित्व नहीं होगा। इस खंड 12.3 के उपबंध यहाँ समीक्षा और टिप्पणियों पर यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित (मुतातिस मुतादिस) लागू होंगे।

12.3.7 किसी भी चरण के पूरा होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को 'एज-बिल्ट' (यथार्थ-निर्मित) ड्राइंग्स का एक पूरा सेट, 2 (दो) हार्ड प्रतियों में और इसके संपादनीय डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम और तरीके से जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो, प्रस्तुत करेगा, जो विमानक्षेत्र को वास्तविक रूप से डिज़ाइन, इंजीनियर और निर्मित के रूप में दर्शाता हो, जिसमें एक 'एज-बिल्ट' सर्वेक्षण भी शामिल है, जो विमानक्षेत्र के लेआउट और परियोजना सुविधाओं का हिस्सा बनने वाले भवनों और संरचनाओं की सेटबैक लाइनों (यदि कोई हो) को स्पष्ट करता हो।

12.4 टर्मिनल भवन

12.4.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के निर्माण की शुरुआत से पहले और/या हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से, प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को वास्तुशिल्प पैरामीटर, नियंत्रण, भवन नियम, मुखौटे, आयाम, डिजाइन, निर्माण सामग्री, विशिष्टताओं, मात्राओं के बिल और लागत अनुमान (वास्तुशिल्प डिजाइन) प्रस्तुत करेगा। एक बार स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण द्वारा इसकी समीक्षा और टिप्पणी की जाती है, तभी रियायतग्राही इसे लागू कानूनों, लागू परमिटों के तहत अपने अनुपालन के प्रयोजनों के लिए और/या प्रासंगिक लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी उपकरण को किसी भी समर्थन प्रस्तुति या अन्यथा के रूप में उपलब्ध कराएगा।

12.4.2 वास्तुशिल्प डिजाइन प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को अपने अवलोकन देंगे। यदि प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता (प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत) के अवलोकन यह संकेत देते हैं कि वास्तुशिल्प डिजाइन परियोजना के दायरे या विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप नहीं है या अन्यथा, तो इसे रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और प्राधिकरण के अवलोकन प्राप्त होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर समीक्षा के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता संशोधित वास्तुशिल्प डिजाइन की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने अवलोकन, यदि कोई हों, देंगे।

12.4.3 ऐसी स्थिति में जब वास्तुशिल्प डिजाइन में कोई संशोधन खंड 12.4.1 के तहत और उसके अनुसार निर्धारित किया गया हो, तो वास्तुशिल्प डिजाइन को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.4.4 लागू अनुमतियों को प्राप्त करने के अधीन, रियायतग्राही खंड 12.4.2 में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से परे वास्तुकला संबंधी डिज़ाइन पर प्राधिकरण के प्रेक्षकों (टिप्पणियों) की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और अपने स्वयं के विवेक तथा जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता की कोई भी समीक्षा और/या प्रेक्षण और/या समीक्षा करने और/या वास्तुकला संबंधी डिज़ाइन पर अपने प्रेक्षकों को प्रेषित करने में उनकी विफलता, रियायतग्राही को किसी भी तरह से इस करार के तहत उसके दायित्वों और देयताओं से मुक्त नहीं करेगी और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता किसी भी प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

12.4.5 खंड 12.4.1 या खंड 12.4.2 के अनुसार रियायतग्राही या प्राधिकरण के बीच कोई असहमत उत्पन्न होने की स्थिति में, और दूसरी पार्टी को अपने इरादे की सूचना देने पर, एक विवाद उत्पन्न हुआ माना जाएगा और इसके समाधान के लिए अनुच्छेद 41 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित (मुतातिस मुतादिस) लागू होंगे, बशर्ते कि खंड 41.3 के उपबंधों के तहत नियुक्त किए जाने वाले arbitrators (मध्यस्थ) केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति के प्रतिष्ठित वास्तुकार

(आर्किटेक्ट्स) होंगे। ऐसे मध्यस्थों को प्राधिकरण द्वारा देय शुल्क, यदि संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, प्रति दिन 5,00,00,000 (पाँच लाख रुपए) की सीमा के अधीन रियायतग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

12.5 हवाई अड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख', अनुसूची 'ग' में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों, और मास्टरप्लान के अनुरूप हवाई अड्डे पर निर्माण का उपक्रम करेगा।

(i) रियायतग्राही चरण एक के लिए निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सभी लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करेगा, जिसमें अनुसूची 'घ' में निर्दिष्ट लागू अनुज्ञा-पत्र बिना शर्त शामिल हैं, या यदि शर्तों के अधीन है, तो उस तारीख तक और उसमें निर्दिष्ट रूप और तरीके से ऐसी सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करेगा।

(ii) इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकास अवधि में स्वीकृत विस्तार (विस्तारों) के अधीन, परियोजना के चरण एक को पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि खंड 4.1.3(छ) द्वारा रियायतग्राही द्वारा इंगित तिथि होगी (निर्धारित पूर्णता तिथि) और रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण एक का निर्माण निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा।

(iii) बाद के चरणों के लिए निर्धारित पूर्णता तिथियां स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यह सहमति है कि परियोजना पूर्णता अनुसूची और निर्धारित पूर्णता तिथि नगर साइड विकास पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, हवाई अड्डे के वाणिज्य संचालन से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 15 के तहत कवर किया गया है।

12.5.2 रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार हवाई अड्डे का निर्माण करेगा और जिसे अनुसूची 'च' में निर्धारित किया जाएगा।

12.5.3 ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही अनुसूची 'च' में ऐसे चरण मील के पत्थर के लिए निर्धारित तिथि से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर चरण मील के पत्थर के अनुसार किसी भी मील के पत्थर को प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता बलराजे के कारण या प्राधिकरण को जिम्मेदार कारणों से न हुई हो, यह प्रत्येक दिन की देरी के लिए प्रदर्शन सुरक्षा की राशि के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि में प्राधिकरण को हर्जाना भुगतान करेगा जब तक कि चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार ऐसा मील का पत्थर प्राप्त नहीं हो जाता है, बशर्ते कि यदि इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार चरण पूर्णता अनुसूची या निर्धारित पूर्णता तिथि के लिए कोई या सभी मील के पत्थर बढ़ाए जाते हैं, तो अनुसूची 'च' में निर्धारित तिथियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस अनुबंध के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि अनुसूची 'च' को ऊपर के रूप में संशोधित किया गया है, बशर्ते आगे कि यदि किसी संबंधित चरण के लिए वाणिज्य प्रचालन तिथि ऐसे चरण के लिए निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले प्राप्त की जाती है, तो इस खंड 12.5.3 के तहत भुगतान किए गए हर्जाने को प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर बिना किसी ब्याज के। यह सहमति है कि इस खंड 12.5.3 के तहत हर्जाने की वसूली इस अनुबंध के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

12.5.4 ऐसी स्थिति में जब कोई चरण निर्धारित पूर्णता तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, जब तक कि देरी पूरी तरह से प्राधिकरण को जिम्मेदार कारणों से या बलराजे के कारण न हो, प्राधिकरण इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा। यहाँ निहित प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही निर्धारित पूर्णता तिथि से

270 (दो सौ सत्तर) दिनों की उक्त अवधि के भीतर चरण एक पूर्णता तिथि को प्राप्त करने में किसी भी देरी के लिए, लागू कानूनों के तहत देय अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

12.6 परियोजना सुविधाओं का विकास

12.6.1 खंड 12.5 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची 'ख' में निर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं के विकास का उपक्रम करेगा, और अनुसूची 'ग', लागू कानूनों और लागू परमिटों में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप होगा।

12.6.2 परियोजना सुविधाओं के लिए कोई भी विकास, जोड़ या संशोधन डिजाइन और मास्टरप्लान के अनुसार होगा, और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह लागत प्रभावी होगा और उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में होगा।

12.7 हवाई अड्डे का विस्तार

12.7.1 जैसे और जब हवाई अड्डे की क्षमता, जैसा कि मास्टरप्लान में निर्दिष्ट है, इस अनुबंध और/या अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दस्तावेजों और अनुबंधों द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों से कम हो जाती है, रियायतग्राही ऐसी कमी को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि और विस्तार का उपक्रम करेगा। इस संबंध में, रियायतग्राही किसी भी ऐसे विस्तार को करने के लिए आवश्यक सभी लागू अनुज्ञा-पत्र बिना शर्त प्राप्त करेगा, या यदि शर्तों के अधीन है, तो उसमें निर्दिष्ट तिथि और तरीके से ऐसी सभी शर्तों को पूरी तरह से पूरा करेगा।

12.7.2 इस अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि परियोजना सुविधाओं का विस्तार वास्तुशिल्प डिजाइन और मास्टरप्लान के अनुसार होगा, और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के साथ सामंजस्य में होगा।

अनुच्छेद 13: निर्माण की निगरानी

13.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिन के भीतर, प्राधिकरण को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) पर एक रिपोर्ट और अगली तिमाही की निर्माण योजना तथा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगा।

13.2 निरीक्षण

विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, तिमाही में कम से कम एक बार हवाई अड्डा कार्यों का निरीक्षण करेगा और ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें चरण पूर्णता अनुसूची, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के विशेष संदर्भ में यदि कोई त्रुटि या कमी हो तो उसका उचित विवरण दिया जाएगा। वह निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा और यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण, रियायतग्राही को निरीक्षण रिपोर्ट में पहचानी गई त्रुटियों या कमियों को सुधारने और दूर करने के लिए सूचित करेगा, और रियायतग्राही, प्राधिकरण से ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, त्रुटियों या कमियों को सुधार देगा और दूर कर देगा। स्वतंत्र अभियंता द्वारा ऐसा निरीक्षण करना या निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रियायतग्राही को किसी भी रूप में यहाँ दिए गए उसके दायित्वों और देनदारियों से मुक्त या बरी नहीं करेगा। पक्षकार इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 13 के तहत स्वतंत्र अभियंता के कार्यों में सिटी साइड विकास शामिल नहीं होगा।

13.3 परीक्षण

13.3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता, गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छी उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के अनुसार, स्वतंत्र अभियंता द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट समय और आवृत्ति पर तथा तरीके से रियायतग्राही को परीक्षण करने या कराने का निर्देश देगा। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहाँ तक संभव हो, निष्पादित कुल कार्यों की मात्रा और/या परीक्षणों की संख्या के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। रियायतग्राही, उचित तत्परता के साथ, स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षण करेगा या कराएगा और उनके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। बशर्ते, हालांकि, कि स्वतंत्र अभियंता यहाँ विनिर्दिष्ट परीक्षणों को स्वयं करने के बजाय, अच्छी उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले किसी भी परीक्षण में शामिल होने या भाग लेने का विकल्प चुन सकता है, और ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता को उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए सहयोग करेगा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

13.3.2 इस खंड 13.3 के तहत किए गए किसी भी परीक्षण के परिणाम से निर्माण कार्यों में कोई त्रुटि या कमी स्थापित होने की स्थिति में, रियायतग्राही सुधारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में स्वतंत्र अभियंता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही से ऐसे परीक्षण करने या कराने की अपेक्षा करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसे सुधारात्मक उपायों से निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुपालन में आ गए हैं, और इस खंड 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि ऐसे निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं हो जाते।

13.3.3 यह सहमति व्यक्त की जाती है कि इस खंड 13.3 के तहत परीक्षण, अच्छी उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे। इस पर भी सहमति है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति रियायतग्राही द्वारा तुरंत स्वतंत्र अभियंता को भेजी जाएगी।

13.4 निर्माण के दौरान देरी

खंड 12.5.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही इनमें से किसी भी चरण के मील के पथर (फेज माइलस्टोन) को प्राप्त नहीं करता है या स्वतंत्र अभियंता ने उचित रूप से यह निर्धारित किया है कि निर्माण कार्यों की प्रगति की दर ऐसी है कि निर्धारित पूर्णता तिथि तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण इसके बाद रियायतग्राही को इसकी सूचना देगा, और रियायतग्राही, ऐसी सूचना के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि के बारे में, जिसके भीतर वह चरण 1 पूर्णता तिथि प्राप्त करेगा, एक संचार के माध्यम से प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को उचित विवरण देगा।

13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 स्वतंत्र अभियंता की इस संबंध में सिफारिश पर, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को पूरे निर्माण कार्य या उसके किसी भी भाग को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दे सकता है यदि, प्राधिकरण की उचित राय में, ऐसा कार्य हवाई अड्डे पर या उसके आस-पास उपयोगकर्ताओं या किसी भी जीवन या संपत्ति की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। बशर्ते, हालांकि, कि आपात स्थिति के मामले में, प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेते हुए उपर्युक्त नोटिस जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, खंड 13.5.1 के तहत नोटिस के अनुसरण में, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय और तरीके से निर्माण कार्यों या उनके किसी भी भाग को निलंबित करेगा और तदनुसार निलंबित कार्यों तथा जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही नोटिस द्वारा स्वतंत्र अभियंता से ऐसे सुधारात्मक उपायों का तुरंत निरीक्षण करने और प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसमें यह सिफारिश की जाए कि यहाँ दिया गया निलंबन रद्द किया जाए या नहीं। स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो ऐसे निलंबन को रद्द कर देगा या रियायतग्राही को प्राधिकरण की उचित राय में आवश्यक अन्य तथा आगे के सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा, और इस खंड 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि यहाँ दिया गया निलंबन रद्द नहीं कर दिया जाता।

13.5.3 खंड 32.7 के प्रावधानों के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों या उसके किसी भी भाग को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए किए गए सभी उचित खर्च ("संरक्षण लागत") रियायतग्राही द्वारा सहन किए जाएंगे, बशर्ते कि यदि निलंबन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुआ है, तो संरक्षण लागत प्राधिकरण द्वारा सहन की जाएगी। विनियामक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए संरक्षण लागत को विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा।

13.5.4 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है, जो रियायतग्राही के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, और जिन्हें रियायतग्राही द्वारा अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार पूर्ववत नहीं देखा जा सकता था और टाला नहीं जा सकता था, तो प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, चरण पूर्णता अनुसूची में निर्धारित उन तिथियों में किसी भी विस्तार को निर्धारित करेगा जिसके लिए रियायतग्राही उचित रूप से हकदार है। यदि इसके अनुसार निर्धारित पूर्णता तिथि बढ़ाई

जाती है, तो रियायत अवधि को निर्धारित पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा।

13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग

13.6.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए प्राधिकरण को एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क या उसके किसी विकल्प में संकलित किया जाएगा, जिसमें उस तिमाही में निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति को शामिल किया जाएगा। ऐसी पहली वीडियो रिकॉर्डिंग सी.ओ.डी. (व्यावसायिक संचालन तिथि) के 7 (सात) दिन के भीतर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिन के बाद प्राधिकरण को प्रदान की जाएगी।

13.6.2 इस खंड 13.6 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, समान साप्ताहिक वितरण के आधार पर रियायतग्राही द्वारा की गई गतिविधियों को कवर करेगी, और प्रासंगिक रिकॉर्डिंग अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा की गई और निष्पादित गतिविधियों का एक सच्चा प्रतिबिंब होगी।

अनुच्छेद 14: चरण की पूर्णता

14.1 परीक्षण

14.1.1 प्रासंगिक चरण की संभावित पूर्णता से 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही, प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रासंगिक चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे की सूचना देगा। प्रत्येक परीक्षण की तिथि और समय स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा जो परीक्षणों के गवाह बनने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता के बीच परीक्षण आयोजित करने की तिथियों पर आपसी सहमति न बनने की स्थिति में, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को कम से कम 15 (पंद्रह) दिन का नोटिस देकर तिथियां तय करेगा। यह सहमति है कि इस अनुच्छेद 14 के प्रावधान सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण रियायतग्राही की लागत और व्यय पर अनुसूची जी के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्र अभियंता, विनिर्देशों और मानकों तथा लागू परमिटों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए परीक्षणों के परिणामों का अवलोकन, निगरानी और समीक्षा करेगा और यदि किसी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा यह यथोचित रूप से अनुमान लगाया जाता है या निर्धारित किया जाता है कि हवाई अड्डे या उसके किसी भी भाग का प्रदर्शन विनिर्देशों और मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसे ऐसे परीक्षण को निलंबित करने या में देरी करने तथा रियायतग्राही से त्रुटियों या कमियों को सुधारने और ठीक करने की अपेक्षा करने का अधिकार है। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए रियायतग्राही की लागत पर अतिरिक्त परीक्षण करने या कराने की मांग कर सकते हैं, या निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, ए.टी.सी. सुविधा और टर्मिनल भवन की भौतिक संरचना की ताकत की पर्याप्तता के बारे में उचित संदेह रखते हैं:

- क. कंक्रीट परीक्षण क्यूब्स पर संपीड़न शक्ति के परिणाम निर्दिष्ट शक्ति से नीचे गिर रहे हैं;
- ख. फॉर्मवर्क को समय से पहले हटाना;
- ग. कंक्रीट की अपर्याप्त क्योरिंग;
- घ. संरचना या उसके किसी भाग के निर्माण के दौरान अत्यधिक भार डालना;
- ङ. मधुकोश जैसी (हनीकॉम्ब्ड) या क्षतिग्रस्त कंक्रीट की उपस्थिति जो डिज़ाइन लोड को ले जाने के लिए संरचना की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है; या
- च. कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई भी भाग अपेक्षित शक्ति से कम हो सकता है।

14.2 पूर्णता

इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा होने ("पूर्णता") और स्वतंत्र अभियंता द्वारा परीक्षणों के सफल होने का निर्धारण करने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता को एक प्रति के साथ प्राधिकरण को एक पूर्णता रिपोर्ट ("पूर्णता रिपोर्ट") प्रस्तुत करेगा। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, अपनाई गई प्रक्रियाएं, परीक्षण परिणाम शामिल होंगे और स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन पर, इस समझौते की शर्तों के अनुसार प्रासंगिक

चरण के भौतिक निर्माण को पूरा करने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र ("पूर्णता प्रमाण पत्र") जारी करने की सिफारिश करेगा, और रियायतग्राही, लागू कानूनों के अनुसार, वाणिज्य संचालन शुरू करने से पहले, सभी आवश्यक लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.3 अनंतिम पूर्णता

14.3.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही के अनुरोध पर और स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशों के अधीन तथा डी.जी.सी.ए. अनुज्ञप्ति सहित सभी आवश्यक लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के बाद, यदि परीक्षण सफल होते हैं और निर्माण कार्यों को सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्य संचालन में रखा जा सकता है, भले ही इसके कुछ कार्य या चीजें अभी बाकी हों और पूरी न हुई हों ("अनंतिम पूर्णता"), निर्माण कार्यों के वाणिज्य संचालन की अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, प्राधिकरण को शेष वस्तुओं की एक सूची प्रस्तुत करेगा जिस पर बाद में प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ("पंच सूची").

14.3.2 इसके पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस खंड 14.3 के तहत संचालन, रियायतग्राही के इस आशय के अनुरोध पर, हवाई अड्डे के एक हिस्से के संचालन के लिए अनुमति दिया जा सकता है, यदि इसे खंड 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्य संचालन में रखा जा सकता है। इस खंड 14.3 के तहत संचालन की अनुमति देने पर, इस समझौते के प्रावधान हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण किए गए हिस्से पर लागू होंगे, और हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण किए गए हिस्से के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व तदनुसार समझे जाएंगे।

14.3.3 रियायतग्राही, निर्धारित अवधि के भीतर पंच सूची की वस्तुओं को पूरा करने और लागू कानूनों के अनुसार सभी आवश्यक लागू अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

14.4 पंच सूची की वस्तुओं को पूरा करना

14.4.1 पंच सूची की सभी वस्तुएं रियायतग्राही द्वारा निर्धारित पूर्णता तिथि से पहले पूरी की जानी चाहिए और उसके बाद किसी भी देरी के लिए, प्राधिकरण के पूरी तरह से जिम्मेदार कारणों के अलावा या फोर्स माजेर (फोर्स मेजयोर) के कारण को छोड़कर, प्राधिकरण रियायतग्राही से देरी के प्रत्येक दिन के लिए गणना किए जाने वाले और भुगतान किए जाने वाले हर्जाने (डैमेजेस) की वसूली करने का हकदार होगा, जब तक कि सभी वस्तुएं पूरी नहीं हो जाती हैं, जो निम्नलिखित में से कम है: (क) निष्पादन प्रतिभूति का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत), और (ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसी वस्तुओं को पूरा करने की लागत का 0.2% (शून्य दशमलव दो प्रतिशत)। ऐसे हर्जाने के भुगतान के अधीन, रियायतग्राही पंच सूची की वस्तुओं को पूरा करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा। यदि प्राधिकरण के पूरी तरह से जिम्मेदार कारणों से या फोर्स माजेर के कारण किसी वस्तु को पूरा करने में देरी होती है, तो उसकी पूर्णता तिथि स्वतंत्र अभियंता द्वारा अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14.4.2 सभी पंच सूची वस्तुओं के पूरा होने पर, रियायतग्राही, यदि आवश्यक हो, तो स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में लागू परीक्षण करेगा और रियायतग्राही अपनी पूर्णता रिपोर्ट प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। फोर्स माजेर की स्थिति या प्राधिकरण के पूरी तरह से जिम्मेदार कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से खंड 14.4.1 में निर्धारित समय के भीतर सभी पंच सूची वस्तुओं को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता, प्राधिकरण को इस समझौते को समाप्त करने का हकदार बनाएगी।

14.5 पूर्णता प्रमाण पत्र को रोकना

14.5.1 यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डा या उसका कोई भी भाग इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्य संचालन में नहीं रखा जा सकता है, तो वह तुरंत इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण तथा रियायतग्राही को भेजेगा। स्वतंत्र अभियंता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपने स्वयं के निरीक्षण के बाद, यदि प्राधिकरण की यह राय है कि हवाई अड्डा वाणिज्य सेवा के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है, तो वह उपर्युक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही को हवाई अड्डे में त्रुटियों और कमियों के बारे में सूचित करेगा और स्वतंत्र अभियंता को क्रमशः अनंतिम प्रमाण पत्र या पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने का निर्देश देगा। ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही ऐसी त्रुटियों या कमियों को दूर करेगा और तदनुसार इस अनुच्छेद 14 के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे। प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए त्रुटियों या कमियों को ठीक किए जाने तक ऐसी प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार दोहराया जाएगा।

14.5.2 खंड 14.5.1 में निहित किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, प्राधिकरण, उस खंड के तहत स्वतंत्र अभियंता से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता को खंड 14.3 के तहत अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दे सकता है, और ऐसे निर्देश का तुरंत पालन किया जाएगा।

14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण

यदि स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को यह प्रमाणित करता है कि वह क्रमशः पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थ है, उन घटनाओं या परिस्थितियों के कारण जिनकी वजह से परीक्षण आयोजित नहीं किए जा सके या जिन्हें निलंबित करना पड़ा, तो रियायतग्राही परीक्षणों को पुनर्निर्धारित करने और व्यावहारिक रूप से जितनी जल्दी हो सके उन्हें आयोजित करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 15: वाणिज्य सेवा में प्रवेश

15.1 व्यावसायिक संचालन तिथि

15.1.1 इस रियायत की व्यावसायिक संचालन तिथि ("सी.ओ.डी.") वह तिथि होगी जिस दिन अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तें पूरी कर ली गई हैं और रियायतग्राही ने वित्तीय समापन (फाइनैशियल क्लोज) प्राप्त कर लिया है, और रियायतग्राही सी.ओ.डी. से हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन को शुरू करने का हकदार होगा तथा अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की मांग करने और एकत्र करने का हकदार होगा।

15.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह इस समझौते की तिथि से **180** (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर सी.ओ.डी. प्राप्त कर लेगा और देरी की स्थिति में, देरी के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के **0.2%** (शून्य दशमलव दो प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि में प्राधिकरण को हर्जाना (डैमेजेस) के भुगतान के अधीन, **90** (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, बशर्ते कि यहाँ विनिर्दिष्ट हर्जाना हर हफ्ते अग्रिम देय होगा और **90** (नब्बे) दिनों की अवधि केवल भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक ही दी जाएगी, बशर्ते आगे यह भी कि यदि सी.ओ.डी. में ऐसी देरी खंड **4.1.2** में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में प्राधिकरण द्वारा किसी चूक या देरी के परिणामस्वरूप या फोर्स माजेर के कारण हुई है, तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। किसी भी संदेह से बचने के लिए, यहाँ देय हर्जाना खंड **4.2** के तहत देय हर्जाने के अतिरिक्त होगा।

15.2 देरी के कारण समाप्ति

इस समझौते में निहित किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, लेकिन खंड 32.6.1 के अधीन, इस घटना में कि खंड 15.1 में निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी कारण से सी.ओ.डी. नहीं होती है, इस समझौते के तहत या इसके उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारियां रियायतग्राही द्वारा माफ किए गए माने जाएंगे, और रियायतग्राही की सहमति से समाप्त हो चुके हैं, और रियायत समझौते को पक्षकारों की आपसी सहमति से समाप्त किया हुआ माना जाएगा।

अनुच्छेद 16: संक्रमणकालीन व्यवस्था

16.1 वित्त का हस्तांतरण

16.1.1 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी राजस्व, प्राप्तियां, व्यय और अन्य वित्तीय लेनदेन सी.ओ.डी. पर 0000 (शून्य शून्य शून्य शून्य) घंटों से प्राधिकरण से रियायतग्राही को हस्तांतरित हुए माने जाएंगे और उसके संबंध में सभी अधिकार, दायित्व और देनदारियां उस घंटे से और हस्तांतरण तिथि तक विशेष रूप से रियायतग्राही में निहित होंगी।

सी.ओ.डी. से पहले प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी दायित्वों, जिसमें किसी भी ऋण का दायित्व और प्राधिकरण या किसी तीसरे पक्ष को भुगतान शामिल है, का प्राधिकरण में हर समय निहित रहना जारी रहेगा, और प्राधिकरण, सी.ओ.डी. से पहले उत्पन्न होने वाले किसी भी नवोदित अनुबंधों (नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स) या गैर-नवोदित अनुबंधों के तहत या उनके संबंध में किसी भी प्रकार और प्रकृति के किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए रियायतग्राही को क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा, सुरक्षित रखेगा और हानिरहित रखेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी ऐसे व्यक्तिगत दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो 2,00,00,000 (दो करोड़ रुपये) से कम है, और न ही किसी भी या सभी नवोदित अनुबंधों और/या गैर-नवोदित अनुबंधों के तहत सभी दावों के लिए प्राधिकरण का कुल दायित्व (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागत को छोड़कर) 20,00,00,000 (बीस करोड़ रुपये) के बराबर होगा या उससे अधिक होगा।

16.1.2 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी मौजूदा सुरक्षा जमा, बयाना राशि जमा (बर्नाड मनी डिपॉजिट), बैंक गारंटी, निष्पादन प्रतिभूतियां या अन्य समान उपकरण, जिसमें सभी नवोदित अनुबंधों के प्रतिपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपकरण शामिल हैं, ऐसे प्रतिपक्ष द्वारा रियायतग्राही को प्रस्तुत किए जाने पर, सी.ओ.डी. के 180 (एक सौ आठ) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा प्रतिपक्ष को जारी कर दिए जाएंगे।

16.2 गैर-वैमानिक संपत्तियों का हस्तांतरण

खंड 16.3 के अधीन, रियायतग्राही ने सी.ओ.डी. पर सभी गैर-वैमानिक संपत्तियों का नियंत्रण ग्रहण कर लिया है ऐसा माना जाएगा।

16.3 वैमानिक संपत्तियों का हस्तांतरण

रियायतग्राही ने सी.ओ.डी. पर सभी वैमानिक संपत्तियों और टर्मिनल भवन का नियंत्रण ग्रहण कर लिया है ऐसा माना जाएगा।

16.4 संयुक्त प्रबंधन के दौरान प्राधिकरण के दायित्व

16.4.1 प्राधिकरण यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर सेवा दे रहे उसके सभी कर्मचारी रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार, अपनी पूरी क्षमता से तथा निष्ठा और दक्षता के साथ अपने respective कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें।

16.4.2 प्राधिकरण या उसके कर्मचारी संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, सिवाय इसके और तब जहाँ ऐसा कार्य या चूक घोर लापरवाही या जानबूझकर की गई चूक के कारण थी।

16.4.3 रियायतग्राही सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष के भीतर विमानक्षेत्र (एयरपोर्ट) अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा। इस समझौते में निहित किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, प्राधिकरण, डी.जी.सी.ए. द्वारा जारी 16 अक्टूबर, 2006 के नागर

विमानन आवश्यकताओं (सी.ए.आर.) के पैरा 7.3 और विमान नियम, 1937 सहित लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे के एयरोड्रम ऑपरेटर के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, और जब तक रियायतग्राही को एयरोड्रम अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक हवाई अड्डे के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा; बशर्ते, हालांकि, कि इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व रियायतग्राही के दायित्व माने जाएंगे।

16.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि, संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, रियायतग्राही हवाई अड्डे के संचालन, विकास और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और इस समझौते में अन्यथा निर्धारित के अलावा, इस संबंध में प्राधिकरण के पास कोई दायित्व और/या अधिकार नहीं होंगे।

16.5 सी.ओ.डी. से पहले निरीक्षण अवधि

प्राधिकरण, सी.ओ.डी. से पहले 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए, रियायतग्राही और उसके द्वारा नामित सभी व्यक्तियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने और हवाई अड्डे पर कर्मचारियों, उपकरणों, प्रणालियों और सुविधाओं के कामकाज का निरीक्षण करने में सक्षम बनाएगा। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को रियायतग्राही और उसके नामित व्यक्तियों के साथ सहयोग करने तथा सी.ओ.डी. के बाद हवाई अड्डे का संचालन करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का निर्देश देगा। बशर्ते, हालांकि, कि इस खंड 16.5 के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब रियायतग्राही ने अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रदान कर दी है।

अनुच्छेद 17: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन

17.1.1 इस समझौते में निहित किसी भी बात के विपरीत होने के बावजूद, परियोजना के कार्यक्षेत्र का हिस्सा बनने वाले दायित्वों में कोई भी जोड़ना या हटाना ("कार्यक्षेत्र में परिवर्तन") माना जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

17.1.2 यदि रियायतग्राही को किसी भी समय यह निर्धारित होता है कि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, तो वह लिखित रूप में नोटिस द्वारा प्राधिकरण से ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर विचार करने की अपेक्षा करेगा। प्राधिकरण, ऐसा नोटिस प्राप्त होने के **15 (पंद्रह)** दिनों के भीतर, संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद **17** के अनुसार उसके लिए कार्यवाही शुरू करेगा या ऐसे कार्यक्षेत्र में परिवर्तन को स्वीकार न करने के अपने कारणों के बारे में रियायतग्राही को लिखित रूप में सूचित करेगा।

17.1.3 कोई भी कार्य या सेवाएँ जो इस अनुच्छेद 17 के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के रूप में निष्पादित किए जाते हैं, वे हवाई अड्डे का हिस्सा बनेंगे और इस समझौते के प्रावधान ऐसे कार्यों या सेवाओं पर यथोचित परिवर्तनों (म्यूटेडिस म्यूटेडिस) के साथ लागू होंगे।

17.1.4 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वैमानिक संपत्तियों और गैर-वैमानिक संपत्तियों का कोई भी विस्तार, जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, दायरे में परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेगा और इसे रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किया जाएगा।

17.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया

17.2.1 इस घटना में, कि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक है, वह रियायतग्राही को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसके तहत परिकल्पित कार्यों और सेवाओं का उचित विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा ("दायरे में परिवर्तन का नोटिस").

17.2.2 दायरे में परिवर्तन का नोटिस प्राप्त होने पर, रियायतग्राही, उचित तत्परता के साथ, प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो आवश्यक है, साथ ही इसके समर्थन में प्रारंभिक प्रलेखन भी प्रदान करेगा:

- क. यदि विकास अवधि के दौरान कार्य या सेवाएँ निष्पादित करने की आवश्यकता है, तो चरण पूर्णता अनुसूची पर दायरे में परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ने की संभावना है, यदि कोई हो; और
- ख. प्रस्तावित दायरे में परिवर्तन को लागू करने के विकल्प और इसके लागत तथा समय पर प्रत्येक ऐसे विकल्प का जो प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई हो।

17.2.3 खंड 17.2.2 में निर्धारित जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण दायरे में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह रियायतग्राही को अपना पसंदीदा विकल्प बताएगा, और पक्षकार, स्वतंत्र अभियंता की सहायता से, दायरे में परिवर्तन के कार्यान्वयन के तरीके पर सहमत होने के लिए सद्भाव से प्रयास करेंगे। समझौता होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को इसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए एक आदेश ("दायरे में परिवर्तन का आदेश") जारी करेगा। पक्षकारों के सहमत होने में असमर्थ होने की स्थिति में, प्राधिकरण, दायरे में परिवर्तन का

आदेश जारी करके, विवाद के समाधान होने तक रियायतग्राही को इसके निष्पादन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता कर सकता है।

17.2.4 इस समझौते के प्रावधान, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 17 के तहत दायरे में परिवर्तन के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों पर यथासंभव लागू होंगे।

17.2.5 ऐसा कोई भी कार्यक्षेत्र परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो विनियामक के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें विनियामक द्वारा वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के संबंध में लिया गया निर्णय भी शामिल है। प्राधिकरण, कार्यक्षेत्र परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले कार्यों या सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही को कोई भुगतान नहीं करेगा।

17.3 कार्यों और सेवाओं को शुरू करने की प्राधिकरण की शक्ति

17.3.1 इस अनुच्छेद 17 में अंतर्वस्तु किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को नोटिस देने और उसके उत्तर पर विचार करने के बाद, खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कार्यक्षेत्र परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले किसी भी कार्य या सेवा का ठेका दे सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही को ऐसे कार्यों या सेवाओं की अनुमानित लागत का 2.50% (दो दशमलव पाँच शून्य प्रतिशत) प्राधिकरण को भुगतान करने के अधीन, बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प हो। रियायतग्राही इस तरह के एक बार के विकल्प का उपयोग करने का हकदार तभी होगा जब उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया हो और उसकी बोली उसकी पहली रैंक वाली बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर हो। यदि रियायतग्राही ऐसे किसी कार्य या सेवाओं को क्रियान्वित नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही इसके तहत कार्य या सेवा करने वाले व्यक्ति को पहुंच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

17.3.2 इस खंड 17.3 के अनुसार किए जाने वाले कार्य या सेवाएँ विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी और इस प्रकार की जाएंगी कि हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में व्यवधान कम से कम हो। इस समझौते के प्रावधान, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस खंड 17.3 के तहत किए गए कार्यों पर यथासंभव लागू होंगे।

17.4 कार्यक्षेत्र परिवर्तन के कार्यान्वयन की लागत

इस अनुच्छेद 17 के अनुसरण में कार्यक्षेत्र परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले कार्यों या सेवाओं के रियायतग्राही को दिए जाने या अन्यथा के बावजूद, इसके तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी खर्च की सूचना प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को ऐसे कार्यों या सेवाओं के पूरा होने पर दी जाएगी। रियायतग्राही, विनियामक को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ ऐसी लागतों का विवरण प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण को ऐसे सभी, 6 (छह) समान मासिक किश्तों में भुगतान करेगा।

अनुच्छेद 18: प्रचालन, रखरखाव और प्रबंधन (Operation, Maintenance and Management)

18.1 रियायतग्राही के प्रचालन और रखरखाव (O&M) दायित्व

18.1.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही या तो स्वयं, या ओ एंड एम अनुबंध के माध्यम से, इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन और रखरखाव करेगा और यदि आवश्यक हो, तो इस

समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों का पालन करने के लिए हवाई अड्डे में संशोधन, मरम्मत या अन्य सुधार करेगा, और विनिर्देशों और मानकों तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप रहेगा। इसके तहत रियायतग्राही के दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

(क) इस समझौते की शर्तों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक वैमानिक सेवाएँ, गैर-वैमानिक सेवाएँ और ऐसी अन्य सेवाएँ प्रदान करना सुनिश्चित करना;

(ख) सामान्य प्रचालन स्थितियों के दौरान, हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध आवाजाही तथा यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति की रोकथाम शामिल है;

(ग) शुल्क का संग्रहण और विनियोजन करना;

(घ) दुर्घटनाओं या हवाई अड्डे की सुरक्षा और उपयोग को प्रभावित करने वाली अन्य घटनाओं की स्थिति में, आपातकालीन सेवाओं के साथ तेजी से प्रभावी प्रतिक्रिया और तालमेल बिठाकर हवाई अड्डे के प्रचालन, जिसमें टर्मिनल भवन और लैंड साइड शामिल हैं, में व्यवधान को कम करना;

(ङ) हवाई अड्डे का समय-समय पर निवारक रखरखाव करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि वैमानिक परिसंपत्तियों, जिनमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच क्षेत्र शामिल हैं, का रखरखाव और प्रचालन लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों तथा अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, स्ट्रिप, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे अंत सुरक्षा क्षेत्र तथा टैक्सीवे और आइसोलेशन बे के लिए स्ट्रिप और शोल्डर का रखरखाव लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों तथा अनुबंधों में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतह (obstacle limitation surfaces) और एप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र बाधाओं से मुक्त हैं या यह कि बाधाएँ लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों तथा अनुबंधों में निर्दिष्ट अनुमेय सीमाओं तक सीमित हैं;

(झ) दरारों, जोड़ों, जल निकासी प्रणालियों, तटबंधों, संरचनाओं, इमारतों, पेवमेंट मार्किंग, सिग्नलिंग प्रणालियों, संचार प्रणालियों, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और अन्य उपकरणों की त्वरित मरम्मत सहित नियमित रखरखाव करना;

(ञ) संरचनाओं की मरम्मत, उपकरणों की मरम्मत और जीर्णोद्धार, सिग्नलिंग और संचार प्रणालियों तथा उपकरणों के बड़े पैमाने पर ओवरहाल जैसे बड़े रखरखाव कार्य करना;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि सं.दि.नि./वि.या.प्र. उपकरणों और सुविधाओं के प्रचालन के लिए प्राधिकरण या नामित सरकार की एजेंसी द्वारा, जैसा भी मामला हो, पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाए और किसी भी ऐसी बाधा को अनुमति न दी जाए जो इन उपकरणों और सुविधाओं के कामकाज की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करे या विमान प्रचालन की सुरक्षा को खतरे में डाले;

(ठ) लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार, हवाई अड्डे के अंदर और आसपास पक्षियों और जानवरों के उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उचित व्यवस्था और सावधानियां बरती जाना सुनिश्चित करना;

(ड) लागू कानूनों और प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों तथा अनुबंधों, और समय-समय पर जारी या अद्यतन किए जाने वाले ना.वि.म.नि. नागरिक विमानन आवश्यकताओं, और प्रासंगिक कोड तथा मानकों में निर्धारित मानकों के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करना;

(ढ) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, हवाई अड्डे पर किसी भी अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;

(ण) पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण तथा उसके लिए उपकरण और सामग्री प्रदान करना;

(त) वैमानिक सेवाओं और गैर-वैमानिक सेवाओं के कुशल प्रचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का प्रचालन और रखरखाव;

(थ) आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए, लागू कानूनों के अनुसार उपयोगकर्ताओं, सरकारी साधनों (Government Instrumentalities), मीडिया और अन्य एजेंसियों के साथ संवाद करने और उनके सुझावों पर ध्यान देने के लिए एक जनसंपर्क इकाई बनाए रखना;

(द) अनुच्छेद 18 के अनुसार सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना;

(ध) सभी प्रोजेक्ट परिसंपत्तियों का मुस्तैदी और कुशलता से तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार प्रचालन और रखरखाव करना;

(न) हवाई अड्डे के प्रचालन में समय की पाबंदी और विश्वसनीयता बनाए रखना;

(प) सभी प्रकार के कचरे के उचित स्थान पर निपटान सहित हवाई अड्डे पर स्वच्छता और साफ-सफाई का उच्च मानक बनाए रखना;

(फ) प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. मानकों या उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अग्नि सावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना;

(ब) प्राधिकरण, किसी भी सरकारी साधन, ना.वि.म.नि., राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले सभी आवश्यक सूचना, डेटा, प्रचालन आंकड़े आदि प्रदान करना।

18.1.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे से सभी अधिशेष निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट सामग्री (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), मलबा और अन्य मलबा (बिना किसी सीमा के, दुर्घटना का मलबा सहित) तुरंत हटा देगा और हवाई अड्डे को स्वच्छ, सुव्यवस्थित स्थिति में रखेगा, तथा लागू कानूनों, लागू परमिटों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप रखेगा।

18.1.3 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 के अनुसार, साइट पर स्थित एप्रोच सड़कों, ओवर-ब्रिजेस/अंडर-ब्रिजेस, ओवर-पासेस, अंडर-पासेस या अन्य संरचनाओं या उपयोगिताओं के सभी हिस्सों का उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप रखरखाव करेगा।

18.2 रखरखाव आवश्यकताएँ

रियायतग्राही हवाई अड्डे के रखरखाव में हर समय लागू कानून का अनुपालन करेगा और लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे

का रखरखाव करेगा, उसे अच्छी प्रचालन मरम्मत और स्थिति में रखेगा या यथोचित रूप से आवश्यक सीमा तक नवीनीकृत, प्रतिस्थापित और उन्नत करेगा। सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के तरीके से किए जाएंगे।

18.3 सुरक्षा, खराबी और दुर्घटनाएँ

18.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित स्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को क्षति, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, खराबी और दुर्घटनाओं की स्थिति में, प्रासंगिक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बिना किसी देरी के बाधा और मलबे को हटाने का कार्य करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही यहाँ अनुसूची 1 में सुरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

18.3.2 हवाई अड्डे पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी विशेष घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी और इसमें मलबे या किसी अन्य बाधा को तुरंत हटाना भी शामिल होगा, जो यातायात के सुचारू प्रवाह और उपयोगकर्ताओं की आवाजाही को खतरे में डाल सकता है या बाधित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, यह बचाव उपकरणों के साथ 2 (दो) चौबीसों घंटे चालू रहने वाले बचाव वाहनों को बनाए रखेगा और उनका प्रचालन करेगा तथा वाहनों को इस तरह से खड़ा करेगा जिससे दुर्घटना स्थल तक तुरंत पहुंच की अनुमति मिल सके।

18.4 आपातकाल के कारण सेवा-निवृत्ति (De-commissioning)

18.4.1 यदि कोई ऐसा आपातकाल मौजूद है, जो पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से को सेवा-निवृत्त करने और बंद करने की मांग करता है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी की सलाह के अनुसार, जब तक ऐसी आपात स्थिति और उसके परिणाम वारंट करते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए पूरे हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से को सेवा-निवृत्त करने और बंद करने का हकदार होगा, बशर्ते कि इस तरह की सेवा-निवृत्ति और उसके विवरण रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को सूचित किए जाएंगे, और रियायतग्राही ऐसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले किसी भी उचित निर्देश का लगन से पालन करेगा।

18.4.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे या उसके प्रभावित हिस्से को यथासंभव शीघ्रता से पुनः सेवा में लाएगा, जब इसके सेवा-निवृत्ति और बंद होने का कारण बनने वाली परिस्थितियाँ मौजूद रहना बंद हो जाती हैं या इतनी कम हो जाती हैं कि रियायतग्राही हवाई अड्डे को पुनः सेवा में सक्षम हो सके और बिना किसी देरी के प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

18.4.3 हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से की सेवा-निवृत्ति या बंदी और उसके पुनः सेवा-चालू होने की बात, यथाशीघ्र, सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के संज्ञान में लाई जाएगी।

18.4.4 आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के कारणों से हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से की सेवा-निवृत्ति या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय नहीं होगा।

18.5 खंड बंदी (Section Closure)

खंड 18.6 में प्रदान किए गए को छोड़कर, रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना और प्रभावित खंड में आरक्षित सेवाएँ प्रदान करने वाली नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के बिना, नियमित और निवारक रखरखाव या मरम्मत कार्यों को करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी खंड को बंद नहीं करेगा। इस तरह का अनुमोदन रियायतग्राही द्वारा ऐसे खंड के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण को दिए जाने वाले एक लिखित अनुरोध के माध्यम से मांगा जाएगा और इसके साथ विवरण भी होगा। ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्राधिकरण, उचित और आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ अनुमति प्रदान करेगा और ऐसी अनुमति की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। विमान चालकों को नोटिस (NOTAM) जारी करने की आवश्यकता पर किसी भी ऐसी परिस्थिति में विचार किया जाएगा जो विमान/हवाई अड्डे के प्रचालन को प्रभावित कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर रियायतग्राही विमान चालकों को नोटिस (NOTAM) जारी करने के लिए आवश्यक समय देगा।

18.6 प्राधिकरण की अधिभावी शक्तियाँ (Overriding Powers)

18.6.1 यदि प्राधिकरण की उचित राय में, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का महत्वपूर्ण उल्लंघन कर रहा है और ऐसा उल्लंघन उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण कठिनाई या खतरा पैदा कर रहा है या पैदा करने की संभावना है, तो प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है, नोटिस द्वारा रियायतग्राही से, यथास्थिति, ऐसी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने के लिए तुरंत उचित उपाय करने की अपेक्षा कर सकता है।

18.6.2 ऐसी स्थिति में जहाँ रियायतग्राही, खंड 18.6.1 के तहत नोटिस मिलने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी भी कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने में विफल रहता है, प्राधिकरण इस खंड 18.6 के तहत अधिभावी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और कठिनाई या खतरे को ठीक करने या हटाने के लिए अपने द्वारा आवश्यक समझे जाने की सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के प्रदर्शन को अपने हाथ में ले सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्तियों का उपयोग यहाँ उचित रूप से आवश्यक से अधिक दायरे में और लंबी अवधि के लिए नहीं होगा, बशर्ते आगे यह भी कि इसके दायित्वों के निर्वहन में प्राधिकरण द्वारा किए गए कोई भी लागत और खर्च ओ एंड एम व्यय माने जाएंगे, और प्राधिकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूलने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण में पास-थ्रू के लिए नहीं माना जाएगा।

18.6.3 राष्ट्रीय आपातकाल, नागरिक अशांति या खंड 32.3 में निर्दिष्ट किसी अन्य कृत्य की स्थिति में, प्राधिकरण, रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के प्रदर्शन को अपने हाथ में ले सकता है, या किसी नामित भारत सरकार की एजेंसी को ऐसा करने के लिए कह सकता है, और हवाई अड्डे पर ऐसा नियंत्रण रख सकता है या रियायतग्राही को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा आवश्यक समझा जाए, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्तियों का उपयोग उन परिस्थितियों में उचित रूप से आवश्यक से अधिक दायरे में और लंबी अवधि के लिए नहीं होगा जिनके कारण प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्ति का प्रयोग किया गया था। यह सहमति है कि इस तरह की कार्रवाई के परिणामों से अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा। यह भी सहमति है कि रियायतग्राही इस खंड 18.6 के प्रावधानों के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे निर्देशों का पालन करेगा, और इसके दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

18.7 हवाई अड्डे को हुए नुकसान या क्षति की बहाली

इस समझौते में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, इस घटना में कि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी कारण से कोई नुकसान या क्षति होती है, रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर, ऐसे नुकसान या क्षति को तुरंत ठीक करेगा और उसका उपाय करेगा ताकि हवाई अड्डे इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हो। यदि ऐसा नुकसान या क्षति इस समझौते के तहत रियायतग्राही के प्रदर्शन दायित्वों में किसी उल्लंघन या चूक के कारण हुई है, तो ऐसे नुकसान या क्षति की मरम्मत या सुधार पर रियायतग्राही द्वारा की गई लागत को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

18.8 हवाई अड्डे में संशोधन

18.8.1 हवाई अड्डे के चरण-वार विकास और इस तरह के विकास कार्यों के कारण आवश्यक होने वाले परिणामी परिवर्तनों के संबंध में इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किए गए को छोड़कर, रियायतग्राही विकास अवधि के बाद किसी भी समय हवाई अड्डे में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसे कोई भी संशोधन कर सकता है, जहाँ ऐसे संशोधन मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, उत्तम उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए आवश्यक हैं, बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उनके विवरण के साथ प्रस्तावित संशोधनों की सूचना प्राधिकरण को देगा और रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले किसी भी सुझाव पर उचित रूप से विचार करेगा। इसके तहत किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिटों, उत्तम उद्योग प्रथाओं और इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

18.8.2 किसी भी समय, ऐसे संशोधन हवाई अड्डे के मौजूदा और प्रचालनात्मक भागों और/या उपयोगकर्ताओं के प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

18.8.3 इस समझौते के प्रावधान, जहाँ तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, हवाई अड्डे के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्यों पर यथासंभव लागू होंगे।

18.8.4 इस समझौते में अंतर्वस्तु किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, खंड 18.8.1 के तहत किया गया कोई भी संशोधन कार्यक्षेत्र परिवर्तन का गठन नहीं करेगा।

18.9 दायित्वों के प्रदर्शन से छूट

यदि हवाई अड्डे का कोई भी हिस्सा उसकी अवधि के लिए निम्नलिखित में से किसी के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, तो रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा:

(क) फोर्स मेज्योर (Force Majeure) की घटना;

(ख) हवाई अड्डे का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपाय, सिवाय इसके कि जब इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने में रियायतग्राही की विफलता के कारण असुरक्षित स्थितियां उत्पन्न हुई; या

(ग) प्राधिकरण के अनुरोध या किसी सरकारी साधन के निर्देशों का अनुपालन, जिसका प्रभाव हवाई अड्डे के सभी या किसी भी हिस्से को बंद करना है।

बशर्ते कि इस तरह की अनुपलब्धता और उसके विवरण रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को सूचित किए जाएंगे।

बशर्ते आगे यह भी कि रियायतग्राही हवाई अड्डे के सभी प्रभावित भागों को सामान्य प्रचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते कि उनका सुरक्षित रूप से प्रचालन किया जा सके।

18.10 अवरोध और मार्ग परिवर्तन

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत अवधि के दौरान, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, हवाई अड्डे पर किसी भी सरकारी साधन द्वारा कोई अवरोध या बाधा खड़ी या स्थापित नहीं की जाए। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित प्रयास करेगा कि कोई भी सरकारी साधन, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, हवाई अड्डे के लिए और उससे आवाजाही पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी मार्ग परिवर्तन या हवाई अड्डे तक पहुँचने वाली सड़कों को बंद करने का कार्य नहीं करेगा या ऐसा कारण नहीं बनेगा।

18.11 रक्षा बलों द्वारा और कुछ अन्य आपात स्थितियों के दौरान हवाई अड्डे का उपयोग

18.11.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि रक्षा बलों को हर समय, किसी भी प्रकार की बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के, हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

18.11.2 खंड 18.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपातकाल के दौरान एयरस्पेस के आवंटन और बंदी तथा हवाई अड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक, रियायतग्राही हवाई अड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त रहेगा।

18.11.3 कहा गया है कि इसके विपरीत अन्यत्र अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद, रियायतग्राही:

(क) भारत सरकार की यूनियन वॉर बुक के प्रावधानों के अनुसार युद्ध, प्राकृतिक आपदा/विपदाओं, आंतरिक अशांति आदि जैसी आपात स्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक सीमा तक, हवाई अड्डे और प्रोजेक्ट सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा;

(ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क से मुक्त, निर्बाध लैंडिंग और पार्किंग सुविधाएँ प्रदान करेगा, और रक्षा प्रचालनों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुविधाओं और उपकरणों को भी प्रदान करेगा;

(ग) सुरक्षा एजेंसियों को आवधिक और अचानक निरीक्षण के लिए हवाई अड्डे तक पहुंच उपलब्ध कराएगा;

(घ) कुंजी प्रबंधकीय कर्मियों (Key Managerial Personnel) में किसी भी पद पर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों के लिए विदेशी नागरिकों को काम पर रखने के लिए प्रासंगिक सरकारी साधनों का अनुमोदन प्राप्त करेगा;

(ङ) ना.वि.सु.ब्यू. (बीसीएस) और ना.वि.म.नि. (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करेगा;

(च) साइट और हवाई अड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए लगाए जाने वाले विदेशी फर्मों की साख का पूर्व सत्यापन प्राप्त करेगा,

(छ) यदि आवश्यक हो तो संबंधित सरकारी साधनों से हवाई अड्डे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमाओं से संबंधित मंजूरी प्राप्त करेगा, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;

(ज) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और चालक दल को संभालने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करेगा जिन्हें आव्रजन (immigration) और सीमा शुल्क (customs) से गुजरना होगा; और

(झ) हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य सेवाओं और पौधों के संगरोध (plant quarantine) के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

18.12 बिजली, दूरसंचार सेवाएँ, पानी और अन्य उपयोगिताएँ

18.12.1 रियायतग्राही, लागू कानूनों के अनुसार शुल्कों के भुगतान पर, हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए आवश्यक बिजली, दूरसंचार सेवाएँ, पानी और अन्य ऐसी उपयोगिताएँ, संबंधित स्थानीय उपयोगिता प्रदाताओं से प्राप्त करेगा।

18.12.2 रियायतग्राही प्रोजेक्ट के प्रयोजनों के लिए बिजली प्राप्त करने, उत्पादन करने या वितरण करने के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

18.13 पर्यावरण लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

18.13.1 रियायतग्राही प्राधिकरण को सहमत और आश्वस्त करता है कि वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हवाई अड्डे और साइट से संबंधित सभी शर्तों का अनुपालन करेगा, और हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के दौरान समय-समय पर जारी की जाने वाली ऐसी अन्य अनुमतियों और अनुमोदनों का पालन करेगा। रियायतग्राही त्रैमासिक आधार पर प्राधिकरण को उसमें बताए गए आवश्यकताओं के अनुसार सभी डेटा और रिपोर्टों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18.13.2 रियायतग्राही संबंधित सरकारी साधन द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित वायु गुणवत्ता, शोर और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए सुविधाएँ और सेवाएँ प्राप्त करेगा तथा संबंधित सरकारी साधनों द्वारा निर्धारित रूप में उक्त डेटा को बनाए रखेगा और अद्यतन करेगा।

18.13.3 रियायतग्राही चरण। पूर्ण होने की तिथि से 1 (एक) वर्ष के भीतर, यह सुनिश्चित करेगा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हवाई अड्डे का पूर्ण पर्यावरण ऑडिट करे और ऐसे ऑडिट की एक प्रति प्राधिकरण को प्रदान करे। ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

18.13.4 पर्यावरण ऑडिट की जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही आगे 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर हवाई अड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जिसमें हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति को प्रबंधित करने के लिए रणनीतियों और कार्यों को निर्धारित किया जाएगा और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो समय के साथ हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

18.13.5 रियायतग्राही पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति की प्रतिवर्ष या संबंधित सरकारी साधन द्वारा निर्धारित ऐसे अंतरालों पर समीक्षा करेगा और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगा। रियायतग्राही

पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में द्विवार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित सरकारी साधन को भी प्रदान करेगा।

18.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और हस्तांतरण तिथि पर, हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति पर्यावरण निकासी और वन निकासी में बताए गए अनुसार सभी सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

18.14 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश

18.14 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर विमान लैंडिंग और समय सारणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, और विमानन कंपनियों के परामर्श से और IATA स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों तथा संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी और/या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए और समय-समय पर निष्पक्ष, उचित और समतापूर्ण तरीके से अद्यतन किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे स्लॉट आवंटित करेगा।

18.15 सुरक्षा आवश्यकताएँ

18.15.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिटों का अनुपालन करेगा और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप होगा, और हमेशा यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर या उसके आसपास दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई या कम से कम संख्या में चोटें, जीवन की हानि या जीवन या संपत्ति को नुकसान हो, भले ही इसमें गलती किसी भी व्यक्ति की हो। विशेष रूप से, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर या उसके आसपास एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा जहाँ तक वे उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं, जबकि सुरक्षित आवाजाही, सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा उपकरण, अग्नि सुरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपायों को शामिल किया जाएगा, और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार निम्नलिखित में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताएँ") का अनुपालन करेगा:

(क) लागू कानून और लागू अनुज्ञा-पत्र;

(ख) इस समझौते के प्रावधान; और

(ग) प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेज और अनुबंध, ना.वि.म.नि. के लागू दिशानिर्देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोड में निहित अन्य प्रासंगिक मानक/दिशानिर्देश।

18.15.2 सुरक्षा आवश्यकताएँ दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उन पर विचार और उचित उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ प्रचालनों, प्रबंधन और विकास के सभी चरणों पर लागू होंगी।

18.15.3 रियायतग्राही विमान के अपहरण के खिलाफ प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों के सुधार और इस समझौते के अनुसार एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्रवाइयों सहित उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, कार्यान्वित और प्रशासित करेगा।

18.15.4 रियायतग्राही सी.ओ.डी. से कार्यात्मक होने के लिए एक हवाई अड्डे सुरक्षा प्रबंधन इकाई ("ASMU") स्थापित करेगा, और अपने एक अधिकारी को एसएसएमयू के प्रभारी के रूप में नामित करेगा। ऐसे अधिकारी के पास इस विषय

पर किसी प्रतिष्ठित संगठन द्वारा आयोजित पाठ्यक्रम में भाग लेकर हवाई अड्डे प्रणाली सुरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण होगा।

18.15.5 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("FIR") की एक प्रति रखेगा। इसके अलावा, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज न किए गए दुर्घटनाओं के सभी मामलों के लिए डेटा भी एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में संक्षेपित किया जाएगा। रियायतग्राही रूट मैप पर प्रत्येक दुर्घटना के सटीक स्थान को भी दर्ज करेगा। उपर्युक्त डेटा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, पिछले लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को टालने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा उठाए गए उपाय शामिल होंगे।

18.15.7 सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न या उनसे संबंधित सभी लागत और खर्च रियायतग्राही द्वारा उठाए जाएंगे, और इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार, वैमानिक शुल्कों का निर्धारण या संशोधन करते समय विनियामक द्वारा हवाई अड्डे के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों के हिस्से के रूप में माने जा सकते हैं।

18.16 रखरखाव मैनुअल

18.16.1 निर्धारित पूर्णता तिथि से 90 (नब्बे) दिन पहले नहीं, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से, विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों में निर्धारित मानकों, लागू कानूनों, ना.वि.म.नि. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप हवाई अड्डे के नियमित और निवारक रखरखाव के लिए एक मरम्मत, प्रचालन और रखरखाव मैनुअल ("रखरखाव मैनुअल") विकसित करेगा और प्राधिकरण को इसकी 5 (पाँच) प्रतियाँ तथा स्वतंत्र अभियंता को 2 (दो) प्रतियाँ प्रदान करेगा। रखरखाव मैनुअल को हर 3 (तीन) साल में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और इस खंड 18.16 के प्रावधान ऐसे संशोधन पर यथासंभव लागू होंगे। इस खंड 18.16 के प्रावधान सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होंगे।

18.16.2 खंड 18.16.1 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रखरखाव मैनुअल में, विशेष रूप से, प्रोजेक्ट परिसंपत्तियों के रखरखाव के प्रावधान शामिल होंगे और यह जीवन चक्र रखरखाव, नियमित रखरखाव और प्रतिक्रियाशील रखरखाव के लिए प्रदान करेगा जो प्रोजेक्ट परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है, जिसमें उनका प्रतिस्थापन भी शामिल है, ताकि उनकी समग्र स्थिति उत्तम उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुरूप हो।

18.17 रखरखाव कार्यक्रम

18.17.1 सी.ओ.डी. पर या उससे पहले और रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से 45 (पैंतालीस) दिन पहले नहीं, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव मैनुअल और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपने प्रस्तावित वार्षिक निवारक, आवश्यक और अन्य अनुसूचित रखरखाव कार्यक्रम ("रखरखाव कार्यक्रम") प्रदान करेगा। ऐसे रखरखाव कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) निवारक रखरखाव अनुसूची;
- (ख) तत्काल मरम्मत करने के लिए व्यवस्था और प्रक्रियाएं;
- (ग) रखरखाव की जरूरतों तय करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड;
- (घ) हवाई अड्डे के सभी तत्वों का निरीक्षण करने के लिए अंतराल और प्रक्रियाएं;
- (ङ) वे अंतराल जिन पर रियायतग्राही आवधिक रखरखाव करेगा;
- (च) सुरक्षा संबंधी उपायों को पूरा करने के लिए व्यवस्था और प्रक्रियाएं; और
- (छ) प्रमुख रखरखाव कार्यों के लिए अंतराल और उनका दायरा।

18.17.2 रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण इसकी समीक्षा करेंगे और रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव मैनुअल और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता के विशेष संदर्भ में रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां देंगे।

18.17.3 रियायतग्राही परिस्थितियों में उचित समझे जाने पर रखरखाव कार्यक्रम को संशोधित कर सकता है, और खंड 18.17.1 और 18.17.2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे संशोधनों पर यथासंभव लागू होगी।

18.18 रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन के लिए हर्जाना

18.18.1 इस घटना में कि रियायतग्राही रखरखाव आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी दोष या कमी को उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर मरम्मत या ठीक करने में विफल रहता है, इसे इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और प्राधिकरण हर्जाने के रूप में वसूल करने का हकदार होगा, जिसकी गणना स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुमानित ऐसे सुधार या मरम्मत की लागत का 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) प्रत्येक दिन की देरी के लिए तब तक भुगतान की जाएगी जब तक उल्लंघन दूर नहीं हो जाता। ऐसे हर्जाने की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें इसकी समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

18.18.2 खंड 18.18.1 में निर्धारित हर्जाने का आकलन और विनिर्देश स्वतंत्र अभियंता द्वारा तुरंत किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, हर्जाने के रूप में एक छोटी राशि की मांग कर सकता है, यदि उसकी राय में, उल्लंघन को तुरंत दूर कर दिया गया है और रियायतग्राही अन्यथा इसके तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा है। रियायतग्राही ऐसे हर्जाने का तुरंत भुगतान करेगा और इस घटना में कि वह ऐसे हर्जाने का मुकाबला करता है, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

18.19 प्राधिकरण का उपचारात्मक उपाय करने का अधिकार

18.19.1 यदि रियायतग्राही रख-रखाव अपेक्षाओं, रख-रखाव नियमावली या रख-रखाव कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, के अनुसार हवाई अड्डे या उसके किसी भाग का रख-रखाव और/या मरम्मत नहीं करता है, और O&M निरीक्षण रिपोर्ट या इस संबंध में प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर, जैसा भी मामला हो, से नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उपाय कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने अधिकारों (इसके समाप्ति सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर ऐसे उपाय करने तथा

रियायतग्राही से अपनी लागत वसूल करने का हकदार होगा। उपर्युक्त लागत की वसूली के अलावा, रियायतग्राही द्वारा ऐसे उपाय की लागत के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि हर्जाने के रूप में प्राधिकरण को भुगतान की जाएगी। इस खंड 18.19.1 के तहत प्राधिकरण का अधिकार खंड 18.18 के तहत प्रदान किए गए उसके अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

18.19.2 प्राधिकरण को एस्क्रो खाते से सीधे खंड 18.19.1 में निर्दिष्ट लागत और हर्जाने की वसूली करने का अधिकार होगा, और रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से यह अधिकार प्रदान करता है, मानो ऐसी लागत और हर्जाने O&M व्यय हों, और उस उद्देश्य के लिए, रियायतग्राही इसके द्वारा एस्क्रो बैंक को इस खंड 18.19.2 के तहत प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार एस्क्रो खाते से भुगतान करने और इसे O&M व्यय में नामे (डेबिट) करने के लिए अपरिवर्तनीय निर्देश देने के लिए सहमत है।

अनुच्छेद 19. प्रचालन एवं रख-रखाव (O&M) सेवाएँ

19.1 विमानन परिसंपत्तियाँ

19.1.1 इस समझौते में प्रदान किए गए को छोड़कर और उसके अतिरिक्त, रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार विमानन परिसंपत्तियों के प्रचालन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व उठाएगा।

19.1.2 रियायतग्राही अनुसूची C में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा डीजीसीए और ICAO या उसके किसी उत्तरवर्ती द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विमानन परिसंपत्तियों का प्रचालन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन परिसंपत्ति स्थल पर उपयोगकर्ताओं, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित विनियमों का हर समय अनुपालन करती है।

19.1.3 इस समझौते में प्रदान किए गए को छोड़कर और उसके अतिरिक्त, रियायतग्राही तीसरे पक्षों द्वारा विमानन परिसंपत्तियों के उपयोग को विनियमित करेगा और लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचानी गई श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तर की सेवाएँ प्रदान करने को इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही विमानों द्वारा संचालन और उपयोग के लिए निर्धारित सभी क्षेत्रों को हर समय बाधा मुक्त रखेगा।

19.1.5 रियायतग्राही, ICAO द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सांकेतिक मानकों के अनुपालन के अधीन, विमानन परिसंपत्तियों के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, संकेत और सिग्नल प्रदान करेगा।

19.1.6 आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक स्थान और पहुंच रियायतग्राही द्वारा खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

19.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ

रियायतग्राही लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, उपयोगकर्ताओं जैसे विमानों, यात्रियों और कार्गो के लिए और उनके संबंध में हवाई अड्डे पर आवश्यक ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा, जिसमें रैंप हैंडलिंग, ट्रैफिक हैंडलिंग, विमान हैंडलिंग, विमान सफाई, लोड करना और अनलोड करना ("ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ") शामिल होगा। ऐसे

बुनियादी ढाँचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार बैगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, सूचना प्रौद्योगिकी बैकबोन और संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी।

19.3 विमान ईंधन भरने की सेवाएँ

रियायतग्राही पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से हवाई अड्डे पर सभी विमानों के लिए समान पहुंच के आधार पर ईंधन भरने की सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा, या प्रदान कराएगा। ऐसे बुनियादी ढाँचे में इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार टैंक फार्म और संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी।

19.4 कार्गो सुविधाएँ

19.4.1 (क) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों, प्रासंगिक ICAO दस्तावेजों और एनेक्स तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार कार्गो सुविधाओं का उन्नयन, विकास, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

(ख) इस खंड 19.4 और खंड 23.5 में प्रदान की गई किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची A में AAICLAS के लिए कार्गो सुविधाएँ निर्धारित की गई हैं, (i) रियायतग्राही उनके प्रचालन, विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही रियायतग्राही इस खंड 19.4 में अन्यत्र निर्धारित दायित्वों से बंधा होगा; और (ii) रियायतग्राही द्वारा AAICLAS को एयरसाइड तक निःशुल्क पहुंच प्रदान की जाएगी।

(ग) यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि, जहां अनुसूची A में AAICLAS के लिए कार्गो सुविधाएँ निर्धारित की गई हैं, वहां हवाई अड्डे पर कार्गो वॉल्यूम की मात्रा, व्यावसायिक क्षमता या AAICLAS के लिए निर्धारित कार्गो सुविधाओं पर ऐसे अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे के प्रभाव के आधार पर भी, रियायतग्राही द्वारा कार्गो सुविधाओं के उन्नयन और/या विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

19.4.2 रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि कार्गो सुविधाओं में इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार पर्याप्त कार्गो और पार्सल स्थान, हैंडलिंग उपकरण, नाशवान कार्गो और खतरनाक वस्तुओं का भंडारण और हैंडलिंग, कार्गो एजेंटों और ग्राहकों के लिए स्थान, निरीक्षण क्षेत्र, कार्यालय स्थान, स्वचालन प्रणालियाँ, स्क्रीनिंग उपकरण, भंडारण सुविधाएँ, तथा मेल हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट के लिए सुविधाएँ शामिल हों;

(ख) इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार कार्गो सुविधाओं का प्रचालन और रख-रखाव करेगा तथा एयरलाइंस और माल भेजने वालों को संबंधित सेवाएँ प्रदान करेगा;

(ग) सांकेतिक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध (क्वारेन्टाइन) और अन्य नामित भारत सरकार की एजेंसियों को, जैसा भी मामला हो, उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार और निःशुल्क प्रचालनात्मक स्थान और अन्य सुविधाएँ प्रदान करेगा;

(घ) उन सभी रणनीतिक स्थानों पर वेब-कैम स्थापित करेगा और अच्छी कार्यशील स्थिति में चालू रखेगा, जहाँ भी कार्गो सुविधाओं को संभाला जा रहा है या किसी भी रूप में निपटा जा रहा है।

19.5 कार्गो सुविधाओं के उपयोग पर प्रतिबंध

19.5.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि मास्टर प्लान कार्गो सुविधाओं के लिए एक क्षेत्र निर्धारित करता है, और ऐसे क्षेत्र का उपयोग केवल कार्गो को संभालने और संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

19.5.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार ही कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से पर भार (एनकम्ब्रेन्स) सृजित करेगा या असाइन करेगा, अन्यथा नहीं।

19.6 टर्मिनल भवन

19.6.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार टर्मिनल भवन के प्रचालन और प्रबंधन का कार्य करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची B में विनिर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.6.2 रियायतग्राही अनुसूची C में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों तथा IATA या उसके किसी उत्तरवर्ती द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार टर्मिनल भवन का प्रचालन करेगा।

19.6.3 रियायतग्राही लागू कानूनों और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार टर्मिनल भवन के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी उपयोगकर्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करेगा। उपयोगकर्ताओं की पहचानी गई श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तर की सेवाएँ प्रदान करने को इसके तहत भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालन और उपयोग के लिए निर्धारित सभी क्षेत्रों को हर समय बाधा मुक्त रखेगा।

19.6.5 रियायतग्राही बैगेज दावा क्षेत्रों की आसान पहुंच के भीतर और टर्मिनल भवन के प्रवेश बिंदुओं पर कुशल बैगेज ट्रॉलियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करेगा और उसका रख-रखाव करेगा। पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि ट्रॉलियों पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

19.6.6 रियायतग्राही, मांग के आधार पर, भुगतान पर उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टर (कुली) सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

19.6.7 रियायतग्राही मास्टर प्लान के अनुसार, टर्मिनल भवन के भीतर निःशुल्क पीने का पानी, बैठने की जगह, प्रतीक्षालय, अधिकतम खुदरा मूल्य पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों के वितरण के लिए वेंडिंग मशीनें आदि से संबंधित सुविधाएँ हर समय प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा।

19.6.8 रियायतग्राही, ICAO द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले सांकेतिक मानकों के अनुपालन के अधीन, उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए और एयरलाइन काउंटर, यात्रा सुविधाओं, सुख-सुविधाओं और कार्गो सुविधाओं तक उनका मार्ग खोजने में सहायता के लिए दिशा-निर्देश, संकेत, सिग्नल, सार्वजनिक घोषणा प्रणालियाँ और पूछताछ काउंटर प्रदान करेगा।

19.6.9 COD से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर IATA सेवा स्तर का इष्टतम स्तर प्राप्त करने के लिए सहमत है और इसका वचन देता है। यदि यह देखा जाता है कि सेवा का स्तर किसी भी तिमाही में पीक आवर्स के दौरान IATA सेवा स्तर के इष्टतम से कम है और रियायतग्राही किसी भी रियायती वर्ष में सेवा स्तर के ऐसे हास की घटना से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं करता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाने का

भुगतान करेगा जिसे तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के लिए शुल्क से कुल राजस्व के 0.5% (शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत) की दर से निर्धारित किया जाएगा।

19.6.10 रियायतग्राही खंड 23.10 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता चार्टर (User Charter) प्रकाशित करेगा और उसे लागू करेगा।

19.7 विशेष सहायता चाहने वाले उपयोगकर्ता

19.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन बुजुर्ग व्यक्तियों, तथा शारीरिक रूप से या दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं और आगंतुकों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करे, जिसमें उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप और ऐसे उपयोगकर्ताओं तथा आगंतुकों को बिना किसी लागत के रैंप मार्ग, संशोधित शौचालय, व्हीलचेयर और विशेष सहायता चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित पार्किंग स्लॉट का प्रावधान शामिल है।

19.7.2 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं को बिना किसी लागत के, टर्मिनल भवन के भीतर चाइल्ड केयर रूम और सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

19.7.3 रियायतग्राही खंड 5.11 में विनिर्दिष्ट तरीके से टर्मिनल भवन के भीतर प्राथमिक चिकित्सा (first aid) सुविधाओं की स्थापना करेगा और उनका प्रचालन करेगा।

19.8 आरक्षित क्षेत्र

19.8.1 निम्नलिखित संस्थाओं या उद्देश्यों के लिए स्थान, टर्मिनल भवन में आरक्षित क्षेत्र का गठन करेगा:

(क) प्राधिकरण;

(ख) सुरक्षा;

(ग) वीआईपी लाउंज;

(घ) आप्रवासन (इमिग्रेशन);

(ङ) सीमा शुल्क (कस्टम्स);

(च) संगरोध (क्वारेन्टाइन); और

(छ) स्वास्थ्य।

19.8.2 आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण संबंधित प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसियों के पास होगा जो उन कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके लिए खंड 19.8.1 के तहत स्थान आरक्षित किया जाएगा या खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए। आरक्षित क्षेत्रों और उन तक पहुंच के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रख-रखाव तक सीमित होंगे, बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना के मामले में इसकी अप्रतिबंधित पहुंच होगी।

19.8.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के भीतर आरक्षित क्षेत्र को अपने स्वयं के खर्च और लागत पर बिजली और पानी की आपूर्ति करेगा।

19.8.4 जिस सीमा तक टर्मिनल भवन में केंद्रीय वातानुकूलन (air conditioning) स्थापित और प्रचालित किया जाता है, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को इसका लाभ देने से मना नहीं करेगा, बशर्ते कि यह दायित्व उन घंटों तक विस्तारित

नहीं होगा जब टर्मिनल भवन के भीतर लाउंज और अन्य सामान्य क्षेत्रों के लिए सामान्य वातानुकूलन बंद कर दिया जाता है।

19.8.5 इस खंड 19.8 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियां, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से को ऐसे नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही को हस्तांतरित कर सकती हैं, जो आपसी सहमति से तय किए जाएं। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसियों, जिसमें इसके द्वारा नामित एजेंसियां शामिल हैं, के साथ सहयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

19.8.6 यदि और जब खंड 19.8.1 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो रियायतग्राही, प्रासंगिक नामित भारत सरकार की एजेंसी के परामर्श से, आपसी सहमति से तय की जाने वाली शर्तों पर आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करेगा।

19.9 वीआईपी लाउंज

रियायतग्राही भारत सरकार, नामित भारत सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार और/या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर रियायतग्राही को सूचित किए जाने वाले अतिथियों और कर्मियों के उपयोग और आराम के लिए टर्मिनल भवन में हर समय वीआईपी लाउंज प्रदान करेगा और उनका रख-रखाव करेगा।

19.10 चेक-इन सेवाएँ

19.10.1 रियायतग्राही प्रस्थान करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए और उनके संबंध में हवाई अड्डे पर चेक-इन सेवाओं के प्रचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा अपने स्वयं के खर्च और लागत पर प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा ("चेक-इन सेवाएँ")। ऐसे बुनियादी ढाँचे में इस समझौते के प्रावधानों, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू डीजीसीए विनियमों, प्रासंगिक ICAO दस्तावेजों और एनेक्स तथा उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार काउंटर, स्व-सेवा चेक-इन कियोस्क, बैगेज कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, IT बैकबोन और संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी।

19.10.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार एयरलाइंस की ओर से और उनके लिए उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएँ प्रदान करेगा या प्रदान कराएगा।

19.10.3 इस खंड 19.10 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही प्रत्येक एयरलाइन को, ऐसी एयरलाइन के विकल्प पर, आपसी सहमति से तय राशि पर रियायतग्राही को सेवा शुल्क के भुगतान पर उस एयरलाइन के उपयोगकर्ताओं को चेक-इन सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

19.11 विशिष्ट क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग

19.11.1 इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही व्यावसायिक उद्देश्यों जैसे यात्रा सुविधाओं, उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधाओं, रेस्तरां, आवास और खुदरा बिक्री के लिए टर्मिनल भवन का उपयोग कर सकता है।

19.11.2 रियायतग्राही खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार ही हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से पर भार (एनकम्ब्रेन्स) सृजित करेगा या असाइन करेगा, अन्यथा नहीं।

19.11.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अनुज्ञप्तिधारी और/या उप-पट्टेदार अत्यधिक शोर या खाना पकाने की गंध सहित सार्वजनिक उपद्रव पैदा न करें; व्यवसाय के लिए ग्राहकों को न लुभाएं (टूटिंग न करें), और बिक्री के लिए नकली सामान न पेश करें, और वे लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपनी-अपनी गतिविधियां संचालित करें।

19.12 पार्किंग

19.12.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, मास्टर प्लान, लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार पार्किंग का विकास, प्रचालन और रख-रखाव करेगा या कराएगा।

19.12.2 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं या आगंतुकों द्वारा पार्किंग के उपयोग को विनियमित करेगा और सभी यात्रियों तथा आगंतुकों को इसकी गैर-भेदभावपूर्ण अनुमति देगा, बशर्ते कि रियायतग्राही खंड 19.12.3(ज) के अनुसार पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क ले सकता है।

19.12.3 रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) यात्री की सुगमता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग स्थल की योजना बनाएगा और प्रवेश तथा निकास इस प्रकार डिज़ाइन किए जाएंगे कि वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि दोपहिया वाहनों, कारों, निजी टैक्सियों, नियमित टैक्सियों, बसों, ऑटोरिक्शा आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान किया जाए;

(ग) अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात भर की पार्किंग जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए पार्किंग प्रदान करेगा;

(घ) आरक्षित पार्किंग के लिए तथा प्राधिकरण, नामित भारत सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग से निःशुल्क पार्किंग स्थान प्रदान करेगा;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, सिवाय विज्ञापन और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं तथा सुख-सुविधाओं के प्रावधान के;

(च) खंड 5.2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार ही पार्किंग के किसी भी हिस्से पर भार (एनकम्ब्रेन्स) सृजित करेगा, अन्यथा नहीं;

(छ) पार्किंग क्षेत्रों सहित हवाई अड्डे पर लागू अग्नि और सुरक्षा मानदंडों के तहत सभी प्रावधानों को प्रदान करेगा और उनका पालन करेगा; और

(ज) ऐसे दरों पर पार्किंग के उपयोग के लिए शुल्क लेगा जो वह अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है।

19.12.4 रियायतग्राही एक आरक्षित पार्किंग ("आरक्षित पार्किंग") का विकास, प्रचालन और रख-रखाव करेगा, और छूट प्राप्त व्यक्तियों तथा वीआईपी लाउंज का उपयोग करने के हकदार व्यक्तियों द्वारा इसके निःशुल्क उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यक्ति भी निःशुल्क पार्किंग के हकदार होंगे:

(क) कानून और व्यवस्था के रख-रखाव में लगे व्यक्ति और जो अपनी आधिकारिक कर्तव्य क्षमता में हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से का दौरा कर रहे हैं;

(ख) अग्निशामक कर्मी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा पर लगे व्यक्ति, अपनी आधिकारिक कर्तव्य क्षमता में; और

(ग) निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपनी आधिकारिक कर्तव्य क्षमता में टर्मिनल भवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति।

19.12.5 रियायतग्राही कार पार्क में हर समय निम्नलिखित में से न्यूनतम सभी सुविधाएँ प्रदान करेगा या कराएगा:

(क) सुविधाजनक स्थानों पर निःशुल्क पेयजल आउटलेट;

(ख) बोतलबंद पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों, गर्म और ठंडे, के लिए सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित फूड स्टॉल/वेंडिंग मशीनें, ऐसे प्रत्येक उत्पाद की कीमत पर जो हवाई अड्डे के बाहर बाजार में प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होगी।

19.12.6 रियायतग्राही, पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के समीप, ड्राइवरों के लिए एक प्रतीक्षालय प्रदान करेगा, जिसमें पार्किंग में पर्याप्त बैठने की सुविधा और शौचालय होंगे तथा यात्रियों और आगंतुकों के लिए टर्मिनल भवन पर अपने संबंधित ड्राइवरों को नामित बिंदुओं पर बुलाने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी प्रदान करेगा। ऐसे विश्राम कक्ष और शौचालय सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगे और ऐसे विश्राम कक्ष, शौचालयों और अन्य सुख-सुविधाओं का उपयोग करने वाले आगंतुकों/ड्राइवरों से ऐसे उपयोग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

19.12.7 रियायतग्राही किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है, जो पार्किंग के लिए निर्धारित या अधिकृत न किए गए स्थान पर पार्क किया गया है, और ऐसे वाहन को पार्किंग में पार्क कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी कारण से वाहन को पार्किंग में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं है, तो वह वाहन को उस स्थान पर या उसके पास निष्क्रिय (immobilise) कर सकता है जहाँ वह पार्क किया गया है। रियायतग्राही ऐसे वाहन के लिए शुल्क वसूलने का हकदार होगा और वाहन को निष्क्रिय करने या उसे पार्किंग में ले जाने की पूर्व-निर्धारित और सहमत लागत के रूप में शुल्क के 5 (पाँच) गुना के बराबर राशि भी शुल्क के रूप में ले सकेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 19.12.7 के प्रावधानों के तहत वाहनों को स्थानांतरित करना या निष्क्रिय करना ऐसे तरीके से किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को नुकसान न पहुंचे।

19.12.8 रियायतग्राही उन वाहनों (निजी या व्यावसायिक) के संबंध में लागू कानूनों का अनुपालन करेगा जो टर्मिनल भवन या कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से से गुजरने के लिए एप्रोच रोड का उपयोग करते हैं।

अनुच्छेद 20. आरक्षित सेवाएँ

20.1 आरक्षित सेवाएँ

20.1.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि केवल नामित भारत सरकार की एजेंसियाँ ही हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएँ ("आरक्षित सेवाएँ") करने के लिए अधिकृत हैं:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाएँ;

(ख) सुरक्षा सेवाएँ;

(ग) मौसम संबंधी (मिटोरियोलॉजिकल) सेवाएँ;

(घ) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएँ;

(ड) सीमा शुल्क नियंत्रण;

(च) आप्रवासन सेवाएँ;

(छ) संगरोध सेवाएँ;

(ज) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य सेवाएँ;

बशर्ते कि, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को रियायतग्राही से ऐसे नियमों और शर्तों पर किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को करने की आवश्यकता से प्रतिबंधित नहीं करेगा जो पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से तय किए जाएं।

20.1.2 प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रदर्शन के लिए किसी भी या सभी नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौते करे। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले खर्च में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि की स्थिति में, प्रासंगिक अवधि के दौरान WPI में वृद्धि के लिए जिम्मेदार किसी भी वृद्धि को छोड़कर, नियामक की पूर्व स्वीकृति के साथ शुल्क में वृद्धि के माध्यम से रियायतग्राही द्वारा वसूल किया जा सकेगा।

20.1.3 जहां आरक्षित सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ताओं से रियायतग्राही द्वारा कोई शुल्क एकत्र किया जाना आवश्यक है, वहां रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार ऐसा करेगा।

20.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएँ

20.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही द्वारा लागू नियमों और शर्तों को पूरा करने पर, रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच अनुसूची Q में निर्धारित प्रपत्र में काफी हद तक एक समझौते के निष्पादन की व्यवस्था करेगा ("सीएनएस/एटीएम समझौता"), जो रियायत अवधि के दौरान हर समय शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य हवाई अड्डों पर समान सेवाओं के लिए लागू समान शर्तों पर और डीजीसीए के निर्देशों के अनुपालन में, हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। यदि सीएनएस/एटीएम समझौते के प्रारूप को इस समझौते की तिथि के बाद लेकिन रियायतग्राही द्वारा इसके निष्पादन से पहले किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा अपने विवेक से बदला या संशोधित किया जाता है, तो रियायतग्राही ऐसे बदले हुए या संशोधित प्रारूप में सीएनएस/एटीएम समझौते को निष्पादित करेगा।

20.2.2 नामित भारत सरकार की एजेंसी, अपने स्वयं के खर्च पर, एनरूट और टर्मिनल एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक कोई भी रडार, उपकरण या सुविधाएँ हवाई अड्डे पर स्थापित कर सकती है और रियायतग्राही इसके संबंध में सभी आवश्यक सिविल बुनियादी ढाँचा और आवश्यक सहायता तथा सहयोग प्रदान करने का वचन देता है।

20.3 हवाई अड्डा सुरक्षा

20.3.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार, नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से, आतंकवाद, अपहरण, तोड़फोड़ और/या इसी तरह के कृत्यों या घटनाओं की रोकथाम सहित हवाई अड्डे पर सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।

20.3.2 रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि हवाई अड्डे, उपयोगकर्ताओं, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों तथा हवाई अड्डे पर अन्य व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रथाएं और प्रक्रियाएं बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

20.3.3 नामित भारत सरकार की एजेंसी हवाई अड्डे का निरीक्षण करने और तलाश लेने तथा स्थल पर प्रवेश करने वाले या वहां से प्रस्थान करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की तलाश लेने की हकदार होगी, बिना हवाई अड्डे के प्रचालनों को अनुचित रूप से बाधित किए।

20.3.4 रियायतग्राही किसी भी नामित भारत सरकार की एजेंसी के कार्यों के परिणामस्वरूप अपने प्रचालनों में व्यवधान या हानि या क्षति के लिए किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा, सिवाय नामित भारत सरकार की एजेंसी के विलफुल या घोर लापरवाही वाले कृत्यों या चूकों के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को छोड़कर।

20.4 पुलिस सहायता

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण रियायतग्राही द्वारा हवाई अड्डे पर पुलिस सहायता चौकी ("पुलिस सहायता चौकी") की स्थापना सहित पुलिस से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा।

20.5 मौसम संबंधी (मिटरियोलॉजिकल) सेवाएँ

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएँ और सेवाएँ नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर प्रदान की जा रही समान शर्तों पर प्रदान की जाएं। रियायतग्राही अपने खर्च और लागत पर, और प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उपकरणों/साधनों की स्थापना और आवश्यक मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा, प्रचालनात्मक क्षेत्र में स्थान या कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा।

20.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय:

(क) सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी को एटीसी सुविधा उपलब्ध कराएगा;

(ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा;

(ग) हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित सभी नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा और हवाई अड्डे के चारों ओर परिधि बाड़ लगाना (perimeter fencing) या अन्य उचित सुरक्षा प्रदान करेगा और उसका रख-रखाव करेगा;

(घ) बीसीएस या नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर उचित रूप से अपेक्षित सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा और उनका रख-रखाव करेगा;

(ङ) हवाई अड्डे के अंदर और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी के किसी भी निर्देश का पालन करेगा और उसे लागू करेगा तथा प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी को

उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले ऐसे कार्यों को करने की अनुमति देगा, बिना हवाई अड्डे के प्रचालनों को अनुचित रूप से बाधित किए;

(च) यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि निम्नलिखित घटनाओं के लिए प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण और जनशक्ति लागू कानूनों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार उपलब्ध होंगे:

- (i) रनवे से अक्षम (disabled) विमान को हटाना;
- (ii) किसी विमान या हवाई अड्डे को बम की धमकी;
- (iii) हवाई अड्डे के अंदर और आसपास विमान दुर्घटनाएं;
- (iv) गैर-अनुसूचित विमान को हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना;
- (v) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
- (vii) हवाई अड्डे पर हड़तालें;
- (viii) नागरिक विमानन में गैर-कानूनी हस्तक्षेप; और
- (ix) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपातकाल;

(छ) इस अनुच्छेद 20 के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में नामित भारत सरकार की एजेंसियों को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा;

(ज) ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उचित रूप से अपेक्षा कर सकती है;

(झ) अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और अन्य ऐसी उपयोगिताओं की निरंतर आपूर्ति प्रदान करेगा जो नामित भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए या अन्यथा, उनके द्वारा अपेक्षित हो सकती हैं; और

(ञ) पक्षकारों के बीच समय-समय पर आपसी सहमति से तय की जाने वाली प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार, आपातकाल की स्थिति को छोड़कर, हवाई अड्डे पर किसी भी बुनियादी ढाँचे या सुविधाओं के प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने के संबंध में 7 (सात) दिन पहले प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को सूचित करेगा।

20.7 आरक्षित क्षेत्र

20.7.1 खंड 19.8 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय, प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को, हवाई अड्डे पर ऐसा आरक्षित क्षेत्र, पहुंच और सुविधाएँ प्रदान करेगा जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाएँ करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए टर्मिनल भवन में कॉनकोर्स में अधिकतम 500 (पाँच सौ) वर्ग फुट का सन्निहित वातानुकूलित स्थान अलग से निर्धारित करेगा और प्रदान करेगा।

20.7.2 आरक्षित क्षेत्र का उपयोग प्राधिकरण या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों द्वारा उस रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा वह उचित समझे, और रियायतग्राही द्वारा रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग या उपलब्धता नहीं होगी। आरक्षित क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रबंधन प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों में निहित होगा, जो उन कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी हैं जिनके लिए ऐसे क्षेत्र को चिह्नित किया गया है या ऐसे कार्यों के समान किसी अन्य उद्देश्य के लिए। आरक्षित क्षेत्र के संबंध में रियायतग्राही के दायित्व और उस तक पहुंच आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा बनने वाले सिविल कार्यों, संरचनाओं और उपकरणों के रखरखाव तक सीमित होगी, बशर्ते कि आपातकाल, आग या अन्य समान घटना के मामले में इस तक उसकी निर्बाध पहुंच होगी।

20.7.3 रियायतग्राही, प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों की पूर्व सहमति के बिना, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को प्रदान की गई पहुंच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा।

20.7.4 इस खंड 20.7 में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र या उसके किसी भी भाग को रियायतग्राही को उन नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित कर सकता है, जो आपसी सहमति से तय किए जाएं। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण प्राप्त करने के लिए, इसके द्वारा नामित एजेंसियों सहित, प्राधिकरण के साथ सहयोग करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

20.7.5 हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार की स्थिति में जिसके लिए आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं को स्थानांतरित करने या पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो, रियायतग्राही तदनुसार प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्तियों को सूचित करेगा, और आपसी सहमति से इसके संबंध में आवश्यक किसी भी संशोधन का निर्धारण करेगा।

20.7.6 ऐसी स्थिति में, आरक्षित क्षेत्र में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है, प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति, रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित क्षेत्र में शामिल स्थान को बढ़ा सकते हैं।

अध्याय 21. संचालन और रखरखाव की निगरानी

21.1 एयरपोर्ट ऑपरेटर का डेटाबेस (AODB)

रियायतग्राही एक एयरपोर्ट ऑपरेशन डेटाबेस ('AODB') स्थापित करेगा जिसमें एक प्रचालन डेटाबेस, संचार परत और विजुअल सिस्टम शामिल होगा जो हवाई अड्डे की विभिन्न प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है। AODB हवाई अड्डे पर सभी प्रचालन डेटा प्रदान करेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकता और टर्मिनल भवन की सेवा के स्तर को परिभाषित करने वाले मापदंडों से संबंधित डेटा शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तथा इस अनुबंध के अनुसरण में प्राधिकरण और/या किसी नामित सरकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित कोई अन्य ऐसी जानकारी भी शामिल होगी। AODB इस अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। AODB प्रणाली रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता के साथ-साथ विभिन्न अनुपालन आवश्यकताओं के लिए रियायतग्राही की सहायता हेतु ऐतिहासिक, वास्तविक समय का डेटा प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। रियायतग्राही आवधिक समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्राधिकरण को AODB तक पहुंच प्रदान करेगा।

21.2 स्थिति रिपोर्ट (Status Reports)

21.2.1 रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7 (सात) दिन के भीतर, प्राधिकरण को स्वीकार्य एक रूप में, प्राधिकरण को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें हवाई अड्डे की स्थिति का उचित विवरण होगा, जिसमें सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन या अन्यथा और किसी भी घटना के घटित होने का विवरण शामिल होगा, और प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी तुरंत दी जाएगी। विशेष रूप से, ऐसी रिपोर्ट में उन कमियों और कमियों को अलग से पहचाना जाएगा और उचित विवरण में बताया जाएगा जिनके सुधार की आवश्यकता है।

21.2.2 रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 10 (दस) दिन के भीतर, प्राधिकरण को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:

क. तिमाही में प्राप्त प्रमुख निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators), यदि कोई हो, तो विफलताओं के कारणों के विश्लेषण और उन्हें सुधारने के प्रस्तावों के साथ;

ख. आगामी तिमाही में अपेक्षित प्रमुख प्रचालन बाधाएं और डिलिवरेबल्स, उन्हें दूर करने और हवाई अड्डे के प्रचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों के साथ;

ग. तिमाही के लिए प्रमुख वित्तीय पैरामीटर, त्रैमासिक बजट के मुकाबले बेंचमार्क किए गए, कमी के कारण, यदि कोई हों, और उन्हें सुधारने के प्रस्ताव; और

घ. आगामी तिमाही के लिए त्रैमासिक बजट, हवाई अड्डे की सुविधा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीतियों के साथ।

21.2.3 रियायतग्राही आवधिक आधार पर निम्नलिखित रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा:

क. त्रैमासिक गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमान आवाजाही आदि);

ख. त्रैमासिक वित्तीय विवरण;

ग. वार्षिक बजट;

घ. मास्टर प्लान का नवीनतम अद्यतन;

ङ. परिसंपत्ति रखरखाव कार्यक्रम;

च. अन्य प्रचालन आँकड़े जो भारत सरकार, राज्य सरकार, नागर विमानन मंत्रालय, ना.वि.म.नि., प्राधिकरण, आई.सी.ए.ओ. या IATA सहित किसी भी सरकारी उपकरण द्वारा अपेक्षित हो सकते हैं; और

छ. हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में ऐसी अन्य रिपोर्ट/सूचना (या उसका विश्लेषण) जो प्राधिकरण समय-समय पर अनुरोध कर सकता है।

21.3 सेवा स्तर की निगरानी (Service Level Monitoring)

रियायतग्राही:

क. पूरी रियायत अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर यातायात प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी करेगा और हवाई अड्डे पर सेवा के स्तर की नियमित रूप से जांच करेगा;

ख. सी.ओ.डी. प्राप्त करने के बाद, हवाई अड्डे पर विमान में सवार होने और विमान से उतरने वाले पीक ऑवर्स के यात्रियों की नियमित रूप से निगरानी करेगा और उनकी गिनती करेगा;

ग. प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7वें (सातवें) दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा: (i) यह पुष्टि करते हुए कि पिछली तिमाही (या उसके किसी भाग) के दौरान हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर कभी भी IATA सेवा के स्तर के इष्टतम से नीचे नहीं गिरा या उन तारीखों या समय की अवधि का वर्णन करते हुए जिनके दौरान हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर IATA सेवा के स्तर के इष्टतम से नीचे गिर गया, और (ii) रिपोर्टिंग तिमाही में हवाई अड्डे पर अनुमानित सेवा के स्तर के अपने विश्लेषण (किसी भी और सभी सहायक डेटा के साथ) को निर्धारित करना, जिसमें समय की कोई भी अवधि शामिल है जब हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर IATA सेवा के स्तर के इष्टतम से नीचे गिरने का अनुमान है; और

घ. प्राधिकरण को लिखित रूप में तुरंत सलाह देगा, यदि वह अन्यथा निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे पर सेवा के स्तर का अनुमान है कि किसी भी समय IATA सेवा के स्तर के इष्टतम से नीचे गिर जाएगा या गिर गया है और ऐसे निर्धारण से संबंधित कोई भी और सभी डेटा ऐसे विचलन के लिए शमन योजना के साथ प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

21.4 असामान्य घटना की रिपोर्ट (Reports of Unusual Occurrence)

रियायतग्राही, प्रत्येक दिन की समाप्ति से पहले, फैक्स और ई-मेल द्वारा, प्राधिकरण और नामित सरकारी एजेंसी को एक रिपोर्ट अधिसूचित करेगा जिसमें उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित हवाई अड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं का विवरण होगा। ऐसी रिपोर्टों का साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और महीने की समाप्ति के बाद 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 21.4 के प्रयोजनों के लिए, हवाई अड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;

ख. क्षतिग्रस्त या विस्थापित निश्चित उपकरण;

ग. हवाई अड्डे पर कोई क्षति या बाधा, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में मंदी आती है;

घ. रनवे, एप्रन या टैक्सीवे पर कोई क्षति या बाधा;

ङ. हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ जिसके कारण निर्धारित विमान संचालन में अनुचित देरी होती है या टर्मिनल भवन में भीड़भाड़ होती है;

च. एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या दोष;

छ. आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई बाधा या अत्यधिक भीड़;

ज. हवाई अड्डे पर बिजली की आपूर्ति या पानी की आपूर्ति में रुकावट या विफलता;

झ. टर्मिनल भवन में एयर कंडीशनिंग सुविधाओं में रुकावट या विफलता;

ञ. हवाई अड्डे पर किसी भी बंद सर्किट टेलीविजन प्रणाली का अक्षम होना;

ट. हवाई अड्डे के संचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;

ठ. प्रचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे में या उसके आस-पास पक्षियों के टकराने, पक्षियों के पास टकराने या पशु उपद्रव की कोई घटना;

ड. हवाई अड्डे पर चोरी या डकैती की कोई घटना;

ढ. हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन की कोई घटना;

ण. धुआँ या आग, हवाई अड्डे में बाढ़;

त. किसी भी परियोजना सुविधा को पर्याप्त क्षति या विनाश; और

थ. ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से अपेक्षित हो सकती है।

21.5 निरीक्षण (Inspection)

प्राधिकरण या उसकी नामित एजेंसी, यदि आवश्यक हो, रियायतग्राही को पूर्व सूचना के साथ वर्ष में कम से कम एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकती है। यह ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("O&M निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा जिसमें इस अनुबंध की आवश्यकताओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक ICAO और IATA मानकों, विनियामक द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुपालन का उचित विवरण दिया जाएगा, किसी भी दोष या कमियों को बताया जाएगा, और ऐसे निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को इसकी एक प्रति भेजी जाएगी।

21.6 उपचारात्मक उपाय (Remedial Measures)

21.6.1 रियायतग्राही खंड 21.5 में संदर्भित O&M निरीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित दोषों या कमियों, यदि कोई हो, की मरम्मत या सुधार करेगा और O&M निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को इसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, बशर्ते कि जहां ऐसे दोषों या कमियों को सुधारने में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक का समय लगने की संभावना है, रियायतग्राही इस अनुबंध के अनुरूप ऐसे कार्य पूरे होने तक हर हफ्ते मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

21.6.2 प्राधिकरण रियायतग्राही से यह सुनिश्चित करने के लिए अपने खर्च पर परीक्षण कराने या कराने की अपेक्षा करेगा कि ऐसे उपचारात्मक उपायों ने हवाई अड्डे को इस अनुबंध के अनुपालन में ला दिया है और इस खंड 21.6 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हवाई अड्डा इस अनुबंध के अनुरूप नहीं हो जाता।

21.7 प्रबंधन तक पहुंच (Access to Management)

प्राधिकरण रियायतग्राही को उचित सूचना देने के बाद उचित समय पर हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधन स्टाफ और अन्य प्रासंगिक अधिकारियों और कर्मचारियों तक समय-समय पर उचित पहुंच का हकदार होगा।

21.8 सिटी साइड विकास (City Side Development)

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अध्याय 21 की कोई भी बात सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगी।

अध्याय 22. यातायात विनियमन और जनगणना

22.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन (Traffic Regulation by the Concessionaire)

22.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार और लागू कानूनों के तहत इस behalf में सशक्त नामित भारत सरकार की एजेंसियों या उसके विकल्प की निगरानी और नियंत्रण के अधीन हवाई अड्डे के भीतर और हवाई अड्डे पर आने वाली सड़कों पर vehicular यातायात को विनियमित करेगा।

22.1.2 रियायतग्राही अच्छी उद्योग प्रथा के आधार पर एक ऐसी प्रणाली विकसित और प्रचारित करेगा, ताकि हवाई अड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ताओं की श्रेणी के साथ भेदभाव न किया जाए या अनुचित रूप से पक्षपात न किया जाए।

22.1.3 रियायतग्राही को सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएँ प्रदान करते हुए सामान्य वाहक आधार पर हवाई अड्डे का प्रबंधन, संचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व है।

22.2 जनगणना (Census)

रियायतग्राही हवाई अड्डे के माध्यम से एयरसाइड और लैंड साइड यात्रियों और कार्गो यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगा। ऐसे डेटा का एक मासिक विवरण संकलित किया जाएगा और प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रारूप में रियायतग्राही द्वारा तुरंत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में अन्य बातों के अलावा दैनिक आधार पर पीक ऑवर यात्रियों की संख्या, विमान की आवाजाही और कार्गो टन भार शामिल होगा।

22.3 कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क (Computer Systems and Network)

रियायतग्राही यातायात के कुशल और पारदर्शी विनियमन और प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्राधिकरण, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के नेटवर्क के साथ चौबीसों घंटे कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम स्थापित, संचालित और रखरखाव करेगा। इस उद्देश्य के लिए, यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ('EDI') के लिए ऐसे प्रोटोकॉल का पालन करेगा जो प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकती है। यह सहमति है कि EDI की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप होने के लिए खंड 28.9 में निर्दिष्ट फॉर्म को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

अध्याय 23. प्रमुख निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators)

23.1 प्रमुख निष्पादन संकेतक (Key Performance Indicators)

23.1.1 इस अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, रियायतग्राही हवाई अड्डे का संचालन करेगा ताकि यह इस अध्याय 23 में निर्दिष्ट निष्पादन संकेतकों और अनुसूची H ("प्रमुख निष्पादन संकेतक") में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करे या उससे अधिक हो।

23.1.2 रियायतग्राही यहाँ अनुसूची H के तहत पहचाने गए मापदंडों पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और माप करेगा। रियायतग्राही माप तंत्र और माप आवृत्ति/आवधिकता पर विवरण प्रदान करते हुए एक निष्पादन माप योजना प्रस्तुत करेगा। निष्पादन माप योजना रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों, विनियामक फ्रेमवर्क और अनुसूची H के तहत प्रदान किए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

23.2 वैमानिकी परिसंपत्तियों का संचालन (Operation of Aeronautical Assets)

23.2.1 रियायतग्राही वैमानिकी परिसंपत्तियों का संचालन करेगा ताकि, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, यह इस खंड 23.2 और अनुसूची H में निर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.2.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, प्रासंगिक ICAO मानकों, डीजीसीए के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव करेगा।

23.3 टर्मिनल भवन का संचालन (Operation of Terminal Building)

23.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का संचालन और रखरखाव करेगा ताकि, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, यह इस खंड 23.3 और अनुसूची H में निर्दिष्ट प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.3.2 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि:

क. टर्मिनल भवन और उसके शौचालय साफ, स्वच्छ और गंधमुक्त हैं;

ख. अनुसूची C के अनुसार विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप टर्मिनल भवन के भीतर पर्याप्त रोशनी है;

ग. अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार बाहरी तापमान के संबंध में टर्मिनल भवन के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाता है;

घ. सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, परिसंचरण क्षेत्र और vehicular यातायात इस तरह से प्रबंधित किए जाते हैं कि 95% समय के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय वाली कोई कतार न हो; और

ङ. सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था कुशलता से काम करती है और उनकी उपलब्धता 98% (अठानवे प्रतिशत) से कम नहीं है।

च. कार्यालय के घंटों और निर्धारित प्रचालन समय के दौरान सभी फोन कॉलों में से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) का उत्तर 30 (तीस) सेकंड के भीतर दिया जाता है।

23.4 वाहन पार्किंग का संचालन (Operation of Vehicle Parking)

23.4.1 रियायतग्राही पार्किंग का संचालन और प्रबंधन करेगा ताकि, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, यह प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.4.2 रियायतग्राही, सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि:

क. वाहन पार्क में प्रवेश से लेकर खाली स्लॉट में पार्किंग तक लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क भुगतान का समय भी शामिल है, उसके कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा;

ख. पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार तक जाने में लगने वाला औसत समय, जिसमें शुल्क भुगतान का समय भी शामिल है, उसके कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा; और

ग. अंतरिक्ष और उपकरणों का प्रावधान, और उसका उपयोग, ऐसा है कि अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप वाहनों का संचालन सुरक्षित और कुशल है।

23.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग साफ रखी जाए और पर्याप्त रोशनी हो।

23.4.4 रियायतग्राही पार्किंग में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करेगा और उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखेगा।

23.5 कार्गो सुविधाओं का संचालन (Operation of Cargo Facilities)

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुबंध के खंड 19.4 के अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा विकसित, संचालित और अनुरक्षित कार्गो सुविधाएँ:

क. साफ रखी जाती हैं और पर्याप्त रोशनी होती है;

ख. अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सुविधा प्रदान करती हैं और संचालित करती हैं;

ग. ऐसी कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को अच्छी उद्योग प्रथाओं के तुलनीय कुशल और किफायती सेवाएँ प्रदान करती हैं;

घ. कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालय प्रदान करती हैं और उन्हें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखती हैं।

23.6 आईएसओ प्रमाणन (ISO Certification)

23.6.1 रियायतग्राही, चरण I पूर्ण होने की तिथि से 24 (चौबीस) महीनों के भीतर, QMS ISO 9001:2008, EMS ISO 14001:2004 और OHSAS ISO 18001:2007 प्रमाणन और अन्य लागू प्रमाणन या उसके विकल्प को प्राप्त करेगा और उसके बाद पूरी रियायत अवधि के दौरान बनाए रखेगा, हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं के लिए जो रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं, और तुरंत प्राधिकरण को इसकी एक प्रमाणित प्रति प्रदान करेगा।

23.6.2 खंड 23.6.1 में निर्दिष्ट प्रमाणन प्राप्त करने में चूक होने की स्थिति में, रियायतग्राही, उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को एक कार्य योजना प्रस्तुत करेगा जो रियायतग्राही द्वारा अपनी कमियों को सुधारने और हवाई अड्डे की सभी सुविधाओं के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित करती है।

23.6.3 यदि इस खंड 23.6 के तहत ISO प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि 3 (तीन) महीने की निरंतर अवधि से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही उपर्युक्त 3 (तीन) महीने की अवधि से आगे चूक के प्रत्येक 1 (एक) महीने के लिए शुल्क से कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान प्राधिकरण को हर्जाने के रूप में करेगा।

23.7 लक्ष्य रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Target Rating and User Survey)

23.7.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ("ACI") या उसके किसी विकल्प द्वारा किए जाने वाले ASQ के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में भाग लेगा, जो हर तिमाही आयोजित किया जाता है और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा सी.ओ.डी. से 5 (पाँच) वर्ष के भीतर ऐसे सर्वेक्षण में दुनिया में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20 (बीस) प्रतिशत के भीतर 5.0 (पाँच) में से कम से कम 4.5 (चार दशमलव पाँच) की रेटिंग प्राप्त करता है और बनाए रखता है और बाकी रियायत अवधि के दौरान इसे बनाए रखता है।

23.7.2 रियायतग्राही, प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, तुरंत पिछली तिमाही के लिए ASQ के उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रदान करेगा, साथ ही परिणामों के अपने विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए यह जो भी कार्रवाई करने का प्रस्ताव करता है, उसके साथ।

23.7.3 खंड 23.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अलावा, प्राधिकरण, अपनी लागत और खर्च पर, रियायतग्राही द्वारा इस अध्याय 23 के प्रावधानों के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बार उपयोगकर्ता संतुष्टि का एक नमूना सर्वेक्षण ("उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण") आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र

विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम वस्तुनिष्ठ है और उपयोगकर्ताओं के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। यह सहमति है कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण को डिजाइन करने में, प्राधिकरण अच्छी उद्योग प्रथा पर भरोसा करेगा और समय-समय पर किए जाने वाले इसी तरह के सर्वेक्षणों के अनुरूप होगा जैसे कि अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्तमान में आयोजित ASQ के सर्वेक्षण।

23.7.4 इस घटना में कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, और सेवाओं को औसत से कम के रूप में रैंक करते हैं, प्राधिकरण विनियामक फ्रेमवर्क के तहत उचित ऐसी कार्रवाई करने के लिए ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्षों को विनियामक को रिपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की लागत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

23.8 स्थिति रिपोर्ट (Status Report)

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7 (सात) दिनों से बाद में नहीं, इस अध्याय 23 और अनुसूची H में निर्दिष्ट सभी प्रमुख निष्पादन संकेतकों के अनुपालन को उचित विवरण में बताने वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ ही विफलता के कारणों के विश्लेषण, यदि कोई हो, और इसे संबोधित करने और अन्यथा हवाई अड्डे के प्रचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए रणनीतियों के साथ। रिपोर्ट में खंड 23.9 के अनुसार गणना किए गए हर्जाने की मात्रा का निर्धारण शामिल होगा।

23.9 प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जाना (Damages for Shortfall in Performance)

रियायतग्राही इस अध्याय 23 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख निष्पादन संकेतक के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा और एक तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए, यह हर्जाने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा कोई भी हर्जाना विनियामक के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी शुल्कों के मुकाबले समायोजित किया जाएगा।

23.10 उपयोगकर्ता चार्टर (User Charter)

रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करने वाले एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") को अनुसूची J में निर्दिष्ट रूप में काफी हद तक प्रकाशित और कार्यान्वित करेगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हर समय उपयोगकर्ताओं के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा।

23.11 प्रमुख निष्पादन संकेतकों से छूट (Excuse from Key Performance Indicators)

रियायतग्राही को किसी भी प्रमुख निष्पादन संकेतक के अनुरूप होने में अपनी चूक के लिए माफ कर दिया जाएगा यदि ऐसी चूक यहाँ अपने दायित्वों को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता के कारण है।

प्रौद्योगिकी, उपयोगकर्ता आवश्यकताओं आदि में परिवर्तन के साथ, रियायतग्राही के साथ-साथ प्राधिकरण अनुसूची H में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और मानकों में परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकता है ताकि हवाई अड्डे के प्रदर्शन से प्रासंगिक नए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की जा सके और उचित प्रदर्शन उपाय निर्धारित किए जा सकें, मौजूदा संकेतकों के लिए प्रदर्शन मानकों को संशोधित किया जा सके, या नवीनतम विकास/उन्नति के अनुरूप संकेतकों के लिए माप तंत्र को अद्यतन किया जा सके।

दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा ऐसे परिवर्तनों का प्रस्ताव करने पर, प्राधिकरण ऐसे प्रस्ताव पर विनियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श करेगा। पक्ष ऐसे परामर्शों के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों के साथ-साथ विनियामक और उपयोगकर्ताओं के परामर्श से इनपुट पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे।

ऐसी बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण विनियामक और/या उपयोगकर्ताओं से परामर्श इनपुट को शामिल करने के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव में किसी भी समायोजन का प्रस्ताव करेगा, साथ ही प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की टिप्पणियों के साथ-साथ विनियामक और उपयोगकर्ताओं के परामर्श से इनपुट भी शामिल होंगे। प्राधिकरण तदनुसार रियायतग्राही को अनुसूची H में प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना देगा। ऐसे परिवर्तनों को अनुबंध के भाग के रूप में शामिल किया गया माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को ऐसी सूचना की तिथि के कम से कम 60 (साठ) दिन बाद कैलेंडर तिमाही की शुरुआत से लागू हो जाएगा।

इस खंड 23.11 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी अंतर या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

23.12 विनियामक द्वारा प्रदर्शन मानकों की समीक्षा (Review of Performance Standards by the Regulator)

इस अध्याय 23 में इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, विनियामक समय-समय पर प्रमुख निष्पादन संकेतकों की पूर्ति के संबंध में रियायतग्राही के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है और विनियामक फ्रेमवर्क के तहत अपनी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग में आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे निर्देश जारी कर सकता है।

23.13 सिटी साइड विकास (City Side Development)

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अध्याय 23 की कोई भी बात सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी।

अनुच्छेद 24: स्वतंत्र इंजीनियर

24.1 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति

24.1.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही, अनुसूची क में निर्धारित चयन मानदंडों के अनुसार काफी हद तक एक परामर्शदाता इंजीनियरिंग फर्म को इस करार के तहत स्वतंत्र परामर्शदाता ("स्वतंत्र इंजीनियर") के रूप में नियुक्त करेंगे। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति अनुसूची क के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

24.1.2 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति इस करार के निष्पादन की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या रद्दीकरण पर, प्राधिकरण अनुसूची क के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) वर्ष की एक और अवधि के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा, और ऐसी प्रक्रिया प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद दोहराई जाएगी।

24.2 कर्तव्य और कार्य

24.2.1 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची ख में निर्धारित संदर्भ की शर्तों के अनुसार काफी हद तक अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

24.2.2 स्वतंत्र इंजीनियर, अनुसूची ख में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम हर महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा।

24.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर को और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी संचारों की एक सही प्रति स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

24.2.4 स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी संचार प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगे।

24.3 पारिश्रमिक

24.3.1 स्वतंत्र इंजीनियर का पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा, और ऐसा समस्त पारिश्रमिक, लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किया जाएगा। स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई किसी भी राशि को विनियामक द्वारा विमानन शुर्को के निर्धारण हेतु पास-थ्रू के रूप में माना जाएगा।

24.4 नियुक्ति की समाप्ति

24.4.1 प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल अनुच्छेद 24.1 के अनुसार किसी अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति के बाद ही।

24.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि स्वतंत्र इंजीनियर निष्पक्ष, कुशल और मेहनती तरीके से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को एक लिखित अभ्यावेदन दे सकता है और स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की समाप्ति की मांग कर सकता है। ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस घटना में कि इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है, प्राधिकरण अनुच्छेद 24.1 के अनुसार तुरंत किसी अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा।

24.5 विवाद समाधान

यदि कोई पक्ष स्वतंत्र इंजीनियर की किसी सलाह, निर्देश, निर्णय या दिशा-निर्देश, या यथास्थिति, अधिकार क्षेत्र का दावा करने या दावा करने में विफलता पर विवाद करता है, तो विवाद का निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

24.6 अंतरिम व्यवस्था

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने किसी स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की है, या इस प्रकार नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर ने अपने कार्यों को त्याग दिया है या उनके निर्वहन में व्यतिक्रम किया है, प्राधिकरण अंतरिम रूप से, इस करार के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है, सिवाय इसके कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र इंजीनियर के लिए और उसके संबंध में इस करार में विनिर्दिष्ट अनुमोदन से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों का निर्वहन तब किया जाएगा जब इस करार के प्रावधानों के अनुसार कोई स्वतंत्र इंजीनियर नियुक्त किया जाता है। तथापि, प्रदान किया गया है कि इस अनुच्छेद 24.6 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी तरह से इस करार के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के प्राधिकरण के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 25: नगर पार्श्विक विकास (सिटी साइड डेवलपमेंट)

25.1 नगर पार्श्विक का विकास

25.1.1 रियायतग्राही, अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित शर्तों के अधीन, अनुसूची क में विनिर्दिष्ट भूमि पर नगर पार्श्विक विकास करने का हकदार होगा, और ऐसे विकास का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शोषण करने का अधिकार होगा, जिसमें समझौता (समझौतों) के माध्यम से इसके किसी भी या सभी भागों को उप-पट्टे पर देने का अधिकार होगा, जिसे समझौते के मूल्य के बावजूद और इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, एक प्रोजेक्ट करार के रूप में पहचाना जाएगा।

25.1.2 रियायतग्राही अपनी लागत पर और इस करार के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार नगर पार्श्विक विकास के हिस्से के रूप में सड़कों, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, मलजल (सीवेज) और जल निकासी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढाँचे के विकास और रखरखाव को शुरू करेगा या शुरू करवाएगा।

25.2 नगर पार्श्विक विकास का प्रचालन और रखरखाव

रियायतग्राही नगर पार्श्विक विकास के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में इस करार के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथा का अनुपालन करेगा और इस करार, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन इसका व्यावसायिक उपयोग करेगा।

25.3 लागत, कर और राजस्व

25.3.1 वाणिज्य प्रचालन तिथि (सी.ओ.डी.) से और उस पर, संपत्ति पर करों सहित, नगर पार्श्विक विकास से संबंधित सभी लागतें, व्यय, कर, शुल्क और प्रभार रियायतग्राही द्वारा उठाए जाएंगे या, यथास्थिति, प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास से उत्पन्न होने की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा देय संपत्ति पर कोई भी कर, लागू कानूनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा और प्राधिकरण से आवश्यक विवरण के साथ नोटिस प्राप्त होने की 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

25.3.2 नगर पार्श्विक विकास से प्राप्त होने वाला समस्त राजस्व इस करार और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा विनियोजित किया जाएगा।

25.4 नगर पार्श्विक विकास और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध

25.4.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि नगर पार्श्विक विकास और इसका भूमि उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप हो और निम्नलिखित का निर्माण शामिल न हो:

क. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत प्रदूषक उद्योग;

ख. आवासीय इकाइयां, समूह आवास समितियां, या किसी भी प्रकार का आवासीय विकास; और

ग. विमान प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि।

25.4.2 रियायतग्राही इस अनुच्छेद 25.4.1 के तहत विनिर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास शुरू करेगा।

25.4.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वह अनुच्छेद 25.6 के प्रावधानों के अनुसार ही नगर पार्श्विक विकास के किसी भी हिस्से पर उप-पट्टा, समनुदेशन नहीं करेगा या किसी भी तरह से भार (एन्कम्ब्रेंस) सृजित नहीं करेगा।

25.5 तल क्षेत्र अनुपात (एफएसआई) पर प्रतिबंध

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन, नगर पार्श्विक विकास का तल क्षेत्र अनुपात (एफएसआई) लागू कानूनों के तहत स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। नगर पार्श्विक विकास पर बनाई जाने वाली किसी भी संरचना की ऊंचाई हवाई अड्डे के निकट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, यथास्थिति, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा सामान्य रूप से विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। एफएसआई की गणना मास्टर प्लान में नगर पार्श्विक विकास के रूप में चिह्नित कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में की जाएगी, लेकिन सड़कों, पार्को और अन्य सामान्य सुविधाओं तथा सुख-सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर।

25.6 नगर पार्श्विक विकास का उप-पट्टा

25.6.1 अनुच्छेद 5.2 और इस अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही नगर पार्श्विक विकास से जुड़ी परियोजना परिसंपत्तियों को उप-पट्टे पर दे सकता है ताकि ऐसे उप-पट्टा की अवधि और वैधता अनुच्छेद 25.7 में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे न बढ़े।

25.6.2 इस करार में अंतर्विष्ट किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही नगर पार्श्विक विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति को उप-पट्टे पर दे सकता है, समनुदेशित कर सकता है या किसी भी तरह से भार सृजित कर सकता है।

25.6.3 रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि नगर पार्श्विक विकास का हिस्सा बनने वाली किसी भी परियोजना परिसंपत्ति पर किसी भी उप-पट्टा, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में, वह मासिक शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है, और वह किसी भी अन्य राशि को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह सुरक्षा, जमा, ऋण, अग्रिम के रूप में हो या किसी अन्य शीर्ष के तहत हो, जो ऐसे उप-पट्टा, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में शुल्क, प्रभार, किराया या राजस्व हिस्से के रूप में अगले 3 (तीन) वर्षों के लिए रियायतग्राही को देय भुगतान से अधिक हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि किसी भी उप-पट्टा, समनुदेशन या अन्य भार के लिए उसे देय प्रतिफल रियायत अवधि के दौरान समान रूप से उपार्जित होगा और तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 25 में कुछ भी रियायतग्राही को रियायत अवधि के दौरान अनुदान प्राप्तकर्ता के राजस्व या लाभ में उतार-चढ़ाव के अनुपात में प्रतिफल के संपूर्ण या किसी भी हिस्से को समायोजित करने या ऐसे प्रतिफल में वार्षिक वृद्धि विनिर्दिष्ट करने से नहीं रोकेगा।

25.6.4 इस अनुच्छेद 25.6 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

25.7 समाप्ति पर प्रतिपक्ष के अधिकार

25.7.1 पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि रियायतग्राही, अपने विवेक से, ऐसे समझौते, अनुबंध, उप-पट्टा, उप-अनुज्ञाप्ति और कोई अन्य महत्वपूर्ण समझौते या अनुबंध कर सकता है, जो रियायतग्राही द्वारा नगर पार्श्विक विकास से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के साथ किए

जा सकते हैं (भले ही अनुबंध का प्रतिफल वार्षिक रूप से 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से कम हो) अनुच्छेद 3.1.1 के तहत अनुमत अधिकतम अवधि तक।

25.7.2 पक्ष आगे सहमत हैं कि ऐसी अधिकतम अनुमत अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की स्थिति में, अनुच्छेद 25.7.1 में संदर्भित अनुबंधों का कार्यकाल ऐसे जारी रहेगा जैसे कि अनुबंध प्राधिकरण द्वारा किए गए थे, और प्राधिकरण, प्रत्येक अनुबंध की शेष अवधि के लिए, ऐसे अनुबंध में प्रवेश करके अनुबंध का अनुदानकर्ता माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि रियायत अवधि 50 (पचास) वर्ष है और रियायत करार ऐसी अवधि से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसा अनुबंध ऐसे अनुबंध में विनिर्दिष्ट अवधि या वाणिज्य प्रचालन तिथि की 50वीं (पचासवीं) वर्षगांठ, जो भी पहले हो, तक विस्तारित होगा।

25.8 लागू कानूनों का अनुपालन

रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि वह, नगर पार्श्विक विकास के संबंध में, हर समय लागू कानूनों और भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुली जगहों, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, मलजल और अन्य समान मामलों से संबंधित उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों का अनुपालन करेगा।

25.9 व्यावसायिक विज्ञापन या प्रदर्शन

रियायतग्राही लागू कानूनों और इस करार के प्रावधानों के अनुरूप नगर पार्श्विक विकास पर व्यावसायिक विज्ञापन या प्रदर्शन शुरू कर सकता है या करवा सकता है।

भाग IV: वित्तीय अनुबंध

अनुच्छेद 26: वित्तीय समापन (फाइनेंशियल क्लोज)

26.1 वित्तीय समापन

26.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह इस करार के निष्पादन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समापन प्राप्त करेगा और देरी की स्थिति में, वह निष्पादन की तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले ऐसे विस्तार की मांग करने के कारणों का वर्णन करने वाले एक लिखित अनुरोध को प्रस्तुत करने और देरी के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि के हर्जाने का प्राधिकरण को भुगतान करने के अधीन, 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली एक और अवधि का हकदार होगा, बशर्ते कि यहाँ विनिर्दिष्ट हर्जाना हर हफ्ते अग्रिम रूप से देय होगा और उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से परे की अवधि केवल इस प्रकार भुगतान किए गए हर्जाने की सीमा तक ही दी जाएगी, बशर्ते आगे यह भी कि यदि वित्तीय संमुनन में ऐसी देरी अनुच्छेद 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में प्राधिकरण द्वारा किसी व्यतिक्रम या देरी के परिणामस्वरूप या यथास्थिति बल माजेर (अवरोधक घटना) के कारण हुई है तो कोई हर्जाना देय नहीं होगा। रियायतग्राही द्वारा यहाँ देय हर्जाना अनुच्छेद 4.2 के प्रावधानों के तहत देय और शोध हर्जाने, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा।

26.1.2 रियायतग्राही, वित्तीय समापन के घटित होने पर, तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा, और रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए इसके तहत निष्पादित वित्तीय करारों की 3 (तीन) सही प्रतियां प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

26.2 वित्तीय समापन प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति

26.2.1 इस करार में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन अनुच्छेद 32.6.1 के अधीन, इस घटना में कि अनुच्छेद 26.1.1 में निर्धारित अवधि के भीतर या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर या पक्षों के बीच अन्यथा सहमति होने के अलावा, किसी भी कारण से वित्तीय समापन नहीं होता है, इस करार के तहत या इससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, विशेषाधिकार, दावे और हकदारी को रियायतग्राही की सहमति से माफ कर दिया गया माना जाएगा और समाप्त हो गए माना जाएगा और यह करार पक्षों की आपसी सहमति से समाप्त कर दिया गया माना जाएगा। तथापि, बशर्ते कि इस घटना में कि पक्षों ने आपसी सहमति से वाणिज्य प्रचालन तिथि को वित्तीय समापन से पहले होने का निर्धारण किया है, इस अनुच्छेद 26.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

26.2.2 अनुच्छेद 26.2.1 के तहत समाप्ति पर, प्राधिकरण बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति, जैसी भी उपलब्ध हो, को भुनाने और हर्जाने के रूप में उसकी आय का विनियोग करने का हकदार होगा, बशर्ते, तथापि, यदि फोर्स मेज्योर के कारण या अनुच्छेद 4.2 के तहत अपने किसी भी दायित्व में प्राधिकरण के व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप वित्तीय समापन नहीं हुआ है, तो वह समाप्ति पर, यथास्थिति, बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति को, अनुच्छेद 4.2 के तहत देय और शोध हर्जाने के साथ तुरंत जारी कर देगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि यदि बोली प्रतिभूति को निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो प्राधिकरण उसमें से बोली प्रतिभूति के बराबर राशि को भुनाने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 27: रियायत शुल्क

27.1 मासिक रियायत शुल्क

27.1.1 अनुच्छेद 27.3 के अधीन, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान, प्राधिकरण को निम्नलिखित रूप में गणना किया गया मासिक रियायत शुल्क ("मासिक रियायत शुल्क") भुगतान करने के लिए सहमत है:

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क ×

उस महीने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट +

घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क ×

उस महीने के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट

जहाँ:

"घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ 177 रुपये (एक सौ सतहत्तर रुपये) है, जैसा कि अनुच्छेद 27.3 के अनुसरण में संशोधित किया जा सकता है;

"अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क का 2 (दो) गुना है;

किसी भी महीने के लिए "घरेलू यात्री थ्रूपुट" का अर्थ कुल घरेलू यात्री यातायात (चढ़ने और उतरने वाले यात्री) होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुवर्ती महीने की 7वीं (सातवीं) तारीख तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाता है, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

किसी भी महीने के लिए "अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट" का अर्थ कुल अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात (चढ़ने और उतरने वाले यात्री) होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अनुवर्ती महीने की 7वीं (सातवीं) तारीख तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाता है, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है;

बशर्ते आगे यह भी कि, रियायत अवधि के पहले और अंतिम महीनों में, अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट की गणना वाणिज्य प्रचालन तिथि या हस्तांतरण तिथि के संबंध में गिने जाने वाले ऐसे महीनों के दिनों की संख्या के अनुपात में आनुपातिक रूप से की जाएगी, जैसा लागू हो।

27.1.2 इस करार की शर्तों के अंतर्गत और उसके अनुसरण में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किया गया/देय मासिक रियायत शुल्क, विमानन सेवाओं के प्रावधान की लागत के एक हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

27.2 यात्री थ्रूपुट का सत्यापन

प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और/या घरेलू यात्री थ्रूपुट को सत्यापित करने और/या हवाई अड्डे पर वास्तविक अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का पता लगाने के लिए, हवाई अड्डे और रियायतग्राही के कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्य उपाय तथा कार्रवाइयां कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण इन उद्देश्यों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी और सभी डेटा, सूचना, लॉग शीट, दस्तावेज या विवरण को प्रस्तुत करने के लिए रियायतग्राही को बुला सकता है।

27.3 प्रति यात्री शुल्क का संशोधन

27.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क वाणिज्य प्रचालन तिथि से लागू होगा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखने के लिए वाणिज्य प्रचालन तिथि की प्रत्येक वर्षगांठ पर सालाना संशोधित किया जाएगा।

क. पहले 15 (पंद्रह) रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

$$[(\text{नया प्रति यात्री शुल्क}) = (\text{पिछला प्रति यात्री शुल्क}) \times (1 + 85\% \text{ डेल्टा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक})]$$

ख. शेष रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

$$[(\text{नया प्रति यात्री शुल्क}) = (\text{पिछला प्रति यात्री शुल्क}) \times (1 + 50\% \text{ डेल्टा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक})]$$

जहाँ:

"नया प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ नए रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जाने वाला संशोधित घरेलू प्रति यात्री शुल्क है;

"पिछला प्रति यात्री शुल्क" का अर्थ पिछले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रति यात्री शुल्क है;

"डेल्टा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" की गणना इस प्रकार की जाएगी:

[गणना की तिथि के अनुसार नवीनतम उपलब्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) - (ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से 12 (बारह) महीने से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)] / (ऐसे नवीनतम उपलब्ध मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से 12 (बारह) महीने से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक)

बशर्ते कि, पहले रियायत वर्ष के पूरा होने के बाद किसी भी रियायत वर्ष में डेल्टा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नकारात्मक होने की स्थिति में, ऐसे वर्ष के लिए डेल्टा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0 (शून्य) माना जाएगा।

27.3.2 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को अनुच्छेद 27.1.1 में निर्धारित तरीके से संशोधित किया जाएगा।

27.4 मासिक रियायत शुल्क का भुगतान

27.4.1 अनुच्छेद 27.2 के अनुसरण में, प्राधिकरण रियायतग्राही को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान के लिए एक चालान (इनवॉइस) प्रस्तुत करेगा, जिसमें लागू कानून के तहत मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर देय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि भी शामिल होगी, जो अनुवर्ती महीने की 15वीं (पंद्रहवीं) तारीख से बाद की नहीं होगी।

27.4.2 रियायतग्राही किसी भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को वहन करेगा जो लागू कानूनों के तहत प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर देय है और अनुच्छेद 27.4.1 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी चालान में विनिर्दिष्ट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि का प्राधिकरण को भुगतान करेगा।

27.4.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करते समय लागू कानूनों के तहत स्रोत पर काटे जाने वाले करों (टीडीएस) को काटने का हकदार होगा।

27.4.4 इसके अलावा, अनुच्छेद 35.1.1 के अधीन और उसके अनुसार, इस अनुच्छेद 27.4 के अनुसार मासिक रियायत शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी की स्थिति में, रियायतग्राही देरी के प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा।

27.5 मासिक रियायत शुल्क का वार्षिक पुनर्मिलन (रिकॉन्सिलेशन)

27.5.1 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय संचयी मासिक रियायत शुल्क होगा:

$\sum$ (किसी भी रियायत वर्ष में महीने i के लिए भुगतान किया गया मासिक रियायत शुल्क, जहाँ $i = 1$ से 12)

27.5.2 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क की तुलना उस रियायत वर्ष के लिए देय वार्षिक रियायत शुल्क से की जाएगी।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "वार्षिक रियायत शुल्क" की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी:

$[(\text{अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क}) \times (\text{रियायत वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री श्रृंखला})] + [(\text{घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क}) \times (\text{रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्री श्रृंखला})]$

एक रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क और उस रियायत वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क में किसी भी अंतर के समायोजन को उस संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो पुनर्मिलन पूरा होने के तुरंत बाद अनुच्छेद 31.4 के अनुसार देय और शोध हो जाता है।

27.6 यात्री यातायात में गिरावट के लिए समाप्ति

27.6.1 उपर्युक्त के बावजूद, इस स्थिति में कि 2 (दो) रियायत वर्षों की लगातार अवधि के लिए यात्री यातायात परिवर्तन 20% (बीस प्रतिशत) या उससे अधिक नकारात्मक है, इस करार को दूसरे ऐसे रियायत वर्ष की समाप्ति के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

जहाँ:

"कुल यात्री थ्रूपुट" का अर्थ अंतरराष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का कुल योग है;

"यात्री यातायात परिवर्तन", जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, की गणना इस प्रकार की जाती है:

$$100 \times \frac{[(\text{चालू रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट} - \text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट}) / \text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री थ्रूपुट}]$$

27.6.2 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान का 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6.3 इसके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि प्राधिकरण या उसके सहयोगी वाणिज्य प्रचालन तिथि से 10 (दस) वर्षों की समाप्ति से पहले हवाई अड्डे के 50 किमी के दायरे में एक नया हवाई अड्डा शुरू नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 28. शुल्क (FEES)

28.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्क की वसूली

28.1.1 वाणिज्य प्रचालन तिथि (सी.ओ.डी.) से और अंतरण तिथि तक, रियायतग्राही को विनियामक ढाँचे और इस समझौते (अनुसूची 'आर' - समझौता ज्ञापन में निर्धारित निबंधनों सहित) के प्रावधानों के अनुसार विमानन सेवाओं और गैर-विमानन सेवाओं (विमान कंपनियों और यात्रियों सहित) के प्रावधान के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करने, वसूलने और विनियोजित करने का एकमात्र और अनन्य अधिकार होगा, बशर्ते कि रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार उपयोगकर्ताओं या किसी भी श्रेणी के उपयोगकर्ताओं के साथ सहमति के अनुसार कम दरों पर शुल्क निर्धारित और वसूल कर सकता है।

28.1.2 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा, और रियायतग्राही ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, या लगाने का कारण नहीं बनेगा, सिवाय किसी भी लागू कानून, लागू अनुमतियों या इस समझौते के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा तक।

28.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी भी प्रतिबंध के बिना हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा, सिवाय किसी भी लागू कानून, लागू अनुमतियों या इस समझौते के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सीमा तक। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू अनुमतियों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन, हवाई अड्डे में निःशुल्क प्रवेश के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों और अन्य व्यक्तियों के कर्मचारियों को पास जारी कर सकता है।

28.1.4 पक्षों का यह समझौता है कि लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण या किसी नामित सरकारी एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रभार, रियायतग्राही द्वारा यात्रियों से वसूल किए जाएंगे और प्राधिकरण या नामित सरकारी एजेंसी को भुगतान किए जाएंगे।

28.2 आरक्षित शुल्कों की वसूली

28.2.1 नामित सरकारी एजेंसी, लागू कानूनों के अनुसार विमान कंपनियों से रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्ज (मार्ग नेविगेशन सुविधा प्रभार) और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्ज (टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग प्रभार) सहित उनके द्वारा प्रदान की गई या प्रस्तुत की गई सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार उद्गृहीत करने, वसूलने और विनियोजित करने की हकदार होगी। ऐसे शुल्कों का भुगतान करने में किसी भी विमान कंपनी के विफल होने की स्थिति में, नामित सरकारी एजेंसी ऐसी विमान कंपनी को ऐसी सेवा के प्रावधान को निलंबित करने और ऐसी विमान कंपनी से शुल्क वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने की हकदार होगी।

28.2.2 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि वह खंड 28.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए नामित सरकारी एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें किसी भी अनुसूचित या गैर-अनुसूचित वायु परिवहन ऑपरेटर को ऐसी सेवा के प्रावधान का निलंबन शामिल है।

28.3 विमानन शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

28.3.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि कोई भी और सभी विमानन शुल्क जिन्हें रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से उद्गृहीत कर सकता है, वसूल सकता है और विनियोजित कर सकता है, विनियामक द्वारा इस

समझौते और विनियामक ढाँचे (अनुसूची 'आर' - समझौता ज्ञापन में निर्धारित निबंधनों सहित) के अनुसार, लागू कानूनों के अनुसार पक्षों द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन/याचिका के अनुसरण में, विनियामक के आदेश के माध्यम से निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे।

28.3.2 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से, भारत में सभी हवाई अड्डों के लिए विमानन शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के वास्ते 30% (तीस प्रतिशत) शेयर्ड-टिल फ्रेमवर्क (साझा-टिल ढाँचे) को अनुमोदित किया है ('शेयर्ड-टिल अनुमोदन'), और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में शुल्क/विमानन शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए विनियामक द्वारा तदनुसार इस पर विचार किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, ऐसे शेयर्ड-टिल अनुमोदन के किसी भी बाद के संशोधन या पुनरीक्षण के बावजूद, शेयर्ड-टिल अनुमोदन इस समझौते की तिथि के अनुसार लागू होगा।

28.3.3 विमानन शुल्क, शेयर्ड-टिल अनुमोदन, इस समझौते के निबंधनों (अनुसूची 'आर' - समझौता ज्ञापन में निर्धारित निबंधनों सहित) और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किए जाएंगे।

28.3.4 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आब्रजन, पादप संगरोध, पशु संगरोध सेवाएँ, मौसम संबंधी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आरक्षित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर, किसी भी नामित सरकारी एजेंसी को रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को विमानन शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पास-थ्रू माना जाएगा।

28.3.5 अन्यत्र विपरीत अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, रियायतग्राही खंड 15.1.1 के अनुसार सी.ओ.डी. से प्रभावी रूप से, विनियामक द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर, हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से विमानन शुल्क उद्गृहीत करने, वसूलने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, ऐसी स्थिति में जब सी.ओ.डी. तक हवाई अड्डे के लिए विनियामक द्वारा टैरिफ की दरों का निर्धारण नहीं किया गया है, तो रियायतग्राही तब तक सी.ओ.डी. के रूप में प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत टैरिफ की दरों पर विमानन शुल्क उद्गृहीत करने, वसूलने और विनियोजित करने का हकदार होगा जब तक कि विनियामक टैरिफ की दरों निर्धारित नहीं कर देता।

28.3.6 विमानन शुल्कों के निर्धारण, उद्ग्रहण, वसूली (अंडर-रिकवरी या ओवर-रिकवरी सहित) या विनियोग से संबंधित किसी भी पहलू के संबंध में प्राधिकरण के खिलाफ रियायतग्राही का कोई उपाय नहीं होगा।

28.3.7 इस समझौते में अन्यत्र विपरीत अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यह स्पष्ट रूप से नोट किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि सिटी साइड विकास के संबंध में किसी भी उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में रियायतग्राही को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व/धन, चाहे मासिक शुल्क, प्रभार, किराए या राजस्व हिस्सेदारी के रूप में हों, उपर्युक्त खंड 28.3.2 के अनुसरण में विमानन शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए गैर-विमानन सेवाओं से राजस्व के रूप में माने जाएंगे।

28.3.8 यह स्पष्ट किया जाता है कि विधिक सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों पर विमानन शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विनियामक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

28.4 विमानन शुल्कों के संशोधन पर प्रतिबंध

28.4.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि विनियामक ढाँचे और इस समझौते के अनुसार होने के अलावा, वह किसी भी रूप या तरीके से प्राधिकरण, विनियामक या किसी भी सरकारी उपकरण से विमानन

शुल्कों के किसी भी संशोधन या किसी अन्य राहत का हकदार नहीं है। इसके अनुसरण में, रियायतग्राही विनियामक या अन्य प्रकार से विमानन शुल्कों के किसी भी संशोधन की मांग न करने के लिए स्वीकार करता है, सहमत है और वचनबद्ध है, और ऐसी कोई भी संशोधन लागू कानूनों और/या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के अनुसार मांगा जाता है, तो यह हर समय उसमें विनिर्दिष्ट सीमा तक सीमित रहेगा।

28.4.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22ए के तहत और उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख हवाई अड्डे) विकास शुल्क नियम, 2011 शामिल हैं, के तहत कोई विकास शुल्क उद्गृहीत करने या उद्गृहीत करने का अधिकार मांगने का हकदार नहीं होगा।

28.4.3 पक्ष सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि रियायतग्राही विमानन शुल्कों में पास-थ्रू के रूप में ऐसे खर्चों और/या लागतों को मांगने के अपने अधिकार को स्पष्ट रूप से छोड़ता है, जिन्हें इस समझौते के तहत पास-थ्रू के रूप में मांगने से रियायतग्राही को प्रतिबंधित किया गया है।

28.5 विमानन शुल्कों की समीक्षा

28.5.1 अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार उद्गृहीत किए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले विमानन शुल्कों की समीक्षा विनियामक द्वारा हर 5 (पाँच) वर्षों में एक बार विनियामक ढाँचे और इस समझौते के अनुसार की जाएगी, बशर्ते, तथापि, ऐसी समीक्षा किसी भी ऐसी घटना, परिस्थिति या आधार पर निर्भर नहीं होगी, जिसकी जांच या विचार इस समझौते में विमानन शुल्कों, रियायत अवधि या राहत या उपाय के किसी अन्य रूप में संशोधन प्रदान किया गया है।

28.5.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विनिर्देशों और मानकों में परिवर्तन, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून का बल रखने वाले नए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, या उसमें कमी, विमानन शुल्कों के संशोधन के प्रयोजनों के लिए विनियामक द्वारा समीक्षा की जा सकती है। विनियामक द्वारा ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी की गई लागू अनुमतियों के अनुसार, विमानन सेवाओं के लिए और उनके संबंध में राजस्व पर विचार करना शामिल होगा।

28.5.3 खंड 28.5.1 के प्रावधानों के तहत विमानन शुल्कों की किसी भी समीक्षा में राजस्व, समायोजन, वसूलियों या भुगतानों पर विचार किया जाएगा, यदि कोई हो, जो पक्षों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वसूले या किए हों, और विनियामक यह निर्धारित कर सकता है कि क्या कोई और वसूलियां या भुगतान, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को देय हैं, या उससे प्राप्य हैं। विनियामक विनियामक ढाँचे और इस समझौते के अनुसार, विमानन शुल्क की दर में उचित वृद्धि या कमी, जैसा भी मामला हो, द्वारा और ऐसी अवधि के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, इसके तहत अपने निर्धारण को प्रभावी कर सकता है।

28.5.4 पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस खंड 28.5 के प्रावधानों के तहत विमानन शुल्कों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और तदनुसार विनियमित और आगे बढ़ाई जाएगी।

28.6 विमानन शुल्कों में वृद्धि पर कुछ सीमाएं

28.6.1 खंड 28.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में कोई भी पूंजीगत लागत किए जाने की आवश्यकता होने की स्थिति में, रियायतग्राही प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के परामर्श से इसकी संवीक्षा के लिए विनियामक

को विनिर्देशों और लागत प्रस्तुत करेगा। ऐसी संवीक्षा और परामर्श पूरा होने पर, विनियामक विमानन शुल्कों निर्धारित करने के लिए ऐसे प्रस्तुतिकरणों पर विचार करेगा।

28.6.2 रियायतग्राही विनियामक और अन्य सरकारी उपकरणों द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्यों को शुरू करेगा और पूरा करेगा, और निर्माण कार्यों के लिए और उनके संबंध में इस समझौते के प्रावधान इस खंड 28.6 के अनुसरण में किए गए निर्माण कार्यों पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

28.6.3 इस खंड 28.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा की गई पूंजीगत लागत, प्रासंगिक निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, लागू कानूनों और इस समझौते के निबंधनों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी, जिसमें विनियामक के लागू टैरिफ दिशानिर्देश शामिल हैं।

28.7 शुल्क की चोरी के लिए जुर्माना

ऐसी स्थिति में जहाँ कोई उपयोगकर्ता देय शुल्क का भुगतान किए बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, रियायतग्राही, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अधीन, ऐसे व्यक्ति से देय शुल्क और हवाई अड्डे का अनधिकृत उपयोग करने के प्रयास के लिए नुकसान के रूप में उसकी राशि से दोगुने तक का निर्धारण और वसूली करने का हकदार होगा, बशर्ते कि ऐसे शुल्क और नुकसान का निर्धारण और वसूली रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर होगी और इस संबंध में प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

28.8 विमानन शुल्कों का प्रदर्शन

28.8.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय में विमानन शुल्कों की लागू दरों को बनाए रखेगा और प्रदान करेगा।

28.8.2 रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को लागू विमानन शुल्कों की सूचना देगा।

28.8.3 रियायतग्राही विनियामक द्वारा अनुमोदित विमानन शुल्कों की दरों से अधिक किसी भी राशि को संशोधित, प्रदर्शित या एकत्र नहीं करेगा।

28.9 मासिक विवरण

रियायतग्राही, सी.ओ.डी. से प्रभावी रूप से, प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना/डेटा का एक विवरण ('मासिक विवरण') प्रस्तुत करेगा:

- (i) अनुसूचित विमान आवाजाही, गैर-अनुसूचित विमान आवाजाही, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की संख्या (चढ़ने, उतरने, पारगमन), अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कार्गो की मात्रा (आगामी, बहिर्गामी और ट्रांसशिपमेंट) सहित यातायात डेटा;
- (ii) राजस्व (उपयुक्त शीर्षों में वर्गीकृत), प्रचालन व्यय, प्रभार आदि सहित वित्तीय डेटा; और
- (iii) सेवा की गुणवत्ता पर डेटा।

ऐसी सूचना/डेटा को रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के तहत आवश्यक प्रारूप में, या प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य प्रारूप में, प्राधिकरण को तुरंत संकलित और प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही अन्य सभी विवरणों के साथ, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से अनुरोध किया जा सकता है।

28.10 शुल्क ठेकेदार

रियायतग्राही रियायतग्राही की ओर से और उसके लिए शुल्क एकत्र करने के लिए एक शुल्क ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार शुल्क की वसूली और एस्क्रो खाते में इसकी जमा करने और इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार रहेगा और बना रहेगा।

28.11 डीमड इनिशियल आरएबी (मानित प्रारंभिक विनियामक परिसंपत्ति आधार)

28.11.1 रियायतग्राही अगले लागू नियंत्रण अवधि के लिए लागू विनियामक ढाँचे के अनुसार विनियामक द्वारा विमानन शुल्कों के संशोधन की मांग करेगा:

उपर्युक्त के बावजूद, रियायतग्राही के पास विमानन शुल्कों के ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए सी.ओ.डी. से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन होंगे।

28.11.2 प्राधिकरण:

क. ऐसे डेटा और सूचना को तुरंत उपलब्ध कराएगा जो रियायतग्राही को ऐसे संशोधन की मांग करने के लिए आवश्यक हो;

ख. इस संबंध में रियायतग्राही से नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर, रियायतग्राही को ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो ऐसे संशोधन के प्रयोजन के लिए विनियामक द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो; और

ग. ऐसे संशोधन के प्रयोजन के लिए विनियामक के पास मौजूद किसी भी प्रश्न का तुरंत जवाब देगा (और रियायतग्राही को ऐसी प्रतिक्रियाओं की प्रतियां प्रदान करेगा)।

28.11.3 (क) पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही सी.ओ.डी. के रूप में विमानन परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के समतुल्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और जिसे विनियामक द्वारा विनियामक परिसंपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना जाता है, जो ऐसे निवेश की मात्रा के विनियामक द्वारा आवश्यक मिलान, टू-अप और अंतिम निर्धारण के अधीन है ('डीमड इनिशियल आरएबी')।

(ख) 31 मार्च, 2018 तक हवाई अड्डे पर विमानन परिसंपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य रु. 271,00,00,000 (रूपए दो सौ इकहत्तर करोड़) है ('अनुमानित डीमड इनिशियल आरएबी')। पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुमानित डीमड इनिशियल आरएबी सी.ओ.डी. के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.11.4 अनुमानित डीमड इनिशियल आरएबी के भुगतान के अनुसरण में, और खंड 28.11.3(क) के तहत निवेश की मात्रा के विनियामक द्वारा मिलान, टू-अप और अंतिम निर्धारण के बाद, डीमड इनिशियल आरएबी के संबंध में अनुमानित डीमड इनिशियल आरएबी में कोई भी अधिशेष या कमी को संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित किया जाएगा जो विनियामक द्वारा ऐसे अंतिम निर्धारण से 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाता है, निम्नलिखित के लिए उचित समायोजन के साथ ('समायोजित डीमड इनिशियल आरएबी'):

क. सी.ओ.डी. तक प्राधिकरण द्वारा विमानन राजस्व की अत्यधिक वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक कम किया जाता है, जिसे विनियामक अगली नियंत्रण अवधि के लिए विमानन शुल्कों का निर्धारण करते समय नीचे की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा; या

ख. सी.ओ.डी. तक प्राधिकरण द्वारा विमानन राजस्व की कम वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक बढ़ाया जाता है, जिसे विनियामक अगली नियंत्रण अवधि के लिए विमानन शुल्कों का निर्धारण करते समय ऊपर की ओर समायोजन के रूप में प्रदान करेगा।

प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि समायोजित डीमड इनिशियल आरएबी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना सी.ओ.डी. से समायोजित डीमड इनिशियल आरएबी के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए विनियामक द्वारा निर्धारित वापसी की उचित दर का उपयोग करके की जाएगी।

28.11.5 प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति पर, डीमड इनिशियल आरएबी को रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश के अलावा, विनियामक द्वारा विमानन शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए माना जाएगा।

क. प्राधिकरण विनियामक द्वारा ऐसे विचार और निर्धारण की दिशा में विनियामक को कोई भी आवश्यक समर्थन प्रस्तुत करने का वचन देता है।

ख. पक्ष मूल्यहास, आवश्यक रिटर्न आदि के विचार के संबंध में विमानन शुल्कों के भविष्य के निर्धारण में डीमड इनिशियल आरएबी की अलग से पहचान करने के लिए विनियामक को प्रस्तुत करेंगे और अनुरोध करेंगे।

28.11.6 इस खंड 28.11 के प्रयोजन के लिए, 'नियंत्रण अवधि' और 'विनियामक परिसंपत्ति आधार' का वह अर्थ होगा जो भारतीय विमानन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (हवाई अड्डा ऑपरेटरों के लिए टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें) दिशानिर्देश, 2011 में निर्धारित है।

28.12 प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश

28.12.1 पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि रियायतग्राही गैर-विमानन परिसंपत्तियों के विकास की दिशा में सी.ओ.डी. के रूप में हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यहास मूल्य के समतुल्य राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा ('प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश')।

28.12.2 31 मार्च, 2018 तक हवाई अड्डे पर गैर-विमानन परिसंपत्तियों के विकास की दिशा में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य रु. 6,41,00,000 (छह करोड़ इकतालीस लाख) है ('अनुमानित प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश')। पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि अनुमानित प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश सी.ओ.डी. के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.12.3 अनुमानित प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश के भुगतान के अनुसरण में, और प्रारंभिक गैर-विमानन निवेश की मात्रा के स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अंतिम निर्धारण पर, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को या रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली कोई भी अधिशेष या कमी राशि, जैसा भी मामला हो, संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित की जाएगी जो ऐसे अंतिम निर्धारण की समाप्ति के बाद 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाती है।

28.12.4 खंड 28.12.3 के अनुसरण में प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि उसी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना सी.ओ.डी. से ऐसी राशि (राज्यों) के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की समयावधि के लिए विनियामक द्वारा निर्धारित वापसी की उचित दर का उपयोग करके की जाएगी।

अनुच्छेद 29. एस्करो खाता (ESCROW ACCOUNT)

29.1 एस्करो खाता

29.1.1 रियायतग्राही, सी.ओ.डी. से पहले, एस्करो समझौते के साथ पढ़े गए इस समझौते के अनुसार एक बैंक ('एस्करो बैंक') के साथ एक एस्करो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

29.1.2 एस्करो खाते की प्रकृति और दायरा रियायतग्राही, प्राधिकरण, एस्करो बैंक और ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से वरिष्ठ ऋणदाताओं के बीच दर्ज किए जाने वाले समझौते ('एस्करो समझौता') में पूरी तरह से वर्णित हैं, जो अनुसूची 'एम' में निर्धारित रूप में काफी हद तक होगा।

29.2 एस्करो खाते में जमा

रियायतग्राही एस्करो खाते में निम्नलिखित अंतःप्रवाह और प्राप्तियों को जमा करेगा या जमा कराएगा:

- **क.** बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियाँ;
- **ख.** हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजी प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है;
- **ग.** किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद, प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान; और
- **घ.** समापन भुगतान,

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ई.पी.सी. ठेकेदार को प्रत्यक्ष संवितरण कर सकते हैं।

29.3 निकासी

29.3.1 रियायतग्राही, एस्करो खाता खोलते समय, एस्करो समझौते के माध्यम से, एस्करो बैंक को अपरिवर्तनीय निर्देश देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश होगा कि एस्करो खाते में जमा राशि को हर महीने निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, या आवश्यकतानुसार कम अंतराल पर, और यदि एक महीने में देय नहीं है तो उस महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाएगा और एस्करो खाते में रखा जाएगा और उस महीने में भुगतान किया जाएगा जब देय हो:

- **क.** वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- **ख.** प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- **ग.** इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा इसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना;
- **घ.** एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- **ङ.** शेष, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.3.2 रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के अलावा, खंड 29.3.1 में विनिर्दिष्ट भुगतान के क्रम को किसी भी तरह से संशोधित नहीं करेगा।

29.4 समापन पर निकासी

29.4.1 इस समझौते में निहित विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते के क्रेडिट में मौजूद सभी राशियाँ, समापन पर, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की जाएंगी:

- **क.** पेट्रोल देय राशि और उससे संबंधित वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- **ख.** बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- **ग.** अन्य सभी राशियाँ जो समापन की तिथि के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए बकाया हैं;
- **घ.** इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सभी भुगतान और/या रियायतग्राही द्वारा इसे देय और भुगतान योग्य के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना; और
- **ङ.** बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण की शेष राशि शामिल है;
- **च.** शेष, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.4.2 इस अनुच्छेद 29 के प्रावधान और एस्क्रो समझौते में निहित निर्देश तब तक पूर्ण बल और प्रभाव में रहेंगे जब तक कि खंड 29.4.1 में निर्धारित दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह नहीं हो जाता।

अनुच्छेद 30. बीमा (INSURANCE)

30.1 बीमा दायित्व

रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान, वित्तपोषण समझौतों के तहत आवश्यक अधिकतम राशि के लिए, और लागू कानून और अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक अन्य बीमा, अपनी स्वयं की लागत पर, सभी बीमा प्रभाव डालेगा और बनाए रखेगा। रियायतग्राही ऐसा बीमा भी प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा जो रियायतग्राही की किसी भी चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण पर आ सकने वाले जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक हो। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में प्राधिकरण को सह-बीमाधारक बनाया जाए और बीमाकर्ता पॉलिसी की आय सीधे एस्क्रो खाते में भुगतान करेगा। पक्ष इस बात से सहमत हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं के ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा का स्तर वरिष्ठ ऋणदाताओं के ऋण के ऐसे पुनर्भुगतान से पहले बीमा सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए लागू समान सिद्धांतों के अनुसार होगा।

30.2 बीमा कवर

खंड 30.1 में अंतर्विष्ट प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान, निम्नलिखित सहित बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा:

- **क.** प्रतिस्थापन मूल्य पर, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपी गई परिसंपत्तियों सहित परियोजना परिसंपत्ति की क्षति या विनाश;
- **ख.** व्यापक तीसरे पक्ष की देयता बीमा, जिसमें प्राधिकरण के कर्मियों या अन्य लोगों की चोट या मृत्यु शामिल है, जो हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं;
- **ग.** रियायत से उत्पन्न होने वाली रियायतग्राही की सामान्य देयता;
- **घ.** माल या संपत्ति की क्षति के लिए तीसरे पक्ष की देयता;
- **ङ.** कर्मचारी मुआवजा बीमा; और

- **च.** कोई अन्य बीमा जो रियायतग्राही और इसके कर्मचारियों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है जिसमें सभी फोर्स माज्योर (अवरोधक) घटनाएं शामिल हैं और जो उपर्युक्त मद (क) से (च) में अन्यथा कवर नहीं की गई हैं।

30.3 प्राधिकरण को नोटिस

रियायत अवधि शुरू होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही इस अनुच्छेद के अनुसार प्रभावी करने और बनाए रखने का प्रस्ताव रखने वाले बीमा के बारे में उचित विवरण में, प्राधिकरण को लिखित रूप में नोटिस देगा।

ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही से इसके अनुसरण में आवश्यक अन्य बीमा प्रभावी करने और बनाए रखने की मांग कर सकता है, और ऐसे किसी भी बीमा से संबंधित किसी भी अंतर या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

30.4 बीमा कवर का साक्ष्य

इस अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त सभी बीमा अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुरूप नियमों पर बीमाकर्ताओं के साथ बीमाकृत किए जाएंगे। किसी भी बीमा कवर के प्रभाव में आने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को बीमा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतियाँ, बीमा पॉलिसियों की प्रतियाँ और ऐसे बीमा के संबंध में प्रीमियम भुगतान रसीदें प्रस्तुत करेगा, और ऐसे किसी भी बीमा को तब तक रद्द, संशोधित, या समाप्त होने या व्यपगत होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण का नोटिस रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को दिए जाने के बाद कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति न हो जाए।

30.5 बीमा करने में विफलता का उपाय

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और बल में रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके अनुसरण में जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास या तो ऐसे किसी भी बीमा को बल में रखने का विकल्प है, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करना और रियायतग्राही से लागत वसूल करना, या समापन भुगतान की गणना के मामले में, बीमा कवर के बराबर राशि को रियायतग्राही द्वारा प्राप्त किया गया माना जाना परिरक्षण करना है।

30.6 सब्रोगेशन की छूट

इस अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा के संबंध में सभी बीमा पॉलिसियों में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकरण, और इसके समनुदेशियों, उत्तराधिकारियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के खिलाफ, और किसी भी देयता के संबंध में अटैचमेंट या अन्यथा द्वारा किसी भी सेट-ऑफ या काउंटरक्लेम या किसी अन्य कटौती के बीमाकर्ताओं के किसी भी अधिकार की, ऐसे किसी भी पॉलिसी के तहत बीमाकृत ऐसे व्यक्ति की किसी भी देयता के संबंध में या ऐसे बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, देयता या दायित्व से जुड़े किसी भी तरीके से, सब्रोगेशन या रिकवरी के किसी भी और सभी अधिकारों की छूट शामिल होगी।

30.7 रियायतग्राही की छूट

रियायतग्राही इसके द्वारा आगे प्राधिकरण और उसके समनुदेशियों, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के खिलाफ सब्रोगेशन या रिकवरी के किसी भी और सभी अधिकारों को जारी करता है, समनुदेशित करता है और छोड़ता है, जो रियायतग्राही के पास अन्यथा हो सकते हैं या किसी भी नुकसान, देयता या दायित्व में या उससे प्राप्त हो सकते हैं या किसी भी तरीके से जुड़े हो सकते

हैं, जो इस समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा बनाए रखने के लिए बनाए गए या आवश्यक बीमा पॉलिसियों द्वारा कवर किए गए हैं (तीसरे पक्ष की देयता बीमा पॉलिसियों के अलावा) या बीमा की ऐसी किसी भी नीति की सीमा की अपर्याप्तता या कटौती योग्य खंडों के कारण।

30.8 बीमा आय का अनुप्रयोग

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त आय, एस्को खाते में क्रेडिट द्वारा रियायतग्राही को भुगतान की जाएगी और यह खंड 29.3 में निहित विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए ऐसी आय लागू करेगी, और शेष राशि, यदि कोई हो, वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

30.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन

रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी बीमा पॉलिसियों के तहत लगाए गए शर्तों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों से प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और वचनबद्धता देता है।

अनुच्छेद 31. खाते और लेखा परीक्षा (ACCOUNTS AND AUDIT)

31.1 लेखापरीक्षित खाते (Audited accounts)

31.1.1 रियायतग्राह (Concessionaire) इस समझौते, उत्तम उद्योग प्रथा, लागू विधियों और लागू अनुमतियों के अनुसार बही-खाते रखेगा, जिसमें उसकी सभी प्राप्तियां (इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र सभी राजस्व और हवाई अड्डे तथा/या इसके उपयोग से या इसके संबंध में उसके द्वारा प्राप्त/एकत्र अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतान (फंड खाते से भुगतानों सहित), परिसंपत्तियाँ और देनदारियां दर्ज होंगी। रियायतग्राह अपने लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की इस पर एक रिपोर्ट के साथ अपनी तुलन पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण और लाभ-हानि खाते की 2 (दो) प्रतियां प्रदान करेगा, जिन्हें लागू विधियों के अनुसार प्रचलित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया जाएगा और ऐसे लेखापरीक्षित खाते, जहां तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेंगे।

प्राधिकरण को, स्वयं या अपने किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राह के अभिलेखों का निरीक्षण करने और भुगतानों के आधार के सत्यापन के लिए प्राधिकरण को प्रदान किए जाने वाले सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित बही-खातों के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियों की मांग करने का अधिकार है, और किसी भी विसंगति या त्रुटि के पाए जाने की स्थिति में, उसे सुधार लिया जाएगा और ऐसा सुधारा गया खाता इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेगा।

31.1.2 रियायतग्राह, लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, पिछले वर्ष की तिमाही के संबंध में अपनी अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्राधिकरण को उस रीति और रूप में प्रस्तुत करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा त्रैमासिक परिणामों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

31.1.3 प्रत्येक लेखा वर्ष की 31वीं (इकतीसवीं) जुलाई को या उससे पहले, रियायतग्राह पिछले लेखा वर्ष के लिए, प्राधिकरण को अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें निम्नलिखित पर सारांशित जानकारी दी जाएगी:

(क) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले और उसके लिए शुल्क का भुगतान करने के उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना,

(ख) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र राजस्व, और हवाई अड्डे से प्राप्त अन्य राजस्व, और

(ग) ऐसी अन्य जानकारी जो प्राधिकरण उचित रूप से मांग कर सकता है।

31.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति (Appointment of auditors)

31.2.1 प्राधिकरण रियायतग्राह को छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल ("चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैनल") नामित करेगा, ऐसी सूची अनुसूची 'एन' में निर्धारित मानदंडों के अनुसार काफी हद तक तैयार की जाएगी। रियायतग्राह को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 (तीन) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं। रियायतग्राह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल से अपने सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों के सभी शुल्क और खर्च रियायतग्राह द्वारा उठाए जाएंगे।

31.2.2 रियायतग्राह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और प्राधिकरण की सहमति से अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थापन सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल से की जाए।

31.2.3 इस समझौते में निहित किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी, प्राधिकरण को इस समझौते के अनुसरण में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए जाने, प्रारंभ करने या प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सभी मामलों, खर्चों, लागतों, वसूलियों और बातों की लेखा परीक्षा और सत्यापन के लिए समय-समय पर और किसी भी समय अपने खर्च पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल से एक अन्य फर्म ("प्राधिकरण द्वारा नामित लेखा परीक्षक") को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह दायित्व नहीं है।

31.2.4 [उपयोग में नहीं]।

31.3 सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन (Certification of claims by Statutory Auditors)

प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, खर्चों, खातों या लेखा परीक्षा के संबंध में या उससे संबंधित रियायतग्राह द्वारा प्राधिकरण को प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज, और उससे जुड़ा कोई भी मामला तभी वैध और प्रभावी होगा जब उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया हो। खंड 28.9 के तहत मासिक विवरण प्रस्तुत करने सहित व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में सूचना के आदान-प्रदान के लिए ऐसा प्रमाणन आवश्यक नहीं होगा।

31.4 मिलान (Reconciliation)

31.4.1 प्रत्येक तिमाही में संतुलन भुगतान (प्रतिपूर्ति, समायोजन या अन्यथा के रूप में देय और प्राप्य राशियों के नेटिंग को दर्शाते हुए, या हर्जाने के रूप में जो भुगतान नहीं किए गए हैं, या इस समझौते के तहत यथास्थिति निष्पादन प्रतिभूति या बोली प्रतिभूति से वसूल नहीं किए गए हैं) ("संतुलन भुगतान") प्राधिकरण द्वारा गणना किया जाएगा जो लेखा वर्ष

की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी गणना और विवरण रियायतग्राह को देगा। ऐसे प्रत्येक विवरण में दावा की गई सभी राशियों के उचित रूप से समर्थन करने वाले साक्ष्य के संलग्नक होंगे। किसी भी संदेह से बचने के लिए, इस खंड 31.4.1 के तहत गणना किए गए संतुलन भुगतान में ऐसी गणना के लिए मासिक रियायत शुल्क को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें खंड 27.5 के अनुसार कोई भी समायोजन शामिल होगा।

31.4.2 खंड 31.4.1 के तहत प्राधिकरण का विवरण प्राप्त होने पर, रियायतग्राह के पास निम्नलिखित के लिए 20 (बीस) दिन होंगे:

(क) अनुमोदन करना, या

(ख) पुनर्गणना और संशोधनों की मांग करना।

दोनों पक्ष खंड 31.4.1 के तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी विवरणों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखेंगे। उपर्युक्त 20 (बीस) दिनों की अवधि के भीतर किसी भी प्राधिकरण के विवरण पर टिप्पणी करने में रियायतग्राह की विफलता को अनुमोदन का गठन माना जाएगा।

31.4.3 यदि प्राधिकरण किसी लेखा वर्ष की किसी तिमाही की समाप्ति के 10 (दस) दिनों के भीतर अपने संतुलन भुगतान की गणना प्रस्तुत नहीं करता है, तो रियायतग्राह ऐसे सभी दावों के समर्थन में साक्ष्य संलग्न करते हुए ऐसी गणना प्रस्तुत करने का हकदार होगा, और ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त खंड 31.4.2 के प्रावधान पक्षों पर विपरीत रूप से लागू होंगे।

31.5 विवाद समाधान (Dispute resolution)

प्राधिकरण द्वारा नामित लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में, पक्ष उन अंतरों को हल करने के लिए बैठक करेंगे और यदि वे उन्हें हल करने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद का समाधान पक्ष विवाद समाधान प्रक्रिया का सहारा लेकर करेंगे।

भाग V

फोर्स मेज्योर और समाप्ति

अनुच्छेद 32. फोर्स मेज्योर

32.1 फोर्स मेज्योर

इस करार में प्रयुक्त, " **फोर्स मेज्योर** " या " **फोर्स मेज्योर की घटना**" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो, खंड 32.2, खंड 32.3 और खंड 32.4 में यथापरिभाषित गैर-राजनीतिक घटना, अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना और राजनीतिक घटना में से किसी एक या सभी के भारत में घटित होने से है, यदि यह फोर्स मेज्योर के लाभ का दावा करने वाले पक्ष ("**प्रभावित पक्ष**") द्वारा इस करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करती है और कौन सा कृत्य या घटना (क) प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, और (ख) प्रभावित पक्ष उचित मुस्तैदी और उत्तम उद्योग प्रथा का पालन करके रोक या पार नहीं पा सकता था, और (ग) जिसका प्रभावित पक्ष पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

32.2 गैर-राजनीतिक घटना

एक गैर-राजनीतिक घटना का तात्पर्य निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

(क) दैवयोग, महामारी, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम की स्थिति, बिजली गिरना, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकरण विकिरण, आग या विस्फोट (साइट के बाहरी स्रोत से उत्पन्न संदूषण या विकिरण या आग या विस्फोट की सीमा तक);

(ख) हड़तालें या बहिष्कार (रियायतग्राही, ठेकेदारों या उनके संबंधित कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से जुड़े, या उनमें से किसी के किसी कृत्य या व्यतिक्रम के लिए जिम्मेदार लोगों के अलावा) जो एक लेखा वर्ष में लगातार 24 (चौबीस) घंटे की अवधि और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक की अवधि के लिए हवाई अड्डे को आपूर्ति और सेवाओं में बाधा डालते हैं, और जो खंड 32.3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना नहीं है;

(ग) निम्नलिखित के अलावा अन्य कारणों से किसी भी कार्यवाही में रियायतग्राही के विरुद्ध दिए गए किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या सांविधिक प्राधिकरण का कोई निर्णय या आदेश: (i) किसी लागू विधि या लागू अनुमति का अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता, या (ii) किसी लागू विधि या लागू अनुमति या किसी अनुबंध के उल्लंघन के कारण, या (iii) इस करार का प्रवर्तन, या (iv) प्राधिकरण द्वारा इस करार के तहत अपने किसी भी अधिकार का प्रयोग;

(घ) साइट पर भूवैज्ञानिक स्थितियों, जहरीले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज जिसकी साइट निरीक्षण के माध्यम से खोजे जाने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी, या

(ङ) पूर्वोक्त में से किसी के समरूप प्रकृति की कोई घटना या परिस्थितियाँ।

32.3 परोक्ष राजनीतिक घटना

कोई परोक्ष राजनीतिक घटना का तात्पर्य निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

(क) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक उपद्रव या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़;

(ख) कोई भी राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, अशांति, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसकी एक विवेकशील व्यक्ति द्वारा पूर्व-कल्पना या अनुमान नहीं लगाया जा सकता था और जिसके कारण परियोजना का संचालन, प्रबंधन या विकास आर्थिक रूप से अव्यवहारिक या अन्यथा संभव नहीं रह जाता है;

(ग) उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़तालें या औद्योगिक मध्यस्थतालगातार 24 (चौबीस) घंटे की अवधि के लिए और एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों की कुल अवधि से अधिक के लिए,

(घ) कोई भी नागरिक उपद्रव, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो रियायतग्राही द्वारा एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए विमानन शुभांकर (Aeronautical Charges) के संग्रह को रोकता है;

(ङ) भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक खोजों की खोज के बाद ऐसे कार्यों को रोकने की स्थिति में, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति देने में प्राधिकरण की विफलता;

(च) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी जो किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण हुई है और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई ऑफसेट क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है;

(छ) कोई भी परोक्ष राजनीतिक घटना जो गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या

(ज) पूर्वोक्त में से किसी के समरूप प्रकृति की कोई घटना या परिस्थितियां।

32.4 राजनीतिक घटना

राजनीतिक घटना का तात्पर्य किसी सरकारी साधन द्वारा या उसके कारण निम्नलिखित कृत्यों या घटनाओं में से एक या अधिक से होगा:

(क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या किसी परियोजना परिसंपत्ति का अधिग्रहण या रियायतग्राही या ठेकेदारों के अधिकारों का जप्तीकरण;

(ख) रियायतग्राही या किसी ठेकेदार द्वारा इस करार और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी निकासी, पट्टे, लाइसेंस, अनुमति, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट का अवैध या अनधिकृत या अधिकार क्षेत्र के बिना निरस्तीकरण, या वैध कारण के बिना नवीनीकरण या अनुदान से इनकार, बशर्ते कि ऐसा विलंब, संशोधन, इनकार, अस्वीकृति या निरस्तीकरण इस तरह की निकासी, पट्टे, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या अनुमति के अनुदान, रखरखाव या नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का अनुपालन करने में रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की अक्षमता या विफलता के परिणामस्वरूप नहीं हुआ हो;

(ग) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी, लेकिन केवल किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई ऑफसेट क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है; या

(घ) पूर्वोक्त में से किसी के समरूप प्रकृति की कोई घटना या परिस्थितियां।

32.5 फोर्स मेज्योर की घटना की रिपोर्ट करने का दायित्व

32.5.1 फोर्स मेजोर की घटना होने पर, प्रभावित पक्ष तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की सूचना देगा। इसके तहत किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा:

(क) इस अनुच्छेद 32 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय बनने वाली प्रत्येक फोर्स मेजोर घटना की प्रकृति और सीमा, इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ;

(ख) अनुमानित अवधि और प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी फोर्स मेजोर का इस करार के तहत प्रभावित पक्ष के दायित्वों के निष्पादन पर पड़ रहा है या पड़ेगा;

(ग) वे उपाय जो प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए ले रहा है या लेने का प्रस्ताव करता है; और

(घ) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

32.5.2 प्रभावित पक्ष फोर्स मेजोर के लिए या उसके संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उचित रूप से व्यावहारिक होने पर तुरंत दूसरे पक्ष को अप्रत्याशित घटना की घटना की सूचना न दे दी हो, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष को इसके घटित होने का पता चलने या उचित रूप से पता होना चाहिए था, उसके 7 (सात) दिनों के बाद नहीं, और संभावित सामग्री प्रभाव का विवरण दिया हो जो अप्रत्याशित घटना के इस करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर पड़ने की संभावना है।

32.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना से गंभीर रूप से प्रभावित होने का दावा करना जारी रखता है, यह दूसरे पक्ष को नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें खंड 32.5.1 के अनुसार आवश्यक जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी जो दूसरा पक्ष उचित रूप से प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है।

32.6 रियायत पर फोर्स मेजोर घटना का प्रभाव

32.6.1 सी.ओ.डी. से पहले किसी भी फोर्स मेजोर घटना के घटित होने पर, वित्तीय समापन प्राप्त करने या पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने की अवधि अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर लंबाई की अवधि से बढ़ा दी जाएगी।

32.6.2 सी.ओ.डी. के बाद किसी भी समय, यदि कोई फोर्स मेजोर घटना घटित होती है:

(क) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि से पहले, ऐसे चरण की विकास अवधि, ऐसी फोर्स मेजोर घटना के बने रहने की अवधि के बराबर अवधि से बढ़ाई जाएगी; या

(ख) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि के बाद, जिसके पश्चात रियायतग्राही सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद विमानन शुल्क एकत्र करने में असमर्थ है या उसे प्राधिकरण या किसी सरकारी साधन द्वारा ऐसी फोर्स मेजोर घटना के अस्तित्व के दौरान इसके संग्रह को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, तो नियामक ऐसे किसी भी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और लागू विधियों के प्रावधानों के अनुसार उचित उपाय प्रदान करेगा।

32.7 फोर्स मेजोर घटना से उत्पन्न होने वाली लागतों का आवंटन

32.7.1 सी.ओ.डी. से पहले किसी भी फोर्स मेजोर घटना के घटित होने पर, पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

32.7.2 सी.ओ.डी. के बाद फोर्स मेजोर घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना से उत्पन्न और उसके लिए उत्तरदायी लागत और सीधे विमानन सेवाओं से संबंधित लागत ("फोर्स मेजोर घटना लागत") को निम्नानुसार आवंटित और भुगतान किया जाएगा:

(क) गैर-राजनीतिक घटना के घटित होने पर, पक्ष अपनी-अपनी फोर्स मेजोर लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) परोक्ष राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए उत्तरदायी और ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक न होने वाली सभी फोर्स मेजोर घटना लागतें रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएंगी, और जिस सीमा तक फोर्स मेजोर घटना लागत ऐसे स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक हो जाती है, ऐसी अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को प्रतिपूर्ति किया जाएगा, और

(ग) राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के लिए उत्तरदायी सभी फोर्स मेजोर घटना लागतों की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को की जाएगी।

फोर्स मेजोर लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओ एवं एम व्यय, मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में कोई वृद्धि और फोर्स मेजोर घटना के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन विमानन प्रभार से राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी फोर्स मेजोर घटना के घटित होने या अस्तित्व या उसके तहत किसी अधिकार के प्रयोग से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्रवाइयों के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

32.8 फोर्स मेजोर घटना की समाप्ति सूचना

यदि कोई फोर्स मेजोर घटना लगातार 365 (तीन सौ पैसठ) दिनों की अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो दोनों में से कोई भी पक्ष इस अनुच्छेद 32 में प्रदान किए गए को छोड़कर किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए बिना दूसरे पक्ष को समाप्ति सूचना जारी करके इस करार को अपनी विवेक से समाप्त कर सकता है, और ऐसी समाप्ति सूचना जारी होने पर, यह करार, इसमें निहित किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी, तुरंत समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि ऐसी समाप्ति सूचना जारी करने से पहले, समाप्ति सूचना जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे इरादे की सूचना देगा और प्रतिवेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, अपनी विवेक से समाप्ति सूचना जारी कर सकता है।

32.9 फोर्स मेजोर घटना हेतु भुगतान की समाप्ति

32.9.1 यदि समाप्ति किसी गैर-राजनीतिक घटना के कारण है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान का 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समाप्ति किसी परोक्ष राजनीतिक घटना के कारण है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान का 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समाप्ति किसी राजनीतिक घटना के कारण है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को वही राशि भुगतान करेगा जो प्राधिकरण की व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर देय होती।

32.10 विवाद समाधान

इस घटना में कोई पक्ष किसी फोर्स मेजोर घटना के घटित होने पर या उसके अस्तित्व के बारे में सद्भावनापूर्वक रूप से सहमत न होने पर, ऐसे विवाद का निपटान विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप से किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी फोर्स मेजोर घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में साबित करने का भार राहत और/या ऐसी फोर्स मेजोर घटना के कारण छूट का दावा करने वाले पक्ष पर होगा।

32.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष किसी फोर्स मेजोर घटना के कारण इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरी तरह या आंशिक रूप से निष्पादित करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऐसे फोर्स मेजोर घटना के कारण निष्पादित करने में असमर्थ होने की सीमा तक अपने ऐसे दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि:

(क) निष्पादन का निलंबन उस सीमा से अधिक नहीं होगा और उस अवधि से अधिक समय तक नहीं होगा जो अप्रत्याशित घटना द्वारा उचित रूप से आवश्यक है;

(ख) प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष के अस्तित्व या परिणाम के रूप में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले नुकसान को कम करने या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा और उचित मुस्तैदी के साथ इसे ठीक करेगा, और

(ग) जब प्रभावित पक्ष इस करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को पुनः शुरू करने में सक्षम होता है, तो वह दूसरे पक्ष को इस आशय की सूचना देगा और इसके तहत अपने दायित्वों के निष्पादन को दुबारा प्रारंभ करेगा।

32.12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए राहत

32.12.1 इस करार में विचार न की गई या संदर्भित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के घटित होने और जारी रहने पर, और जिसे एक विवेकशील और कर्मठ व्यक्ति द्वारा अनुमानित नहीं किया जा सकता था ("**अप्रत्याशित घटना**"), कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को उसके विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर इसके प्रभावों के साथ ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना दे सकता है। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्ष यह निर्धारित करने के लिए सद्भावनापूर्वक बैठक करेंगे और प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हुई है और जारी है, और इसके घटित होने पर करार पर पहुंचने पर इस खंड 32.12 के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटारा किया जाएगा।

32.12.2 किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने और जारी रहने के निर्धारण पर, पक्ष एक मध्यस्थता ट्रिब्यूनल को संदर्भ करेंगे जिसमें दोनों पक्षों द्वारा नामित प्रत्येक एक सदस्य शामिल होगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और इस प्रकार नामित मध्यस्थताकर्ता एक अध्यक्ष का चयन करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हों।

32.12.3 खंड 32.12.2 में संदर्भित मध्यस्थता ट्रिब्यूनल इस खंड के 32.12 में प्रदान किए गए को छोड़कर, अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार अपनी माध्यस्थता मध्यस्थता की संचालन करेगा, जैसे उस अनुच्छेद के तहत मध्यस्थता की हो।

32.12.4 इस खंड 32.12 में संदर्भित मध्यस्थता ट्रिब्यूनल स्वयं की संतुष्टि हेतु प्रारंभिक मध्यस्थता का संचालन करेगा कि:

(क) एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई है;

(ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को किसी ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता है जिसकी करार में परिकल्पना नहीं की गई है, और

(ग) अप्रत्याशित घटना या इसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा उसके किसी गतिविध या व्यतिक्रम के कारण नहीं हुए हैं, और यदि मध्यस्थता ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक शर्त पूरी होती है, तो वह इस आशय का आदेश जारी करेगा और इस खंड 32.12 के तहत आगामी मध्यस्थता जारी रखेगा।

32.12.5 इस खंड 32.12 में संदर्भित मध्यस्थता मध्यस्थता के पूरा होने पर, मध्यस्थता ट्रिब्यूनल एक तर्कसंगत आदेश द्वारा, सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ की शर्तें निर्धारित कर सकता है, जो निम्नलिखित होंगी:

(क) निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित;

(ख) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक से अधिक व्यापक नहीं;

(ग) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक लंबी अवधि की नहीं; और

(घ) राहत या उपचार के मामले में परिमाणित और प्रतिबंधित।

32.12.6 खंड 32.12.5 में संदर्भित आदेश और विचारार्थ विषय प्राप्त होने के 15 दिनों (पंद्रह दिनों) के अंदर, पक्षकार द्वारा बैठक किया जाएगा और अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए मध्यस्थता ट्रिब्यूनल द्वारा अनुशंसित राहत या उपचार को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने तथा इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सद्भावना से प्रयास करेंगे। ऐसे करार के नियम और शर्तें इस प्रकार प्रभावी और लागू होंगी मानो वे इस करार का ही हिस्सा हों, और उन्हें इस करार की संबंधित शर्तों को संशोधित करने वाला माना जाएगा

अनुच्छेद 33. करार के उल्लंघन के लिए मुआवजा

33.1 रियायतग्राही द्वारा व्यतिक्रम के लिए मुआवजा

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही द्वारा इस करार के मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम की स्थिति में, वह आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित माँग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, ऐसे मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा उठाए गए या किए गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजा प्राधिकरण को भुगतान करेगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 33 के तहत किसी भी मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस करार के तहत हर्जाने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और देय हैं या प्राधिकरण को हुए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए।

33.2 प्राधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के लिए मुआवजा

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, सी.ओ.डी. के बाद किसी समय प्राधिकरण के इस करार के मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम की स्थिति में, वह आवश्यक विवरणों द्वारा समर्थित माँग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, ऐसे मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप रियायतग्राही द्वारा उठाए गए या किए गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजा रियायतग्राही को भुगतान करेगा, बशर्ते कि ऐसे किसी भी मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस करार में हर्जाने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं।

किसी भी संदेह की स्थिति से बचने हेतु, देय मुआवजे में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओ एवं एम खर्च, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में कोई वृद्धि और इस तरह के मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम हेतु परोक्ष जिम्मेदारी के साथ अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन राजस्व का नुकसान या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान इसमें शामिल नहीं होंगे।

33.3 रियायत अवधि का विस्तार

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, इस घटना में कि खंड 33.2 में निर्धारित इस करार का कोई मौलिक उल्लंघन या व्यतिक्रम किसी भी चरण के सी.ओ.डी. को प्राप्त करने में देरी के कारण है या निलंबन की ओर जाता है, प्राधिकरण खंड 33.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के बदले में रियायत अवधि बढ़ाने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में इस प्रकार के विस्तार की अवधि पर प्राधिकरण द्वारा उसी समय विचार किया जाएगा और उसे निर्धारित किया जाएगा।

33.4 लागत और क्षति का न्यूनीकरण

प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा करार के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली या उसके परिणामस्वरूप होने वाली लागतों और क्षति को कम करने या सीमित करने हेतु सभी उचित प्रयास करेगा।

33.5 मुआवजा अतिरिक्त होना

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बशर्ते अन्यथा कहा गया हो, इस अनुच्छेद 33 के तहत देय मुआवजा, इस करार के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त होगा, और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है।

अनुच्छेद 34. रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

34.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम पर निलंबन

रियायतग्राही के व्यतिक्रम घटित होने पर, प्राधिकरण को, इस करार के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसके अंतर्गत समाप्ति के अधिकार शामिल हैं, (क) इस करार के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार होगा, जिसमें किसी भी शुल्क और अन्य प्रभार का भुगतान करने का रियायतग्राही का अधिकार शामिल है, और (ख) ऐसे निलंबन के दौरान ऐसे अधिकारों का स्वयं प्रयोग करना और इसके अंतर्गत दायित्वों का पालन करना या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से इनका प्रयोग या पालन करने के लिए अधिकृत करना ('निलंबन')। इसके अंतर्गत निलंबन, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी किए जाने पर तुरंत प्रभावी होगा और ऐसे नोटिस जारी करने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि तक बढ़ सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की पूर्वोक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाएगा।

34.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण का अधिकार

34.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, रियायतग्राही की ओर से, इस करार के अंतर्गत और इसके अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उन्हें एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण, संचालन और रखरखाव खर्चों को पूरा करने और निलंबन के कारण को दूर करने और सुधारने के लिए अपने द्वारा किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए, और उसके बाद खंड 29.3 में विनिर्दिष्ट खर्चों को चुकाने के लिए एस्क्रो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

34.2.2 इसके अंतर्गत निलंबन की अवधि के दौरान, इस करार के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और उत्तरदायित्व रियायतग्राही में निहित रहना जारी रहेंगे और इस करार तथा परियोजना करारों के अंतर्गत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय सहित किए गए सभी कार्य या की गई कार्रवाइयां, रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से की गई या की गई मानी जाएंगी और रियायतग्राही ऐसी अवधि के दौरान किए गए सभी खर्चों के लिए प्राधिकरण की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही एतद्वारा क्रमशः लाइसेंस और उप-लाइसेंस प्रदान करता है कि निलंबन के दौरान हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित रियायतग्राही के या रियायतग्राही को लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के लिए प्राधिकरण या इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका उपयोग या निर्माण रियायतग्राही द्वारा इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किया जाता है।

34.3 निलंबन का निरस्तीकरण

ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने खंड 34.1 में निर्धारित अवधि से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर निलंबन के कारण को सुधार लिया है या हटा दिया है, तो वह तुरंत निलंबन को निरस्त कर देगा और इस करार के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय निलंबन को निरस्त कर सकता है, चाहे इसके अंतर्गत निलंबन का कारण सुधारा गया हो या नहीं।

34.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

खंड 38.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपने कदम-दर-कदम अधिकारों के प्रयोग के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि, प्रतिस्थापन करार

के अंतर्गत और उसके अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा, और ऋणदाता प्रतिनिधि से उसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि को प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए, और इस अनुच्छेद 34 के तहत इसके किसी भी विस्तार के लिए, समाप्ति को रोके रखेगा।

34.5 समाप्ति

34.5.1 इस अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को निरस्त करने और समाप्ति नोटिस जारी करने की अपेक्षा कर सकता है। इस करार के प्रावधानों के अनुसार और खंड 34.4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिस्थापन करने के ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अधिकारों के अधीन, प्राधिकरण, ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, अनुच्छेद 33 के तहत रियायतग्राही के व्यतिक्रम की तरह, इस करार को अनुच्छेद 34 के तहत और उसके अनुसार समाप्त कर देगा।

34.5.2 इस करार में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी स्थिति में जब इसके तहत निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या अनुच्छेद 34 में निर्धारित विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर निलंबन को निरस्त नहीं किया जाता है, तो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर, यह करार पक्षकारों की आपसी सहमति से समाप्त हुआ माना जाएगा और इस करार के सभी प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसी समाप्ति पर लागू होंगे जैसे कि रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर प्राधिकरण द्वारा समाप्ति नोटिस जारी किया गया हो।

अनुच्छेद 35. समाप्ति

35.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम पर समाप्ति

35.1.1 इस करार में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस स्थिति में कि नीचे विनिर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित हुआ है, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित उपचार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है, या जहां कोई उपचार अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, तो 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर, रियायतग्राही को इस करार का व्यतिक्रम करने वाला माना जाएगा ('रियायतग्राही का व्यतिक्रम'), जब तक कि व्यतिक्रम प्राधिकरण द्वारा इस करार के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या बल majeure के कारण न हुआ हो। यहां उल्लिखित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) निष्पादन प्रतिभूति को खंड 9.2 के अनुसार भुना लिया गया है और विनियोजित कर लिया गया है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति करने या नई निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है;

(ख) खंड 9.2 के अनुसार नई निष्पादन प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति या प्रस्तुत करने के बाद, रियायतग्राही किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने या रियायतग्राही के व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, जिसके लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के भीतर, निष्पादन प्रतिभूति का पूरा या कुछ हिस्सा विनियोजित किया गया था;

(ग) रियायतग्राही खंड 12.5.2 और अनुसूची च के प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम उत्कृष्ट चरण मील का पत्थर प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के दौरान व्यतिक्रम में बना रहता है;

(घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाई अड्डे के निर्माण या संचालन को छोड़ देता है या छोड़ने का इरादा व्यक्त करता है;

(ङ) खंड 12.5.4 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी चरण का पूरा होना नहीं होता है;

(च) खंड 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पंच सूची की वस्तुएं पूरी नहीं की गई हैं;

(छ) खंड 19.6.9 के अनुसार आइएटीए सेवा स्तर इष्टतम के उल्लंघन के कारण रियायतग्राही द्वारा एक रियायत वर्ष के लिए भुगतान किए जाने वाले हर्जाने की राशि पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक है;

(ज) रियायत अवधि के दौरान किसी भी निरंतर 6 (छः) महीने की अवधि में अनुसूची ज में विनिर्दिष्ट मुख्य निष्पादन संकेतकों की महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के $\$2/3^{\text{rd}}$ (दो-तिहाई) से अधिक के उल्लंघन में रियायतग्राही है;

(झ) रियायतग्राही चरण 1 पूर्ण होने की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के भीतर खंड 23.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणन प्राप्त करने में विफल रहता है;

(ञ) रियायतग्राही इस करार में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भुगतान करने में विफल रहा है;

(ट) एस्को व्यतिक्रम घटित हुआ है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है;

(ठ) वितीय व्यतिक्रम के घटित होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि ने प्रतिस्थापन करार के अनुसार, यथास्थिति, निलंबन या समाप्ति करने के लिए नोटिस द्वारा प्राधिकरण की अपेक्षा की है और रियायतग्राही यहाँ ऊपर विनिर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है;

(ड) रियायतग्राही द्वारा किसी भी परियोजना करार के उल्लंघन से एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ढ) रियायतग्राही इस करार के उल्लंघन में कोई भार उत्पन्न करता है;

(ण) रियायतग्राही इस करार को अस्वीकार करता है या अन्यथा कोई मध्यस्थताकरता है या इस करार से बंधे न रहने के इरादे को प्रदर्शित करता है या convey करता है;

(त) खंड 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में स्वामित्व में परिवर्तन या कोई अन्य परिवर्तन हुआ है;

(थ) कानून के अनुसार किसी का स्थानांतरण हुआ है, (i) किसी भी परियोजना करार के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या (ii) रियायतग्राही की सभी या परिसंपत्तियों या उपक्रम का, और ऐसा स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(द) रियायतग्राही की किसी भी संपत्ति पर की गई निष्पादन मध्यस्थताने एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ध) रियायतग्राही दिवालिया या शोधन अक्षम घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी परिसंपत्तियों के पूरे या महत्वपूर्ण हिस्से के लिए कोई ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है;

(न) रियायतग्राही का परिसमापन किया गया है, या परिसमापन, विघटन, समापन, समामेलन या पुनर्गठन की प्रक्रिया में है, जिससे प्राधिकरण की उचित राय में एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(प) रियायतग्राही के समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, या रियायतग्राही के समापन के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई याचिका स्वीकार की जाती है और एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश उसकी तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है या अदालत द्वारा रियायतग्राही को समाप्त करने का आदेश दिया जाता है, सिवाय समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्य के अलावा, बशर्ते कि, ऐसे समामेलन या पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, रियायतग्राही की पूरी संपत्ति, परिसंपत्तियाँ और उपक्रम समामेलित या पुनर्गठित इकाई को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और समामेलित या पुनर्गठित इकाई ने इस करार और परियोजना करारों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को बिना शर्त मान लिया है; और बशर्ते कि:

(i) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस करार और परियोजना करारों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक क्षमता और संचालन का अनुभव है;

(ii) समामेलित या पुनर्गठित इकाई के पास इस करार और परियोजना करारों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की वित्तीय स्थिति है और उसकी साख सी.ओ.डी. पर रियायतग्राही की साख जितनी अच्छी है; और

(iii) प्रत्येक परियोजना करार पूर्ण बल और प्रभाव में रहता है;

(फ) रियायतग्राही का यहां निहित कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी जो, इस तिथि के अनुसार, महत्वपूर्ण रूप से झूठी, गलत या भ्रामक पाई जाती है या रियायतग्राही इसके बाद किसी भी समय इसके उल्लंघन में पाया जाता है;

(ब) रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई भी विवरण, नोटिस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो महत्वपूर्ण विवरणों में गलत है;

(भ) रियायतग्राही किसी भी ऐसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके लिए इस करार में समाप्ति विनिर्दिष्ट की गई है;

(म) रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक समाप्ति नोटिस जारी करता है, या

(य) रियायतग्राही इस करार के किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करता है यदि ऐसा व्यतिक्रम प्राधिकरण पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

35.1.2 इस करार के तहत प्राधिकरण के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी करके इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और रियायतग्राही को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, खंड 35.1.3 के प्रावधानों के अधीन, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

35.1.3 प्राधिकरण, यदि वरिष्ठ ऋणदाता हैं, तो खंड 35.1.2 में संदर्भित समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे के नोटिस की एक प्रति ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए भेजेगा और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन करार के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे को बताते हुए अभ्यावेदन करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिन का समय देगा। इस स्थिति में, प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो यह, अपने विवेक से, ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए समाप्ति को रोके रखेगा या निलंबन के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता प्रतिनिधि को प्रतिस्थापन करार के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए:

बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में विनिर्दिष्ट व्यतिक्रम को उपर्युक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर सुधार लिया जाए, और ऐसे सुधार पर, प्राधिकरण उपर्युक्त अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा।

बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की पूर्वोक्त अवधि को ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाएगा जो 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न हो, जैसा प्राधिकरण उचित समझे।

35.2 प्राधिकरण के व्यतिक्रम पर समाप्ति

35.2.1 इस स्थिति में कि नीचे विनिर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित हुआ है, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि के भीतर या ऐसी लंबी अवधि के भीतर ऐसे व्यतिक्रम को सुधारने में विफल रहता है जैसा कि इस करार में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, प्राधिकरण को इस करार का व्यतिक्रम करने वाला माना जाएगा ('प्राधिकरण का व्यतिक्रम') जब तक कि व्यतिक्रम रियायतग्राही द्वारा इस करार के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या बल majeure के कारण न हुआ हो। यहां उल्लिखित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्राधिकरण इस करार के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में एक महत्वपूर्ण व्यतिक्रम करता है और ऐसे व्यतिक्रम का रियायतग्राही पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्राधिकरण इस करार को अस्वीकार करता है या अन्यथा कोई ऐसी मध्यस्थताकरता है जो इस करार से बंधे न रहने के अपरिवर्तनीय इरादे की राशि है या प्रदर्शित करती है।

35.2.2 इस करार के तहत रियायतग्राही के पास मौजूद किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के व्यतिक्रम के घटित होने पर, रियायतग्राही, प्रतिस्थापन करार के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करके इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिन देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

35.3 समाप्ति भुगतान

35.3.1 प्राधिकरण के व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.2 रियायतग्राही के व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर को घटा दिया जाएगा।

35.3.3 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर समाप्ति पर:

(क) प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित के कम से कम 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(i) सी.ओ.डी. की $\$30^{\text{th}}$ वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही-खातों में पूंजीकृत सिटी साइड विकास के हिस्से के रूप में ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्यहासित बही मूल्य, यदि कोई हो; और

(ii) सी.ओ.डी. की $\$30^{\text{th}}$ वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही-खातों में पूंजीकृत सिटी साइड विकास के हिस्से के रूप में ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्य, जैसा कि एक अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसे अंतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

(ख) अंतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा विमानन परिसंपत्तियों, गैर-विमानन परिसंपत्तियों (सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) और रियायतग्राही द्वारा किसी भी प्रगति पर कार्य के लिए प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई समाप्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। संदेह को दूर करने के लिए, अंतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा सभी विमानन परिसंपत्तियाँ, गैर-विमानन परिसंपत्तियाँ (सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) और रियायतग्राही द्वारा कोई भी प्रगति पर कार्य रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क सौंप दिए जाएंगे।

35.3.4 पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि खंड 27.6, 32.9, 35.3 और 39.3 के अनुसरण में किए गए समाप्ति भुगतान

(क) आवश्यक विवरणों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को माँग किए जाने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही को देय और भुगतान योग्य हो जाएंगे, और किसी भी देरी की स्थिति में, प्राधिकरण अवैतनिक समाप्ति भुगतान राशि पर बैंक दर से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

(ख) इस करार की समाप्ति के कारण रियायतग्राही के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम समाधान का गठन करेंगे, और इसके तहत भुगतान दायित्वों का प्राधिकरण द्वारा निर्वहन करेंगे, और रियायतग्राही या उसके किसी शेयरधारक का किसी भी कानून, संधि, सम्मेलन, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई और अधिकार या दावा नहीं होगा।

35.4 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व

किसी भी कारण से समाप्ति पर, प्राधिकरण:

(क) तुरंत हवाई अड्डे का कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

(ख) साइट पर या उसके आसपास सभी सामग्रियों, स्टोरो, उपकरणों, निर्माण संयंत्रों और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण ले लेगा;

(ग) रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को साइट या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का हकदार होगा;

(घ) रियायतग्राही से अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन करने की अपेक्षा करेगा; और

(ङ) प्राधिकरण के चुनाव पर, रियायतग्राही द्वारा किसी भी आगे की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना, ऐसे परियोजना करारों के तहत रियायतग्राही के हितों में सफल होगा जैसा कि प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसे चुनाव पर केवल उन ठेकेदारों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो उनके संबंधित परियोजना करारों की शर्तों के तहत उस तिथि से और उसके बाद उनके लिए देय और भुगतान योग्य हैं जिस तिथि को प्राधिकरण रियायतग्राही के हितों में सफल होने का चुनाव करता है। रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि ऐसे ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए देय और बकाया के रूप में दावा की गई सभी राशियाँ या ऐसी तिथि से पहले किसी भी कार्य, व्यतिक्रम या घटना के कारण देय राशियाँ रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच ऋण का गठन करेंगी, और प्राधिकरण किसी भी तरह से ऐसी राशियों

के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह आगे सहमति है कि इस स्थिति में प्राधिकरण ऐसे परियोजना करारों के तहत किसी भी उत्कृष्ट व्यतिक्रम को सुधारने का चुनाव करता है, इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि को समाप्ति भुगतान से काट लिया जाएगा।

35.5 अधिकारों का अस्तित्व

इस करार में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 35.3 के प्रावधानों के अधीन, इस करार के प्रावधानों के अनुसार कोई भी समाप्ति दोनों पक्षकारों के प्रोद्भूत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें धन हर्जाना, बीमा आय, सुरक्षा जमा, और अन्य अधिकारों और उपायों का दावा करने और वसूल करने का अधिकार शामिल है, जो इसके पास कानून या अनुबंध में हो सकते हैं। इस करार के तहत दोनों पक्षकारों के सभी अधिकार और दायित्व, समाप्ति भुगतान और विनिवेश आवश्यकताओं सहित, समाप्ति के बाद भी उस सीमा तक बने रहेंगे जिस सीमा तक ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा अस्तित्व आवश्यक है।

अनुच्छेद 36. अधिकारों और हित का विनिवेश

36.1 विनिवेश आवश्यकताएँ

36.1.1 समाप्ति पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा और उनके अनुरूप होगा:

- (क) सभी परियोजना परिसंपत्तियों के स्थान और विवरण की प्राधिकरण को तुरंत सूचना देना;
- (ख) प्रतिस्थापन करार में निर्धारित सीमा को छोड़कर, सभी भारों से मुक्त और स्पष्ट हवाई अड्डे का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तुरंत सौंपना;
- (ग) सभी दोषों और कमियों से सभी परियोजना परिसंपत्तियों को सुधारना ताकि हवाई अड्डा इस करार के अनुरूप हो, बशर्ते कि विकास अवधि के दौरान समाप्ति की स्थिति में, सभी परियोजना परिसंपत्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद 'जैसी है जहाँ है' के आधार पर सौंप दिया जाएगा;
- (घ) मास्टर प्लान और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों और मैनुअलों सहित हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा और अन्य लाइसेंसों को वितरित और स्थानांतरित करना, और अंतरण तिथि के अनुसार पूर्ण 'एज बिल्ट' ड्राइंग। रियायतग्राही प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि इसके तहत वितरित बौद्धिक संपदा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और किसी भी भार से मुक्त प्राधिकरण को सौंपी जाएगी;
- (ङ) लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक सभी लागू परमिटों को स्थानांतरित और वितरित करना;
- (च) ऐसे हस्तांतरण विलेख, दस्तावेज और अन्य लेखन निष्पादित करना जो प्राधिकरण द्वारा परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हित को हस्तांतरित करने, विनिवेश करने और समनुदेशित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति को; और
- (छ) हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हित के विनिवेश और समनुदेशन को पूरा करने के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित या आवश्यक अन्य सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करना, सभी भारों से मुक्त, पूर्ण रूप से प्राधिकरण को या उसके नामित व्यक्ति को।

36.1.2 इस करार के तहत या किसी भी परियोजना करार के तहत रियायतग्राही के किसी भी दायित्व के प्रदर्शन या तीसरे पक्ष द्वारा प्रदर्शन को प्राप्त करने के अपने अधिकारों के प्राधिकरण द्वारा व्यायाम के अधीन, पक्षकार इस करार के किसी भी समाप्ति नोटिस के जारी होने के बावजूद, इस करार के अपने दायित्वों का निष्पादन जारी रखेंगे, जब तक कि इस करार की समाप्ति इसके निबंधनों के अनुसार प्रभावी नहीं हो जाती।

36.2 निरीक्षण और सुधार

समाप्ति से 90 (नब्बे) दिन पहले नहीं बल्कि ऐसी समाप्ति की प्रभावी तिथि से 15 (पंद्रह) दिन बाद नहीं, प्राधिकरण या उसका कोई भी नामित व्यक्ति, समय, तिथि और स्थान को निर्दिष्ट करते हुए रियायतग्राही को उचित नोटिस देने के

बाद, इस करार के निबंधनों के साथ रियायतग्राही के अनुपालन को सत्यापित करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य के लिए रियायतग्राही की लागत पर उपयुक्त परीक्षण आयोजित करवाएगा। व्यतिक्रम, यदि कोई हो, रियायतग्राही द्वारा अपनी लागत पर सुधारे जाएंगे और अनुच्छेद 37 के प्रावधान, इस अनुच्छेद 36 के तहत दोषों या कमियों को सुधारने के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

36.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

36.3.1 पक्षकार सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहयोग करेंगे और उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या साइट के किसी भी हिस्से के वैध कब्जाधारियों की सुरक्षा की रक्षा करने और अनुचित देरी या असुविधा से बचने के लिए इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सुचारू हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए सद्भावना से सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

36.3.2 पक्षकार एक-दूसरे को, समय बीतने के कारण समाप्ति की स्थिति में अंतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पहले और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे को सूचित करने की स्थिति में तुरंत, जैसा भी मामला हो, अंतरण तिथि के बाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के बारे में व्यावहारिक रूप से जितनी अधिक जानकारी और सलाह हो सके, प्रदान करेंगे। रियायतग्राही आगे ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जो प्राधिकरण, उसका रियायतग्राही या एजेंट अंतरण तिथि के 6 (छः) महीने की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

36.3.3 प्राधिकरण के पास उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी भार से मुक्त रियायतग्राही से परियोजना के संबंध में उपयोग की जाने वाली संयंत्र और मशीनरी के सभी या किसी भी हिस्से को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा जो खंड 36.1.1 में विनिर्दिष्ट परियोजना परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं है और परियोजना के संचालन के संबंध में उचित रूप से आवश्यक है।

36.4 निहित प्रमाण पत्र

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, हक और हित का विनिवेश उस तिथि को पूर्ण माना जाएगा जब सभी विनिवेश आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है, और प्राधिकरण, अनुचित देरी के बिना, उसके बाद अनुसूची ओ में निर्धारित प्रपत्र में काफी हद तक एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ('Vesting प्रमाण पत्र'), जिसका हवाई अड्डे में अपने सभी अधिकारों, हक और हित के रियायतग्राही द्वारा विनिवेश के प्रमाण के गठन का प्रभाव होगा, और तदनुसार प्राधिकरण में उनका vesting होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि विनिवेश आवश्यकताओं में कोई भी दोष या कमी किसी भी तरह से प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके संबंध में किसी भी अधिकार के व्यायाम को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं समझी जाएगी या व्याख्या नहीं की जाएगी, इस आधार पर कि रियायतग्राही द्वारा सभी विनिवेश आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

36.5 विनिवेश लागत आदि

36.5.1 रियायतग्राही समाप्ति पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, हक और हित के विनिवेश से जुड़े सभी खर्चों को वहन करेगा और भुगतान करेगा, जिसमें ऐसे विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख या दस्तावेजों पर देय सभी स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

36.5.2 इस अनुच्छेद 36 के अंतर्गत और उससे संबंधित मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

अनुच्छेद 37. समाप्ति के बाद दोष दायित्व

37.1 समाप्ति के बाद दोषों के लिए दायित्व

रियायतग्राही समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी दोषों और कमियों के लिए उत्तरदायी होगा, और इसके पास पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे में देखे गए सभी दोषों और कमियों को अपनी लागत पर मरम्मत करने या सुधारने का दायित्व है। यदि रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दोष या कमी की मरम्मत करने या सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण हवाई अड्डे को मुख्य निष्पादन संकेतकों और इस करार के निबंधनों के अनुरूप बनाने के लिए रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर उसकी मरम्मत या सुधार करवाने का हकदार होगा। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा माँग की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी, और ऐसे खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में व्यतिक्रम की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 37.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई निष्पादन गारंटी से इसकी वसूली करने का हकदार होगा।

37.2 एस्क्रो खाते में प्रतिधारण

37.2.1 इस करार में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, अंतरण तिथि से ठीक पहले वाले लेखा वर्ष के लिए अपने लेखा बही-खातों के अनुसार रियायतग्राही के कुल पूर्व-कर सकल राजस्व के 5% (पाँच प्रतिशत) के बराबर राशि खंड 35 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में दायित्वों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

37.2.2 खंड 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं, या अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से पहले 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि यह सिफारिश करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 37.2.1 में विनिर्दिष्ट राशि से बड़ी राशि एस्क्रो खाते में रखी जानी चाहिए और पूर्वोक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक लंबी अवधि के लिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र अभियंता द्वारा अनुशंसित राशि इसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के तहत निर्धारित राशि के समतुल्य राशि के लिए, और उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, अनुसूची ई में निर्धारित प्रपत्र में काफी हद तक एक बैंक से गारंटी प्रदान कर सकता है ('निष्पादन गारंटी'), जिसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ संशोधित किया जाएगा, और प्राधिकरण, इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 37.2.3 के तहत निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने पर, यथास्थिति, खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के निबंधनों में एस्क्रो खाते में धन का प्रतिधारण समाप्त कर दिया जाएगा।

ભાગ VI
અન્ય ઉપબંધ

अनुच्छेद 38. समनुदेशन और प्रभार

38.1 समनुदेशन और प्रभार पर प्रतिबंध

38.1.1 खंड 38.2 और खंड 38.3 के अध्वधीन, यह अनुबंध रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित नहीं किया जाएगा, सिवाय प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के, जिसे देने से प्राधिकरण बिना कोई कारण बताए इन्कार करने का हकदार होगा।

38.1.2 खंड 38.2 और खंड 25.4 के उपबंधों के अध्वधीन, रियायतग्राही इस अनुबंध या किसी भी परियोजना अनुबंध, जिसमें रियायतग्राही एक पक्षकार है, के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार और लाभों के संबंध में न तो कोई भार सृजित करेगा या न ही बनाए रखने की अनुमति देगा, और न ही उनका अंतरण या निपटान करेगा।

38.2 अनुमत समनुदेशन और प्रभार

खंड 38.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- (क) हवाई अड्डे के साधारण कारोबार के दौरान लागू विधियों के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न होने वाले ग्रहणाधिकार;
- (ख) हवाई अड्डे के साधारण कारोबार के दौरान उत्पन्न या सृजित परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा अन्य वस्तुओं/परिसंपत्तियों और उनके संबंधित हक के दस्तावेजों का दृष्टिबंधन, और यह वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं की ऋणग्रस्तता के लिए और/या हवाई अड्डे की कार्यशील पूंजी व्यवस्थाओं के लिए केवल सुरक्षा के रूप में होगा। वरिष्ठ ऋणदाता इस अनुबंध के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना और उसके अध्वधीन एस्क्रो खाते पर ग्रहणाधिकार सृजित करने के हकदार होंगे; तथा
- (ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में प्रतिस्थापन करार के अनुसार और उसके दायरे में, रियायतग्राही के अधिकारों, हित और दायित्वों का, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के पक्ष में और उनके लाभ के लिए, नामिती के रूप में समनुदेशन।

38.3 प्रतिस्थापन समझौता

38.3.1 वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के करार के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन समझौता ऐसे समय पर किया जाना है जैसा कि रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किया जाए, और यह रियायतग्राही, प्राधिकरण और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच, अनुसूची 'प' में निर्धारित फॉर्म के अनुसार काफी हद तक निष्पादित किया जाएगा। बशर्ते तथापि कि, यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, प्रतिस्थापन करार की शर्तों के अनुसार किसी नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा, इस प्रकार कि प्राधिकरण प्रतिस्थापन करार के प्रयोजनों के लिए एक नामित कंपनी है, और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा और प्रतिस्थापन करार के अन्य सभी नियम और शर्तें तदनुसार निर्णीत की जाएंगी।

38.3.2 प्रतिस्थापन करार के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामित कंपनी को इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का आनंद लेगी और सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगी मानो वह रियायतग्राही

हो, बशर्ते कि जहां ऐसे प्रतिस्थापन की तिथि पर रियायतग्राही इस अनुबंध के उल्लंघन में है, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की सुधार अवधि प्रदान करेगा।

38.4 प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

इस अनुबंध में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, रियायतग्राही को 60 (साठ) दिन का नोटिस देने के बाद, इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी अधिकार और लाभ और/या दायित्वों को ऐसे समनुदेशिनी को समनुदेशित और/या अंतरित कर सकता है जो प्राधिकरण की उचित राय में, इस अनुबंध के तहत प्राधिकरण के तत्समय बकाया सभी दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो।

38.5 स्टेप-इन अधिकार

38.5.1 किसी आपात स्थिति की स्थिति में, प्राधिकरण को रियायतग्राही के स्थान पर, स्वयं के माध्यम से या किसी नामित सरकारी उपकरण के माध्यम से, अस्थायी रूप से हवाई अड्डे का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार है। उस अवधि के दौरान जिसमें हवाई अड्डे पर नियंत्रण प्राधिकरण या नामित सरकारी उपकरण द्वारा ग्रहण किया जाता है, प्राधिकरण को उस सीमित अवधि के लिए इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए रियायतग्राही माना जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान रियायतग्राही के कर्तव्यों और दायित्वों को निलंबित कर दिया जाएगा और प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी उपकरण इस अनुबंध के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगा। बशर्ते तथापि कि, उपर्युक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, या आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित लंबी समयावधि के भीतर, प्राधिकरण या उसका नामित सरकारी उपकरण, जैसा भी मामला हो, हवाई अड्डे को रियायतग्राही को वापस सौंप देगा, ताकि वह यहाँ निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन कर सके।

38.5.2 ऐसे período के दौरान प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए वैमानिकी सेवाओं या गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के संबंध में कोई भी शुल्क, उसके द्वारा रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से रखा जाएगा और नीचे दिए गए खंड 38.5.3 के अध्वधीन रियायतग्राही को दिया जाएगा।

38.5.3 रियायतग्राही, स्टेप-इन की अवधि के दौरान, हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित उसके द्वारा किए गए किसी भी और सभी लागत और खर्चों के लिए प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण, जैसा भी मामला हो, को प्रतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करेगा, जिसकी लागत और खर्चों की भरपाई प्राधिकरण या उसके नामित सरकारी उपकरण द्वारा उपर्युक्त खंड 38.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों में से सेट-ऑफ की जा सकती है।

38.5.4 यदि स्टेप-इन की अवधि 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे खंड 32.4 के तहत फोर्स मेजर की एक राजनैतिक घटना माना जाएगा और तदनुसार इसका निपटान किया जाएगा।

अनुच्छेद 39. विनियामक सिद्धांत में परिवर्तन

39.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस अनुबंध में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक: से 7 (सात) वर्षों की समाप्ति के बाद विनियामक सिद्धांत में परिवर्तन होने पर, पक्षकार संयुक्त रूप से यह निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की नियुक्ति करेंगे कि क्या ऐसा परिवर्तन रियायतग्राही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिससे इसके कारण होने वाला भौतिक वित्तीय बोझ या हानि, तुरंत पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के अनुसार इसके लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों के अनुसार रियायतग्राही के पूर्व-कर सकल राजस्व का रु. 5,00,00,000/- और 0.5% में से जो भी अधिक हो, हो।

39.2 यदि ऐसा तीसरा पक्ष यह निर्धारित करता है कि परिवर्तन से उपर्युक्त अनुसार रियायतग्राही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पक्षकार इस अनुबंध में संशोधन पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए मिलेंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जो उसे प्राप्त होती यदि ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ होता। इस घटना में कि पक्षकारों की बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, रियायतग्राही, अपने एकमात्र विवेक पर, 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर इस अनुबंध को समाप्त करने के लिए अनुमत होगा।

39.3 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान का 70% के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुच्छेद 40. दायित्व और क्षतिपूर्ति

40.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

40.1.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, सेवकों, अभिकर्ताओं, सरकारी उपकरणों, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और प्राधिकरण के स्वामित्व वाले और/या नियंत्रित निकायों/उद्यमों ("सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति") को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्यवाहियों, माँगों और तीसरे पक्षों के दावों से किसी भी प्रकार और प्रकृति की किसी भी हानि, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा, सुरक्षित रखेगा और उनकी रक्षा करेगा, चाहे वे इस अनुबंध या किसी संबंधित अनुबंध के तहत रियायतग्राही के किसी भी उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुए हों या रियायतग्राही द्वारा दायित्वों के निष्पादन में किसी त्रुटि या कमी के कारण या अनुबंध या अपकृत्य के तहत रियायतग्राही की किसी भी लापरवाही से, या कपट या लापरवाही के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर उत्पन्न हुए हों, सिवाय उस सीमा के जहां ऐसे मुकदमे, कार्यवाहियाँ, कार्यवाहियाँ, माँगें और दावे सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों की ओर से किसी भी जानबूझकर किए गए लापरवाह कृत्य या व्यतिक्रम, या इस अनुबंध के उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुए हों।

40.1.2 खंड 10.3.6 के अधधीन, प्राधिकरण रियायतग्राही को (क) स्थल में शामिल भूमि में प्राधिकरण के स्वामित्व और/या अधिकारों में दोष, और/या (ख) इस अनुबंध या किसी संबंधित अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के प्राधिकरण द्वारा उल्लंघन, जो रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन को भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार और प्रकृति की किसी भी हानि, क्षति, लागत और खर्च के लिए तीसरे पक्षों के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्यवाहियों, माँगों और दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा, सुरक्षित रखेगा और रक्षा करेगा, सिवाय इसके कि जहाँ ऐसा कोई दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई, और/या माँग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, सेवकों या अभिकर्ताओं की ओर से किसी लापरवाह कृत्य या व्यतिक्रम, या इस अनुबंध के किसी भी उपबंध या किसी संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है, तो वह रियायतग्राही का दायित्व होगा।

40.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

40.2.1 अनुच्छेद 37 की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाली या इसके संबंध में किसी भी और सभी हानि और/या क्षति से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

(क) लागू विधियों और लागू परमिटों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता;

(ख) रियायतग्राही की आय के संबंध में या रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों के अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान, या

(ग) रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार को प्रदान की गई सामग्री या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का भुगतान न करना जो रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

40.2.2 इस अनुच्छेद 40 के उपबंधों की व्यापकता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्यवाहियों, दावों, माँगों, देनदारियों और क्षतियों से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा जो सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों को इसके बाद

किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, स्वामित्व या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न होने वाली माँगों, दावों, मुकदमों या कार्यवाहियों के कारण भुगतान पड़े या भुगतान करना पड़े, जो रियायतग्राही द्वारा या ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली या परियोजना में किसी भी तरह से शामिल या संबंधित किसी भी सामग्री, सूचना, डिजाइन या प्रक्रिया के संबंध में हो। यदि ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, कोई अस्थायी संयम आदेश या प्रारंभिक निषेधाज्ञा दी जाती है, तो रियायतग्राही निषेधाज्ञा या संयम आदेश को रद्द करने या निलंबित करने के लिए संतोषजनक बॉन्ड या अन्यथा देकर हर संभव उचित प्रयास करेगा। यदि ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, हवाई अड्डे, या उसके किसी भी हिस्से को उल्लंघन माना जाता है और इसके उपयोग पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उल्लंघन करने वाले कार्य के निरंतर उपयोग को अधिकृत करते हुए एक लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए तुरंत हर संभव उचित प्रयास करेगा। यदि रियायतग्राही निर्धारित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस सुरक्षित करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही अपने स्वयं के खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों को बिना प्रभावित किए, या तो प्रभावित कार्य, या उसके हिस्से, या प्रक्रिया को गैर-उल्लंघनकारी कार्य या हिस्से या प्रक्रिया से बदल देगा, या उसमें संशोधन करेगा ताकि वह गैर-उल्लंघनकारी हो जाए।

40.3 नोटिस और दावों का विरोध

इस घटना में कि किसी भी पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष से कोई दावा या माँग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद 40 ("क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार") के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है, वह दावा या माँग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्षकार ("क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार") को सूचित करेगा और क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिसे अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। इस घटना में कि क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार दावे या माँग का विरोध या विवाद करना चाहता है, वह अपनी उचित संतुष्टि के लिए इसमें शामिल किसी भी लागत के विरुद्ध सुरक्षित किए जाने वाले क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के अध्यक्षीन, क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है।

40.4 दावों का बचाव

40.4.1 क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष द्वारा ऐसे पक्षकार के विरुद्ध आरोप लगाए गए या दावा किए गए किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का विरोध करने, बचाव करने और मुकदमा लड़ने का अधिकार है, लेकिन यह बाध्यता नहीं है, जो किसी भी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसके लिए वह इसके तहत क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, और उसके उचित लागत और खर्चों की क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार द्वारा की जाएगी। यदि क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार इस अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान की गई पूरी सीमा तक नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार, यदि ऐसा आवश्यक हो, क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के नाम पर अपनी पसंद के वकील के माध्यम से और अपने खर्च पर ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही, देनदारियों, भुगतान और दायित्वों के बचाव को ग्रहण करने और नियंत्रित करने का हकदार होगा, बशर्ते कि वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को ऐसा करने के अपने इरादे का तुरंत नोटिस दे और क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार द्वारा ऐसे बचाव को ग्रहण करने से पहले क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार द्वारा किए गए उचित लागत और खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को प्रतिपूर्ति करे। क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, माँग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को ऐसी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है जो क्षतिपूर्ति प्राप्त

पक्षकार द्वारा इस प्रकार समझौता या निपटान की सीमा तक इसके तहत क्षतिपूर्ति किए जाने वाले नुकसान को सुरक्षित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

40.4.2 यदि क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार ने खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावा, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा।

40.4.3 यदि क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो भी क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार को अपने स्वयं के वकील को नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी मध्यस्थता में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के खर्च पर होंगे, जब और जैसे ही किए जाएंगे, जब तक कि:

(क) ऐसे पक्षकार द्वारा वकील की नियुक्ति को क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो;

(ख) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार ने उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला हो कि ऐसी मध्यस्थता के बचाव के संचालन में क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के बीच हितों का टकराव हो सकता है;

(ग) क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार ने वास्तव में, ऐसी मध्यस्थता के बचाव को ग्रहण करने के लिए, क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के लिए उचित रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील को नियुक्त नहीं किया हो और क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार द्वारा ऐसा अधिसूचित किया गया हो; या

(घ) क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार ने उचित रूप से निष्कर्ष निकाला हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार को अधिसूचित किया हो:

(i) कि उसके लिए विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्ति कर्ता पक्षकार को उपलब्ध बचाव से अलग या अतिरिक्त हैं; या

(ii) कि ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही में इस अनुबंध के दायरे से परे इस पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है या हो सकता है:

बशर्ते कि यदि इस खंड 40.4.3 के उप-खंड (ख), (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार के वकील को क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्षकार की ओर से ऐसे दावे, माँग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के बचाव का निर्देशन करने का अधिकार है, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण इसके तहत कानूनी या अन्य खर्चों का गठन करेंगे।

40.5 कोई परिणामी दावे नहीं

इस अनुच्छेद 40 में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, यहाँ प्रदान की गई क्षतिपूर्ति में अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी प्रकृति के किसी भी लागत, खर्च, हानि या क्षति के संबंध में कोई भी दावा या पुनर्प्राप्ति शामिल नहीं होगी, जिसमें मुनाफे की हानि भी शामिल है, सिवाय इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के।

40.6 समाप्ति पर उत्तरजीविता

इस अनुच्छेद 40 के उपबंध समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 41. विवाद समाधान

41.1 विवाद समाधान

41.1.1 पक्षकारों के बीच इस अनुबंध के तहत या इसके बाहर या इसके संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, भिन्नता या विवाद, और किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में ऐसा अधिसूचित किया गया, पहले उदाहरण में, खंड 41.2 में निर्धारित मध्यस्थता प्रक्रिया के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पक्षकार इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, समान रूप से और सद्भाव से हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, और सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त अभिलेखों, सूचनाओं और डेटा तक एक-दूसरे को उचित पहुँच प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं।

41.2 मध्यस्थता

पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्षकार विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर और रियायत अवधि के दौरान उद्योग विशेषज्ञ को मध्यस्थता करने और उसके सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने में पक्षकारों की सहायता करने के लिए बुला सकता है। स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, द्वारा मध्यस्थता विफल होने पर, या स्वतंत्र इंजीनियर या ऐसे उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्षकार ऐसे विवाद को प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता कर सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति संदर्भ की तिथि से 7 (सात) दिनों के बाद नहीं मिलेंगे ताकि विवाद पर चर्चा की जा सके और उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जा सके। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिन की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता है या खंड 41.1.1 में संदर्भित लिखित नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर या पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमत होने वाली लंबी अवधि के भीतर लिखित समझौता शर्तों पर हस्ताक्षर करने से प्रमाणित विवाद का समाधान नहीं होता है, तो कोई भी पक्षकार खंड 41.3 के उपबंधों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकता है।

41.3 मध्यस्थता

41.3.1 विनियामक फ्रेमवर्क के उपबंधों के अनुसार विवादों पर निर्णय लेने के लिए विनियामक की शक्ति और प्राधिकरण से संबंधित विनियामक फ्रेमवर्क के उपबंधों के अधीन, कोई अन्य विवाद जिसे खंड 41.2 में प्रदान किए गए अनुसार मध्यस्थता द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, खंड 41.3.2 के अनुसार मध्यस्थ अधिकरण द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 (समय-समय पर संशोधित) के उपबंधों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाहियों की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 3 (तीन) मध्यस्थों को मिलाकर एक मध्यस्थ अधिकरण होगा, जिनमें से प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) का चयन करेगा, और तीसरे मध्यस्थ का चयन इस प्रकार चयनित 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा, और दो मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थ अधिकरण एक तर्कसंगत पंचाट करेगा। इस अनुच्छेद 41 के अनुसरण में आयोजित किसी भी मध्यस्थता में किया गया कोई भी पंचाट उसके किए जाने की तिथि से पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट को पूरा करने के लिए सहमत और वचनबद्ध हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण इस बात से सहमत हैं कि किसी पंचाट को रियायतग्राही और/या प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के विरुद्ध जहाँ भी स्थित हों, लागू किया जा सकता है।

41.3.5 यह अनुबंध और पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में पंचाट के लंबित रहने तक, पूर्ण बल और प्रभाव में बने रहेंगे।

41.4 अधिकरण द्वारा निर्णय

इस अनुच्छेद 41 में अन्यत्र इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, विशिष्ट रूप से रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विवादों पर निर्णय लेने की शक्तियों के साथ या अन्यथा सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले विवादों से निपटने के लिए किसी सांविधिक अधिकरण या अन्य मंच के गठन की स्थिति में, ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, खंड 41.3 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के बजाय, लागू विधियों के अनुसार ऐसे अधिकरण या अन्य मंच द्वारा निर्णय किए जाएंगे और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भ तदनुसार निर्णीत किए जाएंगे।

अनुच्छेद 42. प्रकटीकरण

42.1 प्रकटीकरण

रियायतग्राही रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय पर और हवाई अड्डे पर सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए, इस अनुबंध और सुरक्षा आवश्यकताओं की प्रतियाँ, निःशुल्क, उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही टर्मिनल भवन पर प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें ऐसे निरीक्षण के लिए इस अनुबंध की उपलब्धता बताई गई हो, और 'लाभ नहीं हानि नहीं' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियाँ प्रदान करेगा।

42.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय पर और हवाई अड्डे पर, सभी कार्यदिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियाँ किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही 'लाभ नहीं हानि नहीं' के आधार पर प्रतिलिपि शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियाँ उपलब्ध कराएगा।

42.3 संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना

अनुच्छेद 39 और खंड 42.2 के उपबंधों के बावजूद, प्राधिकरण, उपर्युक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकने के लिए, समय-समय पर रियायतग्राही को निर्देश देने का हकदार होगा, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के तहत प्रकटीकरण करने और रोकने के लिए आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 43. जन शिकायतों का निवारण

43.1 शिकायत रजिस्टर

43.1.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय का रखरखाव करेगा जहाँ वह किसी भी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") द्वारा शिकायतों को दर्ज करने के लिए हर समय जनता की पहुँच के लिए खुला एक रजिस्टर ("शिकायत रजिस्टर") रखेगा। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और उस तक पहुँच से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा टर्मिनल भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि यह सभी उपयोगकर्ताओं के ध्यान में आ सके।

43.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बंधा हुआ होगा और इसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत संख्यांकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, दिनांक, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार तथा रियायतग्राही द्वारा की गई मध्यस्थतासहित उपयुक्त कॉलम होंगे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायतग्राही शिकायतकर्ता को दिनांक और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

43.1.3 खंड 43.1.1 और खंड 43.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, रियायतग्राही के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें दर्ज करने और उनके उत्तर देने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकता है।

43.2 शिकायतों का निवारण

43.2.1 रियायतग्राही प्रत्येक दिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित तथा उचित मध्यस्थताकरेगा। की गई मध्यस्थताको शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में नोट किया जाएगा और इसके विवरण बताते हुए एक उत्तर रियायतग्राही द्वारा डाक प्रमाण के तहत शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा।

43.2.2 प्रत्येक महीने की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही, प्राधिकरण को शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक-एक सत्य छायाप्रति भेजेगा जिन पर ऐसे महीने के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई है, और उसके अवलोकन पर, प्राधिकरण, अपने विवेक से, रियायतग्राही को किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए ऐसी आगे की मध्यस्थताकरने की सलाह दे सकता है जिसे प्राधिकरण उचित समझे। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और इस पर अपने निर्णय से प्राधिकरण को अवगत कराएगा, और यदि प्राधिकरण की यह राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत इसके निपटान के लिए मामले को सक्षम मंच के पास भेज सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और लागत पर शिकायत का पीछा करने की सलाह दे सकता है।

अनुच्छेद 44. विविध

44.1 शासकीय कानून और अधिकार क्षेत्र

यह करार भारत के कानूनों के अनुसार रचित और निर्वचित किया जाएगा तथा उनके द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली की अदालतें इस करार से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों पर अनन्य अधिकार क्षेत्र रखती होंगी।

44.2 उन्मुक्ति से छूट

प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

1. सहमति देता है कि इस करार का निष्पादन, वितरण और इसके द्वारा इसका निष्पादन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए वाणिज्यिक कार्य हैं;
2. सहमति देता है कि, इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में इसके या इसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई भी कार्यवाही लाई जानी चाहिए, ऐसी कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति (संप्रभुता या अन्यथा के कारण) इसके परिसंपत्तियों के संबंध में पक्ष द्वारा या उसकी ओर से दावा नहीं किया जाएगा;
3. उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार को छोड़ता है जो इसके पास या इसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी अधिकार क्षेत्र में इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और
4. ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी राहत देने या किसी प्रक्रिया को जारी करने के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है (इसके खिलाफ या किसी भी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के संबंध में निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित, उनके उपयोग या उसके संबंध में किए गए या दिए गए किसी भी आदेश या निर्णय के उपयोग के उद्देश्य के बावजूद)।

44.3 मूल्यहास

लागू कानूनों के तहत मूल्यहास के प्रयोजनों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्वाधीन माना जाएगा। लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले मूल्यहास के किसी भी दावे के संबंध में प्राधिकरण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

44.4 विलंबित भुगतान

44.4.1 इसके पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि इस करार के प्रावधानों के तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर किए जाएंगे, और यदि ऐसी कोई अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरणों के साथ माँग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर किए जाएंगे। जब तक इस करार में अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, ऐसी अवधि से परे देरी की स्थिति में, व्यतिक्रम करने वाला पक्ष बैंक दर से 2% (दो

प्रतिशत) अधिक की दर से गणना की गई देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, और उसकी वसूली इस करार के तहत पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी जिसमें इसका समापन भी शामिल है।

44.4.2 जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इस करार के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर संयोजित होगा और त्रैमासिक अंतरालों के आधार पर चक्रवृद्धि किया जाएगा।

44.4.3 खंड 27.6.2, 34.1 या 35.3 के अनुसरण में समापन के कारण प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय सभी भुगतान, अंतरण तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से बाद में नहीं किए जाएंगे।

44.5 छूट

44.5.1 इस करार के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी व्यतिक्रम की किसी भी पक्ष द्वारा छूट, जिसमें आंशिक या सशर्त छूट शामिल है:

क. इसके किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम की या इस करार के अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में संचालित या निर्वचित नहीं की जाएगी;

ख. तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो, और

ग. किसी भी तरह से इस करार की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

44.5.2 न तो किसी पक्ष द्वारा इस करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों के निष्पादन पर किसी भी अवसर पर जोर देने में विफलता और न ही इसके तहत कोई दायित्व और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य छूट को ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ना माना जाएगा या समझा जाएगा।

44.6 दस्तावेजों और आरेख की समीक्षा के लिए दायित्व

इस करार में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर:

क. रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना करार, दस्तावेज या ड्राइंग की प्राधिकरण द्वारा कोई समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन और न ही हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास का कोई अवलोकन या निरीक्षण और न ही इसके तहत समीक्षा, अनुमोदन, टिप्पणी, अवलोकन या निरीक्षण करने में विफलता, रियायतग्राही को इस करार, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त या बरी नहीं करेगी; और

ख. प्राधिकरण उपर्युक्त खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण रियायतग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

44.7 निहित वारंटी आदि का अपवर्जन

यह करार कानून द्वारा या प्रथा द्वारा या अन्यथा निहित किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य वचनबद्धता को स्पष्ट रूप से अपवर्जित करता है जो पक्षों के बीच किसी अन्य करार से उत्पन्न होती है या दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित एक बाध्यकारी कानूनी करार में शामिल किसी भी पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होती है।

44.8 उत्तरजीविता

44.8.1 समापन:

क. यथास्थिति, रियायतग्राही या प्राधिकरण को इसके तहत उन दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसके समापन से बचे रहते हैं; और

ख. इस करार के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर जो किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करता है, किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो ऐसे समापन की प्रभावशीलता से पहले ऐसे पक्ष के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न होता है या ऐसे समापन से उत्पन्न होता है।

44.8.2 समापन के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व ऐसे समापन की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

44.9 संपूर्ण करार

यह करार और अनुसूचियां मिलकर इस विषय पर पक्षों के बीच करार की शर्तों का एक पूर्ण और अनन्य विवरण बनाते हैं, और इसका कोई भी संशोधन या रूपांतरण तब तक वैध और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे रूपांतरण या संशोधन पर पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त नहीं की जाती है और संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित नहीं किया जाता है। इस करार से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य संचार निरस्त और वापस ले लिए जाते हैं। इसके पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि अनुरोध प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के कोई भी दायित्व, यथास्थिति, इस करार का हिस्सा बनेंगे और ऐसा माने जाएंगे।

44.10 विभाज्यता

यदि किसी भी कारण से, इस करार का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय है या बन जाता है या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या किसी अन्य उपकरण द्वारा अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष ऐसे अमान्य, अपरिवर्तनीय या अवैध प्रावधान के स्थान पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले एक या अधिक प्रावधानों पर सहमति व्यक्त करने के दृष्टिकोण से सद्भाव से बातचीत करेंगे, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय प्रावधान के जितना संभव हो सके निकट हो। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमति व्यक्त करने में विफलता इस करार के तहत निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया या अन्यथा के अधीन नहीं होगी।

44.11 साझेदारी नहीं

इस करार को पक्षों के बीच एक एसोसिएशन, संयुक्त उद्यम या साझेदारी बनाने के लिए, या किसी भी पक्ष पर कोई साझेदारी दायित्व या उत्तरदायित्व आरोपित करने के लिए निर्वाचित या व्याख्यायित नहीं किया जाएगा, और किसी भी पक्ष के पास दूसरे पक्ष के लिए या उसकी ओर से कोई समझौता या वचनबद्धता दर्ज करने, या एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने या होने, या अन्यथा दूसरे पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा।

44.12 तीसरा पक्ष

यह करार विशेष रूप से पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लाभ के लिए है, और इस करार में कुछ भी इस करार के पक्षकार नहीं होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य, देखभाल का मानक, या कोई दायित्व बनाने के लिए निर्वचित नहीं किया जाएगा।

44.13 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा, और उनके लाभ के लिए होगा।

44.14 सूचनाएं

इस करार द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उसके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाने वाली कोई भी सूचना या अन्य संचार लिखित में होगा और:

क. रियायतग्राही के मामले में, नीचे दिए गए पते पर हाथ से वितरित पत्र द्वारा और फैक्स या ई-मेल द्वारा दिया जाएगा और नीचे दिए गए व्यक्ति के ध्यानार्थ चिह्नित किया जाएगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है, बशर्ते कि उपर्युक्त खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शहर के बाहर के पते पर दी जाने वाली सूचनाएं या अन्य संचार, यदि बाद में पंजीकृत पावती रसीद, एयर मेल या कूरियर द्वारा उसकी एक प्रति भेजकर पुष्टि की जाती है, तो फैक्स या ई-मेल द्वारा उस नंबर पर भेजे जा सकते हैं जिसे रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है।

ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा

पदनाम: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी

पता: अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एसजी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत

ख. प्राधिकरण के मामले में, नीचे दिए गए पते पर हाथ से वितरित पत्र द्वारा और फैक्स या ई-मेल द्वारा दिया जाएगा और प्राधिकरण को वितरित प्रति के साथ नीचे नामित व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है, बशर्ते कि यदि रियायतग्राही का कार्यालय प्राधिकरण के समान शहर में नहीं है, तो वह ऐसी सूचना फैक्स या ई-मेल द्वारा और पंजीकृत पावती रसीद, एयर मेल या कूरियर द्वारा भेज सकता है।

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

पता: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110003

फैक्स नंबर: 91-11-24641088

ईमेल: chairman@aai.aero

ग. किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई कोई भी सूचना या संचार, इसके अनुसार दी गई, तब वितरित की गई मानी जाएगी जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया जाना चाहिए था और अन्य सभी मामलों में, यह वितरण की वास्तविक तिथि और समय पर वितरित की गई मानी जाएगी, बशर्ते कि फैक्स या ई-मेल के मामले में, यह इसके वितरण की तिथि के अगले कार्य दिवस पर वितरित की गई मानी जाएगी।

44.15 कानून में परिवर्तन

कानून में कोई भी परिवर्तन रियायतग्राही के पक्ष में इस करार की किसी भी शर्त या इस करार से प्रवाहित होने वाले किसी भी अधिकार और दायित्वों के किसी भी परिवर्तन या संशोधन के लिए आधार नहीं होगा। इसके तहत अधिकार और दायित्व कानून में किसी भी परिवर्तन से पूर्वग्रहित नहीं होंगे।

44.16 भाषा

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार, प्रलेखन और कार्यवाही जो किसी भी तरह से इस करार से प्रासंगिक हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे। (नोट: मूल दस्तावेज की आवश्यकता के अनुसार)

44.17 स्टाम्प ड्यूटी

इस करार के निष्पादन या वितरण पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क रियायतग्राही द्वारा देय होंगे।

44.18 प्रतिरूप

यह करार दो प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, जब निष्पादित और वितरित किया जाता है, इस करार का एक मूल गठन करेगा।

जिसके साक्ष्य के रूप में, पक्षकारों ने उपरोक्त के अनुसार, अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, इस समझौते पर उसी तिथि को हस्ताक्षर किए हैं जिसका उल्लेख यहाँ सबसे ऊपर पहले किया गया है;

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से यथाविधि

अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

नाम: श्री बी.के. महरोत्रा

पदानाम: कार्यपालक निदेशक ,

रणनीतिक पहल इकाई

साक्षी 1:

हस्ताक्षरित

नाम: एन.वी. सुब्बारायडु

पदानाम: महाप्रबंधक (इंजी- एस.आई. यू.)

अदानी अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड

के लिए और उनकी ओर से यथाविधि

अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

नाम: श्री बेहनाद जैदी

पदानाम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी

साक्षी 2:

हस्ताक्षरित

नाम: जय अमीन

पदानाम: मुख्य महाप्रबंधक (विधि)

अनुसूची

अनुसूची क

हवाई अड्डे का स्थल

(खंड 10.1 देखें)

1. स्थल

1.1 हवाई अड्डे का स्थल इस अनुसूची क के अनुबंध I में वर्णित है।

1.2 भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, पेड़ों और स्थल पर या उससे जुड़ी किसी अन्य अचल संपत्ति सहित स्थल की एक सूची प्राधिकरण और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची करार के खंड 10.3.1 में संदर्भित ज्ञापन का हिस्सा बनेगी।

1.3 स्थल के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है, इस अनुसूची क के अनुबंध II में प्रदान की गई है।

1.4 हवाई अड्डे के लिए निर्धारित स्थल, विमानन के साथ-साथ गैर-विमानन परिसंपत्तियों के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समायोजित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही, प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, विमानन सेवाओं और/या गैर-विमानन सेवा के उपक्रम के उद्देश्य से सिटी साइड विकास के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग कर सकता है, और इसके विपरीत, इस शर्त के अधीन कि सिटी साइड विकास के उद्देश्य से रियायतग्राही द्वारा उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल इसके लिए निर्धारित कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा (जैसा कि इसके अनुबंध III में विशेष रूप से निर्धारित है)।

2. हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

2.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार, पुष्टि और स्वीकार करता है कि स्थल का हिस्सा बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को undertake करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2.2 न तो प्राधिकरण किसी भी दायित्व के अधीन है और न ही रियायतग्राही परियोजना के विकास या कार्यान्वयन के किसी भी हिस्से को undertake करने के लिए रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी अतिरिक्त भूमि की माँग करने का हकदार होगा। किसी भी विमानन सेवाओं के प्रावधान और/या किसी भी एयरसाइड गतिविधियों के उपक्रम के लिए COD के बाद प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित हवाई अड्डे के संबंध में कोई भी भूमि, प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को अनिवार्य रूप से उसी नियमों और शर्तों पर पेश की जाएगी जिस पर ऐसी भूमि प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गई है।

परिशिष्ट I

(अनुसूची क)

हवाई अड्डे के लिए स्थल

पृष्ठभूमि: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (SVPIA) (IATA: AMD, ICAO: VAAH) भारत के गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर शहरों की सेवा करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा केंद्रीय अहमदाबाद से 9 किमी (5.6 मील) उत्तर में हंसोल में स्थित है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 045 डिग्री/8KM की दूरी पर है। इसका नाम भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। कि.मी.

वित्तीय वर्ष 2017-18 में, इसने लगभग 9.2 मिलियन यात्रियों को संभाला, जिससे यह भारत में यात्री यातायात के संदर्भ में आठवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इसे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा 2017 के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में "सर्वाधिक सुधरा हुआ हवाई अड्डा" के रूप में सम्मानित किया गया था।

हवाई अड्डा कनेक्टिविटी: अहमदाबाद हवाई अड्डा बस, टैक्सी/कैब या ऑटो द्वारा परिवहन के साथ शहर से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से सिटी सेंटर तक यात्रा करने में 14 मिनट लगते हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे और सिटी सेंटर के बीच अनुमानित ड्राइविंग दूरी 12 किमी है।

मौसम की स्थिति: अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मौसम की स्थिति ज्यादातर सुहावनी रहती है। अहमदाबाद में साल में लगभग 8 महीने गर्म और शुष्क मौसम का अनुभव होता है। औसत वार्षिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। औसत कुल वर्षा 750.9 मिमी, वर्षा के दिनों की औसत संख्या 33.6, दिनों की औसत संख्या (गरज 21, कोहरा 2.4 और आंधी 1.3)। दर्ज किया गया उच्चतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है और दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस है। सामान्यतः, अहमदाबाद में अच्छी दृश्यता होती है। वार्षिक औसत दृश्यता 2.5 किमी है और न्यूनतम दृश्यता 750 मीटर तक जाती है।

हवा की स्थिति: फरवरी से नवंबर तक हवा पूर्व दिशा की ओर बहती है और दिसंबर से जनवरी तक हवा पश्चिम दिशा की ओर बहती है।

हवाई अड्डे की वर्तमान सुविधाएँ एवं परिसंपत्तियाँ

रनवे संख्या	ऊँचाई मीटर (टीएचआर)	टीओआरए (मीटर)	टीओडीए (मीटर)	एसडीए (मीटर)	एलडीए (मीटर)	ढलान
05	54.86	3505	3505	3505	3505	-
23	57.60	3505	3505	3505	3505	0.07%

हवाई अड्डे पर वर्तमान में उपलब्ध विमान यातायात सेवाएँ, निगरानी और दिक्कालन सहायता सुविधाएँ निम्नलिखित हैं :

विमान यातायात सेवाएँ

एयरोड्रोम नियंत्रण	एसएमसी, टॉवर (एसएमजीसीएस और एपीपी राडार डिस्प्ले द्वारा समर्थित)
एप्रोच नियंत्रण	निगरानी आधारित एप्रोच नियंत्रण इकाई
क्षेत्र नियंत्रण	निगरानी आधारित क्षेत्र नियंत्रण इकाई (ऊपरी और निचले क्षेत्रों में ऊर्ध्वाधर द्विभाजन के साथ)
निगरानी	पीएसआर (एसआर)- एल्लिस/आरएल-2000, आरएसआर (एमएसएसआर)- एल्लिस एमएसएसआर-1, ऑटोमेशन-इंद्र/एयरकॉन-2100, ए डीएस-बी-कॉमसॉफ्ट, एसएमजीसीएस-हिट-साब
संचार	वीएचएफ ट्रांसमीटर, वीएचएफ रिसीवर, डीएटीआईएस, डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, वीसीएस-ड्रेक, आरसीएजी-रेथियॉन, एएमएसएस, डीएससिएन

दिक्चालन सहायक उपकरण

लोकलाइज़र-7014/13 नोरमार्क, ग्लाइड पाथ-
नोरमार्क 7034/33, डीएमई लो पावर-थेलेस 415,
डीवीओआर-एएसआई 1150, डीएमई हाई पावर-
मोपिएंस मारू320, एनडीबी/आउटटर लोकलाइज़र-
सैक 500

वर्तमान हवाई अड्डे पर निम्नलिखित मापों वाले टैक्सीवे और एप्रन उपलब्ध हैं:

टैक्सीवे और एप्रन का विवरण:

टैक्सीवे और एप्रन क्षेत्रफल का विवरण:				
टैक्सीवे और एप्रन	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	आयाम	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	टिप्पणी
एप्रन-1 घरेलू		775 मीटर x 200 मीटर	155000.00	-
एप्रन-2 अंतरराष्ट्रीय		383 मीटर x 136 मीटर	52088.00	-
पृथक पार्किंग स्टैंड		110 मीटर x 91 मीटर	-	-
टैक्सीवे	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)		
A	337.00	23	7751	रनवे 05 के डंबेल से एप्रन के बीच का संपर्क और इसके विपरीत, लंबाई 308.45 मीटर
B	337	23	7751	रनवे 05 की शुरुआत से 186 मीटर पर। रनवे को एप्रन से जोड़ता है

C	197	23	4531	रनवे 23 की शुरुआत से 2545 मीटर पर रनवे और समानांतर टैक्सीवे को जोड़ता है
D	300	23	6900	रनवे 23 की शुरुआत से 1711 मीटर पर रनवे और समानांतर टैक्सीवे को जोड़ता है
F	262	23	6026	रनवे 05/23 के दक्षिण में, TWYB (टैक्सीवे बी) के विपरीत वाला लिंक जो रनवे 05 की शुरुआत से 188 मीटर की दूरी पर स्थित आइसोलेशन बे को जोड़ता है।
P	1279	23	29417	रनवे 05/23 के उत्तर में स्थित समानांतर टैक्सीवे (parallel taxiway), जिसकी लंबाई टैक्सीवे बी (B) इंटरसेक्शन से 1279 मीटर है, तथा टैक्सीवे ए (A) और बी (B) के बीच की लंबाई 176.60 मीटर है

L1		एप्रन क्षेत्र में शामिल क्षेत्रफल		बी (B) से विमान स्टैंड 5, 8 से 13 और 22 से 24 तक विमान स्टैंड टैक्सीलेन
L2		एप्रन क्षेत्र में शामिल क्षेत्रफल		एल1 (L1) से स्टैंड संख्या 1, 2, 3, 4, 6 और 7 तक विमान (ACFT) स्टैंड टैक्सीलेन, जो अधिकतम 30 मीटर तक के विंगस्पैन (पंखों के फैलाव) वाले विमानों के लिए ही सीमित है।
L3		एप्रन क्षेत्र में शामिल क्षेत्रफल		एल1 (L1) से स्टैंड संख्या 14 से 21 तक विमान (ACFT) स्टैंड टैक्सीलेन
G	152.25	23	3501.75	1. केंद्र रेखा, एज मार्किंग, इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन 2. एज लाइटिंग और साइनेज 3. टैक्सीवे एच पर वीओआर चेक पॉइंट
H	152.25	23	3501.75	

टर्मिनल क्षेत्र और काउंटरों की संख्या :

टर्मिनल	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	काउंटरों की संख्या			
		चेक-इन काउंटर	प्रवासन	सीमा शुल्क	सुरक्षा
घरेलू	29423 वर्ग मीटर	23	-लागू नहीं-	-लागू नहीं-	11
अंतरराष्ट्रीय	41000 वर्ग मीटर	32	प्रस्थान: 16 आगमन: 17	03	05

अन्य यात्री और खरीदारी सुविधाएँ निम्नलिखित हैं :-

अन्य यात्री सुविधाएँ

प्रवेश द्वार		
घरेलू (T-1)		आगमन: 02 प्रस्थान : 02 (चार कॉलम के साथ) + 01 (स्टाफ द्वार और सक्षम व्यक्तियों के लिए)
अंतरराष्ट्रीय (T-2)		कुल: 08 आगमन: 02 प्रस्थान : 06
एक्स-रे बैगेज सुविधाएँ		• ○ एक्स-बीआईएस 100100वी (स्मिथ्स) मात्रा: 06 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ○ एक्स-बीआईएस 6040आई (स्मिथ्स) / एक्स-बीआईएस 100100वी (नूटेक) / सीएक्स6040बीई (नूटेक) मात्रा: 12 / मात्रा: 06 / मात्रा: 04 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ○ इन-लाइन एक्सबीआईएस (स्मिथ्स) मात्रा: 01 घरेलू

		○ ईटीडी (स्मिथ्स) आयन स्कैन 500डीटी मात्रा: 07 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ○ ईटीडी (सैफ्रन मोफो डिटेक्शन) मात्रा: 04 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ○ डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) मात्रा: 24 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ○ एचएचएमडी (हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर) मात्रा: 40 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ○ सीसीटीवी कैमरों की संख्या: 262 सर्वर सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय
--	--	---

शॉपिंग सुविधा

- **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन:** फूड कोर्ट, प्रीमियम लाउंज, वोडाफोन काउंटर, सौंदर्य प्रसाधन, हर्बल शॉप, रेस्तरां, ब्रांडेड आभूषण की दुकान, लेदर बुटीक, गिफ्ट शॉप, स्नैक बार, ड्यूटी फ्री शॉप, गवी गुजरात स्थानीय हस्तशिल्प की दुकान, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स, खादी और ग्रामोद्योग दुकान, स्पा, सबवे फूड ज्वाइंट, बैगेज रैपिंग, मैगजीन शॉप, ब्रांडेड शू शॉप, ब्रांडेड आइसक्रीम पार्लर

कार पार्किंग

भवन	विवरण
नया टर्मिनल	वर्तमान में कार पार्किंग का प्रबंधन डीजीआर जनशक्ति अनुबंध की सहायता से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं किया जा रहा है।

यात्री सुविधाएं

- सार्वजनिक संबोधन प्रणाली - मात्रा **02**, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय
- उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय
- अंतर-टर्मिनल लिंक
- दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल संरचनाएं
- निःशुल्क चिकित्सा सेवा, निःशुल्क यात्री सामान ट्रॉलियां, निःशुल्क पीने का पानी, यात्री सूचना और मार्गदर्शन संकेतन
- निःशुल्क वाई-फाई, मनोरंजन टेलीविज़न, शिशु देखभाल कक्ष
- अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों के लिए आरक्षित लाउंज, प्रीमियम लाउंज
- व्हीलचेयर, पर्यटक सूचना, सेनेटरी नैपकिन वैंडिंग मशीनें, वॉशरूम फीडबैक सिस्टम, एयर सेवा कियोस्क, समाचार पत्र स्टैंड, क्सेस कियोस्क
- एटीएम सुविधा
- डाक सेवाएं
- मनी एक्सचेंज
- बैंक
- मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट

- खोया और पाया सुविधा
- धूम्रपान क्षेत्र
- कार्यकारी लाउंज
- प्रीपेड टैक्सी सेवा
- प्लास्टिक बोतल क्रशर
- गोल्फ कार्ट
- प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डे का सड़क मानचित्र

हवाई अड्डा-भूमि विवरण

वर्तमान हवाई अड्डा स्वतंत्रता-पूर्व काल यानी **1937** से स्थापित किया गया है।

परियोजना के लिए भूमि के स्वामित्व की स्थिति इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	मूल्य
हवाई अड्डा क्षेत्र	एकड़	987.12
प्राधिकरण के स्वामित्व के अंतर्गत भूमि	एकड़	704.40 (उत्परिवर्तित)
उत्परिवर्तन के अधीन	एकड़	282.72

- वर्तमान में **33** विमान पार्किंग स्टैंड हैं (अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में **06** संख्या और घरेलू टर्मिनल में **27** संख्या)।
- **19** और स्टैंडों यानी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के लिए **07** संख्या और घरेलू टर्मिनल के लिए **12** संख्या के लिए कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट II

(अनुसूची क)

स्थल के लिए मास्टर प्लान

1. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक अत्याधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है जो पर्यटन और व्यापार बाजारों की सेवा करेगा और भारत में हवाई यात्रा की माँग में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाएगा।

2. चरण I विकास:

रियायत अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे का विकास करना प्रस्तावित है। रियायतग्राही e) इस करार में प्रदान किए गए सभी चरणों के लिए हवाई अड्डे के मास्टर प्लान को तैयार और अद्यतन करेगा।

रियायतग्राही करार में निर्धारित तरीके से हवाई अड्डे के चरण 1 की योजना बनाएगा और उसका विकास करेगा, साथ ही अपनी माँग अनुमानों के अनुसार सहायक सुविधाओं के साथ-साथ वार्षिक यात्री थ्रूपुट क्षमता (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और वार्षिक कार्गो संचालन क्षमता को पूरा करेगा।

3. बाद के चरणों के दौरान विकास:

क. बाद के चरणों के लिए विकास योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य निष्पादन संकेतकों (Key Performance Indicators) की निरंतर प्राप्ति से जुड़े विशिष्ट पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को शुरू करने का प्रावधान होगा।

ख. रियायतग्राही चरण I के बाद के चरणों के लिए विकास योजना, मास्टर प्लान में परिभाषित ऐसे चरण के लिए निर्माण कार्यों के शुरू होने की नियोजित तिथि से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले प्रस्तुत करेगा।

ग. रियायतग्राही मास्टर प्लान का उपयोग करते हुए, हवाई अड्डे पर वास्तविक पीक ऑवर यात्री यातायात और वार्षिक यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए, पूर्ववर्ती 6 (छह) महीने की अवधि में देखे गए यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, समयबद्ध तरीके से चरण I के बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्य शुरू करेगा।

घ. उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण के लिए अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की योजना बनाएगा ताकि मुख्य निष्पादन संकेतकों, आईएटीए सेवा स्तर 'सी' (इष्टतम मानक), सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू कानूनों के तहत किसी अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन न हो।

4. रियायतग्राही निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार यहां दी गई परिप्रेक्ष्य योजना का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करेगा:

- रियायतग्राही के पास करार के प्रावधानों के अधीन सुविधाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने की लचीलापन है।

- मास्टर प्लान नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित नागर विमानन आवश्यकताओं (CAR), ICAO दस्तावेजों और अनुलग्नकों, और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार होगा।

- टर्मिनल भवन के लिए सेवा का स्तर - IATA सेवा स्तर 'C' (इष्टतम मानक) के अनुरूप। टर्मिनल भवन का डिज़ाइन वर्तमान संचालन और मौजूदा बुनियादी ढांच पर न्यूनतम प्रभाव के साथ वृद्धिशील विस्तार में सक्षम होना चाहिए।

- सिटी साइड विकास समझौते के प्रावधानों और लागू कानून के अनुसार होगा।

- रियायतग्राही, उपर्युक्त दिशानिर्देशों तथा इस अनुसूची क, अनुसूची ख और ग में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर, मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. समग्र विकास रणनीति एवं दर्शन का विवरण;
2. यातायात पूर्वानुमानों का विवरण तथा प्रत्येक परियोजना सुविधा के विकास हेतु यातायात ट्रिगर, जो यातायात वृद्धि से संबद्ध हैं;
3. प्रत्येक चरण में हवाई अड्डा और उसके प्रत्येक परिक्षेत्र (प्रिसिंक्ट) कैसा दिखेगा, इसका दृष्टिकोण, तथा क्षमता प्राप्त होने की अवधि के अंत में हवाई अड्डे का अंतिम दृष्टिकोण;
4. हवाई अड्डे तथा अभिगमन (अप्रोच) एवं उड़ान-भरने (टेक-ऑफ) क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें;
5. हवाई अड्डे के चरणबद्ध विकास का ग्राफिक प्रस्तुतीकरण प्रदान करना;
6. अवधारणाओं और विकल्पों की तकनीकी, आर्थिक एवं पर्यावरणीय जाँच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;
7. ऐसे अन्य विषय जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँ।

5. परिप्रेक्ष्य योजना

6. प्रत्येक चरण के लिए विकास योजना (“विकास योजना”) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क. विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

- i. मास्टर प्लान;
- ii. इसमें निहित अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित अपेक्षाएँ;
- iii. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के अनुसार
- iv. भारत सरकार के नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यह समझौता तथा उत्तम उद्योग प्रथा (गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस) के अनुरूप

ख. विकास योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- i. प्रत्येक चिह्नित परियोजना सुविधा के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन और रेखाचित्र;
- ii. मात्रा एवं लागत अनुमान;
- iii. विनिर्देश और मानक
- iv. पूर्णता समय-सारणी;
- v. वित्तपोषण योजना; और
- vi. कोई अन्य मानदंड, जो प्राधिकरण अथवा किसी संबंधित सरकारी अभिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाएँ।

6. रियायतग्राही, सीओडी से आरंभ करके प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष में मास्टर प्लान को अद्यतन करेगा।
7. रियायतग्राही, वैमानिकी सेवाओं (एरोनॉटिकल सर्विसेज़) में सुधार या वृद्धि करने अथवा भीड़भाड़ को न्यूनतम करने या समाप्त करने हेतु हवाई अड्डे के किसी भाग का विस्तार करने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है।
8. चरण I के पश्चात के चरणों का निर्माण समझौते के खंड 12.7 में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

परिशिष्ट III

(अनुसूची क)

नगर साइड विकास

वाणिज्यिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि 27.65 एकड़ है जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियां संचालित करने के लिए किया जा सकता है। नगर साइड विकास के लिए भूमि उपयोग योजना परिशिष्ट II (अनुसूची क) में दी गई परिप्रेक्ष्य योजना में दिखाई गई है।

परिशिष्ट IV
(अनुसूची क)
नक्काशीदार परिसंपत्तियाँ और क्षेत्र

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थल और परियोजना परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

क्र.सं.	परिसंपत्ति / विवरण	क्षेत्रफल (लगभग एकड़)
1.	कार्गो कॉम्प्लेक्स	17.50 एकड़
2.	1. सं.दि.नि. वि.या.प्र. और स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता (16.0 एकड़) 2. प्रशासनिक ब्लॉक (1.0 एकड़) 3. वि.या.प्र. टॉवर (2.5 एकड़) 4. मौजूदा स्कूल (3.0 एकड़)	22.50 एकड़
3.	भारतीय वायु सेना (IAF) को आवंटित/आवंटित की जाने वाली भूमि	34 एकड़
	कुल	74.0 एकड़

अनुसूची ख

हवाईअड्डे का विकास

(खंड 2.1 देखें)

1. हवाईअड्डे का विकास

एक अच्छी तरह से विकसित हवाईअड्डे की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला योजना दृष्टिकोण, विभिन्न चरणों के लिए अनुमानित भविष्य के यातायात के आधार पर एयरसाइड, टर्मिनल विकास और अन्य सुविधा आवश्यकताओं को स्थापित करना होना चाहिए। सुविधा आवश्यकताएँ, योजना अवधि के दौरान प्रासंगिक पूर्वानुमान डेटा पर तकनीकी और सेवा स्तर के मानकों के अनुप्रयोग का परिणाम होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमानक्षेत्र के वाणिज्यिक संचालन दिनांक: से रियायत अवधि के अंत तक अनुमानित यातायात संस्करणों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

समग्र विमानक्षेत्र क्षमता और उपयोगकर्ताओं को सेवा स्तर को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियाँ रनवे/टैक्सीवे प्रणाली और यात्री टर्मिनल भवन (तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विभाजन), साथ ही एप्रन स्टैंड और संपर्क गेटों की संख्या हैं। हवाईअड्डे का चरणों में विकास अनुसूची ए में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

इसके अलावा, विमानक्षेत्र के बुनियादी ढाँचे को इस करार में निर्धारित सेवा स्तर के मानकों को पूरा करने वाले अनुमानित यातायात को पूरा करने के लिए नियमित रूप से सुविधाओं का रखरखाव और उन्नयन करने, उपकरणों को बदलने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर निवेश की आवश्यकता होती है।

2. विकास की विचारधारा

किसी भी योजना प्रयास का उद्देश्य पूर्वानुमानित माँग का समर्थन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं को निर्धारित करना है, जिसमें अल्पावधि योजना का उपयोग आवश्यक प्रारंभिक विकास की पहचान करने के साधन के रूप में किया जाता है। हालांकि, यह भी अनिवार्य है कि योजना प्रयास ऐसा विकास शुरू न करें जो विमानक्षेत्र के बाद के चरणों को विकसित करने की क्षमता को रोकता हो या काफी हद तक जटिल बनाता हो। इसके अतिरिक्त, योजना प्रयास के परिणामस्वरूप एक ऐसी योजना तैयार होनी चाहिए जो लचीली बनी रहे और साथ ही विमानक्षेत्र के विशिष्ट तत्वों की क्रमिक वृद्धि के लिए एक समन्वित योजना को निश्चित रूप से स्थापित करे।

सततता

पर्यावरण संरक्षण स्थल के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए विचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मास्टर प्लान विभिन्न दृष्टियों से इस पर विचार करेगा, जिसमें परियोजना स्थल पर कैसे स्थित है, यह स्थल के भीतर और उसके आसपास के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण के लिए स्थल तक परिवहन और उसकी प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से, के संबंध में समग्र स्थल स्थिरता पर विचार किया जाएगा।

जल: जल की माँग का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और स्थल पर जल का उपचार कैसे किया जाता है?

टिकाऊ, संपूर्ण स्थल जल रणनीतियों को पहले भवन उपयोग, सिंचाई और अग्नि सुरक्षा के लिए जल माँग के प्रबंधन के माध्यम से माँग में कमी को बढ़ावा देना चाहिए। भवन की माँगों का प्रबंधन जल-कुशल फिक्स्चर, अर्थात् सिंक और शौचालयों के प्रावधान द्वारा किया जाना चाहिए। सूखा-सहिष्णु मूल प्रजातियों के उपयोग से

सिंचाई आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए। ऐसी रणनीतियों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो सिंचाई और विमान धुलाई सहित गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए ग्रेवाटर और वर्षा जल के संकलन को बढ़ावा देती हैं।

ऊर्जा: स्थल पर ऊर्जा किस प्रकार प्रदान की जाती है या टिकाऊ तरीकों से पहुंचाई जाती है, और संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता वाले भवन तंत्र कितनी कुशलता से काम करते हैं?

हवाईअड्डे का अंतिम ऊर्जा निष्पादन सूचकांक (EPI) समय-समय पर संशोधित उद्योग औसत से कम होगा।

स्थल पर इमारतों के संचालन के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा संवहन प्रणालियों, उपकरणों, विशेष प्रणालियों (जैसे सामान लाने-ले जाने की प्रणाली) और एचवीएसी/प्रकाश व्यवस्था के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से एचवीएसी और प्रकाश व्यवस्था के भार को सौर छायांकन (उदाहरण के लिए सनशेड के उपयोग के माध्यम से) और डेलाइटिंग के उपयोग से कम करने की क्षमता है। इन रणनीतियों को प्रत्येक सहायक भवन के साथ-साथ यात्री टर्मिनल में भी लागू किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि आधुनिक नियंत्रण तकनीकों और ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निष्पादन गुणांक (COP) वाली सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल वातानुकूलन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

सामग्री/संसाधन: निर्माण के दौरान और दैनिक संचालन के दौरान स्थल पर कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और क्या टिकाऊ तरीकों से नई सामग्री का चयन और स्थापना की जाती है?

स्थल कार्यों, यात्री टर्मिनल भवन और सहायक संरचनाओं के निर्माण में उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामग्रियां निम्नलिखित होनी चाहिए: कम विषैली, टिकाऊ, कम रखरखाव वाली, और पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग (जितनी जल्दी हो सके)। जहां क्षेत्रीय उत्पाद और सामग्रियां उपलब्ध हैं जो उल्लिखित निष्पादन मानदंडों को पूरा करती हैं, उन उत्पादों को उपयोग के लिए विचार किया जाना चाहिए।

अपशिष्ट प्रबंधन: स्थल पर अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

एक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति विकसित की जानी चाहिए जो निर्माण अपशिष्ट को कम करे, जिससे बदले में सामग्री को स्थल तक और अपशिष्ट को स्थल से दूर ले जाने में खर्च होने वाली परिवहन ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। एक बार सुविधाएँ पूरी हो जाने के बाद, पुनर्चक्रण और यदि संभव हो तो जैविक कचरे के खाद को बढ़ावा देने के माध्यम से दैनिक संचालन के दौरान श्रमिकों और यात्रियों द्वारा उत्पन्न लैंडफिल कचरे को सीमित करने के लिए एक रणनीति विकसित की जानी चाहिए।

इनडोर पर्यावरण गुणवत्ता: क्या ऑक्सीजन की स्वच्छ हवा और दिन के उजाले तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए भवन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है; क्या ध्वनिक चिंताओं को कम किया गया है?

सभी भवनों को यांत्रिक रूप से हवादार किया जाएगा और कम वीओसी सामग्री के चयन से इनडोर क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। भवन के अंदर बाहरी विमान और वाहन के शोर के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए विशेष ग्लेज़िंग और अन्य ध्वनिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए; यात्रियों और कार्य गतिविधि से उत्पन्न इनडोर शोर को नियंत्रित करने के लिए इसी तरह के उपाय किए जाने चाहिए।

न्यूनतम स्थल स्थिरता लक्ष्य और लक्ष्य:

- सौर ऊर्जा के माध्यम से कम से कम 25% (पच्चीस प्रतिशत) सड़क और पार्किंग स्थल की रोशनी के लिए बिजली प्रदान करना।

- स्थल पर उत्पन्न सभी वर्षा जल अपवाह के कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) की वर्षा जल संचयन प्रदान करना। ऐसे पानी का उपयोग जलभर (aquifer) को पुनर्भरण करने या सिंचाई के पानी के रूप में किया जा सकता है।
- उपयोगिता सहायता भवनों के लिए सौर ऊर्जा या पुनर्चक्रण योग्य ऊर्जा के अन्य रूपों का उपयोग करना, यानी बिजली उत्पादन के लिए मीथेन गैस।
- उपचारित सीवेज के पानी के सभी पानी का पुन उपयोग चिलर मेकअप वाटर या सिंचाई के पानी के रूप में करना।
- स्थल पर मौजूद जितने भी मौजूदा पेड़ हैं उन्हें बचाना और/या वाणिज्यिक विकास क्षेत्रों में उपयोग के लिए उन्हें स्थानांतरित करना।

3. हवाई अड्डा

हवाईअड्डे के विकास में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. इस अनुसूची बी में वर्णित और इस अनुसूची बी के अनुलग्नक I में सूचीबद्ध विभिन्न परिसंपत्तियों का निर्माण और अधिग्रहण, जिसमें आवश्यकतानुसार, रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, विमान पार्किंग बे, एयर ट्रेफिक कंट्रोल टॉवर, कार्गो सुविधाएँ, पार्किंग, फ्लाइट किचन, एमआरओ सुविधाएँ, वेयरहाउसिंग सुविधाएँ, एयरलाइन कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और संबंधित सुविधाएँ शामिल हैं;
- ii. टर्मिनल भवन और सुविधाओं का निर्माण और अधिग्रहण; तथा
- iii. आवश्यक एप्रोच सड़कों का निर्माण।

3.2 विमानक्षेत्र का निर्माण रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान और अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

4. आरक्षित क्षेत्र

रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को चिह्नित और आवंटित करेगा।

5. सिटी साइड विकास

5.1 सिटी साइड विकास, अनुसूची ए के अनुलग्नक III में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार और उनके अधीन किया जाएगा।

5.2 सिटी साइड विकास, अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक I

(अनुसूची ख)

परिसंपत्तियों/परियोजना सुविधाओं का विवरण

इस अनुसूची का उद्देश्य विमानक्षेत्र पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न परियोजना सुविधाओं का व्यापक विवरण और आवश्यकताएँ प्रदान करना है। रियायतग्राही इस करार के प्रावधानों के अनुसार परियोजना सुविधाओं का संचालन, प्रबंधन और विकास करेगा।

1. परिसंपत्तियाँ:

क. एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएँ (Aerodrome control services)

ख. एयरफील्ड (Airfield)

ग. एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग (Airfield Ground Lighting)

घ. रनवे (Runways)

ङ. एप्रन और रोड लाइटिंग (Apron and Road Lighting)

च. रैपिड एग्जिट टैक्सीवे सहित टैक्सीवे (Taxiways including Rapid Exit Taxiways)

छ. विमान बचाव और अग्निशमन (ARFF)

ज. यातायात संकेतों, साइनेज और निगरानी सहित एयरसाइड और लैंडसाइड एक्सेस रोड और फोरकोर्ट

झ. सुरक्षा जांच चौकियाँ (Security Check Points)

ञ. प्राधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए सामान्य हाइड्रेंट बुनियादी ढाँचा

ट. एप्रन क्षेत्र

ठ. एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन

ड. पैतरेबाज़ी क्षेत्र (Manoeuvring Areas)

ढ. एयरफील्ड साइनेज और एयरफील्ड मार्किंग

ण. पक्षी डराना (Bird scaring)

त. कार्गो टर्मिनल (Cargo Terminal)

थ. विमान ईंधन भरने के लिए इनटू द प्लेन सेवाएँ (Into the Plane services for Aircraft Refuelling)

द. विमानक्षेत्र संचालन नियंत्रण केंद्र (Airport Operations Control Center)

ध. स्थल पर निर्मित और संचालित होने वाली संबंधित सुविधाएँ जैसे सीवेज संग्रह और पुनर्चक्रण/जल उपचार/तूफानी जल योजना

न. ग्राउंड सर्विस उपकरण (GSE) रखरखाव भवन और पार्किंग क्षेत्र

प. सामान्य विमानन सेवाएँ (यात्रियों या कार्गो या दोनों के संयोजन को ले जाने वाली वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के अलावा)

फ. हैंगर (Hangars)

ब. फ्लाइट कैटरिंग सेवाएँ (Flight Catering Services)

भ. वाहन पार्किंग (Vehicle parking)

म. विमानक्षेत्र रखरखाव भवन (MRO)

य. विमानक्षेत्र रखरखाव भवन हैंगर (MRO Hangar)

र. पुलिस स्टेशन और सीमा शुल्क भवन (Police Station and Customs Building)

परिसंपत्तियों की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (perspective plan) के अनुसार होगी, जैसा कि आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुलग्नकों, ना.वि.म.नि. नागर विमानन आवश्यकताओं और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में रियायतग्राही द्वारा अद्यतन किया गया है।

2. टर्मिनल भवन का विवरण

टर्मिनल भवन की योजना और डिजाइन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। रियायतग्राही एक एकीकृत टर्मिनल भवन विकसित करेगा, जो कुशलता से नियोजित, चरण-वार विकास के लिए लचीला, टिकाऊ और किफायती हो।

दक्षता

टर्मिनल का संगठन स्पष्ट मार्ग खोज (way finding) के साथ सीधा और कुशल होना चाहिए। यात्री और सामान का संचलन इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए कि प्रस्थान करने वाले और आने वाले यात्री तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री भवन के एयरसाइड पर किसी भी बिंदु पर आपस में न मिलें। टर्मिनल भवन में विमानक्षेत्र पर आने और प्रस्थान करने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्री और सामान के प्रवाह के प्रत्यक्ष और कुशल साधन होने चाहिए।

लचीलापन

स्थानों का संगठन और टर्मिनल का संरचनात्मक डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए जिससे लचीलापन और विस्तार में आसानी हो सके। टर्मिनल प्रोसेसर को सामान दावा हॉल और प्रसंस्करण क्षेत्रों जैसे प्रमुख कार्यों के चरण-वार विकास की अनुमति देनी चाहिए।

सततता

टर्मिनल की योजना और वास्तुकला में टिकाऊ रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जैसे सौर पैनलों का पता लगाया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन जैसी हरी रणनीतियों के साथ भूदृश्य का उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी न्यूनतम GRIHA-4 रेटिंग होनी चाहिए।

अर्थव्यवस्था (Economy)

नया एकीकृत टर्मिनल लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। इसे स्थानीय सामग्रियों और संसाधनों के उपयोग को नियोजित करना चाहिए।

सुविधाएँ (Facilities)

यात्री टर्मिनल भवन में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल होनी चाहिए:

क. आगमन हॉल और बैठक क्षेत्र

ख. आउटबाउंड और पुनः दावा सहित इन-लाइन न्यूनतम सीटी एक्स-रे आधारित बैगेज सिस्टम

ग. कॉमन यूजर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम (CUPPS) संगत प्रणालियों और कॉमन यूजर सेल्फ सर्विस (CUSS) के साथ पारंपरिक और स्व-सेवा चेक-इन डेस्क के साथ प्रस्थान हॉल

घ. चेक-इन हॉल और सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम

ङ. सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन

च. सीमा शुल्क और आव्रजन हॉल (

छ. बहिष्करण कक्ष

ज. आपातकालीन सेवाएँ

झ. विकलांगों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएँ

ञ. अग्नि सेवा (Fire service)

ट. उड़ान सूचना और सार्वजनिक-संबोधन प्रणाली (

ठ. गंदा और सतही जल निकासी

ड. मार्गदर्शन प्रणालियाँ और मार्शलिंग

ढ. सूचना डेस्क (

ण. अंतर-टर्मिनल पारगमन प्रणालियाँ

त. लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर

थ. लोडिंग ब्रिज

द. खोई हुई संपत्ति

ध. यात्री और हाथ के सामान की तलाशी

न. सीसीटीवी प्रणालियों और संबंधित सुरक्षा उपकरणों सहित पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा

प. प्रार्थना कक्ष (Prayer Rooms)

फ. साइनेज (Signage)

ब. शौचालय और नर्सिंग माताओं के कमरे

भ. अपशिष्ट और कचरा उपचार और निपटान

म. कैरी ऑन और चेक-इन सामान के लिए एक्स-रे सेवा

य. वीआईपी/विशेष लाउंज/समारोह लाउंज/शहीद मंच

र. एयरलाइन लाउंज (Airline lounges)

ल. टर्मिनल भवन में जलपान सुविधाएँ

- व. टूर ऑपरेटर्स और ट्रेवल एजेंटों के लिए सुविधाएँ
- श. टैक्सी और परिवहन किराए पर लेने की सुविधाएँ
- ष. बैंक और विदेशी मुद्रा सुविधाएँ
- स. सार्वजनिक पहुंच टेलीफोन
- ह. वृक्षारोपण और भूदृश्य
- क्ष. पोर्टर सेवा
- त्र. डाक सेवाएँ

ज्ञ. विमानक्षेत्र कार्यालय

टर्मिनल भवन की फिनिश और अन्य लेआउट तत्वों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. टर्मिनल भवन में उपयुक्त क्षेत्रों में वातानुकूलन;
- ii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले आराम कक्ष और ऐसी फिनिश जो जल बचत उपकरणों के उपयोग पर जोर देती हैं;
- iii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले एस्केलेटर;
- iv. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट वाले लिफ्ट;
- v. उपयुक्त क्षमता वाले सार्वजनिक बैठने के क्षेत्र;
- vi. यात्री टर्मिनलों में पर्याप्त संख्या में स्क्रीन और प्लैट पैनेल बोर्डों के साथ सार्वजनिक उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली; तथा
- vii. साइनेज जो सूचनात्मक, दिशात्मक और आपातकालीन से संबंधित हैं।

विमानक्षेत्र आईसीटी प्रणाली में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- i. वायरलेस सहित डेटा संचार नेटवर्क;
- ii. एयरपोर्ट ऑपरेशनल डेटा बेस (AODB) सहित विमानक्षेत्र सूचना प्रबंधन प्रणाली;
- iii. बैगेज पुनर्मिलन प्रणाली
- iv. नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) को एकीकृत करने की क्षमता के साथ विमानक्षेत्र और एयरलाइन प्रणालियाँ;
- v. सूचना कियोस्क;
- vi. सार्वजनिक संबोधन प्रणालियाँ; तथा
- vii. विमानक्षेत्र की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न (CCTV) सुरक्षा प्रणाली;
- viii. ऑटोमैटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम

रियायतग्राही एक सुरक्षित और कुशल विमानक्षेत्र बैगेज हैंडलिंग सिस्टम प्रदान करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिसमें शामिल हैं:

- i. सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सभी होल्ड बैगेज की 100% (एक सौ प्रतिशत) सुरक्षा जांच प्रदान करने वाली इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली, जो आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 17 SARP's की न्यूनतम आवश्यकताओं और

विमानक्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने या देखरेख करने के लिए जिम्मेदार प्रासंगिक सरकारी एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि टर्मिनल में कोई स्थान संबंधी बाधाएं हों;

ii. चेक-इन और आने वाले, ट्रांसफर और ओवरसाइज़ बैगेज की हैंडलिंग;

iii. बैगेज दावा सुविधाएँ; तथा

iv. खोए हुए सामान की हैंडलिंग और भंडारण।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां विमानक्षेत्र में वर्तमान में इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली मौजूद नहीं है, वहां रियायतग्राही मौजूदा टर्मिनल भवन में ऐसी प्रणाली प्रदान करने का हकदार होगा, लेकिन बाध्य नहीं होगा। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की स्थिति में, उसके संबंध में एक इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली प्रदान की जाएगी।

टर्मिनल भवन की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जैसा कि आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुलग्नकों, ना.वि.म.नि. नागर विमानन आवश्यकताओं और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में रियायतग्राही द्वारा अद्यतन किया गया है।

3. विनिर्देश और मानक

सभी परिसंपत्तियों (टर्मिनल भवन(ों) सहित) को अनुसूची सी में निर्दिष्ट विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

अनुसूची ग
विशिष्टताएँ और मानक
(खंड 2.1 देखें)

हवाई अड्डा

रियायतग्राही विमानक्षेत्र पर रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से किए गए निर्माण के लिए इस अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों का पालन करेगा (लेकिन इसमें करार की धारा 6.4.5 में संदर्भित प्रगति पर कार्य शामिल नहीं हैं)।

1. अनिवार्य मानक और आवश्यकताएँ

रियायतग्राही निम्नलिखित में निर्दिष्ट निर्माण मानकों और अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप होगा (जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है):

(क) धारा 4, श्रृंखला बी (भाग I), नागर विमानन आवश्यकताएँ (CAR), एयरोड्रोम मानक और वायु यातायात सेवाएँ (नवंबर 2009);

(ख) ना.वि.म.नि. सीएआर अनुभाग 4 - एयरोड्रोम मानक और वायु यातायात सेवाएँ; एयरोड्रोम लाइसेंस के अनुदान के संबंध में श्रृंखला 'एफ' भाग I;

(ग) आई.सी.ए.ओ. - अंतरराष्ट्रीय मानक और अनुशंसित अभ्यास, एयरोड्रोम, संदर्भित किए जाने वाले में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

i. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 9 - सुविधा (Facilitation);

ii. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 12 - खोज और बचाव (Search and Rescue);

iii. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 14 - एयरोड्रोम डिजाइन और संचालन (Aerodrome Design and Operation);

iv. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 15 - विमानन सूचना सेवाएँ (Aeronautical Information Services);

v. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 16 - पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection);

vi. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 17 - सुरक्षा (Security);

vii. आई.सी.ए.ओ. अनुलग्नक 18 - वायु द्वारा खतरनाक सामानों का सुरक्षित परिवहन (Safe Transport of Dangerous Goods by Air);

(घ) आई.सी.ए.ओ. एयरोड्रोम डिजाइन मैनुअल (डॉक 9157);

(ङ) आई.सी.ए.ओ. एयरपोर्ट सर्विसेज मैनुअल (डॉक 9137);

(च) आई.सी.ए.ओ. एयरपोर्ट प्लानिंग मैनुअल (डॉक 9184-AN/902);

(छ) कोई अन्य आई.सी.ए.ओ. मैनुअल और मानक जैसा लागू हो;

(ज) यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (NFPA) एयरपोर्ट टर्मिनल भवन, फ्यूलिंग रैंप ड्रेनेज और लोडिंग वॉकवे पर मानक;

(झ) अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (IATA) एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 10वां संस्करण, मार्च 2014;

- (ज) एप्रन मार्किंग एंड साइन्स हैंडबुक पर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) की सिफारिशें;
 - (ट) भारत का राष्ट्रीय भवन कोड, 2016;
 - (ठ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक भारतीय मानक कोड;
 - (ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समय-समय पर संशोधित ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, 2007;
 - (ढ) वैधानिक एजेंसी की आवश्यकताएँ, जिनमें ना.वि.म.नि., नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय, सीमा शुल्क और आव्रजन अधिकारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल हैं;
 - (ण) EN मानक;
 - (त) लागू कानून;
 - (थ) ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कोई अन्य लागू मैनुअल, मानक, विनिर्देश, दिशानिर्देश।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि संघर्ष की स्थिति में ना.वि.म.नि. आवश्यकताएँ और मानक, IATA या ICAO जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के किसी भी मानक और आवश्यकताओं पर भारी पड़ेंगे।

अनुसूची - घ
लागू होने योग्य सांकेतिक अनुमतियाँ
(खंड 4.1.3 देखें)

रियायतग्राही, प्रासंगिक गतिविधि के प्रारंभ होने से पूर्व, आवश्यकताओं के अधीन, निम्नलिखित लागू होने योग्य अनुमतियाँ प्राप्त करेगा:

- (क) उत्खननी से बोल्टर निकालने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ख) क्रशर की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- (ग) विस्फोटकों के उपयोग के लिए लाइसेंस;
- (घ) विभिन्न श्रेणियों के पेट्रोलियम के भंडारण, उपयोग, परिवहन के लिए लाइसेंस;
- (ङ) नदी/जलाशय से पानी निकालने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (च) बैचिंग प्लांट की स्थापना के लिए कारखाना निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारी का लाइसेंस;
- (छ) बैचिंग प्लांट की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति/स्वीकृति;
- (ज) अस्फाल्ट प्लांट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति/स्वीकृति;
- (झ) डीजल जनरेटर सेट की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति/स्वीकृति;
- (ञ) टर्मिनल भवन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, विमान ईंधन भरने और अन्य संरचनाओं जैसे अग्नि, ना.वि.सु.ब्यू, पेट्रोलियम आदि के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए आवश्यक अनुमतियाँ;
- (ट) पेड़ों की कटाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- (ठ) लागू कानूनों के तहत आवश्यक कोई अन्य अनुमतियाँ या स्वीकृतियाँ;
- (ड) हवाई अड्डे के लिए सं.दि.नि./वि.या.प्र. संचालन के संबंध में भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के साथ समझौता;
- (ढ) कार्गो संचालन के लिए केंद्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से स्वीकृतियाँ; और
- (ण) गृह मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृतियाँ यदि कोई विदेशी स्वामी साझीदार शामिल है।

अनुसूची - ड
निष्पादन प्रतिभूति
(अनुच्छेद 9.1 देखें)
[उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन,
तीसरा तल, सी-ब्लॉक,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली-110003,
भारत

चूंकि:

(क) [] ("रियायतग्राही") और भारतीय विमानपतन प्राधिकरण ("प्राधिकारी") ने दिनांक: [] का एक रियायत समझौता ("समझौता") किया है, जिसके द्वारा प्राधिकारी ने रियायतग्राही को [राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य में [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के संचालन, प्रबंधन और विकास को उसके प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार undertaking करने के लिए प्राधिकृत किया है।

(ख) करार के तहत और उसके अनुसार अपने दायित्वों के उचित और निष्ठावान निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में रियायतग्राही को रु. [] (रुपये [] करोड़) ("गारंटी राशि") की राशि के लिए प्राधिकारी को निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(ग) हम, [] ने [] में अपनी शाखा के माध्यम से ("बैंक") निष्पादन प्रतिभूति के नियमों के तहत इस बैंक गारंटी ("गारंटी") को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करने सहमति व्यक्त की है।

अतः, अब बैंक इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित गारंटी और पुष्टि करता है:

1. बैंक इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से प्राधिकरण को गारंटी देता है और वचन देता है कि रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठावान निष्पादन में किसी भी विफलता या व्यतिक्रम के होने पर, करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, इसकी पहली लिखित माँग पर, और बिना किसी डेमुर, आरक्षण, पुनरावर्ती, मुकाबले या विरोध के, और रियायतग्राही को कोई संदर्भ दिए बिना, गारंटी राशि की कुल राशि तक ऐसी राशि या राशि का भुगतान करेगा जो प्राधिकरण माँग करेगा, इसके लिए प्राधिकरण को अपनी माँग के लिए और/या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए सबूत या आधार या कारण दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. प्राधिकरण के एक अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत एक पत्र, जो [] के बैंक से कम नहीं है, कि रियायतग्राही की ओर से कोई राशि देय और बकाया है, या रियायतग्राही ने करार के तहत और उसके अनुसार अपने सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठावान निष्पादन में व्यतिक्रम की है, बैंक पर निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक आगे सहमत है कि प्राधिकरण इस बात का एकमात्र न्यायाधीश होगा कि क्या रियायतग्राही करार के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठावान निष्पादन में व्यतिक्रम कर रहा है और इस संबंध में उसका निर्णय बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किसी भी मतभेद के बावजूद, या किसी भी न्यायालय,

न्यायाधिकरण, मध्यस्थों या किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के समक्ष लंबित उनके बीच किसी भी विवाद के बावजूद, या किसी भी कारण से रियायतग्राही की मुक्ति के बावजूद।

3. इस गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए, प्राधिकरण ऐसे कार्य करने का हकदार होगा मानो बैंक मुख्य ऋणी हो और रियायतग्राही और/या बैंक के गठन में कोई भी परिवर्तन, चाहे किसी अन्य निकाय या निगम के साथ उनके विलय द्वारा या अन्यथा, इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व या बाध्यता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

4. प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक नहीं होगा, और बैंक इसके द्वारा किसी भी आवश्यकता को माफ करता है, कि वह इस गारंटी के तहत अपनी माँग बैंक को प्रस्तुत करने से पहले रियायतग्राही के खिलाफ मध्यस्थताकरे।

5. प्राधिकरण को इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, करार के नियमों और शर्तों को किसी भी समय बदलने, या रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के अनुपालन, पूर्णता और/या निष्पादन के लिए समय या अवधि का विस्तार करने या किसी भी समय और समय-समय पर, रियायतग्राही के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा प्रयोग करने योग्य किसी भी अधिकार और शक्तियों को स्थगित करने, और करार में निहित नियमों और शर्तों में से किसी को भी लागू करने या लागू करने से परहेज करने और/या प्राधिकरण के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू करने की स्वतंत्रता है, और बैंक प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग द्वारा, या रियायतग्राही को समय दिए जाने के कारण या प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य संयम, अनुग्रह, कार्य या व्यतिक्रम या किसी अन्य मामले या वस्तु के कारण इन प्रस्तुतियों के तहत अपने दायित्व और बाध्यता से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो कि सुरटी और guarantors से संबंधित किसी भी कानून के तहत, इस प्रावधान के अलावा, बैंक को इस गारंटी के तहत अपने दायित्वों और बाध्यताओं से मुक्त करने का प्रभाव रखता, और बैंक ऐसे किसी भी कानून के तहत अपने सभी अधिकारों को माफ करता है।

6. यह गारंटी किसी भी अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है और उसके बदले में नहीं है जो अब या इसके बाद करार के संबंध में या करार के तहत रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के पूर्णता, अनुपालन और/या निष्पादन के लिए प्राधिकरण द्वारा रखी जा सकती है।

7. यहां पूर्व में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत बैंक का दायित्व गारंटी राशि तक सीमित है और यह गारंटी करार में निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगी, और जब तक इस गारंटी की समाप्ति की तिथि से 3 (तीन) महीने बाद तक प्राधिकरण द्वारा इस गारंटी के तहत बैंक पर कोई लिखित माँग या दावा नहीं किया जाता है, इस गारंटी के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और बैंक इसके तहत अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।

8. निष्पादन प्रतिभूति करार में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद प्रभावी नहीं रहेगी, उसके बाद 3 (तीन) महीने की दावा अवधि होगी। रियायतग्राही द्वारा निष्पादन प्रतिभूति की रिलीज के लिए रियायतग्राही के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित यहां आवश्यक विवरणों के साथ किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के तुरंत बाद निष्पादन प्रतिभूति जारी करेगा।

9. बैंक अपनी मुद्रा के दौरान इस गारंटी को रद्द न करने का वचन देता है, सिवाय प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्पष्ट सहमति के, और घोषणा और वारंट करता है कि उसके पास इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है और हस्ताक्षरकर्ता के पास बैंक की ओर से ऐसा करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं।

10. इसके तहत अनुरोध, माँग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस उपर्युक्त शाखा में बैंक को संबोधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे ऐसे नोटिस को प्राप्त करने और उसके भुगतान को तुरंत प्रभावी करने के लिए विधिवत प्राधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के माध्यम से उचित मार्ग में वितरित किया जाना चाहिए था और डाक द्वारा दिए जाने पर ऐसे नोटिस को साबित करते समय, यह साबित करना पर्याप्त होगा कि नोटिस युक्त लिफाफा पोस्ट किया गया था और प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र कि लिफाफा इस प्रकार पोस्ट किया गया था, निर्णायक होगा।

दिनांक: [] को [] पर [] के [] दिन हस्ताक्षरित और सील और वितरित किए गए:

बैंक की ओर से और उसकी ओर से

हस्ताक्षर किए गए, सील किए गए (हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(कोड नंबर)

(पता)

टिप्पणियाँ:

(क) बैंक गारंटी में गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) का नाम, पदनाम और कोड नंबर होना चाहिए।

(ख) जारी करने वाली शाखा के कवरींग लेटर पर बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ-साथ जारी करने वाली शाखा का पता, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए।

अनुसूची - च
चरण पूर्णता अनुसूची
(खंड 12.5.2 देखें)

1 चरण पूर्णता अनुसूची

- 1.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक चरण मील के पत्थर के लिए इस अनुसूची च में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
- 1.2 प्रत्येक चरण के संबंध में चरण मील के पत्थर और निर्धारित पूर्णता तिथि, ऐसे प्रत्येक चरण के निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- 1.3 रियायतग्राही विकास अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को मापने योग्य समय इकाई (दिन/सप्ताह/माह/वर्ष) ("चरण पूर्णता अनुसूची") में विभाजित करेगा, और इसे विकास अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों से जोड़ेगा। इन प्रमुख गतिविधियों को विभिन्न कार्यों में उप-विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय अवधि परिभाषित की जाएगी।
- 1.4 समय अवधि के साथ निर्माण कार्यों का विवरण बार चार्ट या किसी उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्यों और गतिविधियों के बीच संबंधों और अन्योन्याश्रितता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- 1.5 रियायतग्राही, विकास योजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक चरण के संबंध में, प्राधिकरण को चरण पूर्णता अनुसूची प्रस्तुत करेगा।

2 चरण माइलस्टोन

- 2.1 रियायतग्राही प्रत्येक चरण के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि पर या उससे पहले पूरी की जाने वाली निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में, परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए पालन किए जाने वाले प्रमुख मील के पत्थरों की पहचान करेगा ("चरण मील का पत्थर"). रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में प्राधिकरण को चरण पूर्णता अनुसूची प्रदान करेगा।

3 निर्धारित पूर्णता तिथि से पूर्व पूर्णता

चरण। की निर्धारित पूर्णता तिथि पर या उससे पहले, रियायतग्राही ने इस करार के अनुसार हवाई अड्डे के चरण। को पूरा कर लिया होगा।

4 अवधि का विस्तार

इस करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार, किसी भी या सभी चरण मील के पत्थरों या निर्धारित पूर्णता तिथि के विस्तार पर, जैसा भी मामला हो, चरण पूर्णता अनुसूची तदनुसार संशोधित मानी जाएगी।

अनुसूची - छ
परीक्षण
(खंड 14.1.2 देखें)

1 परीक्षणों के लिए अनुसूची

1.1 रियायतग्राही, हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण के संभावित पूरा होने से 90 (नब्बे) दिन पहले नहीं, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को प्रासंगिक चरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे की सूचना देगा, और परीक्षणों की वास्तविक तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पहले नहीं, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को हवाई अड्डे का हिस्सा बनने वाले सभी कार्यों और उपकरणों की विस्तृत सूची और विवरण प्रस्तुत करेगा।

1.2 रियायतग्राही ऐसी सूचना की तिथि से 7 (सात) दिनों के बाद, किसी भी समय हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण को परीक्षणों के अधीन करने की अपनी तत्परता की सूचना स्वतंत्र अभियंता को देगा, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही के परामर्श से, प्रत्येक परीक्षण के लिए तिथि और समय निर्धारित करेगा और इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा, जो परीक्षणों के साक्षी बनने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही तब अनुच्छेद 14 और इस अनुसूची छ के अनुसार स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में परीक्षण आयोजित करेगा।

2 परीक्षण

2.1 इस करार के अनुच्छेद 14.1.2 के प्रावधानों के अनुसरण में, रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता की उपस्थिति में निम्नलिखित परीक्षण आयोजित करेगा:

2.1.1 दृश्य और भौतिक परीक्षण: रियायतग्राही यह निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे की दृश्य और भौतिक जांच करेगा कि इसके भाग बनने वाले सभी कार्य और उपकरण इस करार के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

2.1.2 रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, वि.या.प्र. सुविधा और टर्मिनल भवन को पूर्ण संरचनाओं या उसके हिस्से के गैर-विनाशकारी परीक्षण के अधीन किया जाएगा, जो (IS-13311), प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों और ना.वि.म.नि. के लागू दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

2.2 उपकरणों के लिए परीक्षण: रियायतग्राही विनिर्देशों और मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ सभी उपकरणों के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों, ना.वि.म.नि. के लागू दिशानिर्देशों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार परीक्षण आयोजित करेगा।

2.3 संचालन तत्परता के लिए परीक्षण: रियायतग्राही विनिर्देश और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, प्रासंगिक आई.सी.ए.ओ. दस्तावेजों और अनुबंधों, ना.वि.म.नि. के लागू दिशानिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ वैमानिकी परिसंपत्तियों, टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों सहित हवाई अड्डे के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे का परीक्षण संचालन आयोजित करेगा।

2.4 पर्यावरण लेखा परीक्षा: रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए एक जांच करेगा।

2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण: रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि ना.वि.म.नि. द्वारा हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान करने के लिए लागू कानूनों के अनुसार किए जाने वाले सभी सांविधिक परीक्षण सी.ओ.डी. से 15 (पंद्रह) दिन पहले पूरे किए जाएं।

- 3 **परीक्षण आयोजित करने के लिए अधिकरण** : इस अनुसूची छ में निर्धारित सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा या ऐसे अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाएंगे जैसा कि वह प्राधिकरण के परामर्श से स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण की उपस्थिति में निर्दिष्ट कर सकता है।
- 4 **सुरक्षा प्रमाणन के लिए परीक्षण**: सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए परीक्षण अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार और लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुपालन में आयोजित किए जाएंगे।
- 5 **पूर्णता/अनंतिम रिपोर्ट**: परीक्षणों के सफल पूरा होने पर, स्वतंत्र अभियंता अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पूर्णता या अनंतिम पूर्णता के संबंध में प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 6 **निर्माण के दौरान परीक्षण**: इस अनुसूची छ के प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, निर्माण कार्यों के प्रदर्शन के दौरान परीक्षण खंड 13.3.1 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

अनुसूची - ज
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ
(खंड 23.1.1 देखें)

1 सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ:

रियायतग्राही, सी.ओ.डी. से **1** (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, हर समय, यह सुनिश्चित करेगा कि वह इस अनुसूची ज के अनुबंध I में निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करता है।

2 मासिक अनुपालन रिपोर्ट:

रियायतग्राही, प्रत्येक कैलेंडर माह के बंद होने के **15** (पंद्रह) दिनों के भीतर, सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3 अनुसूची ज का प्रदर्शन:

रियायतग्राही अनुच्छेद 43 में **stipulated** शिकायत रजिस्टर के साथ टर्मिनल भवन में इस अनुसूची ज की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

अनुबंध 1
(अनुसूची ज)
सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ

रियायतग्राही सी.ओ.डी. से 1 (एक) वर्ष की तिथि से शुरू होकर, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएँ इस अनुसूची ज के इस अनुबंध 1 में निर्दिष्ट मुख्य निष्पादन संकेतक ("सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएँ") के अनुरूप हैं।

1.1 उद्देश्य सेवा गुणवत्ता पैरामीटर और बेंचमार्क

क्र.सं.	निष्पादन संकेतक	निष्पादन माप	न्यूनतम निष्पादन मानक	माप तंत्र	माप आवृत्ति	महत्वपूर्ण (हाँ/नहीं)
1	कार पार्किंग	क) पार्किंग शुल्क के भुगतान या टिकट संग्रह के समय सहित पार्किंग स्थान खोजने में लगने वाला औसत समय ख) पार्किंग शुल्क के भुगतान के समय सहित पार्किंग स्लॉट से निकास द्वार तक का औसत समय	क) 95% ड्राइवर 5 मिनट से कम समय लेते हैं ख) 95% ड्राइवर 5 मिनट से कम समय लेते हैं	लाइन में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों की संख्या जिनकी औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है। कार पार्किंग कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय उस समय से मापा जाएगा जब यात्री कतार में शामिल होता है और कार पार्क में	निष्पादन माप योजना के आधार पर	क) नहीं ख) नहीं

पार्किंग स्थान
खोजने के
समय तक।
निकास द्वार
पर यात्रियों के
लिए औसत
कतार समय...

- 2 सुरक्षा जाँच कतार में पीक आवर लाइन में कुल अंतरराष्ट्रीय हाँ
प्रतीक्षा समय के 95% यात्री ग्राहकों के और घरेलू
5 मिनट से प्रतिशत के दोनों यात्रियों
कम प्रतीक्षा रूप में के लिए,
करते हैं ग्राहकों की निष्पादन माप
संख्या योजना के
जिनकी आधार पर
औसत कतार
समय
निर्धारित
मानक के
भीतर है।
सुरक्षा कतार
में यात्रियों के
लिए औसत
कतार समय...
- 3 चेक-इन कतार में व्यवसाय वर्ग कतार में कुल अंतरराष्ट्रीय हाँ
प्रतीक्षा समय के 95% यात्री यात्रियों के और घरेलू
5 मिनट से प्रतिशत के दोनों यात्रियों
कम प्रतीक्षा रूप में के लिए,
करते हैं यात्रियों की निष्पादन माप
संख्या योजना के
जिनकी आधार पर
औसत कतार
समय
निर्धारित
मानक के
भीतर है।

4	इमिग्रेशन	कतार में प्रतीक्षा समय	इकोनॉमी क्लास के यात्री 95% 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में यात्रियों की संख्या...	निष्पादन माप हाँ योजना के आधार पर
5	बैगेज डिलीवरी (घरेलू)	विमान के आगमन समय से बैगेज डिलीवरी में लिया गया समय	95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं	विमान ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग तक अधिकतम समय।	सभी घरेलू उड़ानों के लिए, निष्पादन माप योजना के आधार पर
6	बैगेज डिलीवरी (घरेलू - continued)	क) पहला बैगेज विमान ऑन-ब्लॉक्स समय के 10 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा, ख) अंतिम बैगेज कोड सी विमान के लिए 30 मिनट, कोड ई विमान के लिए 45 मिनट के भीतर पहुंचेगा	प्रत्येक बैगेज बेल्ट महीने में कम से कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए	महीने में वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए मापा जाने वाला उपलब्ध समय...	महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
7	बैगेज डिलीवरी (अंतरराष्ट्रीय)	विमान के आगमन से बैगेज डिलीवरी में	क) पहला बैगेज विमान ऑन-ब्लॉक्स समय के 15 मिनट के	विमान ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर पहले/अंतिम	सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, निष्पादन माप

लिया गया भीतर बैग तक योजना के
समय पहुंचेगा, अधिकतम आधार पर
ख) अंतिम समय।
बैगेज कोड
सी विमान के
लिए 40
मिनट, कोड
ई विमान के
लिए 45
मिनट के
भीतर पहुंचेगा

निष्पादन मानक और माप तंत्र (अनुसूची का अंश)

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
8	सामान वितरण (बैगेज डिलीवरी)	क) प्रत्येक सामान बेल्ट महीने के कम से कम ९५% समय उपलब्ध होना चाहिए।	महीने में कुल योजनाबद्ध प्रचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक सामान बेल्ट के लिए उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
9	यात्री आगमन प्रक्रिया	क) अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में से ९५% को ४५ मिनट से कम समय लगता है।	निर्धारित मानक के भीतर औसत समय लेने वाले यात्रियों की संख्या, कुल यात्रियों	प्रदर्शन माप योजना पर आधारित।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
		ख) घरेलू यात्रियों में से ९५% को ३५ मिनट से कम समय लगता है।	के प्रतिशत के रूप में।	
10	यात्री बोर्डिंग ब्रिज	क) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज कम से कम ९५% समय उपलब्ध होना चाहिए। ख) यात्री बोर्डिंग ब्रिज ९०% अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और विमान बी७३७/ए३२० या उससे बड़े आकार के विमानों से यात्रा करने वाले ९०% घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए।	प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
11	विमान खड़ा करने का स्थान (पार्किंग बे)	क) प्रत्येक पार्किंग बे स्टैंड कम से कम ९९% समय उपलब्ध होना चाहिए।	प्रत्येक पार्किंग बे के लिए महीने में वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
12	विमान उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (एफ़आईडीएस)	क) प्रत्येक एफ़आईडीएस कम से कम ९८% समय उपलब्ध होना चाहिए।	महीने में वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक एफ़आईडीएस के	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
			लिए उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	की अवधि के लिए।
13	सामान ढोने वाली गाड़ियों (ट्रॉली) की उपलब्धता	क) सामान ढोने वाली गाड़ियाँ १००% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	निर्दिष्ट स्थानों पर न्यूनतम उपलब्ध खाली सामान ढोने वाली गाड़ियाँ २५ से कम नहीं होनी चाहिए।	प्रदर्शन माप योजना पर आधारित।
14	व्हीलचेयर चाहने वाले यात्री	क) व्हीलचेयर चाहने वाले प्रस्थान करने वाले १००% यात्रियों को ५ मिनट से अधिक इंतजार नहीं करना चाहिए।	सहायता के अनुरोधों की संख्या जहाँ अनुरोध के समय से सहायता प्रदान करने के समय तक की माप निर्धारित मानक के भीतर हो।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
15	पारगमन (ट्रांजिट) स्थानांतरण कनेक्ट समय	क) घरेलू/घरेलू यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय ६० मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। ख) घरेलू/अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय ७५ मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।	न्यूनतम कनेक्टिंग समय अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के प्रस्ताव के अनुसार परिभाषित और मापा जाएगा।	अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों पारगमन यात्रियों के लिए, प्रदर्शन माप योजना के आधार पर।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
		ग) अंतरराष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय ६० मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।		
16	एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर	क) एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर ९८% समय उपलब्ध होने चाहिए।	वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर के लिए उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
17	स्वचालित सेवाएँ	क) स्वचालित सेवाएँ ९८% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	प्रत्येक स्वचालित सेवा के लिए वास्तविक प्रचालन घंटों का उपयोग करके उपलब्ध समय की माप की जाएगी।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
18	सूचना/शिकायत डेस्क	क) सूचना/शिकायत डेस्क १००% समय manned (कर्मचारियों से सुसज्जित) होनी चाहिए।	प्रचालन घंटों के दौरान सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
19	यात्री टर्मिनलों में परिवेश की स्थिति	क) यात्री टर्मिनलों में प्रचालन घंटों के दौरान यात्री क्षेत्रों में तापमान सीमा २१-२५ डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। ख) निर्दिष्ट तापमान सीमा के साथ सहसंबद्ध आपेक्षिक आर्द्रता स्तर।	यात्री टर्मिनल में औसत तापमान और आर्द्रता स्तर के संदर्भ में माप की जाएगी।	महीने में यादृच्छिक रूप से चुने गए दिनों में विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
20	रनवे प्रचालन सुरक्षा	क) रनवे पर अनधिकृत प्रवेश (इनकर्सन) को दर्ज करना, जांच करना और कम करना।	विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए नामित क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र पर विमान, वाहन या व्यक्ति की गलत उपस्थिति से संबंधित प्रति हजार मूवमेंट घटनाओं की संख्या।	प्रदर्शन माप योजना के आधार पर।
21	अग्निशामक और बचाव सेवा (एआरएफएफ)	क) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्दिष्ट अनुसार घटना के लिए प्रतिक्रिया समय।	प्रतिक्रिया समय को एआरएफएफ सेवा को शुरुआती कॉल और पहली प्रतिक्रिया देने वाले वाहन के फोम लगाने की स्थिति में होने के बीच का समय माना जाता है।	प्रदर्शन माप योजना के आधार पर।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
22	टैक्सी की उपलब्धता	क) ९५% यात्रियों के लिए टैक्सी के लिए कतार में प्रतीक्षा समय ५ मिनट से अधिक नहीं होगा।	औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर होने वाले यात्रियों की संख्या, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में।	अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों आगमन यात्रियों के लिए, प्रदर्शन माप योजना के आधार पर।
23	शिकायत निपटान	क) १००% शिकायतों का जवाब २ कार्य दिवसों के भीतर दिया जाना चाहिए।	शिकायतों की कुल संख्या जहाँ शिकायत प्राप्त होने के समय से पहली प्रतिक्रिया तक का अंतर निर्धारित मानक के भीतर हो।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
24	मरम्मत पूर्ण होने का समय	क) उच्च प्राथमिकता वाले मरम्मत कार्यों में से ९५% का समाधान ४ घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। ख) अन्य मरम्मत कार्यों में से ९५% का समाधान २४ घंटे के भीतर किया जाना चाहिए।	मरम्मत की आवश्यकता दर्ज करने के समय से पहली प्रतिक्रिया तक का अंतर निर्धारित मानक के भीतर होने वाले मरम्मत कार्यों की कुल संख्या।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।

क्रम संख्या	पैरामीटर	माप / मानक	विवरण / माप पद्धति	आवृत्ति / डेटा स्रोत
25	सफाई	क) सभी निरीक्षणों के ९५% के लिए संतोषजनक सफाई रेटिंग प्राप्त करें।	स्थापित उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवधिक सफाई सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त संतोषजनक सफाई रेटिंग।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।
26	गेट लाउंज	क) अंतरराष्ट्रीय विमानन संस्था के अनुकूलित सेवा स्तर के अनुसार।	उस विशेष विमान के बोर्ड किए जाने वाले गेट के पास उपलब्ध सीटों की कुल संख्या।	चरण १ पूर्ण होने की तिथि से यात्री टर्मिनलों के लिए माप की जाएगी।
27	बग्गी सेवाएँ	क) बग्गी सेवाएँ ९८% समय उपलब्ध होनी चाहिए।	उद्योग प्रथा के अनुरूप न्यूनतम उपलब्धता।	महीने के प्रत्येक दिन विमानक्षेत्र के प्रचालन घंटों की अवधि के लिए।

वस्तुनिष्ठ निष्पादन मापदंडों की माप प्रणाली

1.2 वस्तुनिष्ठ निष्पादन मापदंडों की माप प्रणाली

क) "पार्किंग बे", "पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज", "सामान वितरण", "उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता", "एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रेवेलेटर", और "स्वचालित सेवाएँ" मापदंडों पर प्रदर्शन के लिए माप प्रणाली। प्रत्येक मापदंड की उपलब्धता माप प्रत्येक मापदंड के तहत शामिल परिसंपत्तियों की संख्या और प्रकार के संबंध में मापी जाएगी तथा निम्नलिखित के अनुसार मापी जाएगी:

(i) प्रत्येक मापदंड के तहत परिसंपत्तियों की कुल संख्या की गणना करें, जैसे एस्केलेटर की संख्या, और आवश्यक कुल उपलब्ध समय तथा प्रत्येक परिसंपत्ति के कुल अनुपलब्ध समय से गुणा करें। सभी परिसंपत्तियों के लिए कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय के कुल योग की गणना करें, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है:

आवश्यक कुल उपलब्ध समय: $\sum (k=1 \text{ से } n) T_{k,j}$

कुल अनुपलब्ध समय: $\sum (k=1 \text{ से } n) U_{k,j}$

जहाँ:

n मापदंड i में शामिल परिसंपत्तियों की कुल संख्या है;

k मापदंड i में शामिल एक विशिष्ट परिसंपत्ति को दर्शाता है जैसे कि $k = 1, 2, \dots, n$

$T_{k,j}$ महीने j में परिसंपत्ति k के लिए कुल नियोजित उपलब्ध समय है (यानी नियोजित रखरखाव के समय को घटाने के बाद);

$U_{k,j}$ वह समय है जब परिसंपत्ति k महीने j में अनुपलब्ध है;

(ii) महीने j में मापदंड i के लिए उपलब्धता की गणना इस प्रकार करें:

$$\text{उपलब्धता} = 100 \times (1 - [\sum (k=1 \text{ से } n) U_{k,j} / \sum (k=1 \text{ से } n) T_{k,j}])$$

जहाँ:

उपलब्धता महीने j में मापदंड i की प्रतिशत उपलब्धता है;

ख) "कार पार्किंग", "सुरक्षा जांच", "चेक-इन", "आस्रजन", "यात्री आगमन प्रक्रिया", और "टैक्सी के लिए प्रतीक्षा समय" मापदंडों पर प्रदर्शन के लिए माप प्रणाली।

माप कतारों की संख्या के लिए किया जाना है ताकि यात्रियों का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना शामिल हो। कतार में प्रतीक्षा समय निर्धारित किया जाएगा:

(i) किसी महीने के प्रत्येक यादृच्छिक रूप से चयनित दिन के लिए, "दिन का सबसे व्यस्त घंटा जिसके आधार पर प्रदर्शन मापा जाना है" को संबंधित घंटे में xx:00, xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50 और xx:60 से शुरू होने वाले "10 मिनट के समय अंतराल" में विभाजित किया जाता है:

प्रत्येक "10 मिनट के समय अंतराल" के लिए, औसत कतार समय की गणना इस प्रकार की जाएगी:

विषयपरक सेवा गुणवत्ता मापदंड और बेंचमार्क

औसत कतार समय = Num / A

जहाँ:

A 10 मिनट के समय अंतराल में कतार छोड़ने वाले प्रति मिनट यात्रियों की औसत संख्या है;

Num 10 मिनट के समय अंतराल में प्रति मिनट कतार में यात्रियों की औसत संख्या है।

(ii) निर्धारित मानक के लिए निष्पादन प्रतिशत आंकड़ों की गणना इस प्रकार की जाएगी:

- i. यह पहचानना कि व्यस्त घंटों में कितने यात्रियों को ऐसे समय अंतराल में संसाधित किया गया था जहाँ मापा गया औसत कतार समय निर्धारित मानक से अधिक नहीं है; और
- ii. उपर्युक्त आंकड़े को उन व्यस्त घंटों में संसाधित यात्रियों की कुल संख्या से विभाजित करके प्रतिशत की गणना करना।

एक घंटे को घड़ी के घंटे के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो घंटे के 00 मिनट पर शुरू होता है और घंटे के 59 मिनट पर समाप्त होता है या कोई अन्य पूर्व-परिभाषित परंपरा जिसे रियायतग्राही चुनता है (पूर्व-परिभाषित ताकि नमूना घंटे निर्धारित करते समय किसी अन्य कारक से घंटे की परिभाषा प्रभावित न हो)।

1.3 विषयपरक सेवा गुणवत्ता मापदंड और बेंचमार्क

क) विषयपरक निष्पादन मापदंडों की माप

रियायतग्राही वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) का सदस्य बनेगा।

वाणिज्यिक संचालन तिथि से छह महीने के भीतर, रियायतग्राही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (ACI ASQ) सर्वेक्षण में भाग लेना शुरू करेगा जिसके माध्यम से प्रस्थान करने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर उनके दिन के अनुभव के बारे में साक्षात्कार लिया जाएगा।

यदि ऐसी अवधि के भीतर एसीआई द्वारा रियायतग्राही की सदस्यता स्वीकार नहीं की जाती है, तो यह (1) एक प्रश्नावली तैयार करने और एक सर्वेक्षण प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त करेगा जो 5-बिंदु पैमाने पर विषयपरक निष्पादन मापदंडों को मापने का आधार प्रदान करती है और ऐसी प्रश्नावली तथा सर्वेक्षण प्रक्रिया पर प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करती है, और (2) त्रैमासिक आधार पर यात्रियों की प्रतिक्रियाओं को मापती है।

या तो एसीआई-एएसक्यू सर्वेक्षण के माध्यम से या स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से आयोजित यात्री सर्वेक्षण में प्राप्त रेटिंग विषयपरक निष्पादन मापदंडों का माप होगी।

ख) उपर्युक्त निर्दिष्ट यात्री सर्वेक्षण द्वारा कवर किए जाने वाले मापदंडों में एसीआई एएसक्यू के अनुसार सभी मापा गया मापदंड शामिल होंगे जैसे कि नीचे दिए गए हैं:

- (i) हवाई अड्डे से कुल संतुष्टि
- (ii) हवाई अड्डे तक/से भू-परिवहन
- (iii) पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता
- (iv) पार्किंग सुविधाओं का मूल्य
- (v) बैगेज कार्ट/ट्रॉली की उपलब्धता
- (vi) चेक-इन कतार/लाइन में प्रतीक्षा समय
- (vii) चेक-इन कर्मचारियों की दक्षता
- (viii) चेक-इन कर्मचारियों की शिष्टाचार और सहायता
- (ix) पासपोर्ट/व्यक्तिगत आईडी निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (x) निरीक्षण कर्मचारियों की शिष्टाचार और सहायता
- (xi) सुरक्षा कर्मचारियों की शिष्टाचार और सहायता
- (xii) सुरक्षा निरीक्षण की गहनता
- (xiii) सुरक्षा निरीक्षण पर प्रतीक्षा समय
- (xiv) सुरक्षित और निश्चित होने की भावना
- (xv) हवाई अड्डे पर रास्ता खोजने में सुगमता
- (xvi) उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम)
- (xvii) टर्मिनल के अंदर पैदल चलने की दूरी
- (xviii) अन्य उड़ानों के साथ कनेक्टिंग फ्लाइट्स (संबंध) प्राप्त करने में सुगमता
- (xix) हवाई अड्डे के कर्मचारियों की सौजन्यता और सहायता की भावना (चेक-इन, पासपोर्ट नियंत्रण और सुरक्षा को छोड़कर)

- (xx) रेस्तरां / भोजन सुविधाएं
- (xxi) रेस्तरां / भोजन सुविधाओं का मूल्य के हिसाब से औचित्य (वैल्यू फॉर मनी)
- (xxii) बैंक / एटीएम सुविधाओं / मुद्रा विनिमयकर्ताओं (मनी चेंजर्स) की उपलब्धता
- (xxiii) खरीदारी (शॉपिंग) सुविधाएं
- (xxiv) खरीदारी सुविधाओं का मूल्य के हिसाब से औचित्य (वैल्यू फॉर मनी)
- (xxv) इंटरनेट पहुंच / वाई-फाई
- (xxvi) बिजनेस / एग्जीक्यूटिव लाउंज
- (xxvii) शौचालय / प्रसाधन सुविधाओं की उपलब्धता
- (xxviii) शौचालय / प्रसाधन सुविधाओं की स्वच्छता
- (xxix) प्रतीक्षा / गेट क्षेत्रों का आराम व सुविधा
- (xxx) हवाई अड्डा टर्मिनल की स्वच्छता
- (xxxi) हवाई अड्डे का परिवेश (एम्बियंस / माहौल)
- (xxxii) पासपोर्ट/व्यक्तिगत आईडी निरीक्षण
- (xxxiii) सामान (बैगेज) वितरण सेवा की गति
- (xxxiv) सीमा शुल्क (कस्टम्स) निरीक्षण

ग) लक्षित रेटिंग रियायत समझौते के खंड 23.7 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

अनुसूची - I
सुरक्षा दिशा-निर्देश
(खंड 18.3.1 देखें)

1. सुरक्षित संचालन

विमानक्षेत्र के संचालन, विकास और प्रबंधन में, उपयोगकर्ताओं और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। विमानों के लिए, नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा मापदंड प्रदान किए जाने हैं। बचाव और अग्निशमन, एप्रन प्रबंधन, वन्यजीव आघात खतरा न्यूनीकरण, विमानक्षेत्र वाहन संचालन, विमानक्षेत्र बाड़ लगाने और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुरक्षा सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें आपात स्थिति में सुरक्षित और कुशल निकासी की सुविधाएँ शामिल होंगी।

2. प्रणाली अखंडता

बिजली आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलिंग, संचार और सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन में, विफलता की संभावना को कम करने के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। सेवाओं को चालू रखने के लिए आवश्यक निवारक रखरखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3. सेवा की बहाली

विमानक्षेत्र को इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिए कि कोई खराबी उत्पन्न होने की स्थिति में, प्रभावित क्षेत्र या उपकरण को अलग करके, यथासंभव कुछ ही मिनटों के भीतर सीमित सेवा प्रदान की जा सके।

4. आकस्मिकता और सुरक्षा प्रबंधन

4.1 रियायतग्राही प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों और अनुबंधों के प्रावधानों तथा महानिदेशक नागरिक विमानन के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए विमानक्षेत्र में उचित आकस्मिक व्यवस्था procuring (प्राप्त) करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे मौजूद हैं:

- **क)** रनवे और टैक्सीवे से अक्षम विमान को हटाना;
- **ख)** किसी विमान या विमानक्षेत्र को बम की धमकी, या आतंकवाद के कोई कृत्य;
- **ग)** विमानक्षेत्र के अंदर और आसपास विमान दुर्घटनाएँ;
- **घ)** गैर-अनुसूचित विमान को विमानक्षेत्र पर उतरने के लिए मजबूर होना;
- **ङ)** विमानक्षेत्र पर आग लगना;
- **च)** प्राकृतिक आपदाएँ और विपत्तियाँ;

- **छ)** विमानक्षेत्र पर हड़तालें;
- **ज)** मार्ग परिवर्तन (डाइवर्जन) का प्रबंधन;
- **झ)** नागरिक विमानन में गैरकानूनी हस्तक्षेप;
- **ञ)** विमानक्षेत्र पर कोई अन्य आपात स्थिति।

5. सुरक्षा उपकरण

विमानक्षेत्र में निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए:

1. विमानक्षेत्र पर उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक यंत्र और आग के अलार्म;
2. एम्बुलेंस, एम्बु-लिफ्ट, स्ट्रेचर और मानक प्राथमिक चिकित्सा बक्सों की पर्याप्त संख्या;
3. पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चिकित्सा सुविधा;
4. अन्य ऐसे उपकरण जो प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों, महानिदेशक नागरिक विमानन के लागू दिशा-निर्देशों और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप आवश्यक हों।

6. आपातकाल

- **क)** विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार किया जाएगा और प्रचालन कर्मचारियों को आवधिक सिमुलेटेड अभ्यासों के माध्यम से ऐसी आपात स्थिति के दौरान उचित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **ख)** आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना और कमांड पोस्ट की उपलब्धता।
- **ग)** टर्मिनल भवन और एयरसाइड पर चिकित्सा आपात स्थितियों का निपटान।

- 7. अग्नि सुरक्षा**
- 7.1 रियायतग्राही हवाई अड्डा टर्मिनल भवनों, ईंधन रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर अमेरिकी राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ में निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा ।
- 7.2 यात्री क्षेत्रों में आग को रोकने के लिए, रियायतग्राही उनके निर्माण में अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करेगा और ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो कुछ हद तक ज्वलनशील हैं या जो जलने पर धुआं और हानिकारक गैसों उत्सर्जित करती हैं।
- 7.3 आपातकालीन निकास बिना किसी बाधा के सुलभ होना चाहिए और चाबियों, उपकरणों या विशेष ज्ञान के बिना अंदर से आसानी से खुलने में सक्षम होना चाहिए। केवल बाहर से लॉक होने वाला उपकरण, जैसे पैनिक बार, की अनुमति

है। आपात स्थिति के मामले में निकास द्वार टर्मिनल भवन के अंदर से खोलने में आसान होने चाहिए । 7.4 भागने के मार्गों को सही दिशा में तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए और किसी भी गूढ़ प्रतीकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का पालन करने में, धुएं के कारण खराब दृश्यता की संभावना को विधिवत ध्यान में रखा जाएगा। सभी सूचनाएं और संकेत समान और मानक होंगे । 7.5 बचाव और अग्निशामक सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियों को प्रासंगिक महानिदेशक नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन दस्तावेजों तथा एनेक्स के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा और बनाए रखा जाएगा ।

8. उपयोगकर्ता सुरक्षा और सूचना प्रणाली

8.1 रियायतग्राही एसएमयू को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। रियायतकर्ता एसएमयू को आवश्यक सुविधाएं [यात्री क्षेत्र और टर्मिनल भवन] प्रदान करेगा, और उपयोगकर्ताओं को दृश्य जानकारी प्रदान करेगा। रियायतकर्ता सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को एकतरफा संचार भी प्रदान करेगा। उपयोगकर्ता कॉल पॉइंट्स को सुविधाजनक लोकेशन पर स्थित होना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता आपात स्थिति में एसएमयू से संपर्क कर सकें,

8.2 उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में गतिशील दृश्य प्रदर्शन और लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

अनुसूची - अ

उपयोगकर्ता चार्टर

(धारा 23.10 देखें)

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

1. सुरक्षा के साथ सेवा

पूर्ण ग्राहक संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से विमानपत्तन प्रबंधन में सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है। यह चार्टर हमारे विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं और वे हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इसकी व्याख्या करता है।

2. विषय-सूची

- (क) प्रस्तावना
- (ख) यात्री सेवा के लिए हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) सहायता की आवश्यकता वाले यात्री
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोया हुआ सामान / नष्ट-वस्तु कार्यालय
- (छ) आपके विचारों को सुनना
- (ज) हमारी प्रतिश्रुत प्रतिक्रिया समय

2.1 प्रस्तावना

ग्राहक संतुष्टि ही हमारा ध्येय है! इस विमानपत्तन के प्रबंधन का उद्देश्य अपने प्रशिक्षित जनशक्ति और ठेकेदारों के माध्यम से इस विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है।

हम निम्नलिखित प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं:

- (क) विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और संरक्षा
- (ख) स्वच्छ और स्वच्छंद/स्वास्थ्यप्रद वातावरण
- (ग) विश्वसनीय और समझने में आसान जानकारी

- (घ) विनम्र, ग्राहक-अनुकूल और सहायक कर्मचारी
- (ङ) आनंददायक और उचित खरीदारी एवं खान-पान का अनुभव
- (च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

2.2 यात्री सेवा के लिए हमारे मानक

हम आपको हमारे विमानपत्तन पर एक विश्वसनीय और आरामदायक सेवा प्रदान करने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करने हेतु निरंतर कठिन परिश्रम करते रहेंगे।

2.2.1 विमानपत्तन तक पहुँच

हम विमानपत्तन क्षेत्र के भीतर आपके आगमन को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए सभी प्रयास करेंगे। हमारी यातायात योजनाएं इस प्रकार उन्मुख होंगी कि विमानपत्तन क्षेत्र में आसानी से प्रवेश और निकास संभव हो सके। आपकी पहुँच को आरामदायक बनाने के लिए, हम विमानपत्तन क्षेत्र के भीतर पहुँच मार्ग पर अनधिकृत रूप से पार्क की गई कारों को क्रेन से हटवा देंगे।

2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश बाधा मुक्त हो और जब बहु-प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, तो विशिष्ट विमानन कंपनियों के लिए समर्पित प्रवेश द्वारों पर जानकारी उपयुक्त रूप से प्रदर्शित की जाएगी। टर्मिनल भवन में प्रवेश गैर-भेदभावपूर्ण होगा। हालांकि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर आगंतुकों के प्रवेश को सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

2.2.3 सामान / सामान ट्रॉली

हम उन सभी यात्रियों के लिए सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए सशुल्क कुली सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2.2.4 वाहनों की पार्किंग

विभिन्न वाहनों जैसे कार, स्कूटर, बस आदि की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान करना हमारा प्रयास होगा। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जो वाहनों और उपयोग की जाने वाली पार्किंग के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने वाहन को पार्क करने/बाहर निकालने में 5 (पांच) मिनट से अधिक समय न बिताएं।

2.2.5 कतार की लंबाई

पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगगैज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि प्रदान किए जाएंगे ताकि कतारों में लगने वाला समय न्यूनतम रखा जा सके।

2.2.6 सुविधाएं

आप शौचालय, स्वच्छ पेयजल, तरल साबुन, पेपर ग्लास और बाल देखभाल कक्ष जैसी मुफ्त सुविधाओं के हकदार हैं। अन्य सभी सुविधाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की जरूरतों के लिए खाने, पीने और खरीदारी की सभी आवश्यक सुविधाएं सुखद माहौल में उपलब्ध होंगी। उचित मूल्य वाले बुनियादी पेय और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सुविधाजनक स्थानों पर वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता अपने सामान की कीमत एमआरपी से संबंधित कानूनों के अनुसार तय करें। यात्रियों को प्रतिस्पर्धा और विकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता और स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आप अपना समय चिंतामुक्त और सुखद तरीके से बिता सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश सेवाओं के लिए आपको 5 (पांच) मिनट से अधिक और अपने सामान/बैगगैज के लिए 20 (बीस) मिनट से अधिक कतार में न खड़ा होना पड़े।

2.2.7 बैठने की व्यवस्था

उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि व्यस्ततम घंटों की क्षमता के कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) को आरामदायक सीटें प्रदान की जा सकें।

आपकी सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी और जब बाहरी तापमान 40°C से नीचे होगा, तो टर्मिनल भवन के अंदर का तापमान 25°C पर बनाए रखा जाएगा। अन्य मामलों में, टर्मिनल भवन के बाहर के तापमान और टर्मिनल भवन के अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। शीत ऋतु के दौरान, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

2.2.8 टैक्सियां

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर प्रीपेड टैक्सियां उपलब्ध हों। कम से कम 95% (पिचानवे प्रतिशत) समय के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय 5 (पांच) मिनट से अधिक नहीं होगा।

2.2.9 नियोजित/अनियोजित इंजीनियरी कार्य

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई संशोधन/मरम्मत कार्य किया जाए, तो क्षेत्र को पर्याप्त रूप से घेराबंदी किया जाए, स्पष्ट संकेत उपलब्ध हों और विमानपत्तन का सामान्य कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

2.3 सूचना की उपलब्धता

सूचना ही शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन और प्रस्थान के समय के संबंध में समयानुकूल जानकारी प्रदान करेंगे। टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले भी जानकारी उपलब्ध होगी ताकि किसी भी देरी की स्थिति में आप अपने रिश्तेदारों/दोस्तों के साथ अधिक समय बिता सकें। हम टर्मिनल भवन के अंदर स्पष्ट और आसानी से समझे जाने वाले सर्वमान्य संकेतों को भी प्रदान करेंगे, ताकि आप किसी की मदद लिए बिना सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

हालांकि, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी मदद के लिए मौजूद रहेंगे। उड़ानों के समय की सटीकता और असामान्य देरी काफी हद तक विमानन कंपनियों के सहयोग पर निर्भर करती है। हम विमानन कंपनियों के साथ तालमेल बिठाने और प्राप्त होते ही जानकारी को तुरंत अपडेट करने का पूरा प्रयास करेंगे।

2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री

हम दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। हम निम्नलिखित प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

2.4.1 यात्रियों को सहायता

जैसे ही आप अपनी आवश्यकता को उनके संज्ञान में लाएंगे, हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे।

2.4.2 प्रक्षालन कक्ष / वॉशरूम

हम दिव्यांग-अनुकूल प्रक्षालन कक्ष प्रदान करेंगे जिनका उपयोग करना आसान है।

2.4.3 रैंप

जहाँ भी संभव हो, व्हीलचेयर यात्रियों के लिए रैंप प्रदान किए जाएंगे।

2.4.4 प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं

किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और योग्य पेशेवरों द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

2.5 टिकट खरीदना

हमारे विमानपत्तन पर टिकट खरीदना बहुत आसान और सुविधाजनक है। विमानपत्तन पर सभी प्रमुख विमानन कंपनियों के पर्याप्त संख्या में टिकटिंग काउंटर प्रदान किए जाएंगे। वे हवाई मार्ग से आने वाले और किसी अन्य गंतव्य के लिए जाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए खुले रहेंगे, जो टर्मिनल भवन से बाहर निकले बिना अपना टिकट खरीद सकते हैं।

2.6 खोया हुआ सामान / नष्ट-वस्तु कार्यालय

विमानपत्तन पर कुछ खो गया है? आप इसे टर्मिनल भवन में स्थित नष्ट-वस्तु कार्यालय से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

सभी पाई गई वस्तुएं प्रभारी नष्ट-वस्तु अधिकारी को भेजी जाएंगी। अपनी खोई हुई वस्तुओं की पुनर्गणना/प्राप्ति के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन तक ईमेल पते [•] पर पहुंचा जा सकता है।

2.7 आपके विचारों को सुनना

ग्राहक हमेशा सही होता है। ग्राहक संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। सतत सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझावों/शिकायतों को दर्ज करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सुझाव पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार या हमारी फोन लाइनों या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

2.8 हमारी प्रतिश्रुत प्रतिक्रिया समय

जब आप हमें लिखते हैं, तो आपको सात कार्य दिवसों के भीतर हमारी प्रतिक्रिया मिल जानी चाहिए।

- (क) यदि पूरी प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लगता है, तो हम आपको 7 (सात) कार्य दिवसों के भीतर एक पावती भेजेंगे और 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर जवाब देंगे।
- (ख) यदि 25 (पच्चीस) कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे।

(ग) विमानपत्तन पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कई एजेंसियां शामिल हैं। ऊपर हमारे द्वारा वादा की गई कुछ सेवाओं में इन एजेंसियों के साथ बातचीत और समन्वय शामिल हो सकता है जो मुख्य रूप से सेवा प्रावधान के लिए जिम्मेदार हैं। इस मामले में, हम आपकी चिंताओं को दूर करने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से असंतुष्ट हैं, तो हम आपको अपनी प्रतिक्रिया से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। कृपया हमें अवगत कराएं। इससे हमें कमजोर बिंदुओं की पहचान करने और अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने में मदद मिलेगी।

अनुसूची - ट

स्वतंत्र इंजीनियर का चयन

(धारा 24.1 देखें)

1. स्वतंत्र इंजीनियर का चयन

- 1.1 प्राधिकरण के भीतर समान कार्यों के लिए एक इंजीनियर के चयन की प्रक्रिया रियायत समझौते के तहत एक स्वतंत्र इंजीनियर के चयन के लिए लागू होगी। शर्त यह है कि स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में चुनी जाने वाली संस्था एक अनुभवी फर्म होगी और रियायत समझौते के तहत परिकल्पित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगी। शर्त यह भी है कि प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई भी संस्था इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।
- 1.2 प्राधिकरण विमानपत्तन विकास और पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता वाले कम से कम 6 (छह) इंजीनियरों के एक पैनल को नामित करेगा, जो सीधे असाइनमेंट की आवश्यकताओं से संबंधित हो, और रियायतग्राही के साथ हितों का कोई टकराव न हो। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामितों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 3 (तीन) नामितों से अधिक नहीं। प्राधिकरण उन नामितों में से किसी एक को, जिस पर रियायतग्राही ने आपत्ति नहीं जताई है, स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त करेगा।
- 1.3 पैरा 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर की समाप्ति की स्थिति में, प्राधिकरण तत्काल तकनीकी सलाहकारों की एक अन्य फर्म की नियुक्ति करेगा या इस अनुसूची - के पैरा 4 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली संस्था को संलग्न कर सकता है।
- 1.4 रियायतग्राही, अपने विवेक से, इस अनुसूची - के तहत प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि नामित कर सकता है।
- 1.5 स्वतंत्र इंजीनियर के लिए कार्य-संदर्भ काफी हद तक अनुसूची - एल के अनुरूप होंगे।

2. शुल्क और व्यय

- 2.1 वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व की अवधि, विकास अवधि और रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करने में, प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि शुल्क और व्यय के मद में स्वतंत्र इंजीनियर को किए जाने वाले भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किए जाएं।

- 2.2 स्वतंत्र इंजीनियर के पारिश्रमिक, लागत और व्यय का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर की जाएगी।
- 2.3 स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई किसी भी राशि को एईआरए द्वारा वैमानिक शुल्क के निर्धारण के लिए पास-थ्रू माना जाएगा।

3. प्रत्येक तीन वर्ष में चयन

इस अनुसूची - के के पैरा 1 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष बाद नहीं, और उसके बाद प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष में, प्राधिकरण एक अन्य फर्म को संलग्न करेगा, जो इस अनुसूची - के में निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में कार्य करेगी।

4. स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में सरकारी संस्था की नियुक्ति

इस अनुसूची - के में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपने विवेक से सरकार के स्वामित्व वाली किसी संस्था को स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर सकता है, शर्त यह है कि ऐसी संस्था एक निगमित निकाय होगी, जिसके प्राथमिक कार्यों में से एक इंजीनियरी परियोजनाओं के लिए परामर्श, सलाह और पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना है, शर्त यह भी है कि राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी संस्था स्वतंत्र इंजीनियर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

अनुसूची - ठ

स्वतंत्र इंजीनियर के लिए कार्य-संदर्भ

(धारा 24.2 देखें)

1. कार्यक्षेत्र / व्याप्ति

- 1.1 स्वतंत्र इंजीनियर के लिए ये कार्य-संदर्भ दिनांक [•] के रियायत समझौते के अनुसरण में निर्दिष्ट किए जा रहे हैं, जो [•] राज्य में स्थित [शहर का नाम दर्ज करें] शहर के विमानपत्तन के लिए प्राधिकरण और [•] के बीच संपन्न हुआ है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस कार्य-संदर्भ के भाग के रूप में अनुलग्नक A के रूप में चिह्नित है।
- 1.2 यह कार्य-संदर्भ विमानपत्तन के संचालन, प्रबंधन और विकास पर लागू होगा।

2. परिभाषाएं और व्याख्या

- 2.1 इस कार्य-संदर्भ में प्रयुक्त बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन समझौते में परिभाषित हैं, का अर्थ वही होगा जो समझौते में उन्हें क्रमशः दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।
- 2.2 इस कार्य-संदर्भ में अनुच्छेदों, धाराओं और अनुसूचियों के संदर्भों को, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, समझौते के अनुच्छेदों, धाराओं और अनुसूचियों का संदर्भ माना जाएगा, और पैराग्राफों के संदर्भों को इस कार्य-संदर्भ के पैराग्राफों का संदर्भ माना जाएगा।
- 2.3 समझौते की धारा 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम इस कार्य-संदर्भ पर यथाआवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका और कार्य

- 3.1 स्वतंत्र इंजीनियर की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (क) पैराग्राफ 4 में निर्धारित डिजाइनों, आरेखों और दस्तावेजों की समीक्षा;
 - (ख) पैराग्राफ 4 में निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
 - (ग) निर्माण पूरा होने पर परीक्षणों की समीक्षा और उनका अवलोकन करना तथा पैराग्राफ 4 में निर्धारित पूर्णता प्रमाण पत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में प्राधिकरण की सहायता करना;

- (घ) पैराग्राफ 5 में निर्धारित संचालन एवं रखरखाव की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
 - (ङ) पैराग्राफ 6 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;
 - (च) समझौते के तहत यथा आवश्यक, किन्हीं कार्यों या सेवाओं की लागत और/या उनकी औचित्यता का निर्धारण करना;
 - (छ) समझौते के तहत यथा आवश्यक, किसी कर्तव्य या दायित्व को निभाने के लिए अवधि या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करना;
 - (ज) पैराग्राफ 8 में निर्धारित विवादों के समाधान में पक्षों की सहायता करना;
 - (झ) समझौते के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करना; और
 - (ञ) अनुसूचित पूर्णता तिथियों और चरणबद्ध मील के पथरों को निर्धारित करने में रियायतग्राही की सहायता करना।
- 3.2 स्वतंत्र इंजीनियर पेशेवर निष्ठा के उच्चतम मानकों और उत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप, निष्पक्ष, निष्पक्ष और कुशल तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4. विकास अवधि

- 4.1 विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र इंजीनियर सहायक आंकड़ों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डिजाइनों और आरेखों की विस्तृत समीक्षा करेगा, जिसमें भू-तकनीकी और जलविज्ञानी जांच, उधार क्षेत्रों और खदान स्थलों से सामग्रियों की विशेषताएं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण शामिल हैं। स्वतंत्र इंजीनियर ऐसी समीक्षा पूरी करेगा और ऐसी विकास योजना और आरेखों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां/अभ्युक्तियां भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियों में विकास योजना और ऐसे आरेखों की परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों और मानकों के साथ अनुरूपता या अन्यथा निर्दिष्ट होगी।
- 4.2 इस चरण में स्वतंत्र इंजीनियर का संक्षिप्त कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में शामिल है, लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है:

4.2.1 सभी डिजाइन, आरेखों, विनिर्देशों और खरीद दस्तावेजों की समीक्षा:

- (क) डिजाइन का आधार;
- (ख) डिजाइन, आरेखों, मात्राओं और लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को सौंपी जाएंगी;
- (ग) विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी डिजाइन और विनिर्देशों की समीक्षा की जाएगी;

(घ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत विभिन्न खरीद दस्तावेजों की मात्राओं के बिल में सभी मदों की सूची और मात्राओं को सत्यापित करना तथा वित्तीय प्रभाव के साथ आवश्यक होने पर संशोधन का प्रस्ताव करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्यों के आवंटन और वाणिज्यिक अनुबंधों की समीक्षा:

(क) तकनीकी (डिजाइन, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग) और वाणिज्यिक शर्तों के लिए अनुबंध दस्तावेज की समीक्षा की जाएगी;

(ख) ठेकेदारों की क्षमता पर समीक्षा और टिप्पणी करना;

(ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई निविदा जारी करने और अनुबंध आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

4.3 स्वतंत्र इंजीनियर प्राधिकरण द्वारा भेजे गए किसी भी संशोधित आरेख या सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और ऐसे आरेख या दस्तावेज प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

4.4 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची - 1 के अनुसार आरेखों की समीक्षा करेगा और ऐसे आरेख प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.5 स्वतंत्र इंजीनियर प्राधिकरण द्वारा भेजे गए विस्तृत डिजाइन, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और खरीद, इंजीनियरी तथा निर्माण समय सारणी की समीक्षा करेगा, जिसे रियायतग्राही द्वारा तैयार किया गया है और उसकी प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.6 प्राधिकरण द्वारा संदर्भित किए जाने पर, स्वतंत्र इंजीनियर ईपीसी अनुबंध या विमानपत्तन के संबंधित चरण के निर्माण के लिए किसी अन्य अनुबंध की समीक्षा करेगा और उस पर टिप्पणी करेगा, और...

4.7 प्राधिकरण से ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा। स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों की निम्नलिखित के संबंध में समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ प्राधिकरण को भेजेगा:

(क) विकास योजना, आरेखों, विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें विकास योजना और करार की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप हों;

(ग) कार्यों की मात्राओं और उनके पूरा होने की समय-सीमा की समीक्षा और मूल्यांकन;

- (घ) विनिर्देशों और मानकों के अनुसार आवश्यकताओं के संबंध में रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों की धरातल पर भौतिक रूप से समीक्षा और सत्यापन करना;
- (ङ) कार्यों की गुणवत्ता पर समीक्षा करना और अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करना तथा कार्य के पूरा होने से पहले सुधारे जाने वाले किसी भी कार्य या कार्य के भाग की पहचान करना; और
- (च) परियोजना नियंत्रण परिप्रेक्ष्य की समीक्षा करना और उसे अपनाना, संसाधनों की पर्याप्तता जो लागत और समय-सारणी को एकीकृत करती है, संभावित प्रवृत्तियों (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) और दावों का अनुमान लगाना जो स्वीकृत निर्माण लागत को प्रभावित कर सकते हैं।
- 4.8 स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक महीने के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और इस तरह के निरीक्षण की एक रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा जिसमें अपनाई गई कार्य पद्धति, उपयोग की गई सामग्री और उनके स्रोतों, तथा परियोजना के दायरे और विनिर्देशों एवं मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता सहित निर्माण की स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता और सुरक्षा का अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग अनुभाग में, स्वतंत्र इंजीनियर हवाई अड्डे के निर्माण में अपने द्वारा देखी गई कमियों, त्रुटियों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।
- 4.9 यदि किसी कमी, त्रुटि या न्यूनता के लिए ऐसे निरीक्षणों की आवश्यकता होती है, तो स्वतंत्र इंजीनियर एक महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।
- 4.10 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र इंजीनियर गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नमूना आधार पर परीक्षण करने या करवाने के लिए रियायतग्राही से अपेक्षा करेगा। इस पैराग्राफ 4.10 के उद्देश्यों के लिए, संरचनाओं, भवनों और उपकरणों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमावलियों ("गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली") में निर्दिष्ट परीक्षण या उसके किसी संशोधन/प्रतिस्थापन को गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप परीक्षण माना जाएगा। स्वतंत्र इंजीनियर यह सुनिश्चित करने के लिए रियायतग्राही को आवश्यक निर्देश जारी करेगा कि परीक्षण निष्पक्ष और कुशल तरीके से आयोजित किए जाएं, और उनके परिणामों की निगरानी और समीक्षा करेगा।
- 4.11 पैराग्राफ 4.10 के तहत स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों के नमूने का आकार, गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में प्रत्येक श्रेणी या परीक्षण के प्रकार के लिए निर्धारित परीक्षणों की मात्रा या

संख्या का 10% (दस प्रतिशत) होगा, शर्त यह है कि स्वतंत्र इंजीनियर, लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से, परीक्षणों की कुछ श्रेणियों या प्रकारों के लिए उपर्युक्त नमूने के आकार को 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

- 4.12 पैराग्राफ 4.10 में संदर्भित परीक्षणों का समय, और उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति के मानदंड स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षण एक यादृच्छिक नमूना के आधार पर किए जाएंगे और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और स्वतंत्र होंगे।
- 4.13 इस स्थिति में कि रियायतग्राही किसी भी त्रुटि या कमी को हटाने या सुधारने के लिए कोई उपचारात्मक कार्य करता है, स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करने या कराने के लिए रियायतग्राही से अपेक्षा करेगा कि ऐसे उपचारात्मक कार्यों ने निर्माण कार्यों को विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप बना दिया है, और इस पैराग्राफ 4 के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे।
- 4.14 यदि रियायतग्राही चरण के किसी भी मील के पत्थर को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो स्वतंत्र इंजीनियर निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेगा और संभावित देरी (यदि कोई हो) की पहचान करेगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि करार में निर्दिष्ट समय के भीतर हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होना संभव नहीं है, तो वह प्राधिकरण के माध्यम से, रियायतग्राही से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदमों और उस अवधि का संकेत देने की अपेक्षा करेगा जिसके भीतर समापन प्राप्त किया जाएगा। प्राधिकरण से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर उसकी समीक्षा करेगा और तुरंत प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा।
- 4.15 यदि विकास अवधि के दौरान किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि रियायतग्राही ने निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, या कि कोई कार्य इस तरीके से किया जा रहा है जिससे श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा है, तो वह प्राधिकरण को तुरंत एक सिफारिश करेगा, जिसमें संपूर्ण या निर्माण कार्यों के उस भाग की पहचान की जाएगी जिसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।
- 4.16 यदि रियायतग्राही निलंबित कार्यों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय करता है, तो प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर से ऐसे कार्यों का निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र इंजीनियर निलंबित कार्यों का निरीक्षण करेगा और तुरंत प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि प्राधिकरण द्वारा इस तरह के निलंबन को रद्द किया जा सकता है या नहीं।

- 4.17 यदि निर्माण कार्य का निलंबन ऐसे कारणों से है जो रियायतग्राही के कारण नहीं हैं, तो स्वतंत्र इंजीनियर चरण 1 के लिए और बाद के चरणों के लिए भी चरण समापन अनुसूची में निर्धारित तिथियों के विस्तार की सिफारिश करेगा, जिसके लिए रियायतग्राही उचित रूप से हकदार है, और प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।
- 4.18 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा किए जा रहे सभी परीक्षणों का साक्षी बनेगा और अनुसूची G में निर्दिष्ट परीक्षणों के परिणाम के आधार पर, यथास्थिति, समापन या अनंतिम समापन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस पैराग्राफ 4.18 और उससे जुड़े सभी मामलों के तहत अपने कार्यों को करने के लिए, स्वतंत्र इंजीनियर अनुच्छेद 14 और अनुसूची G के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार कार्य करेगा।
- 4.19 प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर अनुच्छेद 17 में यथा निर्धारित सूचना, कार्य और सेवाएं प्रदान करने की लागत का निष्पक्ष और न्यायसंगत मूल्यांकन करेगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को भुगतान के लिए ऐसी लागतों की औचित्यता को प्रमाणित करेगा।

5. रियायत अवधि

- 5.1 रियायत अवधि के दौरान अपनी समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राप्त आरेखों, दस्तावेजों और रिपोर्टों के संबंध में, पैराग्राफ 4 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- 5.2 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करेगा और रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को उस पर अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा।
- 5.3 स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा।
- 5.4 स्वतंत्र इंजीनियर महीने में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक महीने के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और एक संचालन एवं रखरखाव निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें मुख्य प्रदर्शन संकेतकों, रखरखाव आवश्यकताओं और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता सहित संचालन एवं रखरखाव की स्थिति, गुणवत्ता और सुरक्षा का अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा। O&M निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग अनुभाग में, स्वतंत्र इंजीनियर हवाई अड्डे के संचालन एवं रखरखाव में अपने द्वारा देखी गई कमियों, त्रुटियों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी O&M निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।

- 5.5 यदि किसी कमी, त्रुटि या न्यूनता के लिए ऐसे निरीक्षणों की आवश्यकता होती है, तो स्वतंत्र इंजीनियर एक महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।
- 5.6 स्वतंत्र इंजीनियर अपनी O&M निरीक्षण रिपोर्ट में उन परीक्षणों (यदि कोई हो) को निर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही यह निर्धारित करने के उद्देश्य से करेगा या करवाएगा कि हवाई अड्डा रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है। वह ऐसे परीक्षणों के परिणामों और इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों की निगरानी और समीक्षा करेगा।
- 5.7 अनुसूची 1 के पैराग्राफ 3 में संदर्भित किसी भी त्रुटि या कमी के संबंध में, स्वतंत्र इंजीनियर, अच्छी उद्योग प्रथा के अनुरूप, विनिर्देशों और मानकों के संदर्भ में विचलन या गिरावट की स्वीकार्य सीमा निर्दिष्ट करेगा और स्वीकार्य सीमा से परे किसी भी विचलन या गिरावट की मरम्मत या सुधार के लिए समय सीमा भी निर्दिष्ट करेगा।
- 5.8 स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करेगा कि करार के अनुसार मरम्मत या उपचारात्मक कार्यों को पूरा करने में कोई देरी हुई है या नहीं, और ऐसी देरी के लिए देय हर्जाने (यदि कोई हो) का भी निर्धारण करेगा।
- 5.9 स्वतंत्र इंजीनियर यातायात में व्यवधान को कम करने की आवश्यकता और अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार ऐसे रखरखाव/मरम्मत को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, रखरखाव/मरम्मत करने के लिए हवाई अड्डे को बंद करने के लिए रियायतग्राही के अनुरोध का परीक्षण करेगा।
- 5.10 यदि रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को ऐसे किसी भी संशोधन के बारे में सूचित करता है जिसे वह हवाई अड्डे पर करने का प्रस्ताव करता है, तो स्वतंत्र इंजीनियर उसकी समीक्षा करेगा और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा।
- 5.11 स्वतंत्र इंजीनियर, महीने में कम से कम एक बार, रियायतग्राही द्वारा स्थापित प्रणालियों की सटीकता की जांच करने के लिए उनका लेखा परीक्षा करेगा।
- 5.12 स्वतंत्र इंजीनियर रियायत अवधि के अंत में (विस्तार, यदि कोई हो, सहित) रियायतग्राही से प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर सहायता प्रदान करेगा और करार की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को निहिती प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को करने में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

6. समाप्ति

- 6.1 समाप्ति से पहले 90 (नब्बे) दिनों से पहले नहीं, लेकिन ऐसी समाप्ति से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले किसी भी समय, स्वतंत्र इंजीनियर, रियायतग्राही के प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के साथ रियायतग्राही द्वारा अनुपालन का निर्धारण करने के लिए हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा और, यदि आवश्यक हो, तो अनुपालन निर्धारण के लिए रियायतग्राही की लागत पर परीक्षण करवाएगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि इसकी मरम्मत और सुधार के लिए खंड 37.2 में निर्धारित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता होगी, तो वह एस्करो खाते में आवश्यक राशि को रोके रखने और उसके रोके रखने की अवधि की सिफारिश करेगा।
- 6.2 स्वतंत्र इंजीनियर उसमें निर्दिष्ट त्रुटियों या कमियों के संबंध में अनुच्छेद 37 के तहत रियायतग्राही के दायित्व को निर्धारित करने के लिए समाप्ति के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के दौरान प्रत्येक 15 (पंद्रह) दिनों में एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा। यदि स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा ऐसी कोई त्रुटि या कमी पाई जाती है, तो वह उचित विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे तुरंत प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।
- 7. लागत और समय का निर्धारण**
- 7.1 स्वतंत्र इंजीनियर उन लागतों, और/या उनके औचित्य का निर्धारण करेगा, जिनका इसके द्वारा करार के तहत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
- 7.2 स्वतंत्र इंजीनियर उस अवधि, या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसका इसके द्वारा करार के तहत निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
- 8. विवाद समाधान में सहायता**
- 8.1 किसी भी विवाद की स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर, स्वतंत्र इंजीनियर मध्यस्थता करेगा और सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने में पक्षों की सहायता करेगा।
- 8.2 करार के किसी भी प्रावधान में यथा निर्धारित, अच्छी उद्योग प्रथा के अर्थ, दायरा और प्रकृति के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी असहमति के मामले में, स्वतंत्र इंजीनियर अच्छी उद्योग प्रथा और प्रामाणिक साहित्य का सहारा लेते हुए एक तर्कसंगत लिखित बयान जारी करके ऐसे अर्थ, दायरा और प्रकृति को निर्दिष्ट करेगा।
- 9. अन्य कर्तव्य और कार्य**
- 9.1 स्वतंत्र इंजीनियर करार में निर्दिष्ट अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों का निष्पादन करेगा।
- 10. विविध**

- 10.1 स्वतंत्र इंजीनियर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपने निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना देगा, जो अपने विवेक से निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने संबंधित प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।
- 10.2 स्वतंत्र इंजीनियर प्राप्त सभी आरेखों और दस्तावेजों की कम से कम 1 (एक) प्रति, जिसमें 'यथा-निर्मित आरेख' शामिल हैं, अपने पास रखेगा और उन्हें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।
- 10.3 इसके तहत अपना कार्य पूरा होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर सभी आरेखों, दस्तावेजों, परीक्षाओं के परिणामों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को विधिवत वर्गीकृत और सूचीबद्ध करेगा, और उन्हें प्राधिकरण या ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप देगा जैसा कि प्राधिकरण निर्दिष्ट कर सकता है, और उसकी लिखित रसीद प्राप्त करेगा। उक्त दस्तावेजों की 2 (दो) प्रतियां उनके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम या तरीके से भी प्रस्तुत की जाएंगी जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हों।
- 10.4 जहाँ स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा सेवाओं के वितरण के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, वहाँ स्वतंत्र इंजीनियर अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक दक्षता और तात्कालिकता के साथ कार्य करेगा।

अनुसूची ड

एस्क्रो करार

(खंड 29.1 देखें)

यह एस्क्रो करार ("करार") [] को [] के इस [] दिन निम्नलिखित के बीच और द्वारा निष्पादित किया जाता है:

[कंपनी अधिनियम, 2013] के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी शामिल होंगे);

और

[ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें] और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है, जो इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में मामलों के संबंध में उनके विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

और

[एस्क्रो बैंक का नाम और विवरण दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में स्थित है और अन्य स्थानों के अलावा, [] में एक शाखा कार्यालय है (जिसे इसके बाद "एस्क्रो बैंक" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

और

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में स्थित है (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे)।

जबकि:

- क. प्राधिकरण ने [] राज्य में [जिस शहर में हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम दर्ज करें] स्थित हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] को एक रियायत करार ("रियायत करार") में प्रवेश किया है, जो रियायत करार में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस करार का हिस्सा बनने के लिए अनुलग्नक A के रूप में चिह्नित है।

- ख. वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- ग. रियायत करार में अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों पर रियायतग्राही को एक एस्करो खाता स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

अब इसलिए, पूर्वगामी और इस करार में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों के विचार में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखते हुए, पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, क्रमशः निम्नानुसार होंगे:

“करार”: का अर्थ है यह एस्करो करार और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किया गया कोई भी संशोधन;

“रियायत करार”: का अर्थ है ऊपर उल्लिखित उत्तरकथन A में संदर्भित और इसके अनुलग्नक A के रूप में संलग्न रियायत करार, और इसमें इसके सभी उत्तरकथन और अनुसूचियां तथा इसमें इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन शामिल होंगे;

“रियायतग्राही”: का अर्थ है पूर्वगामी उत्तरकथनों में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित व्यक्ति;

“सुधार अवधि”: का अर्थ है रियायतग्राही द्वारा इस करार के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या व्यतिक्रम को सुधारने के लिए इस करार में निर्दिष्ट अवधि, और यह उस तारीख से शुरू होगी जिस तारीख को प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, द्वारा रियायतग्राही को ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम को सुधारने के लिए कहते हुए नोटिस दिया जाता है;

“एस्करो खाता”: का अर्थ है इस करार की शर्तों के तहत और इसके अधीन स्थापित एक एस्करो खाता, और इसमें उप-खाते शामिल होंगे;

“एस्करो बैंक”: का अर्थ है पूर्वगामी उत्तरकथनों में एस्करो बैंक के रूप में संदर्भित बैंक;

“एस्करो व्यतिक्रम”: का वही अर्थ है जो खंड 6.1.1 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

“क्षतिपूरित पक्ष”: का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

“क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष”: का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में इसके लिए निर्धारित किया गया है;

“ऋणदाता प्रतिनिधि”: का अर्थ है पूर्वगामी उत्तरकथनों में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति;

“पक्ष”: का अर्थ है सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकार और “पक्ष” शब्द का अर्थ व्यक्तिगत रूप से इस करार के किसी भी पक्षकार से है;

“भुगतान तिथि”: का अर्थ खंड 4.1 में निर्दिष्ट किसी भी भुगतान के संबंध में, ऐसे भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि (तिथियाँ) है; और

“उप-खाते”: का अर्थ एस्क्रो खाते के संबंधित उप-खातों से है, जिनमें खंड 4.1 में निर्दिष्ट धनराशि प्रत्येक माह जमा की जाएगी और देय होने पर भुगतान की जाएगी, और यदि एक महीने में देय नहीं है, तो उस महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित की जाएगी और संबंधित उप-खातों में रखी जाएगी और भुगतान तिथि (तिथियों) पर उसमें से भुगतान किया जाएगा।

1.2 व्याख्या

- 1.2.1 ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके लिए कार्य करने वाले ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ माने जाएंगे।
- 1.2.2 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो इसमें दिया गया है, और इस करार में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन रियायत करार में परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें रियायत करार में दिया गया है।
- 1.2.3 खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के खंडों के संदर्भ हैं।
- 1.2.4 रियायत करार के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में उल्लिखित निर्वचन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

2. एस्क्रो खाता

2.1 एस्क्रो बैंक का न्यासी के रूप में कार्य करना

- 2.1.1 रियायतग्राही इसके द्वारा इसके संबंध में प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए एस्क्रो बैंक को नियुक्त करता है, और एस्क्रो बैंक को ऐसे अधिकारों, शक्तियों, अधिकारों और विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है जो विशेष रूप से इसके नियमों द्वारा एस्क्रो बैंक को सौंपे गए हैं, उन सभी अधिकारों, शक्तियों, अधिकारों और विवेक के साथ जो इसके लिए उचित रूप से प्रासंगिक हैं, और एस्क्रो बैंक इसकी शर्तों के अनुसार ऐसी नियुक्ति स्वीकार करता है।
- 2.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा घोषित करता है कि एस्क्रो खाते में और उसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित एस्क्रो बैंक में निहित होंगे और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए न्यास में रखे जाएंगे, और इस करार की शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अलावा किसी भी व्यक्ति को इस करार के तहत लाभार्थी के रूप में या तीसरे पक्ष के लाभार्थी के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा।

2.2 एस्करो बैंक की स्वीकृति

एस्करो बैंक इसके द्वारा इस रूप में कार्य करने और इस करार के प्रावधानों के अनुसार एस्करो बैंक को वितरित और रखे जाने वाले सभी भुगतानों और अन्य राशियों को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है। एस्करो बैंक इस करार की अवधि के दौरान एस्करो खाते को रखेगा और उसकी सुरक्षा करेगा और एस्करो खाते में मौजूद राशि को रियायतग्राही, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा एस्करो बैंक के पास जमा की गई धनराशि के रूप में मानेगा। इस करार के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने में, एस्करो बैंक इस करार के प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही या उनके नामित व्यक्तियों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों के लाभ के लिए और एजेंट के रूप में न्यास में कार्य करेगा।

2.3 एस्करो खाते की स्थापना और संचालन

- 2.3.1 इस करार की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर, और किसी भी मामले में COD से पहले, रियायतग्राही एस्करो बैंक की [शाखा का नाम] शाखा में एस्करो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा। एस्करो खाता रुपये में अंकित होगा।
- 2.3.2 एस्करो बैंक इस करार की शर्तों और अपनी सामान्य प्रथाओं तथा लागू नियमों के अनुसार एस्करो खाता बनाए रखेगा, और समय-समय पर उक्त खाते में शेष राशि पर समान ग्राहकों को देय ब्याज की अधिकतम दर का भुगतान करेगा।
- 2.3.3 एस्करो बैंक और रियायतग्राही, ऋणदाता प्रतिनिधि के साथ परामर्श के बाद, विस्तृत जनादेश, नियमों और शर्तों, और एस्करो खाते के लिए संचालन प्रक्रियाओं पर सहमत होंगे, लेकिन इस करार और ऐसे जनादेशों, नियमों और शर्तों, या प्रक्रियाओं के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति की स्थिति में, यह करार लागू होगा।

2.4 एस्करो बैंक का शुल्क

एस्करो बैंक ऐसी राशि में, और ऐसे समय में अपना शुल्क और खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा कि एस्करो बैंक और रियायतग्राही के बीच सहमति हो सकती है।

2.5 पक्षों के अधिकार

रियायत करार में अन्यथा प्रदान किए गए के अलावा और छोड़कर, एस्करो खाते में रखी गई धनराशि में प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अधिकार इस करार में संपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए हैं और प्राधिकरण, ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के पास एस्करो खाते में मौजूद धनराशि के खिलाफ या उसके लिए कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि प्रतिस्थापन करार के अनुसार, नामांकित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस करार के उद्देश्यों के लिए यह माना जाएगा कि नामांकित कंपनी इसकी एक पक्षकार है और नामांकित कंपनी को तदनुसार नामांकित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन की तिथि से और उस प्रभाव के साथ, इस करार के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों को उत्तराधिकार में प्राप्त माना जाएगा।

3 एस्क्रो खाते में जमा

3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा

3.1.1 रियायतग्राही सहमत होता है और वचन देता है कि वह निम्नलिखित अंतर्वाह और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा या करवाएगा:

- (क) बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति या अन्यथा से परियोजना के संबंध में प्राप्त सभी धनराशि;
- (ख) हवाई अड्डे, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना परिसंपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है; और
- (ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा किए गए सभी भुगतान:
परंतु यह कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार, EPC ठेकेदार को सीधा संवितरण कर सकते हैं।

3.1.2 रियायतग्राही, किसी भी समय, अपने अन्य फंडों को एस्क्रो खाते में जमा कर सकता है, शर्त यह है कि इस करार के प्रावधान ऐसी जमाओं पर लागू होंगे।

3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा

प्राधिकरण सहमत होता है और वचन देता है कि, जब भी देय और भुगतान योग्य होगा, वह समाप्ति भुगतानों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा और/या क्रेडिट करेगा।

परंतु यह कि, खंड 4.1.1 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण उपर्युक्त राशियों में से, रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य किसी भी मासिक रियायत शुल्क को विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी।

3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा

ऋणदाता प्रतिनिधि सहमत होता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि वरिष्ठ ऋणदाता परियोजना के संबंध में या उसके विषय में उनके द्वारा किए गए सभी संवितरणों को एस्क्रो खाते में जमा करेंगे और/या क्रेडिट करेंगे, शर्त यह है कि इस करार में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार EPC ठेकेदार को सीधे भुगतान करने के हकदार होंगे।

3.4 जमा राशि पर ब्याज

एस्क्रो बैंक यह सहमति व्यक्त करता है और वचन देता है कि एस्क्रो खाते के शेष पर अर्जित होने वाले समस्त ब्याज को एस्क्रो खाते में जमा किया जाएगा; शर्त यह है कि एस्क्रो बैंक, एस्क्रो खाते के संबंध में रियायतग्राही से उसे देय शुल्क और व्ययों को उसमें से यथोचित रूप से समायोजित करने का हकदार होगा तथा शेष राशि को एस्क्रो खाते में जमा कर देगा।

4. एस्क्रो खाते से आहरण

4.1 आहरण

4.1.1 प्रत्येक माह के प्रारंभ में, या ऐसे छोटे अंतरालों पर जैसा कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही लिखित अनुदेशों द्वारा निर्धारित करें, एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते से राशियां आहरित करेगा और उन्हें देय भुगतान करने हेतु संबंधित उप-खातों में जमा करके निम्नलिखित क्रम में विनियोजित करेगा, और यदि किसी माह में ऐसा भुगतान देय नहीं है, तो ऐसी राशियों को ऐसे उप-खातों में बनाए रखेगा और भुगतान तिथियों पर उसमें से भुगतान करेगा:

- (क) विधिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य समस्त कर;
- (ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) रियायत समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य समस्त राशियां और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य हो; और
- (घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- (ङ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के अनुदेशों के अनुसार।

- 4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष के प्रारंभ से न्यूनतम 60 (साठ) दिन पूर्व, रियायतग्राही, ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन से, इस खंड 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान बाध्यता के लिए आवश्यक होने वाली संभावित राशियों का विवरण एस्क्रो बैंक को प्रदान करेगा; शर्त यह है कि यदि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी से ऐसा संशोधन आवश्यक हो जाता है, तो ऋणदाता प्रतिनिधि के पूर्व लिखित अनुमोदन से ऐसी राशियों को बाद में संशोधित किया जा सकता है।

4.2 समाप्ति पर आहरण

रियायत समझौते की समाप्ति पर, एस्करो खाते के क्रेडिट में जमा समस्त राशियां, इस समझौते में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित क्रम में विनियोजित और निपटाई जाएंगी:

- (क) वेतनबल बकाया और विधिक भुगतान, हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य समस्त कर;
- (ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) रियायत समझौते की समाप्ति की तिथि तक रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अन्य सभी बकाया राशियां;
- (घ) इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य समस्त राशियां और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना जो रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य हो;
- (ङ) बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण का शेष शामिल है;
- (च) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के अनुदेशों के अनुसार:

परंतु यह कि इस खंड 4.2 के उप-खंड (ङ) में निर्दिष्ट संवितरण केवल प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाण पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।

4.3 अपर्याप्त निधियों का प्रयोग

एस्करो खाते में उपलब्ध निधियों को, यथास्थिति, खंड 4.1 और 4.2 में निर्धारित प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि उपलब्ध निधियां सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो एस्करो बैंक ऐसी निधियों को समाप्त होने तक प्राथमिकता के क्रमिक क्रम में प्रयुक्त करेगा।

4.4 बीमा प्राप्तियों का प्रयोग

इस समझौते में किसी बात के होते हुए भी, जीवन और क्षति को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशियां एस्करो खाते में जमा की जाएंगी और/या क्रेडिट की जाएंगी और हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत,

पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए उपयोग की जाएंगी, और यदि कोई शेष राशि बचती है, तो उसे वित्तपोषण समझौतों में इस संबंध में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रयुक्त किया जाएगा।

4.5 निलंबन के दौरान आहरण

इस समझौते में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायत समझौते के अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान रियायतग्राही के सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा एस्करो बैंक को दिए गए किसी भी अनुदेश का अनुपालन इस प्रकार किया जाएगा मानो ऐसे अनुदेश इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा दिए गए थे, और इसके तहत प्राधिकरण की सभी कार्यवाहियों को रियायतग्राही की ओर से और उसके निमित्त की गई कार्यवाई माना जाएगा।

5. एस्करो बैंक के दायित्व

5.1 निधियों का पृथक्करण

इस समझौते के तहत एस्करो बैंक द्वारा प्राप्त धन और अन्य संपत्ति को, जब तक कि इस समझौते के अनुसार उपयोग या प्रयुक्त न किया जाए, एस्करो बैंक द्वारा उन उद्देश्यों के लिए न्यास में रखा जाएगा जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे, और उन्हें एस्करो बैंक की अन्य निधियों और संपत्ति से पृथक् रखा जाएगा।

5.2 शेष राशियों की अधिसूचना

प्रत्येक भुगतान तिथि से 7 (सात) कार्य दिवस पूर्व (और इस उद्देश्य के लिए एस्करो बैंक संबंधित भुगतान तिथियों के संबंध में रियायतग्राही और/या ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा दिए गए सत्यापन पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्करो बैंक ऋणदाता प्रतिनिधि को ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस की समाप्ति पर एस्करो खाते और उप-खातों में उपलब्ध शेष राशियों के बारे में सूचित करेगा।

5.3 संदेश-व्यवहार और सूचनाएं

इसके तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में, एस्करो बैंक:

- (क) अपनी ओर से दुर्भाव या घोर लापरवाही के अभाव में, ऐसे किसी भी तथ्य के संबंध में जो तर्कसंगत रूप से रियायतग्राही के ज्ञान में होने की उम्मीद की जा सकती है, रियायतग्राही द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर भरोसा कर सकता है;
- (ख) अपनी ओर से दुर्भाव या घोर लापरवाही के अभाव में, किसी भी संदेश-व्यवहार या दस्तावेज की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;

- (ग) प्राप्त के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, रियायतग्राही द्वारा या इसके संबंध में एस्क्रो बैंक के रूप में उसकी हैसियत में प्राप्त किसी भी सूचना या दस्तावेज की एक प्रति ऋणदाता प्रतिनिधि को सौंपेगा; और
- (घ) प्राप्त के 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर, इसके संबंध में ऋणदाता प्रतिनिधि से प्राप्त किसी भी सूचना या दस्तावेज की एक प्रति रियायतग्राही को सौंपेगा।

5.4 कोई सेट ऑफ नहीं

एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते में जमा राशियों के संबंध में सेट ऑफ मुजरा, बैंकर के धारणाधिकार या अन्य किसी अधिकार या उपचार का दावा या प्रयोग न करने पर सहमति व्यक्त करता है। एस्क्रो बैंक द्वारा इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि एस्क्रो बैंक द्वारा एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशियों और संपत्तियों को एस्क्रो बैंक की परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं माना जाएगा और न्यास संपत्ति होने के कारण एस्क्रो बैंक के दिवालियापन या परिसमापन की स्थिति में, ऐसी दिवालियापन या परिसमापन में एस्क्रो बैंक की परिसंपत्तियों से पूरी तरह अपवर्जित रखा जाएगा।

5.5 विनियामक अनुमोदन

एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक सभी विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने और तत्पश्चात उन्हें बनाए रखने और उनका अनुपालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। एस्क्रो बैंक यह अभ्यावेदन करता है और वारंटी देता है कि वह ऐसे किसी कारण से अवगत नहीं है जिसके कारण एस्क्रो बैंक को ऐसे विनियामक अनुमोदन सामान्य रूप से प्रदान न किए जाएं।

6. एस्क्रो व्यतिक्रम

6.1 एस्क्रो व्यतिक्रम

- 6.1.1 निम्नलिखित घटनाएं रियायतग्राही द्वारा व्यतिक्रम की घटना मानी जाएंगी (एक "एस्क्रो व्यतिक्रम"), जब तक कि ऐसी व्यतिक्रम की घटना अपरिहार्य घटना या प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि के किसी कार्य या लोप के परिणामस्वरूप न हुई हो:

- (क) रियायतग्राही इसमें दिए गए प्रावधान के अनुसार एस्क्रो खाते में कोई भी प्राप्तियां जमा करने में विफल रहकर इस समझौते का उल्लंघन करता है, और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर एस्क्रो खाते में जमा करके ऐसे उल्लंघन का उपचार करने में विफल रहता है;

- (ख) रियायतग्राही इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन में एस्क्रो बैंक से रियायतग्राही के किसी खाते में निधि स्थानांतरित करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर संबंधित निधि को एस्क्रो खाते में जमा करके ऐसे उल्लंघन का उपचार करने में विफल रहता है; या
- (ग) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या करवाता है और 5 (पांच) कार्य दिवसों की उपचार अवधि के भीतर उसका उपचार करने में विफल रहता है।

6.1.2 एस्करो व्यतिक्रम घटने पर, उसके परिणामों से रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

7. एस्करो समझौते की समाप्ति

7.1 एस्करो समझौते की अवधि

7.1.1 यह समझौता तब तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा जब तक कि वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण, गारंटी या वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही से कोई राशि अग्रिम या बकाया रहती है, या प्राधिकरण के प्रति उसके किसी दायित्व का निर्वहन होना शेष रहता है, जब तक कि सभी पक्षों की सहमति से या अन्यथा इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार इसे पहले समाप्त न कर दिया गया हो।

7.1.2 उपरोक्त खंड 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो समझौते की समाप्ति के साथ ही, रियायतग्राही निम्नलिखित संशोधनों के अधीन उसी प्रारूप में एक नया एस्करो समझौता निष्पादित करने के लिए सहमत होता है:

- (क) ऋणदाता प्रतिनिधि को एस्करो समझौते के एक पक्ष के रूप में प्राधिकरण या उसके किसी नामित व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) प्राधिकरण या उसके नामित व्यक्ति, (क) के अनुसार एस्करो समझौते का एक पक्ष होने के नाते, वे सभी कार्य करेंगे जो ऋणदाता प्रतिनिधि के नाम दर्ज हैं;
- (ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तपोषण समझौतों तथा अन्य संबंधित शर्तों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;
- (घ) ऐसा कोई भी एस्करो समझौता रियायत समझौते की समाप्ति के पश्चात ही समाप्त किया जाएगा, और कम से कम उस अवधि के लिए वैध रहेगा जिसके लिए खंड 37.2 के अनुसार एस्करो खाते में कोई भी राशि रखी जानी है; और
- (ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जैसा कि उस समय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए।

- 7.1.3 ऊपर खंड 7.1.1 के अनुसार एस्करो समझौते की समाप्ति के अधिकतम 24 (चौबीस) घंटों की अवधि के भीतर ऊपर खंड 7.1.2 के अनुसार एस्करो समझौते का निष्पादन न होना, इसके परिणामस्वरूप रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही का व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसमें प्राधिकरण को उपलब्ध उपचार शामिल हैं, जिसमें रियायत समझौते को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

7.2 एस्करो बैंक का प्रतिस्थापन

- 7.2.1 रियायतग्राही एस्करो बैंक, एस्करो प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि को न्यूनतम 45 (पैंतालीस) दिन पूर्व सूचना देकर इस समझौते को समाप्त कर सकता है और एक नए बैंक की नियुक्ति कर सकता है, शर्त यह है कि नया एस्करो बैंक ऋणदाता प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और नए एस्करो बैंक के पास स्थापित नए एस्करो खाते में एस्करो खाते की राशि के हस्तांतरण के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि के लिए संतोषजनक व्यवस्थाएं की जाएं।
- 7.2.2 इस समझौते की समाप्ति स्थानापन्न एस्करो बैंक के साथ एस्करो समझौता लागू होने पर ही प्रभावी होगी।

7.3 एस्करो खाता बंद करना

एस्करो बैंक, उप-खातों 4.2 में निर्दिष्ट भुगतानों सहित इस समझौते और वित्तपोषण समझौतों के तहत सभी बकाया राशियों का रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए जाने पर या उसके पश्चात किए गए रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के अनुरोध पर, और ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि होने पर, एस्करो खाते को बंद कर देगा और उसमें जमा किसी भी राशि का रियायतग्राही को भुगतान कर देगा। इसके तहत एस्करो खाता बंद होने पर, एस्करो समझौता समाप्त माना जाएगा।

8. पूरक एस्करो समझौता

8.1 पूरक एस्करो समझौता

ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही एस्करो बैंक के साथ एक पूरक एस्करो समझौता करने के हकदार होंगे, जो अन्य बातों के साथ-साथ, खंड 4.1.1 के अनुसरण में उप-खातों से आहरण के लिए और इस समझौते के तहत शामिल न किए गए मामलों के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और प्रलेखीकरण का प्रावधान करेगा, जैसे कि वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकार और दायित्व, अधिशेष निधियों का निवेश, इस समझौते के उल्लंघन की स्थिति में या एस्करो व्यतिक्रम घटने पर रियायतग्राही द्वारा आहरण पर प्रतिबंध, एस्करो खाते के संचालन और उससे आहरण से संबंधित प्रक्रियाएं, रिपोर्टिंग आवश्यकताएं और उससे जुड़ा कोई भी मामला; शर्त यह है कि ऐसे पूरक एस्करो समझौते में कोई ऐसा प्रावधान शामिल नहीं होगा

जो इस समझौते के असंगत हो, और इस समझौते के प्रावधानों और ऐसे पूरक एस्क्रो समझौते के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधान प्रभावी होंगे।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

9.1.1 रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा किसी भी उल्लंघन के कारण या लागू प्रवृत्त विधियों और लागू अनुज्ञप्तियों का अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, दावों और तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले प्राधिकरण, एस्क्रो बैंक और वरिष्ठ ऋणदाताओं की क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें निर्दोष रखेगा।

9.1.2 प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, दावों और तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे निर्दोष रखेगा, जो रियायत समझौते या इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसके अलावा प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

9.1.3 एस्क्रो बैंक इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में एस्क्रो बैंक की विफलता के कारण होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाहियों, दावों और तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे निर्दोष रखेगा, जो रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निष्पादन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसके अलावा एस्क्रो बैंक, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

9.2 दावों की सूचना और कंटेस्ट

इस घटना में कि इसका कोई भी पक्ष किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त करता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह पुनर्भरण का हकदार है ("क्षतिपूर्त पक्ष"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इसके तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्तिदाता पक्ष") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्तिदाता पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का

निपटारा या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अकारण रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। इस घटना में कि क्षतिपूर्तिदाता पक्ष दावे को चुनौती देना या विवादित करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है और उसे चुनौती देने में शामिल सभी लागतों का वहन करेगा। क्षतिपूर्त पक्ष किसी भी दावे को चुनौती देने में पूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जैसा कि क्षतिपूर्तिदाता पक्ष द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो।

10. विवाद समाधान

10.1 विवाद समाधान

10.1.1 इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल न किया गया हो, विवाद के प्रत्येक पक्ष के एक-एक नामित व्यक्ति से मिलकर बने मध्यस्थ बोर्ड को संदर्भित करके मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा, और जहां ऐसे नामितों की संख्या एक सम संख्या है, वहां नामित व्यक्ति ऐसे बोर्ड के लिए एक अन्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.1.2 मध्यस्थ एक सकारण पंचाट जारी करेंगे और ऐसा पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

11. विविध प्रावधान

11.1 शासी विधि और क्षेत्राधिकार

इस समझौते का अर्थान्वयन और निर्वचन भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और वे उसी से शासित होंगे, और राज्य की अदालतों को इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

11.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमति व्यक्त करता है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और निष्पादन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कार्य हैं,

- (ख) सहमति व्यक्त करता है कि यदि उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से ऐसी कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण हो या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ग) उन्मुक्ति के किसी भी ऐसे अधिकार का परित्याग करता है जो उसके पास या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अभी है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जो किसी भी क्षेत्राधिकार के तहत उसे दिया जा सकता है; और
- (घ) उसके विरुद्ध किसी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी किसी भी कार्यवाही में किसी भी राहत देने या किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई आदेश या निर्णय देने के संबंध में किसी प्रक्रिया के जारी करने पर सहमति व्यक्त करता है।

11.3 समझौतों की प्राथमिकता

रियायत समझौते और इस समझौते के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, रियायत समझौते में समाविष्ट प्रावधान इस समझौते पर प्रभावी होंगे।

11.4 शर्तों में परिवर्तन

इस समझौते में सभी संवर्धन, संशोधन, परिवर्तन और भिन्नताएं केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

11.5 परित्याग

11.5.1 किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा किए गए व्यतिक्रम का परित्याग:

- (क) इसके किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम या इस समझौते के तहत अन्य प्रावधानों या दायित्वों के परित्याग के रूप में संचालित या निर्मित नहीं होगा;
- (ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और
- (ग) किसी भी तरीके से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

11.5.2 किसी भी अवसर पर किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते की शर्तों, नियमों और प्रावधानों या उसके तहत किसी दायित्व के निष्पादन पर जोर न देना, न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई छूट या अन्य अनुग्रह को ऐसे उल्लंघन का परित्याग या किसी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार के परित्याग के रूप में माना या समझा जाएगा।

11.6 कोई तृतीय पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता केवल पक्षों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

11.7 उत्तरजीविता

11.7.1 इस समझौते की समाप्ति:

(क) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या विवक्षा द्वारा इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ख) किसी भी पक्ष के दायित्व को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसे समापन के प्रभावी होने से पूर्व ऐसे पक्ष के कार्यों या लोप से उत्पन्न, या ऐसे समापन से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए दायित्वों से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

11.7.2 इस समझौते के रद्द होने, समाप्त होने या पूरा होने के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस समझौते के ऐसे समापन या समाप्ति की तिथि के पश्चात केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

11.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या बन जाता है या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय या किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधानिकता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने के उद्देश्य से सद्भावना से बातचीत करेंगे जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसे किन्हीं प्रावधानों पर सहमत होने में विफलता इस समझौते के खंड 10.1 के तहत या अन्यथा विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

11.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लिए बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

11.10 सूचनाएं

इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संदेश-व्यवहार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष का सेवा का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। सूचना उसके वास्तविक प्राप्त होने पर प्रभावी होगी, इसके अलावा जहां यह किसी कार्य दिवस को अपराह्न 5.30 बजे के बाद प्राप्त होती है या ऐसे दिन प्राप्त होती है जो कार्य दिवस नहीं है, तो सूचना वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद वाले पहले कार्य दिवस को प्राप्त मानी जाएगी। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संदेश-व्यवहार देने वाला पक्ष, तुरंत उसकी एक प्रति कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्तकर्ता को वितरित करेगा। इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष सूचना देकर अपना पता बदल सकता है। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

11.11 भाषा

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

11.12 अधिकृत प्रतिनिधि

पक्षों में से प्रत्येक, लिखित सूचना द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से ही सभी संदेश-व्यवहार किए जाएंगे। इसका एक पक्ष समान सूचना देकर ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या नई नियुक्ति करने का हकदार होगा।

11.13 मूल दस्तावेज

यह समझौता चार प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को जब निष्पादित और वितरित किया जाएगा, तो वह इस समझौते का एक मूल रूप माना जाएगा।

इसके साक्ष्य में, पक्षों ने ऊपर उल्लेखित तिथि को इस समझौते को निष्पादित और सुपुर्द किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में संलग्न की गई है:

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके निमित्त ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा:

(हस्ताक्षर) _____

(नाम) _____

(पदनाम) _____

(पता) _____

(फैक्स सं.) _____

(ई-मेल पता) _____

1. [निदेशक], जिन्होंने इसके साक्ष्य स्वरूप इन उपस्थितियों पर हस्ताक्षर किए हैं और
2. [कंपनी सचिव/अधिकृत अधिकारी], जिन्होंने इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर प्रति-हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द प्राधिकरण द्वारा:

(हस्ताक्षर) _____

(नाम) _____

(पदनाम) _____

(पता) _____

(फैक्स सं.) _____

(ई-मेल पता) _____

(उपस्थिति में हस्ताक्षरित)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द एस्क्रो बैंक द्वारा:

(हस्ताक्षर) _____

(नाम) _____

(पदनाम) _____

(पता) _____

(फैक्स सं.) _____

(ई-मेल पता) _____

अनुसूची ढ

चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

(अनुच्छेद 31.2.1 देखें)

1. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

करार के अनुच्छेद 31.2.1 के उपबंधों के अनुसरण में, प्राधिकरण भारत में पंजीकृत कार्यालय वाले छह (6) चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों के एक पैनल को नामित करेगा। ऐसा पैनल तैयार करने के मानदंड और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अनुसूची N में यथा निर्धारित होगी।

2. पैनलबद्धता के लिए निमंत्रण

- 2.1 प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सभी प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा, जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं:
- (क) फर्म ने कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013, जैसा भी मामला हो, जिसके अंतर्गत इसका कोई पुनरधिनियमन या संशोधन शामिल है, के तहत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक खातों का सांविधिक लेखापरीक्षण किया हो, जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने चाहिए;
 - (ख) फर्म के पास कम से कम 5 (पांच) सेवारत अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के पास पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव हो;
 - (ग) फर्म या उसके भागीदारों में से कोई भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या काली सूची में न डाला गया हो; और
 - (घ) फर्म का राज्य में या किसी निकटवर्ती राज्य में एक कार्यालय होना चाहिए, जिसमें उस राज्य में उसके रोल पर कम से कम 2 (दो) अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट हों।
- 2.2 पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली इच्छुक फर्मों से अपनी कार्यक्षमता का विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसमें उनके रोल पर मौजूद सभी अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों का बायोडाटा शामिल होगा। विशेष रूप से, प्रत्येक फर्म को उन सभी कंपनियों के नामों से संबंधित वर्षवार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जिनका वार्षिक कारोबार ₹25,00,00,000 (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है और जिनके वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण पूर्ववर्ती 5 (पांच) लेखा वर्षों में से किसी में ऐसी फर्म द्वारा किया गया था।

3. मूल्यांकन और चयन

- 3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की प्राधिकरण द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाएगा तथा ऊपर पैराग्राफ 2.2 में निर्दिष्ट कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक लेखापरीक्षण के लिए 1 (एक) अंक प्रदान किया जाएगा। (दृष्टान्त के रूप में, जिस फर्म ने 5 (पांच) वर्षों के लिए ऐसी किसी भी कंपनी के वार्षिक खातों का लेखापरीक्षण किया है, उसे 5 (पांच) अंक दिए जाएंगे)।
- 3.2 प्राधिकरण सभी पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करेगा, साथ ही ऐसी प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंकों का भी उल्लेख करेगा तथा उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली 6 (छह) फर्मों की पहचान की जाएगी और उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों के प्रारूप पैनल में शामिल किया जाएगा।

4. रियायतग्राही के साथ परामर्श

प्राधिकरण फर्मों के उक्त पैनल को रियायतग्राही को जांच और टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए प्रेषित करेगा। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के संबंधित अभिलेखों की जांच करने का हकदार होगा कि क्या फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और वह उक्त पैनल प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, प्राधिकरण को भेजेगा।

5. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

- 5.1 प्राधिकरण रियायतग्राही की टिप्पणियों, यदि कोई हो, सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के पश्चात् 6 (छह) फर्मों के एक पैनल को अंतिम रूप देगा और उसका गठन करेगा।
- 5.2 चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल तैयार करने की तिथि से प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष पूरा होने के बाद, या ऐसी पूर्ववर्ती अवधि के बाद, जिस पर प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमति हो, इस अनुसूची N के उपबंधों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

अनुसूची ण

निहित प्रमाण-पत्र

(अनुच्छेद 36.4 देखें)

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व ("प्राधिकरण"), प्राधिकरण और [राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य में [उस शहर का नाम दर्ज करें जहां विमानपत्तन स्थित है] स्थित विमानपत्तन के लिए [रियायतग्राही का नाम दर्ज करें] ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित दिनांक [तिथि दर्ज करें] के रियायत करार ("करार") का संदर्भ लेता है।
2. प्राधिकरण इसके द्वारा करार के अनुच्छेद 36 के तहत निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं का रियायतग्राही द्वारा अनुपालन और पूर्ति की स्वीकारोक्ति करता है, इस आधार पर कि इस निहित प्रमाण-पत्र के जारी होने पर, प्राधिकरण को अधिग्रहण कर लिया माना जाएगा, और विमानपत्तन में या उसके संबंध में रियायतग्राही के सभी अधिकार और हित प्राधिकरण में निहित मान लिए जाएंगे, जो किसी भी प्रकार के प्रभारों, देनदारियों और बंधक से पूरी तरह मुक्त होंगे।

3. इसके विपरीत इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यह इस निहित प्रमाण-पत्र की एक शर्त होगी कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात का अर्थ विनिवेश आवश्यकताओं में किसी भी त्रुटि या कमी को सुधारने और दूर करने के रियायतग्राही के दायित्व को त्यागने और/या रियायतग्राही को किसी भी तरह से इससे मुक्त करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

आज दिनांक [] [], 201[] को हस्ताक्षरित।

सहमति प्राप्त, स्वीकृत एवं हस्ताक्षरित कृते एवं रियायतग्राही की ओर से:	हस्ताक्षरित, मोहरबंद एवं प्रदत्त कृते एवं प्राधिकरण की ओर से:
(हस्ताक्षर) _____	(हस्ताक्षर) _____
(नाम) _____	(नाम) _____
(पदनाम) _____	(पदनाम) _____
(पता) _____	(पता) _____
उपस्थिति में:	उपस्थिति में:
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____

अनुसूची त

प्रतिस्थापन करार

(अनुच्छेद 38.3.1 देखें)

यह प्रतिस्थापन करार ("करार") आज दिनांक [] [] 201[] को [स्थान का नाम दर्ज करें] में निष्पादित किया जाता है:

निम्नलिखित के बीच:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक,

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में है (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे);

और

[कंपनी का नाम दर्ज करें], कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के तहत निगमित कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [CIN दर्ज करें] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत पता दर्ज करें] पर स्थित है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी शामिल होंगे);

और

[ऋणदाता प्रतिनिधि का नाम और विवरण दर्ज करें], जिसका पंजीकृत कार्यालय [पता दर्ज करें] में स्थित है, जो इस करार से उत्पन्न या इसके संबंध में मामलों के संबंध में उनके विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से कार्य कर रहा है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे)।

चूंकि:

- क.** प्राधिकरण ने [राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य में [उस शहर का नाम दर्ज करें जहां विमानपत्तन स्थित है] स्थित विमानपत्तन के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [तिथि दर्ज करें] को एक रियायत करार ("रियायत करार") निष्पादित किया है, जो रियायत करार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है तथा इस करार का भाग बनने के लिए अनुलग्नक A के रूप में चिह्नित है।
- ख.** वरिष्ठ ऋणदाता वित्तीय करारों में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।
- ग.** वरिष्ठ ऋणदाताओं ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि इस करार और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार, किसी नामित कंपनी को रियायत के समनुदेशन, अंतरण और प्रतिस्थापन के माध्यम से उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए यह प्रतिस्थापन करार निष्पादित किया जाए।

घ. परियोजना के संचालन, प्रबंधन और विकास सहित इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, प्राधिकरण इस करार और रियायत करार में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार किसी नामित कंपनी को रियायत का अंतरण और समनुदेशन करने के लिए सहमत हुआ है और वचनबद्ध है।

अब, इसलिए, पूर्वापूर्वावलोकन और इस करार में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों पर विचार करते हुए, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखते हुए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस प्रतिस्थापन करार में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, क्रमशः निम्नानुसार होंगे:

"करार" का अर्थ यह प्रतिस्थापन करार और इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया गया कोई भी संशोधन है;

"रियायत करार" का अर्थ उत्तरकथन क में दिया गया अर्थ है;

"वित्तीय व्यतिक्रम" का अर्थ वित्तीय करारों के निबंधनों और शर्तों के किसी तात्त्विक उल्लंघन का होना या रियायतग्राही द्वारा न्यूनतम 3 (तीन) महीने की अवधि के लिए ऋण सेवा में निरंतर व्यतिक्रम है;

"क्षतिपूरित पक्षकार" का अर्थ नीचे अनुच्छेद 7.2 में दिया गया अर्थ है;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्षकार" का अर्थ नीचे अनुच्छेद 7.2 में दिया गया अर्थ है;

"ऋणदाता प्रतिनिधि" का अर्थ उपर्युक्त उत्तरकथनों में ऋणदाता प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति है;

"नामित कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत निगमित कंपनी है, जिसके अंतर्गत इसका कोई पुनरधिनियमन या संशोधन शामिल है, जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चुना गया है और इस करार में यथा उपबंधित रियायत के समनुदेशन/अंतरण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तावित किया गया है;

"वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना" का अर्थ अनुच्छेद 3.2.1 में दिया गया अर्थ है; और

"पक्षकार" का अर्थ सामूहिक रूप से इस करार के पक्षकार हैं, और "पक्षकार" का अर्थ व्यक्तिगत रूप से इस करार के पक्षकारों में से कोई भी होगा।

1.2 व्याख्या

- 1.2.1 वरिष्ठ ऋणदाताओं के संदर्भ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से कार्य करने वाले ऋणदाता प्रतिनिधि के संदर्भ माने जाएंगे।
- 1.2.2 अनुच्छेदों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस करार के अनुच्छेदों के संदर्भ हैं।
- 1.2.3 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले तथा इस करार में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो इसमें दिए गए हैं, और जो शब्द और अभिव्यक्ति इस करार में उपयोग किए गए हैं तथा इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन रियायत करार में परिभाषित हैं, उनका अर्थ, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, वही होगा जो रियायत करार में दिया गया है।
- 1.2.4 रियायत करार के अनुच्छेद 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए अर्थान्वयन के नियम, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस करार पर लागू होंगे।

2. समनुदेशन

2.1 समनुदेशन

रियायतग्राही इसके द्वारा वित्तीय करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण के संबंध में प्रतिभूति के रूप में, इस करार और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार और उनके अनुसरण में, ऋणदाता प्रतिनिधि के पक्ष में रियायत में अपने अधिकारों, स्वामित्व और हितों को समनुदिष्ट करने के लिए सहमत होता है।

3. रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

3.1 प्रतिस्थापन के अधिकार

- 3.1.1 अनुच्छेद 2.1 के तहत समनुदिष्ट अधिकारों, स्वामित्व और हितों के अनुसरण में, ऋणदाता प्रतिनिधि इस करार और रियायत करार के उपबंधों के तहत और उनके अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा।
- 3.1.2 प्राधिकरण इसके द्वारा इस करार के अनुसार ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा चयनित नामित कंपनी के पक्ष में रियायत करार पर पृष्ठांकन करके रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत होता है। वरिष्ठ

ऋणदाता या ऋणदाता प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से रियायतग्राही के रूप में विमानपत्तन का संचालन और रखरखाव करने के हकदार नहीं होंगे।

- 3.1.3 इस करार या रियायत करार में कहीं भी इसके विपरीत अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते हैं कि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस करार के निबंधनों के अनुसार किसी नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में असमर्थ हैं, तो प्राधिकरण के पास रियायतग्राही को इस तरह से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि प्राधिकरण इस करार के उद्देश्यों के लिए एक नामित कंपनी हो, और नामित कंपनी का कोई भी संदर्भ प्राधिकरण माना जाएगा और प्रतिस्थापन करार के अन्य सभी निबंधनों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

3.2 वित्तीय व्यतिक्रम के होने पर प्रतिस्थापन

- 3.2.1 ऊपर अनुच्छेद 2.1 के उपबंधों के अधीन, वित्तीय व्यतिक्रम होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायतग्राही को इसके विवरण के साथ एक सूचना ("वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना") जारी कर सकता है, और प्राधिकरण को उसकी जानकारी और अभिलेख के लिए एक प्रति भेज सकता है। इस अनुच्छेद 3.2 के तहत वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना ऐसे वित्तीय व्यतिक्रम का निर्णायक साक्ष्य होगी और यह इस करार के उद्देश्यों के लिए रियायतग्राही पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 3.2.2 इसके तहत वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना जारी होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि, इस करार या वित्तीय करारों के तहत अपने किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित कर सकता है।
- 3.2.3 ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना जारी करने के बाद किसी भी समय, वह सूचना द्वारा प्राधिकरण से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने और रियायत करार के अनुच्छेद 3.4 के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन का संचालन और रखरखाव करने की मांग कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत करार के उपबंधों के तहत और उनके अनुसार निलंबन करेगा। किसी नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन किए जाने पर निलंबन रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसा प्रतिस्थापन ऐसे निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत करार के उपबंधों के अनुसार समाप्ति सूचना जारी करके रियायत करार को तुरंत समाप्त कर सकता है, शर्त यह है कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। प्राधिकरण इसके तहत निलंबन की तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाता

प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, रियायत करार को तुरंत समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत होता है और वचन देता है।

3.3 रियायतग्राही के व्यतिक्रम के होने पर प्रतिस्थापन

- 3.3.1 ऊपर अनुच्छेद 2.1 के उपबंधों के अधीन, रियायतग्राही का व्यतिक्रम होने पर, प्राधिकरण एक सूचना द्वारा ऋणदाता प्रतिनिधि को समाप्ति सूचना जारी करने के अपने इरादे से अवगत कराएगा और ऋणदाता प्रतिनिधि को किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा।
- 3.3.2 यदि ऋणदाता प्रतिनिधि अनुच्छेद 3.3.1 में यथा निर्दिष्ट 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन देता है, जिसमें कहा गया है कि उसका इरादा किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का है, तो ऋणदाता प्रतिनिधि ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर इस करार के उपबंधों के अनुसार किसी नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन को हाथ में लेने और पूरा करने का हकदार होगा, और प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के लिए या तो समाप्ति को रोके रखेगा या निलंबन करेगा, शर्त यह है कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाएगा, बशर्ते आगे यह कि ऋणदाता प्रतिनिधि, किसी भी समय, इसके तहत अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लेने पर प्राधिकरण इसके उपबंधों के अनुसार इस करार को समाप्त कर सकता है।

3.4 प्रतिस्थापन की प्रक्रिया

- 3.4.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत होते हैं कि वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना की तिथि पर या उसके बाद या अनुच्छेद 3.3.2 के तहत प्राधिकरण को अभ्यावेदन की तिथि पर, जैसा भी मामला हो, ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निजी बातचीत द्वारा या सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा किसी नामित कंपनी द्वारा रियायत करार के तहत प्राधिकरण के प्रति और वित्तीय करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ग्रहण करने पर नामित कंपनी को रियायत सहित विमानपत्तन के अधिग्रहण और अंतरण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित, बातचीत और प्राप्त कर सकता है।
- 3.4.2 रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पात्र होने के लिए, नामित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायत के आवंटन के लिए बोलीदाताओं को सूचीबद्ध

करने के लिए निर्धारित किए गए थे, शर्त यह है कि ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण को अभ्यावेदन दे सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे सभी या किसी भी मानदंड को समाप्त किया जा सकता है, और यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि ऐसी छूट का परियोजना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे सभी या किसी भी पात्रता मानदंड को समाप्त कर सकता है।

3.4.3 किसी नामित कंपनी के चयन पर, ऋणदाता प्रतिनिधि प्राधिकरण से अनुरोध करेगा कि:

- (क) रियायत करार के उपबंधों के अनुसार विमानपतन का संचालन, प्रबंधन और विकास करने का अधिकार नामित कंपनी को स्थानांतरित करने के लिए सहमत हो;
- (ख) शेष विकास अवधि या रियायत अवधि के लिए समान निबंधनों और शर्तों पर नामित कंपनी को रियायत जैसा भी प्रासंगिक हो पृष्ठांकित और स्थानांतरित करे; और
- (ग) ऋणदाता प्रतिनिधि और नामित कंपनी के साथ उन्हीं निबंधनों पर एक प्रतिस्थापन करार करे जो इस करार में अंतर्विष्ट हैं।

3.4.4 यदि प्राधिकरण को इस करार के अनुसार नामित कंपनी के पक्ष में रियायत के अंतरण पर कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा दिए गए प्रस्ताव की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऋणदाता प्रतिनिधि को सुनने के बाद एक सकारण आदेश देगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामित कंपनी को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा। प्राधिकरण उसके बाद नामित कंपनी की अपनी स्वीकृति/माना गया स्वीकृति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायत को स्थानांतरित और पृष्ठांकित करेगा, शर्त यह है कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी आपत्ति के मामले में, ऋणदाता प्रतिनिधि दूसरी नामित कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है, जिसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इस खंड 3.4 का पालन रियायतग्राही के स्थान पर ऐसी नामांकित कंपनी के प्रतिस्थापन के लिए किया जाएगा।

3.4.5 इस करार और रियायत करार में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, नामांकित कंपनी को इसके अधीन रियायत का हस्तांतरण नामांकित कंपनी को रियायतग्राही की इक्विटी के कम से कम 74% (चौहत्तर प्रतिशत) के हस्तांतरण द्वारा किया जा सकता है, और इसके अधीन ऐसे हस्तांतरण पर, रियायतग्राही को इस करार और रियायत करार के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार नामांकित कंपनी माना जाएगा।

3.5 चयन का बाध्यकारी होना

नामांकित कंपनी के चयन में ऋणदाता प्रतिनिधि और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है और इस करार के अनुसरण में की

गई ऋणदाता प्रतिनिधि या वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण की कार्यवाइयों को चुनौती देने के किसी भी अधिकार का परित्याग करता है, जिसमें नामांकित कंपनी के पक्ष में रियायत का हस्तांतरण/समुपादन शामिल है। रियायतग्राही सहमत होता है और पुष्टि करता है कि उसे परियोजना की परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के शेयरों का पुनर्मूल्यांकन मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षों द्वारा इसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी तथा रियायतग्राही के पास ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध किए गए अनुसार रियायत के प्रतिस्थापन और पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरण को प्रभावी बनाने या कराने से प्राधिकरण या ऋणदाता प्रतिनिधि को रोकने, बाधित करने या रोकने का कोई अधिकार या उपचार नहीं होगा।

4. परियोजना करार

4.1 परियोजना करारों में नामांकित कंपनी का प्रतिस्थापन

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि प्रत्येक परियोजना करार में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो नामांकित कंपनी को रियायत करार के तहत रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ग्रहण करने की स्थिति में रियायतग्राही के स्थान पर और प्रतिस्थापन में ऐसे परियोजना करार में कदम रखने के लिए हकदार बनाते हैं।

5. रियायत करार की समाप्ति

5.1 वित्तीय व्यतिक्रम के घटित होने पर समाप्ति

वित्तीय व्यतिक्रम की सूचना जारी होने के बाद किसी भी समय, ऋणदाता प्रतिनिधि लिखित सूचना द्वारा प्राधिकरण से रियायत करार को तुरंत समाप्त करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, प्राधिकरण रियायत करार के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार समाप्ति की कार्यवाइ करेगा।

5.2 नामांकित कंपनी का चयन न होने पर समाप्ति

इस घटना में कि खंड 3.3.2 में यथा निर्धारित 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उसके किसी विस्तार की अवधि के भीतर प्राधिकरण को स्वीकार्य कोई नामांकित कंपनी चुनी और अनुशंसित नहीं की जाती है, प्राधिकरण उसके प्रावधानों के अनुसार रियायत करार को तुरंत समाप्त कर सकता है।

5.3 धनराशि का वसूली/प्राप्ति

प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि, अपने किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाता प्रतिनिधि रियायत करार की समाप्ति पर वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय राशियां रियायतग्राही के किसी अन्य संदर्भ या सहमति के बिना रियायतग्राही से प्राप्त करने का हकदार है।

6. करार की अवधि

6.1 करार की अवधि

यह करार इसके निष्पादन की तिथि से लागू होगा और निम्नलिखित घटनाओं में से जो भी पहले घटित हो, पर समाप्त हो जाएगा:

(क) करार की समाप्ति; या

(ख) वित्तपोषण करारों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को अग्रिम दी जाने वाली कोई राशि शेष न रहे और कोई राशि बकाया न रहे।

7. क्षतिपूर्ति

7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

7.1.1 रियायतग्राही इस करार के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न या लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण किसी भी प्रकार और प्रकृति की किसी भी क्षति, नुकसान, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध प्राधिकरण और ऋणदाता प्रतिनिधि की क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।

7.1.2 प्राधिकरण इस करार के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्यवाइयों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा, जो रियायत करार या इस करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसके अलावा प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके कानूनी कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

7.1.3 ऋणदाता प्रतिनिधि इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ऋणदाता प्रतिनिधि की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी कार्यवाही, कार्यवाहियों और तीसरे पक्ष के दावों के विरुद्ध रियायतग्राही की क्षतिपूर्ति करेगा, उसका बचाव करेगा और उसे हानिरहित रखेगा, जो रियायत करार के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, इसके अलावा ऋणदाता प्रतिनिधि, उसके अधिकारियों, सेवकों और एजेंटों द्वारा उनके कानूनी कार्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के।

7.2 सूचना और दावों का विरोध

इस घटना में कि इसका कोई भी पक्ष किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त करता है जिसके संबंध में वह खंड 7.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ पाने का हकदार है या जिसके संबंध में वह पुनर्भुगतान का हकदार है ('क्षतिपूर्त पक्ष'), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ('क्षतिपूर्तिदाता पक्ष') को सूचित करेगा और क्षतिपूर्तिदाता पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, ऐसा अनुमोदन अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। इस घटना में कि क्षतिपूर्तिदाता पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, वह क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है और इसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों का वहन करेगा। क्षतिपूर्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्तिदाता पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो सकती है।

8. विवाद समाधान

8.1 विवाद समाधान

8.1.1 इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, मतभेद या दावा जो सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, उसे मध्यस्थों के एक बोर्ड के माध्यम से मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा तय किया जाएगा जिसमें प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि का एक-एक नामांकित व्यक्ति शामिल होगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अधीन होगी।

8.1.2 मध्यस्थ एक कारण सहित पंचाट जारी करेंगे और ऐसा पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगा और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

9. विविध प्रावधान

9.1 शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह करार भारत के कानूनों के अनुसार अर्थान्वित और व्याख्यायित किया जाएगा तथा उन्हीं से शासित होगा, और राज्य की अदालतों को इस करार से उत्पन्न या संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

9.2 संप्रभु उन्मुक्ति का परित्याग

प्राधिकरण, बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (क) सहमत होता है कि इसके द्वारा इस करार का निष्पादन, सुपुर्दगी और प्रदर्शन वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करता है;
- (ख) सहमत होता है कि, यदि इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो इसके परिसंपत्तियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से ऐसी कार्यवाही से किसी भी उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ग) उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का परित्याग करता है जो उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अब है या भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार में इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और
- (घ) ऐसी कार्यवाहियों से जुड़े किसी भी राहत देने या किसी भी प्रक्रिया के जारी करने के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है (जिसमें इसके विरुद्ध या किसी भी परिसंपत्ति, संपत्ति या राजस्व के संबंध में कोई भी आदेश या निर्णय दिया जा सकता है, चाहे उनका उपयोग या अभिप्रेत उपयोग कुछ भी हो)।

9.3 करारों की प्राथमिकता

रियायत करार और इस करार के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, रियायत करार में निहित प्रावधान इस करार पर प्रभावी होंगे।

9.4 शर्तों में परिवर्तन

इस करार में सभी परिवर्धन, संशोधन, बदलाव और भिन्नताएं केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

9.5 परित्याग

9.5.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस करार के किसी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में किसी अन्य पक्ष द्वारा किए गए व्यतिक्रम का परित्याग:

- (क) इसके किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम का या इस करार के अन्य प्रावधानों या दायित्वों के परित्याग के रूप में संचालित या अर्थान्वित नहीं होगा,
- (ख) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और
- (ग) किसी भी तरह से इस करार की वैधता या प्रवर्तनियता को प्रभावित नहीं करेगा।

9.5.2 किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी अवसर पर इस करार के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में विफलता और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई छूट या अन्य अनुग्रह को ऐसे उल्लंघन का परित्याग या किसी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार का त्याग नहीं माना जाएगा।

9.6 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह करार केवल पक्षों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9.7 उत्तरजीविता

9.7.1 इस करार की समाप्ति:

- (क) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं, और
- (ख) किसी भी पक्ष की देनदारियों को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस करार के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले ऐसे पक्ष के कृत्यों या लोपों से उत्पन्न होने वाले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष के नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देनदारियों से किसी भी पक्ष को मुक्त नहीं करेगी।

9.7.2 इस करार के रद्द होने, समाप्ति या समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस करार की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

9.8 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से इस करार का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय या किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भाव से बातचीत करेंगे, ताकि एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की जा सके जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के व्यावहारिक रूप से निकटतम हों। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस करार के खंड 8 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी

यह करार पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

9.10 सूचनाएं

इस करार के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष के तामील का पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के तहत निर्धारित हैं। एक सूचना उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगी, केवल इसके कि जहां यह किसी भी दिन शाम 5.30 (पांच तीस) बजे के बाद, या ऐसे दिन प्राप्त होती है जो सार्वजनिक अवकाश है, सूचना वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद पहले कार्य दिवस पर प्राप्त मानी जाएगी। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने या करने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसी सूचना या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा। इसके द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष सूचना द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर ऐसी सूचनाएं और संचार उसे वितरित या प्रेषित किए जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

9.11 भाषा

इस करार के तहत या इसके संबंध में सभी सूचनाएं, प्रमाणपत्र, पत्राचार और कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी।

9.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्ष, लिखित सूचना द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से केवल सभी संचार किए जाएंगे। इसका एक पक्ष समान सूचना द्वारा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या नई नियुक्ति करने का हकदार होगा।

9.13 मूल दस्तावेज

यह करार तीन प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को निष्पादित और वितरित किए जाने पर इस करार का एक मूल माना जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में पक्षों ने ऊपर लिखी पहली तिथि को इस करार को निष्पादित और सुपुर्द किया है।

रियायतग्राही की सामान्य मुहर	प्राधिकरण के बोर्ड की ओर से	वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से
हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द:	हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द:	ऋणदाता प्रतिनिधि द्वारा:
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(नाम)	(नाम)	(नाम)
(पदनाम)	(पदनाम)	(पदनाम)
(पता)	(पता)	(पता)
(फैक्स सं.)	(फैक्स सं.)	(फैक्स सं.)
(ई-मेल पता)	(ई-मेल पता)	(ई-मेल पता)

अनुसूची थ

सीएनएस/एटीएम करार

(खंड 20.2.1 देखें)

विषय सूची

अनुच्छेद 1.	परिभाषाएं और व्याख्या	2
अनुच्छेद 2.	वैधता और अवधि	4
अनुच्छेद 3.	निरूपण और वारंटी	5
अनुच्छेद 4.	प्राधिकरण के दायित्व	5

अनुच्छेद 5.	रियायतग्राही के दायित्व	7
अनुच्छेद 6.	सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार	8
अनुच्छेद 7.	संयुक्त समन्वय समिति	11
अनुच्छेद 8.	राजस्व और शुल्क	11
अनुच्छेद 9.	क्षतिपूर्ति	12
अनुच्छेद 10.	दायित्व	12
अनुच्छेद 11.	अप्रत्याशित घटना	12
अनुच्छेद 12.	समाप्ति	14
अनुच्छेद 13.	समनुदेशन	15
अनुच्छेद 14.	विवाद समाधान	16
अनुच्छेद 15.	बीमा	17
अनुच्छेद 16.	सूचनाएं	17
अनुच्छेद 17.	माना गया सुपुर्दगी	18
अनुच्छेद 18.	विविध	18
अनुच्छेद 19.	शासी कानून	20
अनुच्छेद 20.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रसंविदाएं	20
अनुसूची 1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण और रियायतग्राही उपकरण	22
अनुसूची 2.	सीएनएस/एटीएम सेवाएं	23
अनुसूची 3.	कार्यालय और सुविधाएं	24
अनुसूची 4.	पृथक किए गए क्षेत्र	25
अनुसूची 5.	मौजूदा उपकरणों की सूची	26
अनुसूची 6.	हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोड मैप	27

सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए यह करार ('यह करार') [] को [] के []वें दिन संपादित किया जाता है:

द्वारा और के बीच:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ('अधिनियम') के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003, भारत में है (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' या 'भाविप्रा' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) प्रथम पक्ष; और
2. [], भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय [] में है (जिसे इसके बाद 'रियायतग्राही' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती तथा प्रतिस्थानी शामिल होंगे) द्वितीय पक्ष।

अभिव्यक्ति 'भाविप्रा' और 'रियायतग्राही', जहां भी संदर्भ की आवश्यकता हो, का अर्थ उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती होंगे और उन्हें सामूहिक रूप से 'पक्ष' और व्यक्तिगत रूप से 'पक्ष' कहा जाएगा।

जबकि:

- क. रियायतग्राही ने गुजरात राज्य में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत करार किया है।
- ख. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसार, भाविप्रा भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक हवाई अड्डों पर हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।
- ग. उपरोक्त अधिनियम के अनुसार, भाविप्रा इस करार में निर्धारित नियमों और शर्तों पर हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करेगा।

अब, इसलिए, पूर्वगामी और इस करार में निर्धारित संबंधित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने का इरादा रखते हुए, पक्ष निम्नानुसार सहमत हैं:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस करार में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो:

'भाविप्रा विकास उपकरण' का अर्थ खंड 6.4 में निर्धारित अर्थ है;

'भाविप्रा उपकरण' का अर्थ रियायतग्राही उपकरण के अलावा वे सभी उपकरण और सुविधाएं हैं, जो भाविप्रा को इस करार और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार भाविप्रा सेवाएं करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें, संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार, भाविप्रा विकास उपकरण शामिल होंगे;

'भाविप्रा सेवाएं' का अर्थ इस करार के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं जो खंड 5.1 में निर्धारित हैं;

'ऐरा' का अर्थ ऐरा अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी संस्था शामिल होगी;

'प्रभावित पक्ष' का अर्थ खंड 11.1 में दिया गया अर्थ होगा;

"संबद्ध" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली" का अर्थ हवाई अड्डे पर प्रकाश प्रणालियों से है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच से संबंधित प्रणालियां शामिल हैं, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार प्रस्तावित विमान परिचालनों के लिए आवश्यक हैं;

"हवाई अड्डा" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"सीओडी" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"शिकागो कन्वेंशन" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"सीएनएस/एटीएम शुल्क" का अर्थ खंड 8.1 में निर्धारित अर्थ होगा;

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" का अर्थ भाविप्रा द्वारा सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों और सुविधाओं से है और इसमें रियायतग्राही के उपकरण तथा भाविप्रा के उपकरण शामिल हैं;

"सीएनएस/एटीएम सेवाएं" का अर्थ हवाई अड्डे पर भाविप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार, नौवहन और निगरानी, तथा वायु यातायात प्रबंध सेवाओं से है, जैसा कि इस समझौते और अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है;

"रियायत समझौता" का अर्थ प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच [_____] को किया गया रियायत समझौता है;

"रियायतग्राही के उपकरण" का अर्थ अनुसूची 1 के भाग I में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरणों और सुविधाओं से हैं, और संदर्भ के अनुसार इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण शामिल होंगे;

"रियायतग्राही विकास उपकरण" का अर्थ खंड 6.3.1 में निर्धारित अर्थ होगा;

"डीजीसीए" का अर्थ नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या उसका कोई स्थानापन्न होगा;

"विवाद" का अर्थ खंड 14.1 में निर्धारित अर्थ होगा;

"विस्तार" का अर्थ रियायत समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर की गई हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार से है;

"अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना" का अर्थ खंड 6.2.1 में निर्धारित अर्थ होगा;

"उडान सूचना क्षेत्र" का अर्थ परिभाषित आयामों वाले उस हवाई क्षेत्र से है जिसके भीतर उडान सूचना सेवा और चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

"अप्रत्याशित घटना" का अर्थ खंड 11.2 में निर्धारित अर्थ होगा;

"भारत सरकार" का अर्थ भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दिशा-निर्देश के तहत उसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (चाहे स्वायत्त हो या नहीं) है;

"घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया" का अर्थ घटनाओं और आपातकालीन स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा उस संबंधित उडान सूचना क्षेत्र में समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन और रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है;

"क्षतिपूरित पक्ष" का अर्थ खंड 9.2 में निर्धारित अर्थ होगा;

"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष" का अर्थ खंड 9.2 में निर्धारित अर्थ होगा;

"जेसीसी" का अर्थ खंड 7.1 में निर्धारित अर्थ होगा;

"परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया" का अर्थ भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही के दायित्वों के दैनिक निर्वहन से संबंधित जानकारी के संचार के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच समय-समय पर सहमत होने वाली प्रक्रिया से है, जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार होगी तथा उस संबंधित उडान सूचना क्षेत्र में समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन और रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होगी जिसमें हवाई अड्डा स्थित है;

"प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना" का अर्थ खंड 6.1.2 में निर्धारित अर्थ होगा;

"परियोजना" का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;

"मार्ग नौवहन सुविधा शुल्क" का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार मार्ग नौवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइंस और/या विमान परिचालकों से लिया जाने वाला शुल्क है; और

"टर्मिनल नौवहन लैंडिंग शुल्क" का अर्थ लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे पर टर्मिनल नौवहन लैंडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइंस या विमान परिचालकों से लिया जाने वाला या लिया जाने वाला शुल्क है।

1.2 व्याख्या

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस समझौते में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ है जो इसमें दिया गया है, और इस समझौते में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, उनका अर्थ, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, वही होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.2 जिस भाषा से इस समझौते का निर्वाचन नियंत्रित होता है वह अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज जो किसी भी तरह से इस समझौते से प्रासंगिक हैं और जो किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही सहित लेकिन सीमित नहीं, इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से प्रासंगिक हैं, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

1.2.3 अनुच्छेद, खंड और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौते के अनुच्छेद, खंड और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए निर्वाचन के नियम, यथासंशोधित रूप में, इस समझौते पर लागू होंगे।

2. वैधता और अवधि

2.1 इस समझौते के प्रावधान (अनुच्छेद 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तारीख से पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) और इस समझौते के तहत पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पूर्ण प्रभाव में आएंगे।

2.2 यदि रियायत समझौता किसी भी पक्ष पर किसी भी दायित्व के बिना शर्तों की पूर्ति न होने के कारण समाप्त कर दिया जाता है तो यह समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा।

- 2.3 इस अनुच्छेद 2 की शर्तों के अधीन, यह समझौता, जब तक कि अनुच्छेद 12 के अनुसार समाप्त न किया गया हो, रियायत समझौते की समाप्ति या पूर्व समाप्ति तक पूर्ण प्रभाव में रहेगा।

3. अभ्यावेदन और वारंटियां

रियायत समझौते के अनुच्छेद 7 में बताए गए अभ्यावेदन और वारंटियां, यथासंशोधित रूप में, इस समझौते पर लागू होंगी।

4. प्राधिकरण के दायित्व

4.1 भाविप्रा सेवाएं

- 4.1.1 भाविप्रा अपनी लागत और व्यय पर, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकताओं के अनुसार, इस समझौते की अवधि के दौरान हर समय (आवश्यकतानुसार प्रतिदिन 24 (चौबीस) घंटों के दौरान मल्टी-शिफ्ट परिचालनों के माध्यम से भी):

- (क) अनुसूची 2 में विशेष रूप से दिए गए अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा;
- (ख) भाविप्रा उपकरणों का रख-रखाव करेगा जिसमें भाविप्रा उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन और अन्य परीक्षण करना शामिल है;
- (ग) समय-समय पर यथा आवश्यक भाविप्रा उपकरणों को उन्नत और/या संवर्धित करेगा: (a) भाविप्रा को हवाई अड्डे पर प्रासंगिक भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए; (b) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए; और (c) विस्तार के परिणाम स्वरूप; और
- (घ) भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति की तैनाती करेगा।

- 4.1.2 भाविप्रा विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर, रियायतग्राही की लागत और व्यय पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, प्रदान किया गया कि ऐसा स्थानांतरण इस समझौते के तहत भाविप्रा के दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे:

परंतु भाविप्रा अपने विवेक से भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा स्थानांतरण रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारु परिचालन को प्रभावित न करे।

- 4.1.3** भाविप्रा वायु यातायात के सुरक्षित, त्वरित और क्रमबद्ध प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करेगा।
- 4.1.4** भाविप्रा रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आवाजाही के लिए वायु यातायात आवाजाही के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप में, और ऐसी आवृत्ति पर तथा वितरण की ऐसी विधि के माध्यम से प्रदान करेगा जैसा कि समय-समय पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाए।
- 4.1.5** भाविप्रा ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड रखेगा और प्रदान करेगा तथा रियायतग्राही और वैमानिकों को नोटिस जारी करेगा जैसा कि परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत आवश्यक है, जिसमें भाविप्रा सेवाओं का बंद होना/खराबी शामिल है।
- 4.1.6** भाविप्रा अपनी लागत और व्यय पर, शिकागो सम्मेलन, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं, और भाविप्रा तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के बीच किए गए किसी भी समझौते के अनुसार भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार से विमानन मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही अपनी लागत और व्यय पर, और भाविप्रा या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को बिना किसी लागत के, स्थल पर ऐसा बुनियादी ढांचा और स्थान प्रदान करेगा जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार द्वारा उपकरणों और/या यंत्रों की स्थापना और/या कार्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।
- 4.1.7** भाविप्रा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार हवाई अड्डे पर और हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, त्वरित और क्रमबद्ध परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भाविप्रा सेवाओं से संबंधित सभी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और चार्टों को तैयार और प्रकाशित करेगा।

4.2 मार्ग में वायु नौवहन और वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं

- 4.2.1** यदि भाविप्रा को आवश्यकता हो, तो वह अपनी लागत और व्यय पर, मार्ग में वायु नौवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाई अड्डे पर या स्थल पर स्थित रखना (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित करना) जारी रख सकता है।
- 4.2.2** भाविप्रा, अपनी लागत और व्यय पर, हवाई अड्डे पर मार्ग में वायु नौवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

- 4.2.3** भाविप्रा, अपनी लागत और व्यय पर, रियायतग्राही की पूर्व स्वीकृति के अधीन, पूरे भारत में और हवाई अड्डे पर वायु यातायात प्रवाह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है, जिस स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा।
- 4.2.4** खंड 4.1.1 और/या 4.1.2 के अनुसार स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय, भाविप्रा हवाई अड्डे के सामान्य परिचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। ऐसे उपाय किए जाने के अधीन, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानांतरण और/या स्थापना के कारण उत्पन्न होने वाले हवाई अड्डे के सामान्य परिचालन में किसी भी व्यवधान के लिए भाविप्रा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- 4.2.5** भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा समय-समय पर स्थापित सभी उपकरणों, रडार, भवनों, कार्यों या सुविधाओं का सर्वोत्तम उद्योग पद्धतियों के अनुसार परिचालन और रख-रखाव किया जाए।

4.3 सेवा के मानक

- 4.3.1** भाविप्रा हर समय प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान करेगा, और रियायतग्राही से भाविप्रा सेवाओं या भाविप्रा उपकरणों के प्रावधान के संबंध में कोई भी खर्च करने की मांग नहीं करेगा।
- 4.3.2** भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मों, रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही द्वारा शुरू किए गए किसी भी गुणवत्ता सुधार उपायों में भाग लें, और समान रनवे विन्यासों और मौसम संबंधी स्थितियों के लिए यथोचित रूप से प्राप्त की जा सकने वाली प्रति घंटा अधिकतम विमान आवाजाही (जेट विमान आवाजाही) को प्राप्त करने और बनाए रखने में रियायतग्राही की सहायता करेंगे।

4.4 गैर-हस्तक्षेप

भाविप्रा, रियायत समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के निर्वहन में हस्तक्षेप, बाधा या कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मों और एजेंट भी ऐसा न करें, केवल उतना छोड़कर जितना कि भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

5. रियायतग्राही के दायित्व

- 5.1** रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण और रख-रखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए और वे विमान परिचालन के लिए उपलब्ध हों।
- (ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर का निर्माण और रख-रखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार किया जाए।
- (ग) हवाई अड्डे के बाधा सीमा पृष्ठों तथा एप्रोच और टेक-ऑफ क्षेत्र को बाधाओं से मुक्त रखा जाए, या यह कि कोई भी बाधा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में स्वीकार्य सीमाओं के अनुसार हो, और भाविप्रा की पूर्व स्वीकृति के अधीन हो।
- (घ) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के लिए भाविप्रा द्वारा चिन्हित संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को किसी भी ऐसी बाधा से मुक्त रखा जाए जो ऐसे उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है और/या विमान परिचालनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
- (ङ) खोज एवं बचाव तथा अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराई जाए और बनाए रखी जाए।
- (च) परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास पक्षियों/पशुओं के उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्थाएं की जाएं।
- (छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हों:
- (i) रनवे से विकलांग विमानों को हटाना।
 - (ii) विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी।
 - (iii) हवाई अड्डे पर और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं।
 - (iv) गैर-अनुसूचित विमानों की हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग।
 - (v) हवाई अड्डे पर आग लगना।
 - (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं।
 - (vii) हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति।
 - (viii) हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन का अपहरण और/या गैर-कानूनी हस्तक्षेप।

- (ix) टर्मिनल भवन और/या हवाई अड्डे के किसी भी परिचालन क्षेत्र पर उग्रवादी हमले।
- (ज) वायु यातायात सेवा परिसर को हवाई अड्डा प्रबंधक, और अग्निशमन सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पुलिस सहित हवाई अड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटियां स्थापित की जाएं।
- (झ) भाविप्रा और उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाई अड्डे और उसके सभी परिचालन क्षेत्रों में ऐसी पहुंच प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।
- (ञ) भाविप्रा और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को ऐसी जानकारी प्रदान की जाए जो भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।
- (ट) उसके कर्मचारी और एजेंट, परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, और जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिले, तुरंत रिपोर्ट करें: (i) एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली में कोई विफलता या दोष; (ii) भाविप्रा के लिए रियायतग्राही के किसी भी उपकरण की अनुपलब्धता; और (iii) रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों पर कोई बाधा।
- (ठ) रियायतग्राही के किसी भी उपकरण को प्रस्तावित बंद करने या वापस लेने के बारे में परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार भाविप्रा को सूचित किया जाए।
- (ड) आगमन के अनुमानित समय की प्राप्ति पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित किए जाएं, और भाविप्रा को इसकी सूचना दी जाए ताकि भाविप्रा तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सके।

5.2 रियायतग्राही, अपनी लागत और व्यय पर:

- (क) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए हर समय भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों को अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
- (ख) एयरफील्ड लाइटिंग प्रणाली और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रख-रखाव प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार करेगा।
- (ग) भाविप्रा के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा।
- (घ) भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा जहां ऐसा स्थानांतरण विस्तार के कारणों से है।

(ड) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुसूची 3 में निर्धारित भाविप्रा उपकरणों और कार्यालय स्थान/सुविधाओं को उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) प्रदान करेगा।

5.3 यदि रियायतग्राही को प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक और ऊपर भाविप्रा उपकरणों को उन्नत करने की आवश्यकता होती है, तो भाविप्रा, जेसीसी द्वारा ऐसे उन्नयन को आवश्यक निर्धारित करने के अधीन, अपनी लागत और व्यय पर ऐसा उन्नयन करेगा।

6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास और विस्तार

6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास और विस्तार के लिए योजना

6.1.1 भाविप्रा और रियायतग्राही हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यातायात प्रवाह के कारण सीएनएस/एटीएम सेवाओं की भविष्य की आवश्यकताओं का आवधिक मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 जिस तारीख को सीएनएस/एटीएम उपकरण किसी पक्ष द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त होने की प्रत्याशा है, उससे 24 (चौबीस) महीने से कम समय पहले, ऐसा पक्ष आवश्यक विकास, उन्नयन और/या सीएनएस/एटीएम उपकरणों के विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना") प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) अनुमानित यातायात प्रवाह पर सभी सहायक आंकड़ों के साथ विश्लेषण;
- (ii) भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;
- (iii) अतिरिक्त सीएनएस/एटीएम उपकरणों की आवश्यकता या भाविप्रा उपकरणों के उन्नयन की आवश्यकता (प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक और ऊपर);
- (iv) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता;
- (v) रियायतग्राही द्वारा भाविप्रा और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार को निम्नलिखित संदर्भ में प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा:
 - (क) उपकरणों/यंत्रों की स्थापना के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान; और
 - (ख) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान।

(vi) भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान/सुविधाएं।

6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और परिवर्तन से निपटने की प्रक्रिया

6.2.1 किसी पक्ष द्वारा प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना प्रस्तुत करने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर, पक्ष प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे और सीएनएस/एटीएम उपकरणों के विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना के साथ-साथ उसकी अनुसूची ("अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना") को अंतिम रूप देने का सद्भावपूर्वक प्रयास करेंगे। अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी को संदर्भित किया जाएगा।

6.2.2 पक्ष इस समझौते के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं, उपकरणों, जनशक्ति और उपयोगिता आपूर्ति (दोहरे आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) को अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

6.3 रियायतग्राही के विकास दायित्व

6.3.1 रियायतग्राही, अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लागत और व्यय पर, रियायतग्राही के दायरे के भीतर पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ("रियायतग्राही विकास उपकरण")।

6.3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) भाविप्रा किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या चालू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
- (ii) भाविप्रा रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने में सक्षम बनाने के लिए अंशांकन उड़ानों को रियायतग्राही के साथ समन्वित करेगा।
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरण का स्वामित्व रियायतग्राही के पास रहेगा।

6.3.3 रियायतग्राही:

- (i) भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच के इंटरफेस को भाविप्रा के सामने चिन्हित करेगा;

- (ii) भाविप्रा और उसके कर्मियों, एजेंटों और वाहनों को हवाई अड्डे में प्रवेश प्रदान करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो भाविप्रा सेवाओं को निष्पादित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो;
- (iii) भाविप्रा को उस तारीख के कम से कम 60 (साठ) दिन पहले सूचित करेगा जिस तारीख को रियायतग्राही विकास उपकरण चालू होने की उम्मीद है;
- (iv) उत्कृष्ट उद्योग पद्धति के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

6.4 भाविप्रा के विकास दायित्व

भाविप्रा:

- (i) अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लागत और व्यय पर, भाविप्रा के दायरे के भीतर पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ("भाविप्रा विकास उपकरण");
- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण उस तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले चालू हो जाए जिस तारीख को रियायतग्राही विकास उपकरण चालू होने की उम्मीद है;
- (iii) भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच समन्वय और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा, और इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका खर्च रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा;
- (iv) रियायतग्राही की लागत पर, रियायतग्राही विकास उपकरण के किसी भी अंशांकन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों तथा डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएं प्रदान कर सके;
- (vi) भाविप्रा विकास उपकरण को भाविप्रा द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु नौवहन और मौसम संबंधी उपकरणों और प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा;
- (vii) भाविप्रा विकास उपकरण को चालू करने के लिए आवश्यक उड़ान अंशांकन आयोजित करेगा और जहां तक व्यावहारिक हो, रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा ताकि रियायतग्राही उसी समय रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित कर सके। संदेह से बचने के लिए, रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्च के लिए भाविप्रा

उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरण को अंशांकित करने के लिए भाविप्रा द्वारा किए गए किसी भी खर्च की वसूली रियायतग्राही से की जाएगी;

- (viii) उत्कृष्ट उद्योग पद्धति के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

7. संयुक्त समन्वय समिति

7.1 पक्ष स्वीकार करते हैं कि, किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और उस प्रभाव के लिए पक्ष वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी") स्थापित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं। जेसीसी:

- (i) मैं 4 (चार) सदस्य शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेसीसी के सदस्य उनकी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए प्रॉक्सी नामित/प्रस्तावित कर सकते हैं।
- (ii) की अध्यक्षता रियायतग्राही के नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (iii) की बैठक हवाई अड्डे पर महीने में कम से कम एक बार होगी।

7.2 पक्षों को जेसीसी द्वारा विचार किए गए सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने का पूर्ण अधिकार जेसीसी के सदस्यों को सौंप दिया गया माना जाएगा।

7.3 जेसीसी सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में पक्षों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद का समाधान करना शामिल है।

- (i) यदि जेसीसी किसी भी मामले पर पक्षों के लिए संतोषजनक तरीके से निर्णय लेने में असमर्थ है, तो कोई भी पक्ष ऐसे मामले को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाविप्रा के अध्यक्ष के संयुक्त विचार-विमर्श के लिए संदर्भित करने का हकदार होगा।
- (ii) यदि उपर्युक्त उप-खंड (i) के अनुसार संदर्भ के 15 (पंद्रह) व्यवसाय दिवसों के भीतर मामले का समाधान नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष मामला समाधान के लिए अनुच्छेद 14 के तहत संदर्भित कर सकता है।

8. राजस्व और प्रभार

- 8.1** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अपने द्वारा सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल के रूप में, मार्ग नौवहन सुविधा प्रभार और टर्मिनलों पर नौवहन लैंडिंग प्रभार सीधे विमानन कंपनियों से वसूल करने का हकदार होगा और रियायतग्राही पर ऐसे प्रभारों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी।
- 8.2** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रभार वसूल करने में विफलता किसी भी तरह से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सेवाओं के निष्पादन से मुक्त नहीं करेगी।
- 8.3** यदि कोई व्यक्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रभारों का भुगतान करने में चूक करता है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति को सेवाएं प्रदान न करने और बकाया राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कदम उठाने का अधिकार होगा, और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से सेवाओं के निष्पादन में चूक नहीं माना जाएगा।
- 8.4** इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर या अन्यथा प्रदान की जा रही सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रावधान की दिशा में प्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी लागत और व्यय, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के, उन प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहन की गई किसी भी लागत या व्यय की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही यह उन वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।
- 8.5** इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए सभी लागत और व्यय, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा वैमानिक प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन प्रभारों को रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहन किए गए किसी भी लागत या व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाएगी, और न ही यह उन प्रभारों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होगी जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

9. क्षतिपूर्ति

9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति देगा, रक्षा करेगा और किसी भी नुकसान, लागत, व्यय, देनदारी या दावे के बराबर भुगतान से सुरक्षित रखेगा, जो दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों और एजेंटों पर किसी भी पक्ष के दायित्वों के निष्पादन (चाहे कृत्य या लोप द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से उत्पन्न दावों के कारण लगाया गया हो या झोला गया हो (अपरिहार्य घटना की स्थिति को छोड़कर), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे या संपत्ति के नुकसान या क्षति के दावे शामिल हैं।

9.2 दावों की सूचना और विरोध

इस घटना में कि किसी भी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है, वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिस अनुमोदन को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है और इसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों का वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्तकर्ता पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाले पक्ष द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यकता हो सकती है।

10. देनदारी

पक्षों का आशय है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देनदारियां इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का विस्तृत विवरण होंगी। तदनुसार, इस समझौते में और इसके अनुसार दर्ज किए गए किसी भी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए उपचार, एक-दूसरे के प्रति देनदारियों के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपचार होंगे, जो इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होते हैं, जिसमें इसके संबंध में दी गई कोई भी प्रस्तुति, वारंटी या उपक्रम शामिल है, भले ही कानून या इक्विटी में अन्यथा कोई उपचार उपलब्ध हो। सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण की देनदारी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन दस्तावेजों और अनुबंधों द्वारा निर्धारित समय के व्यवधान और/या गुणवत्ता में गिरावट की अवधि के अनुरूप टर्मिनलों पर नौवहन लैंडिंग प्रभारों तक सीमित होगी।

11. अपरिहार्य घटना (फ़ोर्स मेज्योर)

11.1 अपरिहार्य घटना लागू होना

अनुच्छेद 11 लागू होगा यदि किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होता है।

11.2 अपरिहार्य घटना की परिभाषा

11.2.1 इस समझौते में, 'अपरिहार्य घटना' का अर्थ कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों का संयोजन है, जिसमें इस खंड 11.2 में संदर्भित भी शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के तर्कसंगत नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथाओं द्वारा या किसी भी सुविधाओं के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग द्वारा रोक नहीं सकता था, और जो, या जिसके कोई परिणाम, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकते, बाधित करते या विलंबित करते हैं।

11.2.2 'अपरिहार्य घटना' में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां इस सीमा तक शामिल हैं कि वे, या उनके परिणाम, उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(क) निम्नलिखित प्रकार के कृत्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

- (i) किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े स्ट्राइक, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, किसी भी ऐसे मामले में जो भारत के भीतर कार्य के निष्पादन या भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित हों;
- (ii) आकाशीय बिजली, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बवंडर, आंधी, बाढ़, भूस्खलन, मृदा अपरदन, धंसाव, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां या तत्वों की कार्रवाई, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, पराध्वनिक गति से यात्रा करने वाले विमान या अन्य हवाई उपकरणों के कारण दबाव तरंगों का होना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण;
- (iii) हवाई अड्डे पर कोई भी दुर्घटना;

- (iv) वाणिज्यिक संचालन तिथि से पूर्व घटित, हवाई अड्डे में शामिल करने के उद्देश्य से किसी भी माध्यम से परिवहन के दौरान कार्गो की कोई आकस्मिक हानि या क्षति;
 - (v) हवाई अड्डे की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;
 - (vi) महामारी;
 - (vii) युद्ध का कृत्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, पूर्ण प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक अशांति;
 - (viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;
 - (ix) दैवीय कृत्य; या
 - (x) पूर्वगामी के समरूप प्रकृति का कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति।
- (ख) बशर्ते कि निम्नलिखित मामलों या उनके परिणामों में से कोई भी अपरिहार्य घटना का गठन या कारण बनने में सक्षम नहीं होगा:
- (i) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या
 - (ii) बाजार स्थितियों के प्रभाव जब तक कि ऐसी बाजार स्थितियां स्वयं किसी अपरिहार्य घटना के कारण या उसका परिणाम न हों।
- (ग) और आगे बशर्ते कि ऊपर खंड 11.2.2(a) में संदर्भित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या तीसरे पक्षों (जिसमें बिना किसी सीमा के, निर्माण ठेकेदार या हवाई अड्डे के संचालक, किसी पक्ष के सहबद्ध या किसी पक्ष के सहबद्ध के उप-ठेकेदार शामिल हैं) को प्रभावित करती है और जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के निष्पादन में रोकती, बाधित करती या विलंबित करती है, इस खंड 11 के तहत उस पक्ष के लिए अपरिहार्य घटना का गठन करेगी, यदि और जिस सीमा तक वह उस प्रकार या चरित्र की है जो यदि उस पक्ष के साथ घटित होती जो इस खंड पर भरोसा करना चाहता है, तो इस खंड 11 के तहत अपरिहार्य घटना की परिभाषा के अंतर्गत आती।

11.3 अपरिहार्य घटना के परिणाम

11.3.1 निष्पादन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत या इसके अनुसार किसी भी दायित्व का पालन करने में विफलता, या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता

नहीं होगी, जिस सीमा तक ऐसी विफलता या देरी प्रत्यक्ष रूप से अपरिहार्य घटना के कारण हुई है और, विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए दिया गया समय तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

11.3.2 सूचना

यदि प्रभावित पक्ष दावा करता है कि अपरिहार्य घटना के कारण उसे इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दावे के आधार और परिणामों का उल्लेख करते हुए, व्यावहारिक रूप से जितना शीघ्र हो सके लिखित रूप में दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

11.3.3 शमन

प्रभावित पक्ष अपरिहार्य घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी तर्कसंगत कदम उठाएगा।

12. समाप्ति

12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

- (i) रियायतग्राही इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय किसी भी राशि का देय और भुगतान योग्य होने पर भुगतान करने में विफल रहता है और ऐसी विफलता को चूक का उल्लेख करने वाले और इसे ठीक करने की आवश्यकता वाले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ठीक नहीं किया जाता है;
- (ii) रियायतग्राही के परिसमापन, दिवाला या विघटन के लिए एक आदेश दिया जाता है या एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर खारिज या रद्द नहीं किया जाता है;
- (iii) रियायतग्राही इस समझौते में किसी भी दायित्व (धन का भुगतान करने के दायित्व के अलावा) का पालन करने में विफल रहता है, जिसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि इसे ठीक किया जा सकता है, तो ऐसी विफलता भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से चूक का उल्लेख करने वाले और इसे ठीक करने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्राप्ति के बाद 30 (तीस) दिनों की अवधि तक जारी रहती है।

बशर्ते कि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समाप्ति का ऐसा नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि रियायतग्राही द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, गुजरात सरकार या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रोका गया हो।

12.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की चूक की घटनाएं

रियायतग्राही, रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अधीन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा यदि लागू कानून रियायतग्राही को संचार, नौवहन और निगरानी / वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देते हैं।

12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि किसी पक्ष द्वारा इस अनुच्छेद 12 के अनुसार समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे समाप्ति नोटिस की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति नोटिस जारी करने वाली परिस्थितियां पूरी तरह से ठीक न हो गई हों या लागू होना बंद न हो गई हों, समाप्ति का नोटिस जारी करने वाला पक्ष तत्काल प्रभाव से इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

12.4 समाप्ति के परिणाम

12.4.1 यदि यह समझौता रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसार समाप्त किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे के संचालन प्रभावित या निलंबित न हों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तुरंत भारत सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए परस्पर सहमत शर्तों पर 'जैसा है जहां है' की स्थिति में सभी उपकरण, नियमावली, चार्ट और अन्य ज्ञापन सौंपेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.2 रियायतग्राही, अपने विवेक से, उपयुक्त कदम उठाने और किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के समकक्ष सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार से परामर्श कर सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

12.4.3 इस खंड 12.4 के प्रावधान इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

13. समनुदेशन

13.1 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को हस्तांतरित या स्थानांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा हस्तांतरण कानून के अधिनियमन के अनुसार हो। ऐसा हस्तांतरित व्यक्ति इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

13.2 रियायतग्राही द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन खंड 18.6 के अधीन, रियायतग्राही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को हस्तांतरित नहीं करेगा:

बशर्ते, हालांकि, कि रियायतग्राही, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पूर्व लिखित सूचना देकर:

- (i) इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के किसी सहबद्ध को हस्तांतरित कर सकता है;
- (ii) इसके तहत अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के खरीदार को हस्तांतरित कर सकता है;
- (iii) ऋणदाताओं को, किसी भी समझौते के तहत देय राशियों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों को हस्तांतरित कर सकता है जिसके तहत रियायतग्राही ने धन उधार लिया है; या
- (iv) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार इसके तहत अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार को हस्तांतरित कर सकता है।

14. विवाद समाधान

14.1 बातचीत और सुलह

पक्ष इस समझौते से उत्पन्न, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षों के बीच किसी भी विवाद, अंतर, दावे, प्रश्न या विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से करने के लिए अपने संबंधित तर्कसंगत प्रयास करेंगे।

14.2 मध्यस्थ को संदर्भ

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अधीन, जिसमें निहित प्रावधानों के अनुसार विवादों पर न्यायनिर्णयन करने की भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की शक्ति और अधिकार से संबंधित है, कोई भी विवाद जिसे पक्ष एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित अधिसूचना के 60 (साठ) दिनों (या ऐसा लंबा समय जैसा कि पक्ष सहमत हों) के भीतर हल करने में असमर्थ हैं, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या इसके किसी वैधानिक संशोधन के अनुसार और अधिनियम के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा यूएनसीआईटीआरएल नियमों के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।

14.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के व्यय का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम देनदारी मध्यस्थता निर्णय की शर्तों के अनुसार होगी। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट या सलाहकार या वकील नहीं होगा या पक्षों से किसी भी तरह से संबंधित या निकटता से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

14.4 निर्णय / पंचाट (Award)

इस अनुच्छेद 14 के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्ष सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट की किसी भी अपील या समीक्षा के अधिकारों को त्यागते हैं जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि किया गया कोई भी मध्यस्थता पंचाट पक्षों द्वारा संबंधित पक्ष की परिसंपत्तियों के खिलाफ लागू किया जा सकता है, जहाँ भी वे परिसंपत्तियां स्थित हों या पाई जा सकती हों, और किसी भी मध्यस्थता पंचाट पर फैसला सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्ष स्पष्ट रूप से किसी भी मध्यस्थता पंचाट के प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं।

15. बीमा

15.1 बीमा का रखरखाव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष की देनदारी, कर्मकार मुआवजा नीति और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी भी अन्य बीमा को कवर करने के लिए हर समय अपने स्वयं के खर्च पर आवश्यक बीमा कराएगा और बनाए रखेगा।

15.2 पॉलिसियाँ

खंड 15.1 के तहत प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं और रियायतग्राही को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्रों की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि ऐसे बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। किसी भी बीमा को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को दिए गए ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के नोटिस से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति तक रद्द, संशोधित या समाप्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.3 बीमा कराने में विफलता का उपचार

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन सभी बीमों को कराने और लागू रखने में विफल रहता है जिनके लिए वह इसके अनुसार जिम्मेदार है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को लागू रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से इसकी लागत वसूल करने का विकल्प होगा।

15.4 बीमा आय का अनुप्रयोग

भौतिक क्षति से असंबंधित बीमा आय को छोड़कर, इस समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भुगतान किए गए सभी बीमा दावों का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

16. सूचनाएं

16.1 लिखित संचार

परिचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में छोड़कर, इस समझौते के तहत दी जाने वाली या की जाने वाली सभी सूचनाएं या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से दिए जाएंगे या कोरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसकी एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ईमेल द्वारा भेजी जाएगी।

16.2 पते

इस समझौते के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या दिए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए प्रत्येक पक्ष का तामीली का पता, उसका फैक्स नंबर और ईमेल पता नीचे दिया गया है:

रियायतग्राही का नाम:	[रियायतग्राही का नाम] फैक्स सं.: ई-मेल पता: ध्यानार्थ:
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण:	राजीव गांधी भवन तीसरी मंजिल, सी-ब्लॉक, सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली-110003 भारत फैक्स: 011 24641088 ई-मेल पता: ध्यानार्थ: अध्यक्ष

या कोई विकल्प पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 5 (पांच) व्यवसाय दिवसों के नोटिस द्वारा सूचित कर सकता है।

17. मानी गई सुपुर्दगी

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए के अधीन, इस समझौते के तहत या इसके अनुसार किसी भी संचार को प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहां यह भेजा गया है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर

छोड़ा जाता है या पंजीकृत डाक द्वारा पूर्व-भुगतान डाक शुल्क के साथ भेजे जाने के 10 (दस) ऐसे कार्य दिवसों के भीतर उस पते पर संबोधित किया जाता है। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा सूचना या संचार देने या करने वाला पक्ष तुरंत उसकी एक प्रति व्यक्तिगत रूप से देगा, या उसे कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसी सूचना या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा।

18. विविध

18.1 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय या किसी अन्य संस्था द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने के उद्देश्य से सद्भावपूर्वक बातचीत करेंगे जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता अनुच्छेद 14 के तहत या अन्यथा विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

18.2 संपूर्ण समझौता

यह समझौता, इसमें शामिल किसी भी अनुसूची या प्रदर्श सहित, इस समझौते के विषय के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपूर्ण समझौते को शामिल करता है और ऐसे विषय के संबंध में लिखित या मौखिक अन्य सभी समझौतों का स्थान लेता है।

18.3 शर्तों में परिवर्तन

इस समझौते में सभी जोड़, संशोधन, परिवर्तन और भिन्नताएं केवल तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

18.4 छूट

18.4.1 किसी भी पक्ष द्वारा इस समझौते के तहत किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा चूक की छूट:

- (i) इसके तहत किसी भी अन्य या बाद की चूक या अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में संचालित या अर्थ नहीं लगाया जाएगा;
- (ii) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो; और
- (iii) किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

18.4.2 किसी भी अवसर पर इस समझौते के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या इसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन का आग्रह करने में किसी भी पक्ष की विफलता, न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य ढील को ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी भी अधिकार के परित्याग के रूप में माना या माना जाएगा।

18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाइयां

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करने और वितरित करने के लिए सहमत होता है, और ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है, जैसा कि इस समझौते की परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके इरादे को प्रभावी करने के लिए तर्कसंगत रूप से आवश्यक हो सकता है।

18.6 देर से भुगतान के लिए ब्याज

इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय और भुगतान की देय तिथि के बाद बकाया रहने वाली कोई भी राशि ब्याज (निर्णय से पहले और बाद दोनों) वहन करेगी, ऐसा ब्याज भुगतान देय होने की तारीख से दिन-प्रतिदिन जमा होगा जब तक कि ऐसी राशि का पूर्ण भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक की समय-समय पर प्रभावी प्राइम लेंडिंग दर से 2 (दो) प्रतिशत अंक अधिक की दर से न कर दिया जाए।

18.7 कोई साझेदारी नहीं

न तो यह समझौता, न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा है, न ही पक्षों द्वारा ऐसे किसी भी समझौते या व्यवस्था के तहत अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को उसके एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते या अन्यथा के आधार पर लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

18.8 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं

यह समझौता इसके पक्षों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक संबंध या उसके पक्ष में कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

18.9 उत्तरजीविता/प्रभाव में बने रहना

18.9.1 इस करार का समापन:

- (i) पक्षकारों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से या विवक्षा द्वारा इसके समापन के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं, और
- (ii) इस करार के किसी प्रावधान में व्यक्त रूप से किसी भी पक्षकार के दायित्व को सीमित करने के अलावा, किसी भी पक्षकार को ऐसे समापन के प्रभावी होने से पहले या ऐसे समापन से उत्पन्न होने वाले कार्यों या लोपों के कारण दूसरे पक्षकार को हुई हानि या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देनदारी से मुक्त नहीं करेगा।

18.9.2 इस करार के रद्द होने, समाप्ति या समापन के बाद भी बने रहने वाले सभी दायित्व ऐसे समापन या समाप्ति की तारीख के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही प्रभावी रहेंगे।

18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह करार पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों के लिए बाध्यकारी होगा तथा उनके लाभ के लिए लागू होगा।

18.11 प्रतिलेख

यह करार एक या अधिक प्रतिलेखों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा तथा वे सभी मिलकर एक ही करार माने जाएंगे।

18.12 समय की महत्ता

इस करार में समय का विशेष महत्व होगा, चाहे वह उल्लिखित तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में हो अथवा इस करार के अनुसार उनके स्थान पर प्रतिस्थापित की जाने वाली किसी तारीख, अवधि या दिन के समय के संबंध में हो।

18.13 समय की गणना

इस करार में संदर्भित समय भारतीय मानक समय के अनुसार होगा। इस करार के तहत निर्धारित या अनुमत किसी भी समय की अवधि की गणना करने में, उस कार्य, घटना या व्यतिक्रम के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समय अवधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन कोई कार्य दिवस नहीं है, तो अवधि अगले कार्य दिवस के अंत तक विस्तारित रहेगी।

19 शासी विधि

इस करार का निर्वचन और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी और वे उसी से शासित होंगे, तथा नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस करार से उत्पन्न या संबंधित सभी मामलों पर क्षेत्राधिकार होगा।

20 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रसंविदाएँ

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बिना शर्त और अप्रतिसंहरणीय रूप से:

- (i) सहमत होता है कि यदि इसके या इसकी परिसंपत्तियों के खिलाफ इस करार या इस करार द्वारा परिकल्पित किसी भी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो उसके द्वारा या उसकी ओर से स्वयं या उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में ऐसी कार्यवाही से किसी भी उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ii) किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या निर्णय-पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से किसी भी राहत दिए जाने या ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी आदेश के जारी किए जाने (जिसमें किसी भी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में, चाहे उसका उपयोग या अभिप्रेत उपयोग कुछ भी हो, ऐसे किसी भी निर्णय या निर्णय-पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी आदेश को बनाना, लागू करना या निष्पादित करना शामिल है) के लिए सहमति देता है।

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने ऊपर लिखी गई प्रथम तिथि को इस करार का निष्पादन किया है और इसे प्रदान किया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित:

साक्षी:

(1) (2)

अनुसूची 1: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

क्र.सं.	विवरण / उपकरण
1.	धावपट्टी/रनवे
2.	रनवे प्रकाश व्यवस्था एवं अंकन
3.	टैक्सीमार्ग
4.	टैक्सीमार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं अंकन
5.	संकेतक
6.	एप्रन
7.	एप्रन प्रकाश व्यवस्था एवं अंकन
8.	सुविधा
9.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10.	पीएपीआई एवं पहुंच प्रकाश व्यवस्था
11.	एयरोड्रोम बीकन (टावर पर)
12.	लैंडिंग दिवस एवं रात्रि अंकन
13.	वायु दिशा सूचक (प्रकाशित)
14.	पृथक्कन बे (आइसोलेशन बे)
15.	द्वितीयक बिजली आपूर्ति
16.	एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड के बीच हॉट लाइन्स
17.	क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
18.	एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए नियंत्रण कक्ष एवं निगरानी प्रणाली
19.	दृश्य सहायकों का उन्नयन (भावी)
20.	स्थल विमानक्षेत्र नेविगेशन एड्स/राडार के पहुँच मार्गों के अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र के पहुँच मार्ग।
21.	नेविगेशनल एड्स/राडार प्रतिष्ठानों के लिए भवन।
22.	प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार संकेत क्षेत्र।

23. अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यक रूप से निर्मित नया वायु यातायात सेवा परिसर (जिसमें नियंत्रण टावर, तकनीकी ब्लॉक, स्थल पर और/या स्थल से बाहर नेविगेशनल एड्स/राडार के भवन शामिल होंगे)।

भाग 2: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रस्तावित विमान परिचालनों के लिए प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करेगा और उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

1. सहायक सामग्री के साथ वीएचएफ संचार सेट
2. डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
3. वॉइस रिकॉर्डर
4. आईएलएस उपकरण एवं इसकी सहायक सामग्री
5. राडार एवं इसकी सहायक सामग्री
6. एडीएस-बी एवं इसकी सहायक सामग्री
7. एएसएमजीसीएस एवं इसकी सहायक सामग्री

अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व और लंबवत सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र विन्यास के अनुसार हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1. अप्रण नियंत्रण सेवा को छोड़कर सतह आंदोलन नियंत्रण या भू-नियंत्रण सहित विमानक्षेत्र नियंत्रण सेवा;
2. अप्रोच नियंत्रण / अप्रोच राडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
3. क्षेत्र नियंत्रण / क्षेत्र राडार नियंत्रण सेवा (यदि नियोजित हो);
4. संबद्ध सेवाएं जैसे वैमानिक मोबाइल सेवा, वैमानिक निश्चित सेवाएं, वैमानिक सूचना सेवा, उड़ान सूचना सेवा, परामर्शदायी सेवा, चेतावनी सेवा और खोज एवं बचाव समन्वय सेवाएं आवश्यकतानुसार;

यह सब प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों के अनुसार और प्रस्तावित विमान परिचालनों के लिए यथा आवश्यक होगा।

अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

रियायतग्राही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई तथा उसके कर्मियों और एजेंटों को निम्नलिखित कार्यालय स्थान और सुविधाएं (वातानुकूलन (नियंत्रण टावर में आवश्यकतानुसार पृथक वातानुकूलन सहित), बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग के प्रावधान के साथ) उपलब्ध कराएगा:

1. नियंत्रण टावर: रियायतग्राही 10117 वर्ग मीटर का क्षेत्र (यथा लागू), आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों को रखने के लिए तकनीकी ब्लॉक, नेव-एड्स और राडार भवन उपलब्ध कराएगा।
2. कार्यालय: रियायतग्राही 4046 वर्ग मीटर का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3. कार पार्किंग: रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एएआई को उसके कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए 10 कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति और हाउस-कीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही की अपनी लागत और व्यय पर किया जाएगा।

अनुसूची 4: पृथक्कृत क्षेत्र (कार्ड आउट एरिया)

क्र. सं.	परिसंपत्ति	वर्ग मीटर (लगभग)
1.	सीएनएस एटीएम एवं स्टाफ क्वार्टर के लिए भूमि की आवश्यकता	64749
2.	प्रशासनिक ब्लॉक	4046
3.	एटीसी टावर	10117
4.	कुल	78912

अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

1. लोकलाइजर
2. डीवीओआर
3. ग्लाइड पाथ
4. एसएमजीसीएस
5. एसएसआर
6. एमएसएसआर

अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भावी रोड मैप

1. प्रस्तावित एटीएस परिसर: 64749 वर्ग मीटर

अनुसूची द

समझौता ज्ञापन

(खंड 4.1.2(d)(ii) और खंड 4.1.3(i) देखें)

[उचित मूल्य के स्टॉप पत्र पर निष्पादित किया जाना है]

यह समझौता ज्ञापन ("एमओयू") [] के [] वें दिन, [] में निम्नलिखित के बीच निष्पादित किया गया है:

द्वारा और बीच:

1. भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामांकित किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसके बाद "भारत सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल माने जाएंगे); तथा
2. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिन्हें इसके बाद "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ इसके विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिनी और प्रतिस्थापकी शामिल होंगे)।

जैसा कि संदर्भ में आवश्यकता हो सकती है, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद संयुक्त रूप से "पक्षकारों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

चूंकि:

- क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने [राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य के [शहर का नाम दर्ज करें] जहां हवाई अड्डा स्थित है] में स्थित हवाई अड्डे के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] को एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") निष्पादित किया है, जो रियायत समझौते में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार है।
- ख. भारत सरकार यह स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लागू कानूनों के अनुसार और इसके बाद जैसा भी निर्धारित किया गया है, भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कतिपय अधिकारों का प्रदान किया जाना आवश्यक है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों जुटाने हेतु एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।

- ग. परियोजना के सुचारू संचालन और व्यावहारिकता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार रियायतग्राही को इसमें दिए गए अनुसार कतिपय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब एतद्वारा निम्नानुसार सहमति बनी है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस एमओयू में, उस सीमा को छोड़कर जहां संदर्भ में अन्यथा आवश्यक हो, और जब तक कि नीचे परिभाषित न किया गया हो या इस एमओयू में कहीं और विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, इसमें प्रयुक्त अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और जो इसमें परिभाषित नहीं हैं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते के तहत उस शब्द को दिया गया है:

"पशु संगरोध सेवाएं" से समर्पित सेवाओं का हिस्सा) वह संगरोध सेवाएं होंगी जो इसके साथ संलग्न अनुबंध 1 में निर्धारित हैं;

"पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"लागू परमिट" से इस एमओयू के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली और/या तत्पश्चात बनाए रखी जाने वाली सभी मंजूरियां, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमतियां, अनुमोदन और छूट होगी;

"मध्यस्थ अधिकरण" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 6.3.3 में दिए गए अर्थ से है;

"प्राधिकरण" का वही अर्थ है जो प्रस्तावना क में दिए गए अर्थ से है;

"प्राधिकरण प्रतिनिधि" से प्राधिकरण का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"रियायत समझौता" का वही अर्थ है उपरोक्त प्रस्तावना क में दिए गए अर्थ से है;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में दिए गए अर्थ से है या कोई अन्य पक्षकार जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

"रियायतग्राही प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर नामांकित, कम से कम निदेशक पद का प्रतिनिधि होगा;

"सीमा शुल्क नियंत्रण" से इसके साथ संलग्न अनुबंध 3 में निर्धारित सीमा शुल्क संबंधी सेवाएं होंगी;

"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"डीजीसीए" से नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई प्रतिस्थापक होगा;

"प्रभावी तिथि" से इस एमओयू पर अंतिम पक्षकार द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि होगी और ऐसी तिथि रियायत समझौते में यथा उपबंधित सीओडी के बाद की नहीं होगी;

"भारत सरकार" का वही अर्थ है पक्षकारों की सूची में दिए गए अर्थ से है;

"भारत सरकार की सहायता" का वही अर्थ है इस एमओयू के खंड 2 में दिए गए अर्थ से है;

"स्वास्थ्य सेवाएं" से अनुबंध 4 में निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी;

"स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"आव्रजन सेवाएं" से इसके साथ संलग्न अनुबंध 5 में निर्धारित लागू कानून के अनुसार आव्रजन सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी;

"आव्रजन सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित आव्रजन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"संयुक्त समन्वय समिति" का वही अर्थ है नीचे दिए गए खंड 3.1.1 में दिए गए अर्थ से है;

"मौसम विज्ञान सेवाएं" से इसके साथ संलग्न अनुबंध 6 में निर्धारित मौसम विज्ञान सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी;

"मौसम विज्ञान सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"नागर विमानन मंत्रालय" (एमओसीए) का वही अर्थ है नीचे दिए गए खंड 2.6 में दिए गए अर्थ से है;

"एमओयू" या "यह एमओयू" से यह समझौता जापन होगा;

"पादप संगरोध सेवाएं" से इसके साथ संलग्न अनुबंध 7 में निर्धारित पादप संगरोध सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी;

"पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"परियोजना" का वही अर्थ है रियायत समझौते में दिए गए अर्थ से है;

"आरक्षित सेवाएं" का वही अर्थ है खंड 2.3 में दिए गए अर्थ से है;

"सुरक्षा सेवाएं" से इसके साथ संलग्न अनुबंध 8 में निर्धारित सुरक्षा सेवाएं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) होंगी;

"सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि" से संयुक्त समन्वय समिति में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नामांकित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि होगा;

"साझा टिल अनुमोदन" का वही अर्थ है जो नीचे दिए गए खंड 2.2.1 में दिए गए अर्थ से है; तथा

"अवधि" का वही अर्थ है जो खंड 4 में दिए गए अर्थ से है।

1.2 व्याख्या के नियम

1.2.1 इस एमओयू में परिभाषित और प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो बड़े अक्षरों से शुरू होती हैं, उनका वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है, और इस एमओयू में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें परिभाषित नहीं हैं लेकिन रियायत समझौते में परिभाषित हैं, जब तक कि संदर्भ के विपरीत न हो, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस एमओयू के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 रियायत समझौते के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में दिए गए निर्वाचन के नियम, यथोचित परिवर्तनों सहित (यथाआवश्यक संशोधनों के साथ), इस एमओयू पर लागू होंगे।

2. भारत सरकार की सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ("भारत सरकार की सहायता") प्रदान करने का वचन देती है:

2.1 लागू परमिट

2.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, रियायतग्राही को प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू परमिट प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्षकार सहमत हैं कि जहां

कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहां भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के संबंध में आवश्यक लागू परमिट प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी, जो कि रियायतग्राही द्वारा लागू परमिट प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा।

2.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू परमिटों के शीघ्र प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए, वह लगन से और समयबद्ध तरीके से निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (क) संबंधित अधिकारियों के समक्ष लागू कानून का पूर्ण अनुपालन करने वाले आवेदन तैयार करना और दाखिल करना;
- (ख) संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) करना; तथा
- (ग) अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समय पर उत्तर देना।

2.2 शुल्क के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

2.2.1 भारत सरकार ने 15 जून, 2016 के राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिक शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए 30% (तीस प्रतिशत) साझा-टिल ढांचे ("साझा-टिल अनुमोदन") को मंजूरी दी है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए एईआरए (AERA) द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

2.2.2 वैमानिक शुल्कों को साझा-टिल अनुमोदन, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

2.2.3 हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आब्रजन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम विज्ञान सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी तंत्र को किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिक शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

2.2.5 अन्यत्र निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, रियायतग्राही रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार सीओडी (वाणिज्यिक परिचालन तिथि) से प्रभावी रूप से एईआरए द्वारा अनुमोदित दर पर हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से वैमानिक शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

2.3 आरक्षित सेवाएं

2.3.1 भारत सरकार पूरी अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

- (क) सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) आव्रजन सेवाएं;
- (ग) पादप संगरोध सेवाएं;
- (घ) पशु संगरोध सेवाएं;
- (ङ) स्वास्थ्य सेवाएं;
- (च) मौसम विज्ञान सेवाएं; और
- (छ) सुरक्षा सेवाएं।

2.3.2 रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों को (क) हवाई अड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं, और (ख) स्थान संबंधी आवश्यकताएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा, जैसा कि उनमें से किसी एक या सभी को हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाएं निष्पादित करने के लिए आवश्यक हो।

2.3.3 रियायतग्राही उस निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर किसी भी निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

2.3.4 हवाई अड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से या अन्यथा किसी निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं की आवाजाही या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और रियायतग्राही तथा वह निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी उस स्थान संबंधी आवश्यकताओं में किसी भी परिवर्तन पर चर्चा करेंगी और सहमति व्यक्त करेंगी जो हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणाम स्वरूप आवश्यक हो सकती है।

2.3.5 भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को प्राप्त करने का वचन देती है, जिसमें उन निबंधनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर संबंधित निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.4 **भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन**

भारत सरकार एतद्द्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक भारत सरकार की एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन का निष्पादन निष्पादित कराने का वचन देती है, जिसमें उन निबंधनों और शर्तों का उल्लेख होगा जिन पर प्रासंगिक भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार हवाई अड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए उड़ान अधिकारों और सीट अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के अनुरोधों को स्वीकार करेगी और उनकी समीक्षा करेगी। भारत सरकार/निर्दिष्ट भारत सरकार प्राधिकरण हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरलाइंस के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों में प्रवेश करने, संशोधन करने या नवीनीकरण करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाई अड्डे के संबंध में द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में कोई छूट नहीं देगी। अंतरराष्ट्रीय वाहकों को हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हवाई अड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामांकित वाहक (वाहकों) द्वारा ऐसे हवाई सेवा समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने में विफलता के कारण, या दूसरी पार्टी द्वारा उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

2.6 सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध

भारत सरकार हवाई अड्डे पर अपने खर्च पर सीमा शुल्क, आव्रजन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह स्थापित या बनाए रखेगी (जैसा लागू हो) कि ऐसी किसी भी या सभी सेवाओं के संबंध में भारत सरकार के कारण प्रत्यक्ष रूप से रियायतग्राही के मुख्य प्रदर्शन संकेतक (की परफॉरमेंस इंडिकेटर्स) प्रभावित न हों। पक्षकारों का इरादा इस एमओयू के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और आव्रजन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उपयुक्त सेवा स्तर मानकों पर सहमति व्यक्त करने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ("मोका") इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा।

2.7 सुरक्षा

- 2.7.1** भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस एमओयू के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। शर्त यह है कि भारत सरकार और रियायतग्राही आपस में विचार-विमर्श के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमति दी जाती है और यदि इसे उचित समझा जाता है, तो हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार यह स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होगा और ऐसा शुल्क सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।
- 2.7.2** इस एमओयू के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएएस (BCAS) और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा स्थापित नियमों और विनियमों का पालन करेगा। बशर्ते कि रियायतग्राही ऐसा करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर ऐसे नियम और विनियम सामान्य रूप से और निरंतर रूप से लागू न किए जाएं।
- 2.7.3** रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर यथा आवश्यक ऐसे सभी सुरक्षा उपकरणों को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले भारत के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर समान दायित्व लगाए जाएं।
- 2.7.4** हवाई अड्डा भवन, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे के अन्य आगंतुकों तथा हवाई जहाज, माल और हवाई अड्डे पर अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी। रियायतग्राही बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी की गई ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान या समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर निरंतर लागू किए जाएं।
- 2.7.5** रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

2.8 मौसम विज्ञान सेवा

2.8.1 भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के माध्यम से या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय हवाई नौवहन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करवाएगी।

2.8.2 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान अच्छी उद्योग प्रथाओं (गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज) के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

2.9 गैर-भेदभाव

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त हवाई यातायात के वर्गों या विवरणों के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी और उचित नियमों के अधीन हवाई अड्डे पर विमान की आवाजाही पर कोई अनुचित सीमा न लगाने या अन्यथा हवाई अड्डे पर क्षमता को सीमित न करने का प्रयास करेगी।

3. संयुक्त समन्वय समिति

3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन

3.1.1 आरक्षित सेवाओं के सुचारू और कुशल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्द्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) मोका का प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) आव्रजन सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ङ) मौसम विज्ञान सेवाएं प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवाएं प्रतिनिधि;
- (छ) पादप संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;
- (ज) पशु संगरोध सेवाएं प्रतिनिधि;

(झ) स्वास्थ्य सेवाएं प्रतिनिधि; और

(ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि।

3.1.2 नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार इस समिति का गठन करेगा और बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जिसका जनादेश आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों का समाधान करना होगा।

3.2 बैठकें और सहायता

3.2.1 संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता सचिव, मोका द्वारा की जाएगी, और जब तक पक्षकार किसी बाद की तिथि पर बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमत न हों, पहली बार प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर शुरुआत करते हुए हवाई अड्डे पर हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

3.2.2 भारत सरकार एतद्वारा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ तालमेल बनाने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

4. अवधि और समाप्ति

4.1 अवधि

4.1.1 यह एमओयू प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

4.1.2 यह एमओयू किसी भी कारण से रियायत समझौते के निर्धारण और/या समय से पहले समाप्ति के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

4.2 समाप्ति

4.2.1 यह एमओयू तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा यदि रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीओडी प्राप्त नहीं किया जाता है।

4.2.2 इस एमओयू के अनुसरण में रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिनी या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित होंगे और उनके लाभ के लिए होंगे, जो रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकता है।

5. प्रतिनिधित्व और वारंटियां

5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही एतद्द्वारा भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि रियायत समझौते के तहत उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक प्रतिनिधित्व और वारंटियां इस एमओयू के उद्देश्यों के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित सत्य और सही होंगी, जिसमें इसमें निहित रूप और तरीके से शामिल हैं, लेकिन इसकी शक्ति और अधिकार और इस एमओयू के निष्पादन और वितरण के लिए आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाइयां तक सीमित नहीं हैं।

5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार एतद्द्वारा रियायतग्राही को प्रतिनिधित्व करती है और वारंटी देती है कि उसके पास इस एमओयू को निष्पादित करने का अधिकार, शक्ति और अधिकार है और उसने आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं, और सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर इस एमओयू के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार प्राप्त है।

6. शासी कानून और विवाद समाधान

6.1 शासी कानून

यह एमओयू (इस खंड 6 सहित) और इसके निर्वचन के सभी प्रश्नों का अर्थ भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे दिए गए खंड 6.3 के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों के पास इस एमओयू से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

6.3 विवाद समाधान

6.3.1 पक्षकार सहमत हैं कि वे सद्भावनापूर्ण परामर्श के माध्यम से इस एमओयू के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भावनापूर्ण परामर्श के परिणामस्वरूप ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

6.3.2 एईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से हल नहीं किया जा सका (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है), समय-समय पर

यथा संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

6.3.3 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के लिए प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (जो मिलकर "माध्यस्थम अधिकरण" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

6.3.4 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

6.3.5 माध्यस्थम अधिकरण का निर्णय (निर्णय) अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

7. विविध

7.1 सूचना

7.1.1 इस एमओयू की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमति प्राप्त या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगी और व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, पंजीकृत डाक या एयर मेल द्वारा यथाउचित भेजी जाएगी, एक लिफाफे में उचित रूप से पते पर और पूरी तरह से पूर्व-भुगतान करके भेजी जाएगी या संबंधित पक्षकारों को निम्नानुसार फैंक्स द्वारा भेजी जाएगी:

भारत सरकार:

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामांकित व्यक्ति

ई-मेल: [.]

फैक्स सं.: [.]

प्राधिकरण:

पता: [.]

ध्यान दें: [.]

ई-मेल: [.]

फैक्स सं.: [.]

रियायतग्राही:

पता: [.]

ध्यान दें: [.]

ई-मेल: [.]

फैक्स सं.: [.]-[.]

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जिसे समय-समय पर इस सूचना के तहत निर्दिष्ट किया जाए।

7.1.2 ऐसी कोई भी सूचना हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होगी और यदि दस्ती रूप से दी गई है, तो वास्तव में वितरित किए जाने के समय पर, या फैक्स द्वारा भेजे जाने की स्थिति में भेजने के अगले कार्य दिवस पर, या किसी अन्य स्थिति में पूर्व वर्णित रीति से डाक द्वारा भेजे जाने के 3 दिनों के भीतर दी गई समझी जाएगी।

7.2 पृथक्करणीयता

इस सहमति पत्र में समाविष्ट शर्तों, निबंधनों या प्रावधानों के किसी भी भाग को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किए जाने की स्थिति में, ऐसे निबंधन, शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष निबंधनों, शर्तों और प्रावधानों से पृथक् कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

7.3 संपूर्ण करार

यह सहमति पत्र, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस सहमति पत्र के विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण करार और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षों के बीच पूर्व में हुए किसी भी लिखित या मौखिक करार अथवा समझ का स्थान लेता है।

7.4 संशोधन

इस सहमति पत्र में कोई भी प्रवर्धन, संशोधन या परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित न किया गया हो।

7.5 समनुदेशन

इसकी प्रभावी तिथि के पश्चात् लागू कानून में किसी भी परिवर्तन के बावजूद, जो अन्यथा इस सहमति पत्र के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्ष इस सहमति पत्र या इसके तहत अथवा इसके अनुसरण में उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकता है। हालांकि, पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार इसके द्वारा प्रतिस्थापन करार के निबंधनों के अनुसरण में चयनित किसी प्रतिस्थापित संस्था अथवा परियोजना के संबंध में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के रूप में स्वीकार की गई किसी अन्य संस्था के पक्ष में इस सहमति पत्र को स्थानांतरित करने और नवकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त करती है।

7.6 अधित्याग न होना

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस सहमति पत्र के तहत किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में विफलता या प्रयोग करने में देरी को उसके अधित्याग के रूप में नहीं माना जाएगा, और ना ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग अथवा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को निवारित करेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, इस सहमति पत्र में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और कानून द्वारा प्रदान किए गए या अन्यथा किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के अनन्य नहीं हैं।

अनुलग्नक 1

पशु संगरोध सेवाएं

क. आगमन से पूर्व:

- (i) पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेडों और चारा भट्टियों की पूरी तरह से सफाई की जाती है, उपयुक्त रोगाणुनाशकों से कीटाणुरहित किया जाता है और धूमित भी किया जाता है;
- (ii) विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी पशुओं का परिवहन उपयुक्त पशु वाहक में किया जाता है;
- (iii) पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व पशु वाहक को उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाता है;
- (iv) आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

- (i) आगमन के दिन और आयातकर्ता के साथ तय किए गए समय पर क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद विमानक्षेत्र पहुंचते हैं;
- (ii) पशु या उत्पादों का भौतिक रूप से गहन परीक्षण किया जाता है;
- (iii) निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आए पशु चिकित्सा प्रमाण पत्र की गहन जांच की जाती है;

- (iv) यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु नैदानिक रूप से स्वस्थ हैं और प्रेषण के साथ आए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सही क्रम में हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाण पत्र या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाता है;
- (v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन लाया जाता है;
- (vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए पशुओं को 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में यथा निर्दिष्ट अवधि के लिए संगरोध में रखा जाता है;
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, स्वच्छता आयात अनुमति में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने निकाले जाएंगे और प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया जाएगा।

अनुलग्नक 2

[प्रयुक्त नहीं]

अनुलग्नक 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) ग्रीन/रेड चैनल में सामान परीक्षण काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) सामान सहायक / उप आयुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) बैगेज मॉल में आयुक्त;
- (ङ) रोक कर रखे गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) गलत स्थान पर पहुंचे सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) कीमती सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) रि-शिपमेंट सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ञ) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी की तैनाती;

- (ट) निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना;
- (ठ) सीमा शुल्क कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं;
- (ड) वायु गुप्तचर इकाई।

अनुलग्नक 4

स्वास्थ्य सेवाएं

- (क) पक्ष इसके द्वारा यह रिकॉर्ड करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का यह इरादा है कि वह विमानक्षेत्र टर्मिनलों पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास करे ("स्वास्थ्य सेवाएं"):
 - (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य संबंधित सरकारी विभागों के कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लाभ के लिए दिन में हर समय विमानक्षेत्र टर्मिनल और माल परिसर में चिकित्सा सुविधाएं;
 - (ii) विमानक्षेत्र टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मी, जैसा कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए;

- (iii) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और विमानक्षेत्र पर/उसके आसपास चिकित्सा सुविधाओं के समय को तय करेगा;
 - (iv) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय विमानक्षेत्र में ऐसे अन्य कार्यों को भी संपादित करेगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए।
- (ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उपर्युक्त खंड (क) (i) में उल्लिखित सभी या किन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसका किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ऐसे किसी भी दायित्व को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उपर्युक्त खंड (क)(i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के न मिलने या आंशिक रूप से मिलने पर उसके पास स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होगा।

अनुलग्नक 5

आप्रवासन सेवाएं

लागू कानूनों के तहत विमानक्षेत्र में आप्रवासन सुविधा और सेवा प्रदान करना तथा विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य।

अनुलग्नक 6

मौसम विज्ञान सेवाएं

इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ विमान संचालन की सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसी के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं और विमानन में परिपाटी के अनुसार विमानन मौसम सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

अनुबंध 7

पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं

ये कार्य विनाशकारी कीट एवं कीट अधिनियम, 1914 तथा पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 और इसके संशोधनों के तहत निष्पादित किए जाते हैं, ताकि देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम किया जा सके जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतराष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन के तहत स्वीकार्य हैं और विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप-स्वच्छता समझौते के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निकास;
- (ख) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं का दृश्य परीक्षण और उपचार;
- (ग) निर्यात के लिए निर्दिष्ट कृषि वस्तुओं के लिए पादप-स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना;
- (घ) आयातित लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
- (ङ) प्रवेश-पश्चात संगरोध निरीक्षण;
- (च) कृषि वस्तुओं का धूम्रकरण / कीट-निवारण / रोगाणु-नाशन।

अनुबंध 8

सुरक्षा सेवाएं

- (क) विमानन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हवाई अड्डा परिचालकों, विमान सेवा परिचालकों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के शिकागो कन्वेंशन के अनुबंध 17 के अनुसार, नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि नामित भारत सरकार की एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रण लागू करने वाले उसके कर्मी उचित रूप से प्रशिक्षित हों और उनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी योग्यताओं से संपन्न हों;
- (ग) विमानन सुरक्षा मामलों का नियोजन और समन्वय करना;
- (घ) सुरक्षा कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी के माध्यम से आकस्मिक / छद्म जांच करना तथा आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता और विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना।

इसके साक्ष्य के रूप में, पक्षों ने अपने सम्यक् रूप से अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से इस सहमति पत्र निष्पादित कराया है।

हस्ताक्षरित:

भारत सरकार की ओर से और के लिए

साक्षी:

हस्ताक्षरित:

हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही की ओर से और के लिए

साक्षी:

हस्ताक्षरित:

अनुसूची ध चयनित कर्मचारी

यह दर्शाया गया है कि हवाई अड्डे पर चयनित कर्मचारी निम्नानुसार हैं:

समूह	कैडर (सहायक महाप्रबंधक एवं नीचे)	कर्मचारी
क		37
ई3	प्रबंधक	21
ई4	वरिष्ठ प्रबंधक	8
ई5	सहायक महाप्रबंधक	8
ख-कार्यपालक		17
ई1	कनिष्ठ कार्यपालक	9
ई2	सहायक प्रबंधक	8
ख-गैर कार्यपालक		50
एन9	वरिष्ठ अधीक्षक	34
एन5	वरिष्ठ अधीक्षक (चयन ग्रेड)	16
ग		57
एन4	कनिष्ठ सहायक	1
एन5	सहायक	1
एन6	वरिष्ठ सहायक	3
एन7	पर्यवेक्षक	26
एन8	अधीक्षक	11
एस6	सहायक-चयन ग्रेड-गैर कार्यपालक-6	
एस8	पर्यवेक्षक (चयन ग्रेड)	15
घ		19
डी6	परिचर-चयन ग्रेड-गैर कार्यपालक-6	1
एन2	परिचर	5
एन3	वरिष्ठ परिचर	4
एस4	वरिष्ठ परिचर-चयन ग्रेड-गैर कार्यपालक-4	6
एस5	वरिष्ठ परिचर-चयन ग्रेड-गैर कार्यपालक-5	3

अनुसूची न
विद्यमान अनुबंध

हवाई अड्डे पर राजस्व अनुबंध निम्नलिखित रूप में दर्शाये गए हैं:

क्र.सं.	सुविधा / लाइसेंस / स्थान का नाम / आबंटित / स्वीकृत स्थान	पार्टी का नाम / पता	अनुबंध की अवधि (वर्ष/माह) से - तक	नियमित अनुबंध / तदर्थ या विस्तार
01	विज्ञापन अधिकार	मेसर्स टीडीआई इंटरनेशनल लिमिटेड, 42, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055	28.02.2019 से 27.02.2020	नियमित अनुबंध
02	रिपीटर स्टेशन	मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, एससीएम विभाग, दूसरी मंजिल, जोडियाक स्क्वायर, गुरुद्वारा के सामने, एस.जी. रोड, अहमदाबाद- 380054	01.01.2014 से अद्यतन	विस्तार
03	रिपीटर स्टेशन	मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, एफएफ 101 सफायर, पंचवटी 5 रास्ता, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, अहमदाबाद-380006	22.11.2016 से अद्यतन	विस्तार
04	रिपीटर स्टेशन	मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड, डी.ई.(सीएमटीएस आयोजना) एटीडी., गुलबाई टेकरा भवन, अहमदाबाद-380009	01.01.2008 से अद्यतन	विस्तार
05	कार रेंटल सेवा (टी-1)	मेसर्स अकबर ट्रेवल्स ऑफ इंडिया, घरेलू भवन (टी-1), एस.वी.पी. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद-380003	16.11.2010 से अद्यतन	विस्तार

06	स्नैक बार (टी-2 प्रस्थान क्षेत्र के बाहर)	मेसर्स सप्तगिरी रेस्तरां, एल-73/285 महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037	16.10.2018 से 15.10.2019	नियमित अनुबंध
07	चाय/काँफी वेंडिंग मशीन (टी-2)	मेसर्स सप्तगिरी रेस्तरां - यथोपरि --	07.03.2014 से अद्यतन	विस्तार
08	स्नैक बार (टी-1 के बाहर)	मेसर्स सप्तगिरी रेस्तरां - यथोपरि --	01.10.2014 से अद्यतन	विस्तार
09	ब्रांडेड स्नैक बार (सुरक्षा होल्ड क्षेत्र टी-1)	मेसर्स सप्तगिरी रेस्तरां - यथोपरि --	01.01.2018 से अद्यतन	विस्तार
10	सेलुलर सुविधा (टी-1)	मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, वोडाफोन हाउस, भवन ए, कॉर्पोरेट प्रहलादनगर, एस.जी. हाईवे के पास, अहमदाबाद-380051	15.05.2015 से अद्यतन	विस्तार
11	रिपीटर स्टेशन	मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड - यथोपरि --	01.01.2014 से अद्यतन	विस्तार
12	रेस्तरां सह कर्मचारी कैंटीन	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सी-19-जय योगीराज सोसाइटी, सरदारनगर पुलिस स्टेशन के पास, सरदारनगर, अहमदाबाद-382475 (गुजरात)	15.07.2014 से अद्यतन	विस्तार
13	ब्रांडेड स्नैक बार (सुरक्षा होल्ड क्षेत्र-टी-2)	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	25.06.2018 से 24.06.2019	नियमित अनुबंध
14	ब्रांडेड स्नैक बार (टी-1 सुरक्षा होल्ड क्षेत्र/भूतल एवं आगंतुक कॉनकोर्स)	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	02.08.2018 से 01.08.2019	नियमित अनुबंध

15	ब्रांडेड चॉकलेट पार्लर (सुरक्षा होल्ड क्षेत्र पहली मंजिल टी-1)	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	24.10.2018 से 23.10.2019	नियमित अनुबंध
16	आइसक्रीम पार्लर (टी-1 आगंतुक कॉनकोर्स)	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	11.09.2018 से 10.09.2019	नियमित अनुबंध
17	चाय कॉफी वेंडिंग मशीन (टी-2 प्रस्थान)	मेसर्स गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड, तीसरी मंजिल, वाघबकरी हाउस, परिमल गार्डन के सामने, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006	09.11.2012 से अद्यतन	विस्तार
18	चाय कॉफी वेंडिंग मशीन (टी-1 प्रस्थान)	मेसर्स गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड - यथोपरि --	02.02.2015 से अद्यतन	विस्तार
19	चाय कॉफी वेंडिंग मशीन (टी-1 भूतल)	मेसर्स गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स लिमिटेड - यथोपरि --	09.11.2012 से अद्यतन	विस्तार
20	ब्रांडेड स्नैक बार काउंटर (टी-1)	मेसर्स कामेश्वर फूड्स, 5-वायरल अपार्टमेंट, 12-श्रेयस कॉलोनी, अहमदाबाद-380009	13.12.2013 से अद्यतन	विस्तार
21	स्पा सुविधा (टी-1)	मेसर्स मस्ती हेल्थ एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 230 रोड नंबर 78, जुबली हिल्स, हैदराबाद-33	28.04.2011 से अद्यतन	विस्तार
22	कुकीज/बेकरी आइटम दुकान	मेसर्स कन्हाई फूड प्राइवेट लिमिटेड, सब प्लॉट नंबर 4 ब्लॉक नंबर 329, हर्षा इंजी. के सामने, सरखेज बावला रोड, चांगोदर- 382210, जिला: अहमदाबाद	04.07.2012 से अद्यतन	विस्तार
23	ब्रांडेड लेदर बुटीक दुकान (टी-1 एवं 2)	मेसर्स डामिलानो लेदर प्राइवेट लिमिटेड, 85 कापसहेड़ा	02.08.2018 से 01.08.2019	नियमित अनुबंध

		बिजवासन रोड, दीपान अस्पताल के पास, नई दिल्ली-110037		
24	ब्रांडेड टी-शर्ट दुकान (टी-1)	मेसर्स ऑफबीट अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, 16 मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, वजहाइकुलम, पांडिचेरी-605012	14.12.2012 से अद्यतन	विस्तार
25	अमेरिकन स्वीट पॉपकॉर्न दुकान (टी-1)	मेसर्स गुरुजी कैटरर्स, फ्लैट नंबर 12 विशाखा अपार्टमेंट, 15ए/4 सोमेश्वरवाड़ी, राजवाड़ा रेस्तरां के पास, पुणे-411008 (महाराष्ट्र)	27.11.2012 से अद्यतन	विस्तार
26	ब्रांडेड डेजर्ट पार्लर (टी-1)	मेसर्स वाडीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, श्रीमणी सोसाइटी, नवरंगपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	10.12.2012 से अद्यतन	विस्तार
27	ब्रांडेड डेजर्ट पार्लर (टी-2)	मेसर्स वाडीलाल एंटरप्राइजेज लिमिटेड - यथोपरि --	16.10.2014 से अद्यतन	विस्तार
28	ब्रांडेड चॉकलेट कैफे (टी-1)	मेसर्स चॉकलेट रूम प्राइवेट लिमिटेड, बी-426-427, सोबो सेंटर, गाला जिमखाना रोड, साउथ बोपाल, अहमदाबाद	21.01.2013 से अद्यतन	विस्तार
29	ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट दुकान (टी-1)	मेसर्स इंटरक्राफ्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, 8-मृदुल टावर, पहली मंजिल, एच.के. हाउस, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009	08.01.2013 से अद्यतन	विस्तार
30	ब्रांडेड फुटवियर दुकान (टी-1)	मेसर्स पेवर्स इंग्लैंड प्राइवेट लिमिटेड, भवन नंबर डी2-गाला नंबर 4 से 10, श्री अरिहंत कंपाउंड, गांव: भिवंडी, जिला: ठाणे-421302	29.01.2013 से अद्यतन	विस्तार

31	ब्रांडेड फास्ट फूड काउंटर (टी-1)	मेसर्स एच.एम. हॉस्पिटैलिटी, मंगल आर्किड सीएचएस लिमिटेड, बी-2-602 पंच मार्ग, यारी रोड, वर्सावा अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400061	02.01.2012 से अद्यतन	विस्तार
32	चाय/काँफी वेंडिंग मशीन (टी-1)	मेसर्स काँफी डे ग्लोबल लिमिटेड, 604 छठी मंजिल, 3ई आईविज़न, शिवालिक प्लाजा के सामने, पिंजरापोल क्रॉस रोड के पास, अंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015	27.01.2013 से अद्यतन	विस्तार
33	स्क्रेच एंड विन काउंटर	मेसर्स जी.एस. कैटलॉग, पी-1/10 डीएलएफ फेज-2, गुड़गांव (हरियाणा)	19.10.2013 से अद्यतन	विस्तार
34	ब्रांडेड क्रिस्टल दुकान (टी-1)	मेसर्स क्रिसरिटेल् ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ई-14 गीतांजलि एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017	14.10.2013 से अद्यतन	विस्तार
35	एटीएम काउंटर (टी-1)	मेसर्स देना बैंक, अंचल कार्यालय, देना लक्ष्मी भवन पहली मंजिल, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009	01.03.2016 से 28.02.2019	नियमित अनुबंध
36	ब्रांडेड मिठाई एवं नमकीन दुकान (टी-2)	मेसर्स सुखडिया गरबड्डास एंड संस, सरदार गंज बैंक लेन, टावर बाजार, आनंद-388001 (गुजरात)	25.12.2013 से अद्यतन	विस्तार
37	ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक दुकान (टी-1)	मेसर्स इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड, यूनिट नंबर 701 एवं 702, 7वीं मंजिल केलेडोनिया, सहर रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400069	23.10.2013 से अद्यतन	विस्तार

38	ब्रांडेड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल दुकान (टी-1)	मेसर्स बिफा ड्रग्स लेबोरेटरी, एसवीपीआई हवाई अड्डा, टर्मिनलों-1	20.11.2013 से अद्यतन	विस्तार
39	पत्रिका दुकान (टी-1)	मेसर्स मलयला मनोरमा मैगजीन, इनोवा ए-401, मैराथन नेक्स्टजेन, जी.के. मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013	01.02.2014 से अद्यतन	विस्तार
40	चाय/काँफी वेंडिंग मशीन (गेट नंबर 2)	मेसर्स इंस्टैंट ट्रेड एजेंसी, 2 श्री नारायण पैलेस, कोठावाला फ्लैट्स के पास, दाडी डाइनिंग हॉल के सामने, प्रीतमनगर, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006	30.10.2018 से 29.10.2019	नियमित अनुबंध
41	शीतल पेय काउंटर (गेट नंबर 8)	मेसर्स यशस्वी एंटरप्राइज, 7-श्री नारायण पैलेस, कोठावाला फ्लैट्स के पास, प्रीतमनगर, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006	06.03.2014 से अद्यतन	विस्तार
42	शीतल पेय काउंटर (गेट नंबर 2)	मेसर्स यशस्वी एंटरप्राइज - यथोपरि --	06.03.2014 से अद्यतन	विस्तार
43	आइसक्रीम पार्लर (टी-2)	मेसर्स हेवमोर रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड, 12वीं एवं 13वीं मंजिल, एलेंजा वर्टैक्स, सिंधुभवन रोड, बोडकदेव, अहमदाबाद-380054	05.11.2014 से अद्यतन	विस्तार
44	आइसक्रीम पार्लर (टी-1)	मेसर्स हेवमोर रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	12.12.2014 से अद्यतन	विस्तार
45	हथकरघा एवं हस्तशिल्प दुकान	मेसर्स गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प, हथकरघा प्रौद्योगिकी भवन, महात्मा मंदिर के पास, सेक्टर-13, गांधीनगर-382016 (गुजरात)	03.03.2015 से अद्यतन	विस्तार

46	टीआर सह उपहार दुकान (टी-1)	मेसर्स अवा मर्चेडाइजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सलवान स्कूल मार्केट, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060	01.01.2015 से अद्यतन	विस्तार
47	मुद्रा विनिमय काउंटर (आगमन)	मेसर्स सेंट्रम डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, 5445-ए सीएसटी रोड, विद्या नगर मार्ग, कलिना सांताक्रूज़ (पूर्व), मुंबई-98	19.10.2016 से 18.10.2019	नियमित अनुबंध
48	मुद्रा विनिमय काउंटर (प्रस्थान)	मेसर्स सेंट्रम डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	19.10.2016 से 18.10.2019	नियमित अनुबंध
49	सामान रैपिंग सुविधा (टी-2)	मेसर्स सिक्योर रैप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 119/1, भूतल, पटेल वास, प्राथमिक विद्यालय के पास, हंसोल गांव, सरदारनगर, अहमदाबाद	10.08.2018 से 09.08.2019	नियमित अनुबंध
50	खुदरा आउटलेट (टी-1 सुरक्षा होल्ड क्षेत्र)	मेसर्स ट्राइडेंट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, एफएफ/01- पहली मंजिल, देव कॉम्प्लेक्स, परिमल गार्डन के सामने, परिमल क्रॉस रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06	07.12.2017 से 06.12.2020	नियमित अनुबंध
51	शुल्क मुक्त दुकान (टी-2)	मेसर्स फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री शॉप, एस.वी.पी.आई. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टी-2, अहमदाबाद	24.04.2016 से 23.04.2023	नियमित अनुबंध
52	फूड कोर्ट (टी-1)	मेसर्स लाइट बाइट फूड प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 317, उद्योग विहार, फेज-IV, गुडगांव- 122016 (हरियाणा)	25.05.2018 से 24.05.2019	नियमित अनुबंध
53	ब्रांडेड स्नैक बार (टी-2)	मेसर्स अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ए-113 भूतल, रोड नंबर	24.06.2018 से 23.06.2019	नियमित अनुबंध

		2, एनएच-8, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037		
54	रेस्तरां (टी-2)	मेसर्स ए-वन कैटरिंग सर्विसेज, 222-औदीच्यवाड़ा, बेडला, उदयपुर-313001 (राजस्थान)	25.06.2018 से 24.06.2019	नियमित अनुबंध
55	कार्यपालक लाउंज (टी-2)	मेसर्स प्रीमियम पोर्ट लाउंज मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कमरा नंबर 11, टर्मिनल 1डी घरेलू, प्रस्थान, पालम, नई दिल्ली	23.07.2018 से 22.07.2019	नियमित अनुबंध
56	कार्यपालक लाउंज (टी-1)	मेसर्स प्रीमियम पोर्ट लाउंज मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड - यथोपरि --	23.07.2018 से 22.07.2019	नियमित अनुबंध
57	खादी एम्पोरियम दुकान	मेसर्स खादी एवं ग्रामोद्योग, ई- ब्लॉक-4थी मंजिल, कैपिटल कमर्शियल सेंटर, आश्रम रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380009	11.07.2017 से अद्यतन	विस्तार
58	सामान ट्रॉली	मेसर्स विजन एडवरटाइजिंग, ए3- 26-अग्रसेन सोसाइटी, 8-कोरेगांव रोड, कोरेगांव पार्क, पुणे-411001	01.05.2018 से 30.04.2019	नियमित अनुबंध
59	हथकरघा एवं हस्तशिल्प दुकान	मेसर्स ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरी मंजिल, बीएसएनएल नवरंगपुरा एक्सचेंज, शास्त्रीनगर, अहमदाबाद-380063	06.07.2018 से 05.07.2019	नियमित अनुबंध
60	हवाई अड्डा प्रवेश टिकट (टी-1 एवं टी-2)	मेसर्स रोमा हेनी सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एल-322, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037	15.04.2018 से 14.04.2019	नियमित अनुबंध

61	आइस्क्रीम पार्लर (टी-1)	मेसर्स आरबीए हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सी-19-जय योगीराज सोसाइटी, सरदारनगर पुलिस स्टेशन के पास, सरदारनगर, अहमदाबाद-382475 (गुजरात)	11.09.2018 से 10.09.2019	नियमित अनुबंध
62	मीत एंड ग्रीट (स्वागत सेवा)	मेसर्स सप्तगिरी रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड, एल-322 महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037	23.12.2015 से 22.12.2018	नियमित अनुबंध
63	ब्रांडेड परिधान आउटलेट (सुरक्षा होल्ड क्षेत्र टी-1)	मेसर्स गो फैशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साथक सेंटर, 5वीं मंजिल, नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई-600034	14.12.2018 से 13.12.2019	नियमित अनुबंध
64	ब्रांडेड स्नैक बार (टी-2 जांच क्षेत्र)	मेसर्स अरुण फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ए-113 भूतल, रोड नंबर 2, एनएच-8, महिपालपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110037	15.12.2018 से 14.12.2019	नियमित अनुबंध
65	ब्रांडेड घड़ी की दुकान (सुरक्षा होल्ड क्षेत्र पहली मंजिल टी-1)	मेसर्स टाइटन कंपनी लिमिटेड, इंटीग्रिटी, नंबर 193, वीरासंद्रा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पी.ओ. होसुर मेन रोड के पास, बेंगलुरु-75	15.01.2019 से 14.01.2020	नियमित अनुबंध
66	वाहन पार्किंग अधिकार	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्वयं प्रबंधित	25.08.2018 से अद्यतन	-

विमानक्षेत्र में परिचालनात्मक संविदाओं का विवरण निम्नलिखित है:

1. एमईएसएस/ईएसएस संविदा

यांत्रिक पर्यावरण सहायता सेवा / पर्यावरण सहायता सेवा संविदा

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (रु.)	प्रारंभ तिथि	संविदा की अवधि (वर्ष/माह में)
1	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के टर्मिनस-1	मैसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड बीवीजी हाउस, प्रीमियर	रु. 12,03,92,407/-	रु. 12,58,04,808.00 3 वर्ष के लिए	01.07.2018	03 वर्ष

	और अंतर-टर्मिनस संपर्क का यांत्रिक पर्यावरण सहायता सेवा (रखरखाव)	प्लाजा, पुणे-मुंबई रोड, चिंचवड़, पुणे-411019				
2	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के "टर्मिनस-2 की यांत्रिक पर्यावरण सहायता सेवा (रखरखाव)"	मैसर्स क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 15, क्रिस्टल हाउस, डॉ. मानकीकर रोड, सायन (पूर्व), मुंबई-400022	रु. 11,25,56,107/-	रु. 11,55,37,016.88 3 वर्ष के लिए	20.09.2018	03 वर्ष
3	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के "सहायक भवनों, पहुँच मार्गों, वायान क्षेत्र और नगर क्षेत्र की पर्यावरण सहायता सेवा (रखरखाव)"	मैसर्स संवित बिल्डकेयर प्राइवेट लिमिटेड 402, कीर्तिमान कॉम्प्लेक्स, कड़वा पाटीदार छात्रावास के सामने, गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद-380006	रु. 1,88,06,910/-	रु. 1,61,75,592/- 3 वर्ष के लिए	01.08.2018	03 वर्ष

2. कीट नियंत्रण

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (रु.)	प्रारंभ तिथि	संविदा की अवधि (वर्ष/माह में)
1	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के एकीकृत कीट नियंत्रण उपचार सेवाओं के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स एवितस इंडिया पेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	रु. 6,43,000/-	रु. 3,67,473/- 1 वर्ष के लिए	05.02.2018	01 वर्ष

3. अन्य संविदाएं

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (रु.)	प्रारंभ तिथि	संविदा की अवधि
----------	--------------	--------------------	------------------------	---------------------	--------------	----------------

						(वर्ष/माह में)
1	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में "विमानक्षेत्र परिचालन नियंत्रण केंद्र के जनबल प्रबंधन हेतु कार्य"	मैसर्स मनीष इलेक्ट्रिकल्स कल्पना नगर, 7 नंबर चौराहे के पास, मुरार, ग्वालियर-474006	रु. 18,21,160/-	रु. 16,68,000/- 1 वर्ष के लिए	01.08.2018	01 वर्ष
2	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में टर्मिनस प्रबंधन के निष्पादन हेतु 07 भूतपूर्व सैनिकों का प्रावधान	मैसर्स 3638 रवींद्र कुमार पंवार दुकान सं.-83, न्यू हेवन एन्क्लेव, हरीश पेट्रोल पंप के पास, पानी गेट, वडोदरा-390019	-	रु. 35,86,550.52/- 1 वर्ष के लिए	15.01.2018	01 वर्ष
3	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में वाहन डेटा संग्रह एवं यातायात वार्डन के लिए पुनर्वास महानिदेशालय प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से 31 (23+8) भूतपूर्व सैनिकों की आपूर्ति	मैसर्स 3638 रवींद्र कुमार पंवार दुकान सं.-83, न्यू हेवन एन्क्लेव, हरीश पेट्रोल पंप के पास, पानी गेट, वडोदरा-390019	-	रु. 58,17,631.50/- 06 माह के लिए	04.01.2018	06+06 माह (विस्तार की फाइल प्रक्रियाधीन है)
4	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में कार पार्किंग के प्रबंधन हेतु भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराना	मैसर्स 3638 रवींद्र कुमार पंवार दुकान सं.-83, न्यू हेवन एन्क्लेव, हरीश पेट्रोल पंप के पास, पानी गेट, वडोदरा-390019	-	रु. 75,48,072/- 03 माह के लिए	24.08.2018	03 माह (विस्तार की फाइल प्रक्रियाधीन है)

हवाईअड्डे पर रखरखाव संविदाओं का विवरण निम्नलिखित दर्शाया गया है:

1. सिविल संविदाएं

क्र. सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	वार्षिक रखरखाव संविदा/व्यापक रखरखाव संविदा	अनुमानित राशि (लाख में)	निविदा राशि (लाख में)	प्रारंभ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	समाप्ति की संभावित तिथि
1	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में सीवेज उपचार संयंत्र का व्यापक परिचालन और रखरखाव	मैसर्स एनवायरोकेयर टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड	व्यापक रखरखाव संविदा	45.00	32.40	21/09/2015	20/09/2018	20/01/2019
2	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में धावनपट्टी और अप्रॉपण सतह से रबर के जमाव एवं पुराने पेंट के निशानों को हटाना	मैसर्स साईनाथ एवियोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड	वार्षिक रखरखाव संविदा	66.64	57.20	09/11/2017	08/11/2018	07/02/2019
3	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-2, एमटी भवन, संलग्न क्षेत्रों आदि के लिए सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (2018-19)	मैसर्स सौम्या कंस्ट्रक्शन	वार्षिक रखरखाव संविदा	180.00	180.00	01/06/2018	31/05/2019	31/05/2019
4	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में कार्गो भवनों, सीआईएसएफ बैरक, पुरानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कॉलोनी आदि के सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत	मैसर्स एम. एम. पटेल	वार्षिक रखरखाव संविदा	180.00	180.00	01/06/2018	31/05/2019	31/05/2019

	और रखरखाव (2018-19)।							
5	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में वर्ष (2018-19) के लिए आवासीय कॉलोनियों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के एकीकृत कार्यालय भवन, ट्रांसमीटर स्टेशन आदि के सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव।	मैसर्स के. बी. पटेल प्रोकाॅन प्राइवेट लिमिटेड	वार्षिक रखरखाव संविदा	120.00	120.00	01/06/2018	31/05/2019	31/05/2019
6	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-1, टर्मिनस-3, टर्मिनस-4 आदि तथा संलग्न क्षेत्रों (2018-19) के सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव।	मैसर्स अर्पण इंजीनियरिंग कंपनी	वार्षिक रखरखाव संविदा	180.00	180.00	01/06/2018	31/05/2019	31/05/2019
7	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन क्षेत्र, अग्निशमन केंद्र, नेविगेशनल एड्स भवनों आदि तथा संलग्न क्षेत्रों के सिविल कार्यों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव	मैसर्स सौम्या कंस्ट्रक्शन	वार्षिक रखरखाव संविदा	120.00	120.00	01/06/2018	31/05/2019	31/05/2019
8	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में वर्ष 2018-19 के लिए पर्यावरण निगरानी अर्थात जल नमूनों का विश्लेषण,	मैसर्स गो ग्रीन मैकेनिज्म्स प्राइवेट लिमिटेड	वार्षिक रखरखाव संविदा	12.16	4.86	01/01/2019	31/12/2019	31/12/2019

परिवेशीय वायु नमूने और ध्वनि स्तर की निगरानी।							
---	--	--	--	--	--	--	--

पहले से अवार्ड किए गए अतिरिक्त कार्य:

क्र. सं.	कार्य/योजना का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (लाख में)	प्रारंभ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	30 जून 2019 तक सम्भावित भौतिक प्रगति (%)	30 जून 2019 तक सम्भावित वित्तीय प्रगति (लाख में)
1	टर्मिनस-1 में प्रसाधनों का नवीनीकरण (नया नाम: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-1 में प्रसाधनों का संशोधन एवं नवीनीकरण। (सिविल कार्य)	मैसर्स के. बी. पटेल प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड बी/165, साकार-7, नेहरू ब्रिज कॉर्नर के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380007	382.60	221.48	16.03.2018	15.03.2019	100%	250.00
2	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में लिंक टैक्सिवे सहित घरेलू अप्रॉपण का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय अप्रॉपण का विस्तार, धावनपट्टी 23 पर टर्निंग पैड, शेष परिधि मार्ग का निर्माण एवं संबद्ध कार्य (सिविल एवं विद्युत)	मैसर्स एम. एस. खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड (इंजीनियर्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स), दूसरी मंजिल, "एमएसके" पासपोर्ट कार्यालय से पिंजरापोल रोड, अंबावाड़ी, अहमदाबाद-380015 गुजरात, भारत	6363.00	4572.99	07.04.2018	06.12.2019	60%	1500.00
3	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में लोकलाइज़र एवं ग्लाइडपाथ भवन का पुनर्स्थापना।	मैसर्स सौम्या कंस्ट्रक्शन "शांतिकुंज" दूसरी मंजिल, धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास,	187.57	144.89	18.02.2018	17.08.2018 / 30.11.2018	100%	200.00

		ठक्कर नगर बीआरटीएस बस स्टैंड के सामने, एन.एच. 8, ठक्करनगर, अहमदाबाद- 382350					
--	--	---	--	--	--	--	--

2. विद्युत संविदाएं

क्र. सं.	कार्य का नाम	एजेंसी	स्वीकृत मूल्य (लाख में)	प्रारंभ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि
1	टर्मिनस-1 में 700 किलोवाट पीक छत पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का परिचालन एवं रखरखाव	मैसर्स एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद	41.30	08.12.16	07.12.18
2	टर्मिनस-2 के संवाहक प्रणालियों का व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स इंडिया एविएशन कंसल्टिंग एंड सपोर्ट एलएलपी, नई दिल्ली	43.60	01.10.17	30.09.18
3	टर्मिनस-1 भवन के केंद्रीय वातानुकूलन संयंत्र का रखरखाव	मैसर्स सुपरटेक इंजीनियर्स, नई दिल्ली	97.48	01.11.17	15.11.18
4	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-2 के सरकवां दरवाजों की मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स डोर्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	8.12	15.11.17	28.12.18
5	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में रखरखाव हेतु विद्युत स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति (2017-18)	मैसर्स तरल इलेक्ट्रिकल्स, अहमदाबाद	40.97	27.11.17	26.11.18
6	टर्मिनस-1 की अग्निशमन प्रणाली एवं नेविगेशनल एड्स की अग्नि चेतावनी प्रणाली का रखरखाव	मैसर्स सेंटर-टैप इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	5.02	01.01.18	31.12.18
7	ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति	मैसर्स इलेक्ट्रोमैच सेल्स एजेंसी, देहरादून	15.90	04.02.18	03.02.19
8	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में ग्रीन्स मेक डीजल जनरेटर सेट का रखरखाव	मैसर्स रवि रश्मि एनर्जी मेक लिमिटेड	5.01	06.01.18	05.01.19
9	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में सबस्टेशन (टर्मिनस-2) में 1500 केवीए एमटीयू मेक डीजल जनरेटर सेट के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	1.17	01.01.18	31.12.18

10	टर्मिनस-2 एवं अंतर-टर्मिनस संपर्क के लिए एनालॉग एड्रैसेबल अग्नि चेतावनी, पहचान एवं अग्निशमन प्रणाली की वार्षिक रखरखाव संविदा (वर्ष 2017-18)	मैसर्स सेंटर-टैप इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	18.6	01.01.18	31.12.18
11	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-2 एवं इसके संबद्ध क्षेत्र के पंपों, मोटरों की वार्षिक रीवाइंडिंग एवं मरम्मत	मैसर्स एस एम इलेक्ट्रिक वर्क, अहमदाबाद	4.21	18.01.18	17.01.19
12	टर्मिनस-2 के टर्मिनस भवन, उप-स्टेशन, पंप हाउस, अंतर-टर्मिनस संपर्क एवं बाह्य क्षेत्र की विद्युत एवं यांत्रिक संस्थापनों का परिचालन एवं रखरखाव (वर्ष 2018-19)	मैसर्स अभिषेक एसोसिएट्स, अहमदाबाद	157.62	01.04.18	31.03.19
13	टर्मिनस-1 के टर्मिनस भवन, उप-स्टेशन, पंप हाउस एवं बाह्य क्षेत्र की विद्युत एवं यांत्रिक संस्थापनों का परिचालन एवं रखरखाव (वर्ष 2018-19)	मैसर्स एस. एन. इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली	178.88	01.05.18	30.04.19
14	परिचालन क्षेत्र, टर्मिनस-3, टर्मिनस-4, कॉलोनी की विद्युत एवं यांत्रिक संस्थापनों का परिचालन एवं रखरखाव (वर्ष 2018-19)	मैसर्स एस. एन. इलेक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली	193.03	01.05.18	30.04.19
15	टर्मिनस-2 के टर्मिनस भवन एवं कार पार्क क्षेत्र के आंतरिक व बाह्य जल निकायों की सफाई एवं रखरखाव संविदा (वर्ष 2018-19)	मैसर्स एस एम इलेक्ट्रिक वर्क, अहमदाबाद	5.4	01.05.18	30.04.19
16	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में स्प्लिट वातानुकूलन इकाई एवं वाटर कूलरों का रखरखाव (2018-19)	मैसर्स ज़मज़म रेफ्रिजेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जबलपुर	25.18	01.05.18	30.04.19
17	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-1 भवन की माइक्रोप्रोसेसर आधारित एड्रैसेबल अग्नि चेतावनी प्रणाली का वार्षिक व्यापक रखरखाव एवं अन्य विविध कार्य	मैसर्स सेंटर-टैप इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	14.95	01.06.18	31.05.19
18	पंपों, मोटरों एवं पंखों आदि का रखरखाव	मैसर्स एस. एम. इलेक्ट्रिक वर्क, अहमदाबाद	8.46	01.07.18	30.06.19
19	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के टर्मिनस-2 के लिए 11 केवी वीसीबी, रिले की सर्विसिंग, परीक्षण एवं अंशांकन, ट्रांसफॉर्मर तेल का निस्पंदन एवं अन्य विद्युत कार्य (वर्ष 2018-19)	मैसर्स श्री साई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रुमेंटेशन, सूरत	14.99	22.07.18	21.11.18
20	यात्री बोर्डिंग पुलों एवं दृश्यमान डॉकिंग मार्गदर्शन प्रणालियों का परिचालन एवं वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स श्री डी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड	90.71	01.11.16	31.10.19

21	टर्मिनस-1 आगमन के झुके हुए संवाहक पट्टे का रखरखाव	मैसर्स वेंडरलैंड इंडस्ट्रीज, पुणे	35.89	01.12.16	30.11.19
22	जल शोधन प्रणाली का रखरखाव	मैसर्स मनीष इलेक्ट्रिकल, ग्वालियर	19.17	01.01.17	31.12.19
23	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में टर्मिनस-2 एवं अंतर-टर्मिनस संपर्क के लिफ्ट, स्वचालित सोपान एवं स्वचालित गलियारे का व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स थिसनक्रुप एलिवेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पुणे	351.61	01.09.17	31.08.22
24	टर्मिनस-2 में विभिन्न क्षमता के निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव (2018-19)	मैसर्स ईटन पावर क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	11.11	01.05.18	30.04.20
25	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में राडार वातानुकूलन संयंत्र का रखरखाव	मैसर्स ज़मज़म रेफ्रिजेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जबलपुर	32.76	01.05.18	30.04.21
26	टर्मिनस-2 में स्थापित ओएसिस मेक पेयजल फव्वारों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स ओएसिस डब्ल्यूएफएस (पी) लिमिटेड, नई दिल्ली	6.20	10.06.18	09.06.20
27	एयर ट्रेफिक सर्विसेज भवन की लिफ्ट का रखरखाव	मैसर्स टेक्नो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद	1.97	01.07.18	30.06.21
28	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रशासनिक भवन में वीआरएफ वातानुकूलन प्रणाली का रखरखाव	मैसर्स एयरटेक इंजीनियर्स, औरंगाबाद	14.76	01.07.18	30.06.20
29	टर्मिनस-1 आगमन के स्वचालित सोपानों एवं लिफ्टों का रखरखाव	मैसर्स थिसनक्रुप एलिवेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	22.79	01.06.18	31.05.23
30	टर्मिनस-1 प्रस्थान के इन-लाइन एक्स-रे सामान प्रणाली का रखरखाव	मैसर्स वेंडरलैंड इंडस्ट्रीज, पुणे	247.26	01.07.18	30.06.21
31	एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम के लिए 140 केवीए निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणाली का रखरखाव	मैसर्स पावर वन माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर	2.98	27.07.18	26.07.21
32	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में 5 वर्षों के लिए टर्मिनस-1 भवन के ओटिस मेक स्वचालित सोपानों की व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स ओटिस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, अहमदाबाद	31.63	01.09.18	31.08.23
33	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में ओमेगा मेक लिफ्ट एवं स्वचालित सोपान की व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स ओमेगा एलिवेटर्स, नई दिल्ली	11.05	01.08.18	31.07.23

34	उत्कर्ष परियोजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र के विमानक्षेत्रों में स्थापित कमिंस मेक डीजल जनरेटर सेटों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा। उप-शीर्ष: सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के डीजल जनरेटर सेट	मैसर्स कमिंस इंडिया लिमिटेड (डीबीयू), पुणे	34.49	01.09.18	31.08.21
35	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में 2x 15 केवीए एपीएस मेक निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणाली की व्यापक रखरखाव संविदा	मैसर्स पावर सॉल्यूशन, अहमदाबाद	0.64	01.10.18	30.09.19
36	टर्मिनस-1 प्रस्थान की लिफ्टों का रखरखाव	मैसर्स कोने एलिवेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	2.28	01.09.18	31.08.19
37	"उत्कर्ष" परियोजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र के विमानक्षेत्रों में स्थापित ग्रीव्स कॉटन मेक डीजल जनरेटर सेटों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, पुणे	22.46	01.01.19	31.12.21
38	किलोस्कर मेक डीजल जनरेटर सेटों के लिए वार्षिक रखरखाव संविदा	मैसर्स किलोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड, पुणे	7.45	01.12.18	30.11.21
39	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-2 एवं अंतर-टर्मिनस संपर्क के हीटिंग वाेंटिलेशन एवं वातानुकूलन प्रणाली का परिचालन एवं व्यापक रखरखाव संविदा (वर्ष 2018-20)	मैसर्स ऐरोन कॉर्पोरेशन, वडोदरा	186.98	01.10.18	30.09.20
40	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-1 भवन के केंद्रीय वातानुकूलन संयंत्र का परिचालन एवं वार्षिक व्यापक रखरखाव (2018-19)	मैसर्स ऐरोन कॉर्पोरेशन, वडोदरा	14.99	22.07.18	21.11.18
41	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के टर्मिनस-2 हेतु डिजाइन आधारित छत पर सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा संयंत्र की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं चालू करना। उप-शीर्ष: टर्मिनस-2 में 700 किलोवाट पीक सौर संयंत्र का परिचालन एवं रखरखाव	मैसर्स प्रोजील इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद	10.00	06.09.18	05.09.23
42	अडेलटे मेक यात्री बोर्डिंग पुलों एवं दृश्यमान डॉकिंग मार्गदर्शन प्रणालियों का परिचालन एवं वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा, उप-शीर्ष: अहमदाबाद विमानक्षेत्र	मैसर्स अडेलटे एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी, एस.एल.यू., स्पेन / मैसर्स श्री डी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड	165.91	15.03.18	14.03.23

प्रगति पर पूँजीगत कार्य / पहले से अवाई किए गए कार्यों की सूची-

क्र. सं.	कार्य/योजना का नाम	ठेकेदार का नाम/पता	कार्य की अनुमानित लागत	स्वीकृत मूल्य (लाख में)	प्रारंभ तिथि	समाप्ति की निर्धारित तिथि	30 जून 2019 तक सम्भावित भौतिक प्रगति (%)	30 जून 2019 तक सम्भावित वित्तीय प्रगति
1.00	टर्मिनस-1 के आगमन एवं प्रस्थान वातानुकूलन संयंत्र का एकीकरण और उन्नयन	मैसर्स जामिल एयर कंडीशनर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ए-403, चौथी मंजिल, सफल पेगासस, 100 फीट रोड, अहमदाबाद-380015	234.05	199.81	01.04.18	30.11.18	100%	199.81
2.00	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनस, अहमदाबाद विमानक्षेत्र में सीटीएक्स आधारित इन-लाइन सामान प्रणाली को समाविष्ट करने के लिए मौजूदा प्रस्थान सामान संभाल प्रणाली में संशोधन। उप-शीर्ष: सामान संभाल प्रणाली की आपूर्ति। (फ्री ऑन बोर्ड भाग)	मैसर्स टेरेस ग्लोबल लिमिटेड, सिंगापुर	सिंगापुर डॉलर 12,04,914	602.46	24.06.18	15.02.19	100%	602.46
3.00	अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनस, अहमदाबाद विमानक्षेत्र में सीटीएक्स आधारित इन-लाइन सामान प्रणाली को समाविष्ट करने के लिए मौजूदा प्रस्थान सामान संभाल प्रणाली में संशोधन। उप-शीर्ष: सामान संभाल प्रणाली की स्थापना, परीक्षण और चालू करना। (भारतीय रुपया भाग)	मैसर्स थ्री डी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड 1109, टावर ए-1, स्पेस आईटेक पार्क, सेक्टर-49, सोहना रोड, गुडगांव-122002	122.36	122.36	24.06.18	15.02.19	100%	122.36

4.00	अहमदाबाद विमानक्षेत्र (घरेलू टर्मिनस) में सीटीएक्स आधारित इन-लाइन सामान प्रणाली को समाविष्ट करने के लिए मौजूदा प्रस्थान सामान संभाल प्रणाली में संशोधन।	मैसर्स वेंडरलैंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 702, पेंटागन पी-4, मगरपट्टा सिटी, हडपसर, पुणे-411028	191.43	191.43	10.06.18	20.01.19	100%	191.43
5.00	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनस-1 में प्रसाधनों का नवीनीकरण (विद्युत कार्य)	मैसर्स तरल इलेक्ट्रिकल्स 212 बिनानी कॉम्प्लेक्स, बारानपुरा, टोरेंट पावर ऑफिस के सामने, नारनपुरा, अहमदाबाद	64.62	59.38	30.07.18	30.6.19	100%	59.38
6.00	पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था को एलईडी फिटिंग से बदलकर प्रकाश व्यवस्था/ऊर्जा बचत में सुधार।	मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।	144.71	144.71	23.07.18	22.11.18	100%	144.71
7.00	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में प्रतिस्थापन योजना के तहत डीवीओआर / आईएलएस उपकरणों की स्थापना। उप शीर्ष 2: आईएलएस स्थानांतरण के लिए विद्युत कार्य।	मैसर्स यश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, 408, हैश बिजनेस सेंटर, अंकुर स्कूल के पास, फतेहपुरा, पालडी, अहमदाबाद-380007	40.84	34.57	15.06.18	12.12.18	100%	34.57
8.00	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में विविध विद्युत कार्य। उप शीर्ष: आंतरिक एवं बाह्य विद्युत कार्य।	मैसर्स श्री साई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, दुकान सं. 2, तीसरी मंजिल, टाइम स्क्वायर बिल्डिंग, अडाजन, सूरत-395009	16.64	14.21	26.10.18	25.07.19	100%	14.21
			कुल	6308.29				

हवाईअड्डे पर विद्यमान पट्टों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	एजेंसी का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्रयोजन	करार की अवधि	वैधता अवधि / बैंक गारंटी / एफडी / एसडी की तिथि	बैंक गारंटी / एफडी / एसडी की राशि (रु. में)	कुल बकाया (रु. में)	अभ्युक्ति
1	मैसर्स आईओसीएल	3716	विमान ईंधन सेवा	01.11.1975 से 31.10.1986	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	-	शून्य	-
2	मैसर्स बीपीसीएल	5000	विमान ईंधन सेवा	21.03.1994 से 20.03.1999	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	23,77,507	शून्य	अम्बरेला करार हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

3	मैसर्स आरआईएल	3160	विमान ईंधन सेवा	03.02.2006 से 31.03.2015	03.02.2019 / 23.11.2019	25,04,114	शून्य	लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
4	मैसर्स टोरेट पावर लिमिटेड	10000	उप केंद्र	01.06.2004 से 31.05.2034	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	-	शून्य	लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
5	मैसर्स अहमदाबाद एविएशन एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	600	उड्डयन क्लब	09.02.1994 से 08.02.1999	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	-	शून्य	लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।
6	गुजसेल (गुजरात सरकार)	6400	गुजरात सरकार हैगर	09.01.2007 से 08.01.2017	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	-	-	करार पर हस्ताक्षर किया जाना शेष है।
7	मौसम विज्ञान विभाग	33604	मौसम सेवाएं	-	बैंक गारंटी उपलब्ध नहीं	-	-	स्टेशन पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

टिप्पणी: जीएसईसीएल एवं जीएआईसीएल को (कार्गो परिचालन के प्रयोजन हेतु) आवंटित भूमि एएआईसीएलएएस के अंतर्गत आती है।

अनुसूची प

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची

संयुक्त कार्य / परियोजना के मामले में जिसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन कुछ पैकेज प्रदान किए जाने शेष हैं: (राशि लाख रुपये में)								
क्रम सं.	मुख्य परियोजना / योजना का नाम	कुल प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी मूल्य	स्वीकृत परियोजना के तहत उप-पैकेज / कार्य का नाम जिसे लिया जाना शेष है	कार्य / उप-पैकेज का अनुमानित मूल्य	निविदा आमंत्रण की स्थिति	कार्य प्रदान करने की संभावित तिथि	कार्य की संभावित पूर्णता अवधि	अभ्युक्ति

1	सी.ए. अहमदाबाद में नए केंद्रीय नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक एवं स्टाफ कैंटीन का निर्माण अर्थात विद्युत कार्य	16647.00	केंद्रीय नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक एवं स्टाफ कैंटीन का निर्माण अर्थात विद्युत कार्य	16647.00	निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं	30-06-2019	18 माह	दिनांक 20.06.2018 को एएआई बोर्ड द्वारा 166.47 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी प्रदान की गई।
2	सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में रनवे के 23वें छोर की ओर विद्यमान समानांतर टैक्सी-ट्रैक का विस्तार (कोणीय टैक्सीवे के साथ आंशिक समानांतर टैक्सीवे का निर्माण - सिविल एवं विद्युत कार्य)	11827.00	समानांतर टैक्सी-ट्रैक का विस्तार	11827.00	निविदाएं आमंत्रित की जानी हैं	30-04-2019	18 माह	दिनांक 30.10.2018 को एएआई द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी दी गई।
3	पूँजीगत कार्यों के लिए समग्र दर अनुबंध - आवासीय क्षेत्र जिसमें एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में सीआईएसएफ बैरक शामिल हैं (2018-19)	150.00	आवासीय एवं सीआईएसएफ बैरक कार्य	150.00	कार्य प्रदान किया गया / बोली प्राप्त हुई	15-12-2019	24.06.2019	बोली प्राप्त हो चुकी है, कार्य प्रदान किया जाना है।
4	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनल-2 हेतु आब्रजन काउंटरों का प्रावधान	23.90	आब्रजन काउंटर प्रावधान	23.90	बोली प्राप्त हुई	-	-	बोली प्राप्त हो चुकी है, कार्य प्रदान किया जाना है।
5	पूँजीगत कार्यों के लिए समग्र दर अनुबंध - एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में परिचालन क्षेत्र एवं टर्मिनल भवन (2018-19)	350.00	परिचालन एवं टर्मिनल कार्य	104.01 (सिविल एवं विद्युत)	आमंत्रित की जानी है	01-03-2019	31-08-2019	योजना चरण
6	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में गगन इनरेस भवन का स्थानांतरण (सिविल कार्य)	23.28	गगन भवन स्थानांतरण	23.28	आमंत्रित की जानी है	01-03-2019	31-08-2019	तकनीकी स्वीकृति चरण

योजना चरण में शामिल कार्य जिन्हें स्थगित किया जा सकता है तथा प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी जारी नहीं की गई है:

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	प्रशा. स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी प्राप्त करने की स्थिति	क्या कार्य परिचालन आवश्यकता हेतु अनिवार्य है	यदि हां, तो परिचालन आवश्यकता हेतु प्रारंभ तिथि	कार्य की पूर्णता अवधि
1	नए घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण	131900.00	योजना चरण	-	-	-

अन्य कार्यों / परियोजनाओं की सूची जिनके लिए प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी स्वीकृत हो चुकी है लेकिन कार्य अभी तक प्रदान नहीं किया गया है:

क्रम सं.	परियोजना / योजना का नाम	कुल प्रशास. स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी मूल्य (लाख रु.)	विस्तृत प्राकलन / तकनीकी स्वीकृति की स्थिति	निविदा आमंत्रित करने की संभावित तिथि	कार्य प्रदान करने की संभावित तिथि	पूर्णता की संभावित तिथि	अभ्युक्ति (अभी तक निविदा न आमंत्रित करने का कारण)
1	सी.ए. अहमदाबाद में नए केंद्रीय नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक एवं स्टाफ कैंटीन का निर्माण अर्थात विद्युत कार्य	16647.00	दिनांक 20/06/2018 को 155.00 लाख रुपये स्वीकृत	निविदा प्रक्रिया पूर्ण	30.11.2018	31.12.2019	एएआई बोर्ड द्वारा 20.06.2018 को 166.47 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य प्रदान किया जाना शेष है।
2	पूँजीगत कार्यों के लिए समग्र दर अनुबंध - एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में आवासीय क्षेत्र जिसमें सीआईएसएफ बैरक शामिल हैं (2018-19)	150.00	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त	-	-	-	कार्य प्रदान किया जाना शेष है।
3	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में रनवे के 23वें छोर की ओर विद्यमान समानांतर टैक्सी-ट्रैक का विस्तार (कोणीय टैक्सीवे के साथ आंशिक समानांतर टैक्सीवे का निर्माण - सिविल एवं विद्युत कार्य)	11827.00	प्रशा. स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी स्वीकृत	-	-	-	एएआई बोर्ड द्वारा 30.10.2018 को 118.27 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

योजना चरण के ऐसे कार्यों की सूची जिन्हें परिचालन कारणों से स्थगित नहीं किया जा सकता, परंतु प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी जारी नहीं हुई है:

क्रम सं.	प्रस्तावित कार्य / योजना का नाम	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रु.)	प्रशा. स्वीकृति एवं व्यय मंजूरी की स्थिति	क्या कार्य परिचालन आवश्यकता हेतु अनिवार्य है	यदि हां, तो परिचालन आवश्यकता हेतु प्रारंभ तिथि	कार्य की पूर्णता अवधि
1	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में घरेलू टर्मिनल टी-1 में प्रस्तावित संशोधन (सिविल एवं विद्युत कार्य)	9037.35	योजना चरण	हां	-	-
2	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में परिचालन क्षेत्र एवं टर्मिनल भवनों में लघु पूंजीगत कार्यों हेतु समग्र दर अनुबंध (2018-19)	350.00	योजना चरण	हां	-	-
3	पुराने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल टी-3 को ध्वस्त करके कार्गो एवं कूरियर टर्मिनल का निर्माण (नए घरेलू टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु)	5000.00	योजना चरण	हां	-	-

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध भूमि के आधार पर सूचीबद्ध किया जाने वाला सांकेतिक पूंजीगत व्यय:

क्रम सं.	कार्य / योजना का नाम	प्रारंभ का मुख्य कारण / ट्रिगर प्वाइंट	प्रारंभ तिथि	पूर्णता तिथि	अभ्युक्ति
1	सी.ए. अहमदाबाद में नए नियंत्रण टॉवर-सह-तकनीकी ब्लॉक एवं स्टाफ कैंटीन का निर्माण अर्थात विद्युत कार्य	तत्काल	30.06.2019	31.12.2020	अनुमानित लागत 166.50 करोड़ रु.
2	रनवे के 23वें छोर की ओर विद्यमान समानांतर टैक्सी-ट्रैक का विस्तार (एस.वी.पी.आई. विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में कोणीय टैक्सीवे के साथ आंशिक समानांतर टैक्सी का निर्माण - सिविल + विद्युत)	तत्काल	30.04.2019	31.10.2020	अनुमानित लागत 118.3 करोड़ रु.
3	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के आवासीय क्षेत्र जिसमें सीआईएसएफ बैरक शामिल हैं, में लघु पूंजीगत कार्यों हेतु समग्र दर अनुबंध (2018-19)	तत्काल	30.11.2018	30.06.2019	अनुमानित लागत 1.50 करोड़ रु.
4	एस.वी.पी.आई. विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में टर्मिनल-2 हेतु आब्रजन काउंटरों का प्रावधान	तत्काल	15.12.2018	31.03.2019	अनुमानित लागत 0.24 करोड़ रु.

5	एसवीपीआई विमानक्षेत्र, अहमदाबाद के परिचालन क्षेत्र तथा टर्मिनल भवनों में लघु पूंजीगत कार्यो हेतु समग्र दर अनुबंध (2018-19)	तत्काल	30.03.2019	30.09.2019	अनुमानित लागत 3.50 करोड़ रु.
6	एस.वी.पी.आई. विमानक्षेत्र, अहमदाबाद में गगन इनरेस भवन का स्थानांतरण (सिविल कार्य)	तत्काल	01.03.2019	31.08.2019	अनुमानित लागत 1.04 करोड़ रु.
7	नए घरेलू टर्मिनल भवन का निर्माण	तत्काल	31.12.2019	30.06.2022	अनुमानित लागत 1319.0 करोड़ रु.
8	अहमदाबाद विमानक्षेत्र में घरेलू टी-1 में प्रस्तावित संशोधन (सिविल एवं विद्युत कार्य)	तत्काल	31.10.2019	30.04.2021	अनुमानित लागत 90.40 करोड़ रु.
9	पुराने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल टी-3 को ध्वस्त करके कार्गो एवं कूरियर टर्मिनल का निर्माण (नए घरेलू टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु)	तत्काल	30.09.2019	31.05.2020	अनुमानित लागत 50.00 करोड़ रु.

अनुसूची फ नमूना नवीयन विलेख

यह नवीयन विलेख आज दिनांक [] माह [] वर्ष [] को संपादित किया गया।

यह नवीयन विलेख निम्नलिखित पक्षों के मध्य निष्पादित किया जाता है:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग विमानक्षेत्र, नई दिल्ली, 110003, भारत में स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे);

2. [], जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमबद्ध कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमति प्राप्त समनुदेशिनी और प्रतिस्थापकी शामिल होंगे); तथा
3. [], जो [विधान का नाम दर्ज करें] के तहत निगमबद्ध/पंजीकृत [सत्ता का स्वरूप दर्ज करें] है, जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर स्थित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिपक्ष" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे)।

"प्राधिकरण", "रियायतग्राही" एवं "प्रतिपक्ष" को व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" तथा सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

जबकि:

- क. प्राधिकरण और प्रतिपक्ष ने दिनांक [] को एक करार निष्पादित किया था, जिसकी एक प्रति इस नवीयन विलेख के परिशिष्ट A के रूप में संलग्न है (जिसे इसके पश्चात् "नवीकृत करार" कहा गया है);
- ख. प्राधिकरण ने [राज्य का नाम] राज्य के [शहर का नाम] में स्थित [विमानक्षेत्र का नाम] के परिचालन, विकास और प्रबंधन के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [] को एक रियायत करार किया है;
- ग. रियायत करार में, अन्य बातों के साथ-साथ, रियायतग्राही के पक्ष में प्राधिकरण के कतिपय अनुबंधों के नवीयन का प्रावधान है, जिसमें नवीकृत करार भी शामिल है;
- घ. प्राधिकरण रियायतग्राही के पक्ष में अपने सभी अधिकारों और दायित्वों का नवीयन करके नवीकृत करार का नवीयन करना चाहता है; तथा
- ड. प्रतिपक्ष इस नवीयन विलेख में उल्लेखित नियमों और शर्तों पर ऐसे नवीयन के लिए सहमत है।

अब, इसलिए, इस नवीयन विलेख में निर्धारित पारस्परिक वचनों के प्रतिफल स्वरूप, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं:

1. वाणिज्यिक संचालन तिथि (रियायत करार में यथा परिभाषित) पर, नवीकृत करार इस प्रकार नवीकृत माना जाएगा कि:
 - (क) प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) प्रतिपक्ष अब से नवीकृत करार के तहत प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के लाभ के लिए अपने अधिकारों को लागू करेगा और अपने दायित्वों का पालन करेगा; तथा
 - (ग) रियायतग्राही इसके पश्चात् नवीकृत करार के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त करेगा।

2. रियायतग्राही और प्रतिपक्ष के बीच, नवीकृत करार धारा 1 में दिए गए नवीयन को छोड़कर, पूर्ववत समान नियमों और शर्तों पर लागू रहेगा।
3. प्रतिपक्ष ऐसे नवीयन के लिए अपनी सहमति देता है और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसके नवीयन के विरुद्ध नवीकृत करार में किसी भी निषेध, प्रतिबंध या शर्तों का परित्याग करता है।
4. प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच, लेकिन प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत करार बाध्यकारी होगा, और रियायत करार तथा नवीयन विलेख के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, रियायत करार ही मान्य होगा।
5. इस नवीयन विलेख के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) मध्यस्थों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, जिनमें से 1 (एक) मध्यस्थ दावेदारों द्वारा सामूहिक रूप से और 1 (एक) उत्तरदाताओं द्वारा सामूहिक रूप से नियुक्त किया जाएगा तथा तीसरा मध्यस्थ इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।
6. धारा 5 के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस नवीयन विलेख से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने ऊपर लिखित तिथि, माह और वर्ष को अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दिए हैं:

प्राधिकरण की ओर से और वास्ते:

रियायतग्राही की ओर से और वास्ते:

प्रतिपक्ष की ओर से और वास्ते:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

परिशिष्ट 'क'

[संबंधित नवोदित करार की प्रति संलग्न करें]